लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिंदी संस्करण

[छठा सत्र]

6th Lok Sabha

[खंड 19 में अंक 1 से 10 तक हैं]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

संख्या 7, मंगलवार, 28 नवम्बर, 1978/7 अग्रहायण, 1900 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या 121 से 125, 129, 131, 133 और 134 . .	1–15
प्रश्नो के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या 126 से 128, 130, 132 और 135 से 140 . .	15–23
अतारांकित प्रश्न संख्या 1186 से 1292, 1295 से 1335 और 1337 से 1385	24–125
(एक) समस्तीपुर मतदान सम्बधी घटनाओं और (दो) श्री वसन्त साठे, संसद सदस्य तथा अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में वक्तव्य	125–126
सभा पटल पर रखे गये पत्र	126
श्री विश्वेश्वर राव राजे तथा श्री वसंत साठे, संसद सदस्यों की रिहाई के बारे में सूचना	127
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
गुजरात, तमिलनाडु और देश के अन्य भागों में समुद्री तूफान का समाचार—	
श्री मुख्तियार सिंह मलिक	127,129–30
श्री सुरजित सिंह बरनाला	127–135
श्री शंकर सिंहजी बघेला	130–131
श्री जी० एम० बनतवाला	131–133
डा० मुरली मनोहर जोशी	133–134
श्री सौगत राय	134–135
भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यकरण के बारे में याचिका	135
नियम 377 के अधीन मामले — .	
(एक) विभिन्न राज्यों के बीच सीमा विवादों के हल के लिये एक समान नीति बनाने की आवश्यकता—	
श्री एडुआर्डो फैलीरो	135
(दो) कपास के मूल्यों में कथित भारी गिरावट और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कपास उत्पादकों को हुई कठिनाइयां—	
श्री वसंत सिंह रामूवालिया	135–136
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—	
श्री एस० डी० पाटिल	136–138
श्री दिनेश जोरदार	138–141

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

1—475 लोक सभा/78

विषय	पृष्ठ
श्री पूर्ण नारायण सिन्हा	141–142
श्री ए० सुन्ना साहिब	142–144
श्री आर० डी० गट्टानी	144–145
श्री पी० बालकृष्णैय्या	145–146
श्री लक्ष्मीनारायण नायक	146–147
प्रो० पी० जी० मावलंकर	147–150
श्री विनायक प्रसाद यादव	150–151
श्री ए० अशोक राज	151–152
श्री बी० सी० कांबले	152
श्री पवित्र मोहन प्रधान	153–153
चौधरी बलबीर सिंह	153–155
श्री बापूसाहेब पारुलेकर	155–158
खण्ड 2 से 35 और 1—	
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में—	
श्री एस० डी० पाटिल	157–169
श्री हरिकेश बहादुर	168–169
देश के विभिन्न भागों में बाढ़ से प्रति वर्ष होने वाली क्षति के बारे में चर्चा—	
श्री पी० वेंकटासुबैय्या	170–171
सदस्य का अवरोध तथा रिहाई के बारे में सूचना—	171
बिहार के एक मंत्री और एक संसद सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में वक्तव्य—	
श्री घनिक लाल मंडल	172

लोक-सभा

मंगलवार, 28 नवम्बर, 1978/7 अग्रहायण, 1900 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कोयले की कमी के कारण यात्री गाडियों का बन्द किया जाना

*121. **श्री मीठालाल पटेल :** क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पट पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) देश में इस समय कोयले की कमी के कारण कुल कितनी यात्री गाड़ियों का चलना बन्द क दिया गया है और क्या उनकी राज्यवार और जोनवार सूची सभा पटल पर रखी जायेगी ;

(ख) क्या यह सच है कि इनमें से अधिकांश गाड़ियां वे यात्री गाड़ियां हैं जो छोटे स्टेशनों पर रुक हैं और यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं और ऐसी कुल गाड़ियों में यात्री और एक्सप्रेस गाड़ि की अलग अलग संख्या क्या है ;

(ग) क्या बन्द की गई गाड़ियों में आगरा फोर्ट कोटा यात्री गाड़ी भी एक है जिसके न चलने से बी में पड़ने वाले अनेक स्टेशनों पर दिन के समय कोई यात्री गाड़ी उपलब्ध नहीं है और यदि हां, तो उस क्या कारण है ; और

(घ) क्या उपरोक्त समस्या को हल करने के लिए सरकार का विचार बन्द की गई गाड़ियों को फि से चलाने का है और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया जिसमें रद्द की गयी गाड़ियों की जोनवार संख्या बतायी गयी है। रद्द की गयी गाड़ियों की राज्यवार सू रेलों द्वारा नहीं बनायी जाती। गाड़ियों को रद्द करते समय, विभिन्न खण्डों पर यातायात के घनत्व व मूल्यांकन किया जाता है। केवल वे ही गाड़ियां रद्द की जाती हैं जिनमें कम यात्री यात्रा करते हैं और जा वैकल्पिक सेवाएं उपलब्ध होती हैं, ताकि यात्रियों को कम से कम असुविधा हो।

(ग) 83/84 सवारी गाड़ी, जिसे कोयले की कमी के कारण रद्द कर दिया गया था, आगरा फो और बयाना के बीच 21-7-78 से आंशिक रूप से और अपने सम्पूर्ण चालन-क्षेत्र पर 30-10-78 पूर्ण रूप से चला दी गयी है।

(घ) जो गाड़ियां कोयले की कमी के कोरण रद्द की गयी हैं, कोयले के स्टाक की स्थिति में सुधा होते ही उन्हें पुनः चला दिया जायेगा।

विवरण

24-11-78 को रद्द जोड़ गाडियों की संख्या

रेलवे	बड़ी लाइन		मीटर लाइन		जोड़
	मेल/एक्सप्रेस	सवारी	मेल/एक्सप्रेस	सवारी	
पूर्व	..	1	..	..	1
उत्तर	2	59	2	13	76
पूर्वोत्तर	1	..	..	47	48

विवरण—समाप्त

रेलवे	बडी लाईन		मीटर लाईन		जोड
	मेल/एक्सप्रेस	सवारी	मेल/एक्सप्रेस	सवारी	
पूर्वोत्तर सीमा . . .	..	2	..	..	2
दक्षिण	..	2	2	50	54
दक्षिण-मध्य . . .	..	5	..	1	6
दक्षिण-पूर्व . . .	2	7	..	..	9
पश्चिम	..	2	..	15	17
जोड़ .	5	78	4	126	213

श्री मीठालाल पटेल : माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के (क) और (ख) भाग में बतलाया है कि "गाड़ियों को रद्द करते समय विभिन्न खण्डों पर यातायात के घनत्व का मूल्यांकन किया जाता है। केवल वे ही गाड़ियां रद्द की जाती हैं जिन में कम यात्री यात्रा करते हैं।" यह बात बिलकुल गलत है। छोटे स्टेशनों पर सुबह से शाम तक कोई गाड़ी नहीं मिलती है, विशेषकर उन गाड़ियों को बन्द किया गया है जो गांवों के छोटे स्टेशनों पर रुकती थीं। आप के विवरण के अनुसार जिन 213 गाड़ियों को बन्द किया गया है, उन में केवल 9 गाड़ियां ऐसी हैं जो एक्सप्रेस हैं। बाकी गाड़ियां सब छोटे स्टेशनों पर चलने वाली बंद की हैं। आप एक्सप्रेस गाड़ियों को क्यों नहीं रोकते बजाय छोटे स्टेशनों पर चलने वाली गाड़ियों के? इस से छोटे स्टेशनों से जो यात्री सफर करते हैं, उनको ही सारा नुकसान होता है। आप बड़े आदमियों की गाड़ियां क्यों नहीं बंद करते ?

प्रो० मधु दंडवते : मान्यवर, यहां बड़े और छोटे का सवाल नहीं है। अगर ट्रंक रूट पर, मेन रूट पर गाड़ियां बंद करनी शुरु कर देंगे तो जो कमोडिटीज का यातायात होता है, कोल का, स्टील का यातायात होता है वह यातायात बंद हो जाएगा और जो स्टील इंडस्ट्रीज हैं या और इंडस्ट्रीज हैं, उनको तकलीफ हो जाएगी और इस से बेरोजगारी हो जाएगी। इन सब बातों का ख्याल कर के ही, जहां यातायात कम है, डेंसिटी कम है, वहां हम यह करते हैं जिस से कि कम से कम लोगों को असुविधा हो।

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि एनर्जी मिनिस्ट्री ने हमें बताया है कि जनवरी तक स्टीम कोल की सप्लाई—जो कम हुई है—ठीक हो जाएगी और उस के बाद जो गाड़ियां बंद हुई है वे सब शुरु हो जाएगी।

श्री मीठालाल पटेल : आप एक्सप्रेस गाड़ियों को कोयले की कमी की वजह से डीजल इंजन से चला रहे हैं। आप उन गाड़ियों में डीजल इंजन बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि डीजल इंजन की काफी संख्या आपके पास है। कोयले की कमी की वजह से जो गाड़ियां आप बंद कर चुके हैं क्या उनको डीजल इंजन से चलाने की व्यवस्था करेंगे ?

दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि ये जो 213 गाड़ियां आपने बंद कर रखी हैं, क्या आपकी धारणा इन गाड़ियों को स्थायी रूप से बंद करने की नहीं है, कोयले की कमी तो बहाना मात्र है? कोयला विभाग आप से कहता है कि वेगनों की कमी के कारण वह कोयला पर्याप्त रूप से नहीं भेज रहा है और आप कहते हैं कि कोयला नहीं मिल रहा है।

प्रो० मधु दंडवते : मान्यवर, डीजल इंजनो के बारे में मैं कई मर्तबा इस सदन में बता चुका हूं कि डीजल इंजनों की कमी होने के कारण हम लोगों को प्राथमिकता तय करनी पड़ती है । माल का यातायात महत्वपूर्ण है क्योंकि उसका ताल्लुक इंडस्ट्रीज से होता है । मैं फिर से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमारे पास 8,263 स्टीम इंजन हैं, 1,900 डीजल इंजन है और 844 इलेक्ट्रिक इंजन हैं। हम ने इन का बटवारा इस प्रकार से किया है—60 परसेंट पेसेंजर ट्रेफिक स्टीम इंजन से चलता है, 20 परसेट डीजल इंजन से चलता है और

20 परसेंट इलेक्ट्रिक ट्रेंस से चलता है। जहां तक गुड्स ट्रेफिक का ताल्लुक है, वह 22 परसेंट हम लोगों को स्टीम इंजन से चलाना पड़ता है, 54 परसेंट हम ड़ीजल इंजन से चलाते हैं और 24 परसेंट इलेक्ट्रिक से चलाते हैं।

आखिर में मैं उनको बताऊं, जैसा कि उन्होंने कहा कि हम कोयले की कमी का बहाना बना कर गाड़ियां बंद कर रहे हैं, गाड़ियां बंद करने से हम को क्या फायदा है? हम तो सचमुच में ज्यादा आमदनी चाहते हैं, ज्यादा यातायात चाहते हैं और ज्यादा पैसेंजर्स चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं कि उत्तर प्रश्न के समान लम्बा हो।

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने प्रश्न पूछा है। वह बैठ जाये। आज स्थिति यह है कि हमें प्रतिदिन 4000 टन भाल मिल रहा है। जैसे ही इसकी पूर्ति की जाती है हम गाड़ियां पुनः चालू कर देंगे।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : ऊर्जा मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय में झगड़ा चल रहा है। ऊर्जा मंत्रालय का कथन है कि उनके पास पर्याप्त कोयला है। रेलवे वालों का कथन है कि उन्हें माल नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय : यह विरोधी बाते हैं।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 9 रेलवे जोनों की प्रत्येक जोन के हिसाब से कोयले की सामान्य मांग कितनी है? प्रत्येक रेलवे में कितने दिन का स्टॉक रखा जाता है? आज स्टॉक की क्या स्थिति है?

प्रो० मधु दंडवते : इन्होंने विशिष्ट प्रश्न पूछा है और मैं विशिष्ट उत्तर दूंगा। मैं प्रति क्षेत्र के लिए दैनिक आवश्यकता, उपलब्धि तथा कमी दर्शाता हूँ। मैं कोयले का विवरण वेगनों में दे रहा हूं।

मास	बड़ी लाइन माल डिब्बों की आवश्यकता	प्रतिदिन का लदान	कमी
अप्रैल	1600	1533	67
मई	1600	1463	137
जून	1600	1388	212
जुलाई	1600	1466	134
अगस्त	1600	1475	125
सितम्बर	1600	1412	188
अक्तूबर (ज्यादा से ज्यादा)	1600	1349	251

8 नवम्बर तक मांग 1800 वेगन थी जबकि प्रतिदिन उपलब्धि 1471 वैगन थी। कमी कम होती जा रही है। जनवरी तक सब ठीक हो जायेगा।

श्री डी० एन० तिवारी : मंत्री जी ने बताया है कि कोयले की कमी के कारण बहुत सी गाड़ियां बन्द करनी पड़ी हैं। उनका तो खर्चा बराबर लगता ही होगा। मैं जानना चाहता हूं कि इन गाड़ियों के बन्द होने से कितना लास हुआ है और अन्त में कैसे वह इसको मेक अप करेंगे?

प्रो० मधु दंडवते : पिछले दिनों जो ट्रेंज कैंसल हुई हैं इसकी वजह से 2.9 करोड़ का नुकसान हुआ है। मैं बता चुका हूं कि टोटल 213 ट्रेंज जिस में एक्सप्रैस और पैसेंजर भी हैं बन्द करनी पड़ी हैं। उम्मीद है कि जनवरी तक शायद सब ठीक हो जाए क्योंकि एनर्जी मिनिस्टर ने इसका आश्वासन दिया है। उन में और हम में कोई झगड़ा नहीं है। उन्होंने कहा है कि कोल एवैलेबल है। लेकिन वह स्लैक कोल है। स्टीम कोल के बारे में एनर्जी मिनिस्टर ने भी माना है कि उसकी कमी है। आज हालत ऐसी है कि 2.6 डैज़ का स्टाक सिर्फ हमारे पास है।

कच्चे तेल, गैस तथा पेट्रोलियम उत्पादों के भंडार

*122. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कच्चे तेल, गैस तथा अन्य पैट्रोलियम उत्पादों के संसाधनों एवं उपलब्ध भंडारों के बारे में हाल में कोई मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) देश पेट्रोलियम उत्पादों के संबंध में किस सीमा तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने वाला है; और

(घ) आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) (क) जी, हां ।

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लि द्वारा दिनांक 1-1-1978 की यथास्थिति के अनुसार तेल तथा गैस क्षेत्रों के बकाया प्राप्त करने योग्य भंडारों से संबंधित सूचना निम्न लिखित हैं :—

	तेल (मि० मी० टनों में)	गैस (सि० घन मीटरों में)
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग	275.00	184.00
आयल इंडिया लिमि०	33.46	53.98

(ग) और (घ) : पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में तेल के देशीय उत्पादन में यद्यपि वृद्धि हुई है, वहां पेट्रोलियम उत्पादों की खपत भी बढ़ी है, जिसके परिणामस्वरूप इस उत्पाद के देशीय उत्पादन और खपत में अभी भी पर्याप्त अन्तराल विद्यमान है ।

देशीय उत्पादन में वृद्धि करने की बात को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त तेल तथा गैस के भंडारों का पता लगाने के लिए तटवर्ती और अपतटीय दोनों प्रकार के स्थानों पर सघन प्रयास किये जा रहे हैं ।

ऐसी परिकल्पना है कि लगभग 36.37 मिलियन मी० टन कच्चे तेल की प्रत्याशित आवश्यकता की अपेक्षा वर्ष 1982-83 तक इस तेल का देशीय उत्पादन लगभग 18 मिलीयन मी० टन हो जायेगा ।

इस उत्पाद के बारे में आत्मनिर्भरता जहां प्राप्त करना सरकार का निरन्तर लक्ष्य रहा है, और अतिरिक्त हाइड्रोकार्बन के भंडारों का पता लगाने के लिए सघन प्रयास किये जा रहे हैं वहां यह कह पाना कठिन है कि इस लक्ष्य को कब तक प्राप्त करने की संभावना है ।

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में ब्यौरा नहीं दिया है । उन्होंने कहा है कि "पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में तेल के देशीय उत्पादन में वृद्धि हुई है, वहां पेट्रोलियम उत्पादों की खपत भी बढ़ी है, जिसके परिणाम स्वरूप इस उत्पाद के देशीय उत्पादन और खपत में अभी भी पर्याप्त अन्तर विद्यमान है ।" उन्होंने यह नहीं बताया कि कमी कितनी है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह बता दिया है ।

श्री मनोरंजन भक्त : अपने उत्तर के पहले भाग में उन्होंने बताया है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान तेल के देशीय उत्पादन में यद्यपि वृद्धि हुई है, वहां पेट्रोलियम उत्पादों की खपत भी बढी है जिसकें कारण उत्पादन और खपत में बहुत अन्तर है । कितना अंतर है यह उन्होंने नहीं बताया । अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा देश के अन्य स्थानों में कमी पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ? वे पिछले 5-6 वर्ष से कार्य कर रहें हैं । मुझे पता चला है कि अब इसमें कमी हुई है । अतएव मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि कितनी कमी हुई है और उसे पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : वर्ष 1977-78 के दौरान हम विभिन्न संगठनों, अर्थात् तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, आयल इण्डिया लिमिटेड तथा उनके अन्य क्षेत्रों से 120 लाख कच्चे तेल का उत्पादन करेंगे, मांग 2 करोड़ 80 लाख टन होगी । इस प्रकार अन्तर 1 करोड़ 60 लाख टन का होगा ।

वर्ष 1979–80 के दौरान हमारा उत्पादन 131.48 लाख टन होगा जबकि 1980–81 में 149.45 लाख टन होगा। 1981–82 में कुल उत्पादन 179.4 लाख टन होगा और 1981–82 में मांग 351.8 लाख टन होगी जबकि उत्पादन 180 लाख टन होगा और मांग 379.4 लाख टन होगी।

अब माननीय सदस्य ने पूछा है कि अधिक तेल की खोज के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है। हम सौराष्ट्र से अन्दमान तक तेल की खोज प्रत्येक बिसिन में व्यापक रूप से कर रहे हैं ताकि अधिकतम तेल की प्राप्ति की जा सके।

श्री मनोरंजन भक्त : हम सब जानते हैं कि खाना बनाने के लिये प्रयोग में लायी जाने वाली गैस की पूरे देश में बेहद कमी है और हमने देखा (मैं हाल ही में असम गया था) कि भारी मात्रा में प्राकृतिक गैस निरन्तर जलाई जा रही है। क्या सरकार उस गैस को जलाने के स्थान पर देशवासियों को देने की चेष्टा करेगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : तेल के निर्माण की प्रक्रिया में संबद्ध गैस भी पैदा होती है। कुछ क्षेत्रों में उसका उपयोग हो रहा है तथा अन्यों में यह प्रकाशित होती है। सरकार ने निर्णय किया है इस गैस का उपयोग करने के लिए उर्वरक संयंत्र लगाया जाये तथा नामरूप उर्वरक की क्षमता को 600 मीटरी टन बढ़ाया जाये। एल० पी० ओ० को गैस से निकालने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

श्री यादवेन्द्र दत्त : मंत्री महोदय द्वारा अभी अभी दी गई जानकारी के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों में कम निरन्तर बनी हुई है जिसका हमारे उद्योग तथा कृषि पर प्रभाव पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं कि ब्रुनी ब्राजील तथा मैक्सीको से तेल तथा तेल उत्पादों के आयात के लिए क्या कार्यवाही की गई है क्योंकि संकट के कारण ईरान से आयल मे कमी आयेगी। इसलिए कमी पूरी करने...

अध्यक्ष महोदय : पिछले सप्ताह यही प्रश्न पूछा गया था तथा इसका उत्तर दिया गया था। उन्होंने इराक तथा ईरान से प्राप्त कर लिया है। मैं समझता हूं इसें दुबारा नहीं पूछा जाना चाहिए।

श्री यादवेन्द्र दत्त : क्या देश में तेल की कमी को पूरा करने के लिए वह ब्रूनी, मैक्सिको, ब्राजील से उनका आयात करने के लिए मंत्री महोदय तैयार हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं इस सुझाव के लिए माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं। हम इसे और निकट से प्राप्त करना चाहते हैं परन्तु यदि कोई कठिनाई हुई तो हम विश्व के किसी भी भाग से अपने जरुरत पूरी कर सकते हैं।

श्री विनोद भाई बी० शेठ : प्रोलियम उत्पादक निर्यात कर्ता देशों का संगठण के तेल के मूल्य वृद्धि की चेतावनी तथा मध्य प्रदेश तथा अन्य स्थानों पर कोयले की कमी को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय भूगोलीय क्षेत्र विशेषतः गुजरात तथा बम्बई हाई के तटीय तथा तटदूर क्षेत्रों को अग्रता देंगे क्योंकि सभी औद्योगिक त्रियाकलाप इसी उर्जा पर निर्भर करते हैं तथा क्या मंत्री महोदय सभा को विश्वास दिलायेंगे कि महाराष्ट्र और गुजरात में तेल तथा गैस की सप्लाई के बारे में अलग अलग मानदण्ड रखे गये हैं।

श्री एच० एन० बहुगुणा : मैं निःसंकोच रूप से कह सकता हूं कि तेल तथा तेल उत्पादों के संभरण के मामले में किसी राज्य से भेदभाव नहीं बरता जाता। जहां तक तेल की व्यापक खोज का प्रश्न है मैं पहले ही बता चुका हूं कि कच्छ की खाड़ी में अर्थात् सौराष्ट्र क्षेत्र में अन्डमान से बम्बई हाई तक इस पर हम विस्तृत रूप से ध्यान दे रहें हैं।

बोरिक एसिड का मूल्य

*123. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** † :
श्री जी० एच० बनतवाला :

क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोरिक ऐसिड का उत्पादन मूल्य 50 किलो ग्राम की प्रत्येक बोरी के लिए लगभग 235 रुपये है।

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस उत्पाद का बाजार मूल्य 50 किलोग्राम की प्रत्येक बोरी के लिए 600 रुपये है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बोरिक एसिड का मूल्य कम करने और इसे सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (घ) : एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

मैसर्स बोरेल्स मोरारजी ने तकनीकी ग्रेड बोरिक एसिड (जिन पर मूल्य नियंत्रण नहीं है) के निर्माताओं के मूल्य निम्न प्रकार बताए हैं। उन्होंने यह भी रिपोर्ट दी है कि सभी सीधे खरीददारों से ये ही मूल्य लिए जा रहे हैं :—

(रुपये प्रति टन)

बोरिक एसिड	1-4-77 से 22-10-77 तक	23-10-77 से	1-11-78 से
ग्रेनुलर (तकनीकी) .	5450.00	5150.00	5830.00
पाउडर (तकनीकी) .	5750.00	5450.00	6130.00
क्राइस्टल (तकनीकी) . . .	5950.00	5650.00	6330.00

हाल ही में समाचार पत्रों में यह खबर छपी थी कि 50 किलो ग्राम बोरिक एसिड के लिए 580 से 600 रुपये तक मूल्य लिया जा रहा है अतः निर्माता को इसके बारे में बताने को कहा गया है।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : मंत्री महोदय द्वारा सभा पटल रखे गये वक्तव्य से कुछ भी सहायता नहीं मिलती। प्रश्न के चार भाग हैं। वक्तव्य में एक भी भाग का उत्तर नहीं दिया गया। मंत्री महोदय ने बोरिक एसिड का निर्माता का मूल्य ही बताया है, और कुछ नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैं मानता हूं कि उत्तर स्पष्ट नहीं है।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : प्रश्न के (ख) भाग का उत्तर नहीं दिया गया। कृपया मंत्री महोदय से पूरे प्रश्न का उत्तर सभा पटल पर रखें।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं वह अपने उत्तर में स्पष्ट करेंगे।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : मेरा मंत्री महोदय से प्रश्न है कि क्या सरकार को बोरिक एसिड के उत्पादकों से उंचे मूल्य के बारे में कोई शिकायत मिली है? निर्माता के मूल्य में तथा उपभोक्ता के मूल्य में कितना अंतर है?

श्री हेमवती नंदन बहुगुणा : माननीय सदस्य ने पूछा था कि क्या बोरिक एसिड का उत्पादन मूल्य 235 रु० है, मैंने इस बात का पूरा पहलू पेश कर दिया है। बोरिक एसिड की तीन किस्में हैं—दानेदार, चूरा तथा डली। मैंने बताया कि यह मूल्य हमारे नहीं हैं। मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं है इसलिए मूल्य निर्माता द्वारा निर्धारित किया जाता है जो कि ऐसी वस्तुओं के समान किया जाता है जिनपर कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है। बोरिक एसिड के प्रति 50 किलो के थैले का मूल्य 580 से 600 रुपए समाचार पत्रों में छपा है। इस बारे में निर्माताओं से रिपोर्ट मांगी गई है। मेरी कठिनाई यह है कि बोरिक एसिड के मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए मैं तो इतना ही कर सकता हूं कि यदि जांच से पता चल जाता है कि मूल्य के मामले में कोई गड़बड़ी है तो इस बात पर ध्यान दिया जा सकता है कि मूल्य स्थिरीकरण के लिये क्या किया जाये। इस प्रकार वक्तव्य में पूरा उत्तर आ गया है।

जहां तक बोरिक एसिड के मूल्य का प्रश्न है मेरे पास 1966 से अब तक के आंकड़े उपलब्ध हैं। दानेदार, चूर्ण तथा डली वाले बोरिक एसिड का मूल्य 1966 में 2316 से बढ़कर 1976–77 में 4550 तथा 1978 में 5450 रुपए हो गया।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : यह दुःख की बात है कि अभी भी मंत्री महोदय ने पूरी जानकारी नहीं दी है। दुःख है कि न तो सरकार के पास जानकारी है और न ही नियंत्रण। उन्हें केवल समाचार पत्रों से मिलता है। मंत्री महोदय को पता होना चाहिए कि निर्माता का क्या मूल्य है तथा उपभोक्ता को किस मूल्य पर माल मिल रहा है। इन सभी बातों को देखकर क्या सरकार इस पर नियंत्रण करेगी अथवा नहीं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : देश में उपयोग में आने वाले प्रत्येक रसायन पर हम नियंत्रण के पक्ष में नहीं हैं।

चौधरी बलवीर सिंह : मंत्री महोदय ने कहा है कि सरकार प्राइस कंट्रोल नहीं करना चाहती है। लेकिन क्या सरकार कोई ऐसी पालिसी बनायेगी, या आर्डर देगी, कि कोई कम्पनी एक ख़ास हद से ज्यादा प्राफ़िट न ले सके ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : बहुत वाजिब राय है, लेकिन फ़िनांस डिपार्टमेंट इनकम टैक्स मशीनरी के जरिये प्राफ़िट्स को रेगुलेट करता रहता है।

श्री धीरेन्द्रनाथ बसु : मंत्री महोदय ने अभी उत्तर दिया है कि बुराई पाई जायेगी तो मामले पर ध्यान दिया जायेगा। बाजार भाव उत्पादन मूल्य से 200 प्रतिशत अधिक है। क्या यह कदाचार नहीं है। उन्हें मूल्यों पर रोक लगानी चाहिए।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : जैसा कि मैंने पहले बताया मूल्य नियन्त्रण जारी नहीं है और मंत्रालय के पास ऐसा कोई संगठन नहीं है तथा हमें मूल्य विनियमन के लिए राज्य सरकारों अथवा उनकी विविध ऐजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह बात सही है कि मूल्य बढ़े है परन्तु वृद्धि 600 गुणी नहीं है। प्रति 50 किलो पर 580 से 600 रुपए लिये जा रहे है जो कि निर्माताओं द्वारा लिये जा रहे मूल्यों का 100 अथवा 150 प्रतिशत अधिक हैं। निर्माता बिक्री के लिए वितरक नियुक्त करता है। हम निर्माता के साथ बात कर रहे हैं ताकि वह बाजार को अपनी इच्छा अनुसार न चलाये।

रुमानियां के ड्रिलिंग रिगों का उपयोग न किया जाना

*124. **श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि 1976-77 के दौरान उपयुक्त स्थानों के अभाव में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के पश्चिमी क्षेत्र में रुमानियां के 6 अधिक शक्ति वाले ड्रिलिंग रिग बेकार पड़े रहे थे ; और

(ख) यदि हां, तो उनमें से कुछ रिगों को पश्चिम बंगाल में गंगा बेसिन क्षेत्र में गहन ड्रिलिंग कार्य के न लगाये जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं। यह सत्य नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर : उन्होंने उत्तर दिया है कि प्रश्न ही नहीं उठता। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि वर्ष 1976–77 के दौरान कहा पर और किस क्षेत्र में ये रिग स्थापित किये गये हैं। उन्होंने बताया कि वे बेकार नहीं पड़े हुए हैं। मैं जानना चाहती हूं कि 1976–77 के दौरान उनका कहां पर उपयोग किया गया है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : पूर्वी क्षेत्र में 9, पश्चिमी क्षेत्र में 1।

ये रिग भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। ये है रिकार्ड 3 डी, 5 डी, सी 340 है। मैं केवल किस्में बता रहा हूं। पश्चिमी क्षेत्र में—विशेष प्रकार के 9 रिग पूर्वी क्षेत्र––9 पश्चिमी क्षेत्र––1, पश्चिमी क्षेत्र अन्य प्रकार के 8, पश्चिमी क्षेत्र 2 अन्य प्रकार के, मध्य क्षेत्र में 1 जवाला मुखी में तनजानिया 1, इराक 1, ईराण 1, पश्चिमी क्षेत्र में अन्य प्रकार का 1 और पूर्वी क्षेत्र में डायमंड हार्बर पर एक और मध्य क्षेत्र में पीलीभीत में एक, पूर्वी क्षेत्र में जोटेला में 1, पश्चिमी क्षेत्र में अन्य किस्म का एक, पूर्वी क्षेत्र अन्य किस्म के चार, पूर्वी क्षेत्र अन्य किस्म का एक। इस प्रकार हमारे पास सभी रिगे हैं।

श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर : मैंने 6 उच्च शक्ति प्राप्त रूमानियन रिगों के बारे में पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रकार के रूमानियन रिगें हैं कितनी उच्च शक्ति के ...

श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर : 6 के स्थान पर वह 15 दिखा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उच्च शक्ति के रिग कहां पर स्थित है ?

श्री चित्त बसु : मैं रूमानियन रिगों की बात बताता हूं। उच्च शक्ति प्राप्त रिगों के उपलब्ध न होने के कारण पश्चिम बंगाल में बेधन कार्य उतना नहीं हो सका जितना कि आशा थी। क्या बोदरा, बकुता और डायमंड हार्बर में बेधन कार्य कर रहे हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : आसाम, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल सहित पूर्विय क्षेत्र में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने 16 रिग लगाये हैं। ये मात्र कार्यरत हैं। माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित किये गये क्षेत्रों में ड्रिलिंग के बारे में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा है। बेसिन में कार्य करने में कुछ कठिनाई रही है परन्तु उनपर काबू पा लिया गया है तथा रिग तेल खोज चार्ट में दर्शाई गई तेल की तह तक पहुंच जायेंगे।

दिल्ली तथा निकतवर्ती स्टेशनों के बीच चलने वाली रेल गाडियों में जुआ .

*125. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली, मेरठ, हापुड़, दनकौर और रोहतक के बीच चलने वाली स्थानीय रेल गाड़ियों में जुआ खेलने, गुण्डागर्दी करने तथा महिलाओं को छेड़ने की घटनाओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है तथा रेलवे सुरक्षा कर्मचारी इसे रोकने में असफल हैं ;

(ख) यदि हां, तो स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : ऐसी घटनाओं में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। फिर भी, प्रभावित गाड़ियों में सरकारी रेलवे पुलिस के कर्मचारी तैनात किये जाते हैं और रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी भी यात्रियों की सहायता करते हैं। स्टेशनों पर और गाड़ियों में समाज-विरोधी तत्वों के विरुद्ध सरकारी रेलवे पुलिस, रेलवे सुरक्षा दल और वाणिज्यिक कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रुप से छापे भी मारे जाते हैं।

श्री एस० एस० सोमानी : माननीय मन्त्री जी ने जो जवाब दिया है उससे प्रमाणित है कि विशेष वृद्धि नहीं हुई है परन्तु वृद्धि हुई है और जो रिपोर्टें हैं वह बिल्कुल दूसरा पक्ष प्रस्तुत करती हैं। टाइम्स आफ इंडिया में 16 जूलाई को बताया गया था कि पांच महीने के अन्दर 41 मर्डर्स, 45 डकैटीज़ और 118 राबरीज़ हुई हैं। स्टेट्समैन, नई दिल्ली ने 1-11-78 को "ट्रेन राबरीज़ रनिंग हाई" की रिपोर्ट दी है। मैं जानना चाहता हूं कि आर०पी०एफ० और जी०आर०पी०तो हैं लेकिन इनके अलावा भी कोई और एजेंसी लगाकर क्या इस प्रकार की घटनाओं में हो रही वृद्धि को रोकने का प्रयास किया जायेगा ?

श्री शिव नारायण : जी०आर०पी० और आर०पी०एफ० दोनों ही इस काम में लगी हुई हैं, चेकिंग हो रही है और घटनायें कुछ कम हुई हैं।

श्री एस० एस० सोमानी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इन के जी०आर०पी०का सवाल है, मैं केवल एक उदाहरण दे कर इस हाउस से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में जी० आर० पी० किस प्रकार से काम कर रही है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एफ० आइ० आर० सं० 340 ता० 14-11-1978 की तरफ़ दिलाना चाहता हूं। एक चार्टर्ड एकाउन्टन्ट बम्बई से कलकत्ता जा रहे थे, उन की अटैची दिल्ली स्टेशन पर 2 मिनट के गैप में गायब हो गई। उन्होंने जी० आर० पी० के आदमी को कहा कि आप मेरी मदद कीजिये लेकिन उसने मदद करने से इन्कार कर दिया और कहा कि यहां ऐसा तो होता ही रहता है। उस के बाद उन्होंने उस से प्रार्थना की कि आप ज़रा मेरे सामान को देख लीजिये, मैं ही उस को तलाश करने की कोशिश करता हूं—इसके लिये भी उस ने इन्कार कर दिया। उस के बाद जब उन्होंने पुलिस स्टेशन में जा कर एफ० आइ० आर० दर्ज करने को कहा, तो उस को भी दर्ज करने से इन्कार कर दिया। जब उन्होंने यह कहा कि हमारे क्षेत्र के जो पार्लियामेन्ट के मेम्बर है, आप उन से टेलीफोन पर बात करने दीजिये, तब उन्होंने उन की रिपोर्ट दर्ज की। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जी० आर० पी० को सुधारने के लिये आप ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री शिव नारायण : आखिर में उन्होंने आप की रिपोर्ट लाज की ही, शुरू में थोड़ा बहाना किया, लेकिन बाद में रिपोर्ट लिख ली गई, जिस की कापी आप के पास है।

श्री के० ए० राजन : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि जुआ आदि खेलने के कितने मामले रजिस्टर किये गये हैं।

श्री शिव नारायण : वर्ष 1978 में दिल्ली के आस पास चलने वाली स्थानीय गाड़ियों में जुऐ की किसी मामले की सूचना नहीं दी गई थी जबकि वर्ष 1977 में केवल एक ऐसें मामले की सूचना दी गई थी जिसमें कि छ : लोगों को गिरफतार किया

गया था तथा उनपर एक मुकदमा चलाया गया था। वर्ष 1978 तथा 1977 में दिल्ली के आस पास चलने वाली स्थानीय रेलों में गुण्डागर्दी का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। वर्ष 1978 में छेड़छाड़ के मामले दर्ज करवाये गये थे जिसके बारे में 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। यह मामलें न्यायालयों में विचाराधीन हैं तथा उन पर मुकदमें चल रहे है।

श्री भानु कुमार शास्त्री : मंत्री महोदय ने यदि प्रश्न सुन कर उत्तर दिया होता, तो अच्छा होता। ऐसा लगता है कि वह पहले से ही तैयारी कर के उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न यह है कि आम तौर पर गाड़ियों में ये जितने जूआ खेलने वाले या चोरियां करनेवाले हैं, ये लोग भीख मांगने के बहाने से या ढोलकिया बजाने के बहाने सें गाड़ियों में चढ़ जाते हैं और लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हैं, इस बीच में उन के गैंग के दूसरे लोग चोरियां कर के चले जाते हैं। मैं भी गाड़ियों में घूमता हूं, मैंने देखा हैं जो आरक्षित डिब्बें होते हैं, उन में ये लोग घुस कर चोरी करते हैं।

क्या हमारे रेल मंत्री जी इस प्रकार के कुछ कदम उठायेंगे जिस से ये लोग अपने ग्रुप बना कर आरक्षित डिब्बों में घुसने न पायें ?

श्री शिव नारायण : हम ने उपाय किये हैं। जी०आर०पी० और आर०पी०एफ० के लोग तो इस काम को करेंगे ही, लेकिन मैं पब्लिक से भी अपील करता हूँ—जो पैसेंन्जर्स हमारी ट्रेन्ज में ट्रेवल करें वे भी हमारे अधिकारियों की मदद करें। हम इस गन्दगी को दूर करना चाहते है, हम गाफिल नहीं हैं।

केरल के समुद्र तट से दूर तेल की खोज

*129. **श्री जार्ज मैथ्यू : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के समुद्र तट पर तेल की खोज करने के कार्य को फिर से कब शुरू किया जाएगा ;

(ख) तेल की खोज के लिए किये गये पहले अध्ययन के क्या निश्चित निष्कर्ष हैं ;

(ग) केरल के समद्र तट से दूर कितने नये स्थलों पर खुदाई का कार्य प्रारंभ किया जाने वाला है ; और

(घ) कितने स्थलों पर खुदाई पहले से ही की जा चुकी है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (घ) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अप्रैल/मई, 1978 के दौरान कोचीन के उत्तर-पश्चिम में 60 कि० मी० की दूरी पर अन्वेषी कूएं की खुदाई की थी। इस कुएं को लगभग 1755 मीटर की गहराई तक खोदा गया था। परन्तु वहां पर तेल अथवा गैस नहीं पायी गई थी, इसलिए खुदाई कार्य बन्द कर दिया गया।

इस अन्वेषी कुएं से प्राप्त किये गये आंकड़े और क्षेत्र से पहले से ही एकत्र किये गये भूकम्पीय आंकड़ों का तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा समाकलन एवं उनकी समीक्षा की जा रही है। अन्य अन्वेषी कार्यक्रम इन आंकड़ों के मुल्यांकन पर निर्भर करेगा।

श्री जार्ज मैथ्यू : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर ठीक ढंग से नहीं दिया है। मेरा प्रश्न यह था कि केरल के समुद्र तट पर तेल की खोज करने के कार्य को फिर से कब शुरु किया जायेगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मूल्यांकन करने के बाद।

श्री जार्ज मैथ्यू : इसे छः महीने से भी अधिक का समय लग गया है। खुदाई का कार्य अप्रैल/मई में आरम्भ किया गया था, जिसे अब छः महीने हो गये है। क्या आप यह नहीं समझते कि विलम्ब अकारण हो रहा है ? 1755 मीटर तक केवल एक ही कुआं खोदा गया था। क्या आप यह नहीं समझते कि प्रतिवेदन का मूल्यांकन करने में अकारण विलम्ब किया जा रहा है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं यह नहीं मानता कि ऐसा करने में किसी प्रकार का विलम्ब हुआ है। तथ्य तो यह है कि केरल से समुद्री तट पर हमने बहुत बड़ी आशाओं के साथ खुदाई का कार्य आरम्भ किया था परन्तु हमने एक कुआं खोद लेने के बाद, भिन्न स्थान निर्धारण किये अन्य कुओं की खुदाई करना ठीक नहीं समझा। आंकड़ें एकत्रित करने के बाद कुछ समय तो लगता ही है, इसलिए मैं नही समझता कि इसमें किसी प्रकार सें विलम्ब हुआ है। इन सभी आंकड़ों का मूल्यांकन किया जा रहा है और हमारे वैज्ञानिक इस कार्य में लगे हुये है।

श्री जार्ज मैथ्यू : विशेषज्ञों की राय के अनुसार 1755 मीटर की गहराई तक खुदाई का कार्य किया जाना था। प्रायः समुद्र तट पर तेल की खोज के लिए खुदाई कितनी गहराई तक की जाती है और अन्वेषी कुएं कितने गहरे खोदे

जाते है ? कितने अन्वेषी कुएं खोदने के बाद किसी क्षेत्र विशेष के बारे में यह घोषणा कर दी जाती है कि वहां तेल मिलने की संभावना नहीं है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : अभी तक हमने यह घोषणा नहीं की है कि इस क्षेत्र में तेल मिलने की संभावना नहीं है । हमारा खोज कार्य अभी भी चल रहा है और हम आंकड़ों का पुनरीक्षण कर रहे है जिससे यह पता चल सके कि क्या और कुएं मिल सकते है या नहीं । यदि आंकड़ों के आधार और कुएं मिलने की संभावना दृष्टिगोचर हुई, तो निश्चय ही खुदाई की जायेगी जहां तक उनके इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि कितने कुएं खोदने के बाद, तेल की संभावना न होने की घोषणा कर दी जाती है, इसके बारे में मुझे यहि कहना है कि इसके बारे में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । कई बार ऐसा भी हुआ है कि 500 छिद्रण करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिलता और 500 छिद्रण करने के बाद जब पहला छिद्रण किया गया, तो उससें वह सब कुछ मिल जाये जो कि पाने की सतह से 5000 फुट नीचे मिल सकता है ।

श्री पी० एम० सईद : श्रीमान जी मेरा प्रश्न समुद्र तट पर तेल के खोज के बारे में है । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या समुद्र तट पर तेल की खोज तथा लक्ष्यद्वीप में खुदाई का कार्य जारी रखा जायेगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : केरल के पश्चिमी तट पर कोचीन से लेकर लक्ष्यद्वीप तक हम सम्पूर्ण स्थिति का मूल्यांकन कर रहे है । इसका भूकम्पीय-लेखी रिकार्डिग तैयार किया गया है । अभीतक लक्ष्यद्वीप में छिद्रण करने का कोई संकेत नहीं मिला है ।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या तेल के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से, क्या मंत्री महोदय द्वारा कुछ ऐसे क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है जहां कि हम तेल प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं और क्या केरल ऐसे ही क्षेत्रों में से एक है तथा मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि अन्य ऐसे स्थान कौन कौन से हैं जहां कि तेल के वाणिज्यक उत्पादन की संभावना है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : श्रीमानजी, गोदावरी बैसन भी इन में से एक है और स्पष्ट है कि आन्ध्र प्रदेश में खुदाई का कार्य किया जा रहा है और नारासराइपेट नामक स्थान पर भी खुदाई की जा रही है ।

महानगरों में उपनगरीय यातायात

*131. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या सरकार को पता है कि सभी महानगरीय क्षेत्रों और विशेषकर बम्बई में उपनगरीय दैनिक यातायात उत्तरोत्तर अत्याधिक और भीड़-भाड़ वाला हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार उक्त गाड़ियों के दैनिक यात्रियों को राहत और सुरक्षा तथा आराम प्रदान करने के लिये किन्हीं अल्पावधि और दीर्घावधि उपायों पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दैनिक यात्रियों ने अपना असन्तोष प्रकट किया और हाल के महीनों में बम्बई की उप-नगरीय रेलगाड़ी सेवाओं के मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में रेल सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त भी कर दिया और यदि हां, तो तत्सम्बधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) ऐसी घटनाओं से निपटने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ङ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) से (ग) : जी हां । अपेक्षित सुविधाओं की उपलब्धता के अनुसार, अतिरिक्त उपनगरीय गाड़ियां चलाने, वर्तमान गाडियों का चालन क्षेत्र बढ़ाने तथा उनमें अधिक डिब्बे जोड़ने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं । 1978-7 के दौरान कलकत्ता क्षेत्र में छत्तीस और दिल्ली क्षेत्र में तीन उपनगरीय गाड़ियां चलायी गयी हैं तथा वर्तमान पन्द्रह गाड़ियों के चालन क्षेत्र भी बढ़ाये गये हैं ।

विवरण— समाप्त

कलकत्ता क्षेत्र में शेष आठ कार यूनिटों में डिब्बे बढ़ाकर नौ कार यूनिट करने तथा अतिरिक्त गाड़ियां भी चलाने के प्रस्तावों पर कार्रवाई की जा रही है। मद्रास में, बिजलीकरण हो जाने पर अप्रैल, 1979 के बाद किसी समय मद्रास-गुम्मिडिपुंडि और मद्रास-तिरुवल्लूर खण्डों पर बिजली गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है। मद्रास क्षेत्र के लिए एक अलग उपनगरीय टर्मिनल बनाने का भी विचार है।

कलकत्ता में, डम-डम और टालीगंज के बीच भूगत रेलवे लाइन निर्माणाधीन है तथा डम-डम-बारासात खण्ड पर दोहरी लाइन बिछाने का काम भी 1979–80 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है।

बम्बई क्षेत्र में, 8-4-77 से पश्चिम रेलवे पर 21 अतिरिक्त गाड़ियां चलायी गयी हैं। पश्चिम रेलवे पर अप्रैल, 1977 की समय सारिणी से सुबह के व्यस्त समय गाड़ियों की संख्या 61 से बढ़ाकर 80 तथा शाम के व्यस्त समय 50 से बढ़ाकर 60 कर दी गयी है। गाड़ियों के फेरों का अन्तराल भी तीन मिनट से घटाकर 2.5 कर दिया गया है तथा गाड़ियों की संख्या धीरे-धीरे और भी बढ़ानी है ताकि फेरों का अन्तराल घटाकर दो मिनट किया जा सके। लेकिन ऐसा बिजली गाड़ियों के स्टाक की उपलब्धता सहायक सुविधाओं के पूरा होने, बिजली सप्लाई की व्यवस्था में वृद्धि, आनुषंगिक कार शेड आदि की व्यवस्था के अनुरुप ही किया जायेगा। इसी प्रकार मध्य रेलवे पर, क्रमिक गाड़ियों के बीच समय का अन्तराल धीरे-धीरे कम करने के लिए अतिरिक्त क्षमता पैदा की जा रही है। प्रथम चरण में यह अन्तराल छः मिनट से घटाकर पांच मिनट किया जायेगा तथा तीसरे और अन्तिम चरण में 3 मिनट कर दिया जायेगा। बम्बई क्षेत्र में दोहरी लाइन वाली बिजलीकृत प्रणाली का एक अतिरिक्त गलियारा बनाने का भी विचार है।

(घ) जी हां। हाल में, बम्बई उपनगरीय खंड में गाड़ियों के फेल हो जाने, देर से चलने तथा प्लेटफार्म बदल दिये जाने के कारण दैनिक यात्रियों के प्रदर्शन के कुछ मामले हुए हैं। उपनगरीय बदल प्लेटफार्म बदल दिये जाने के कारण 26-5-78 को बम्बई वी० टी० पर दैनिक यात्रियों द्वारा प्रदर्शन किया गया था। 30-5-78 को बांद्रा जाने वाले यात्रियों ने हार्बर शाखा के वडाला रोड स्टेशन पर रेलपथ के ऊपर लगभग आधा घंटे तक धरना दिया। वे मानखुर्द जाने वाली गाड़ी को बांद्रा की ओर मोड़ने की मांग कर रहे थे। 31-5-78 को कुर्ला में तथा 1-6-78 को चैम्बूर में हुल्लड़बाजी हुई थी। इसका कारण मानखुद जाने वाली गाड़ी का कुर्ला में समापन कर दिया जाना था। 12-6-78 को दैनिक यात्रियों द्वारा डोम्बिवली स्टेशन पर हुल्लड़बाजी की गयी। इसका कारण बिजली गिर जाने के फलस्वरूप बिजली की सप्लाई में बाधा उत्पन्न होने के कारण स्थानीय गाड़ी का देर से चलना था। 19-10-78 को बम्बई वी०टी० में कुछ दैनिक यात्रियों और रेल कर्मचारियों के बीच झगड़ा हो जाने के कारण 19.45 बजे से 21.00 बजे तक उपनगरीय गाड़ियां निलम्बित कर दी गयी थीं।

(ङ) एक उच्च स्तरीय अध्ययन दल ने मध्य रेलवे की उपनगरीय सेवा का अध्ययन किया है और कुछ सुझाव दिये हैं जिनके सम्बन्ध में कार्रवाई की जा रही है। उपनगरीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति की एक विशेष बैठक भी बुलायी गयी थी और उसके सदस्यों की स्थिति से अवगत किया गया था। उपनगरीय गाड़ियों के रद्द किये जाने/समय पालन न करने के विभिन्न कारणों के सम्बन्ध में जनता को शिक्षित करने के लिए सहयोग प्राप्त करने क लिए रेल प्रशासम द्वारा प्रेस सम्वाददाताओं को भी आमंत्रित किया गया है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : अध्यक्ष महोदय, जो विवरण सभा पटल पर रखा गया है उसमें निश्चय ही व्यापक तथा संतोषजनक ब्यौरा दिया गया है क्योंकि उससे यह तो पता चलता है कि रेलवे प्रशासन इस चारों महानगरों की समस्याओं के प्रति पूर्णतया जागरुक है। मैं उनसे विशेष रूप से यह जानना चाहता हूँ कि चारों उपनगरों तथा विशेष रूप से बम्बई नगर में चलने वाली अनेक नगरीय रेल गाड़ियां कुशल तथा सुचारू रूप से नहीं चल रही है तथा वह बहुत पुरानी हो गई है। अतः क्या सरकार द्वारा गाडियों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ, पुरानी गाड़ियों के स्थान पर नई गाडियां लगाने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है ताकि यात्रियों की बढ़ती हुई भीड़ को कम किया जा सके तथा इसके साथ ही सुबह तथा शाम को जब कि यात्रियों की भीड़ अधिक रहती है, के समय यात्रियों को सुविधा दिलाई जा सके ?

श्री शिव नारायण : हम पुरानी गाड़ियों के स्थान पर नई गाड़ियां लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री दिनेन भट्टाचार्य : कब तक हो जायेगा ?

श्री शिव नारायण : पैसा चाहिये दादा।

आने जाने की सुबह शाम की दिक्कत का माननीय सदस्य ने जिक्र किया है। यह सही शिकायत है। इसका भी हम हिसाब किताब कर रहे है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : परन्तु मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नही दिया गया है, उन्होंने यह नहीं बताया कि पुरानी गाड़ियों के स्थान पर नई गाड़ियां चलाने के बारे में सरकार की नीति क्या है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया कि वह उसके लिए प्रयत्न कर रहे है ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : उन्होंने ऐसा नहीं कहा है ।

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय सदस्य महोदय ने विशेष रुप से नगरीय गाड़ियों के बारे में प्रश्न उठाया है । उनका कहना ठीक है । हमारी कठिनाई यही है कि सेन्ट्रल रेलवे के 40 प्रतिशत डिब्बों में जो मोटर और कम्प्रेसर लगे है वह निर्यातित सामान से बने है । इनके डिजाइन पुराने हो गये है और इसलिए उसके मूल निर्माता उनका निर्माण नही करना चाहते । इसलिए हम ऐसे फालतू पूर्जों का आयात करने का प्रयत्न कर रहे है, जो कि उपलब्ध है । इस बीच हमने स्वदेशी निर्माताओं को यह आदेश दे दिये हैं कि वह यथासमय उन सभी पूर्जों को बदल दें ताकि हम उसके फलस्वरूप नगरीय रेल-गाड़ियों की कार्यकुशलता में वृद्धि की जा सके ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में यात्रियों द्वारा पश्चिम रेलवे तथा मध्य रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर, यात्रियों द्वारा किये गये हिंसक प्रदर्शनों का उल्लेख भी किया है । यद्यपि मंत्री महोदय ने अपने उत्तर के भाग (ङ) में कुछ ऐसे उपायों का उल्लेख भी किया है जिनके फलस्वरूप लोगों को इसके बारे में शिक्षा दी जा सकती है, फिर भी मैं यह जानना चाहता हूँ कि प्लेटफार्मों पर की जाने वाली प्रतीक्षा को घटा कर कम से कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बम्बई स्टेशन पर सुबह तथा शाम को जो लाखों यात्री होते हैं वह या तो अपने अपने कार्यालयों को चले जाते हैं या फिर घर वापिस चले जाते है । दिन भर के परिश्रम के बाद वह थके हुए होते हैं तथा उस समय यदि किसी कारणवश और विलम्ब हो जाता है तो तनाव बढ़ जाता है तथा वह हिंसक हो जाते है । अतः मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार प्रतीक्षा के समय को कम से कम करने के लिए क्या करने जा रही है । ताकि तनाव अधिक न बढ़े क्योंकि यदि एक बार तनाव बढ़ जाये तो फिर उससे हिंसा ही जन्म लेती है । मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय मेरी बात पुरी तरह समझ गये हैं तथा वह स्टेशनों पर प्रतीक्षा का समय कम करने के लिए उठाये गये कदमों की जानकारी देंगे ।

प्रो० मधु दण्डवते : जहां तक पश्चिमी रेलवे की नगरीय रेलों का सम्बन्ध है, हम रेलों की आनाजानी के समय को 3 मिनट से घटाकर 2.5 मिनट कर रहे है, जहां तक मध्य रेलवे की नगरीय रेलों का सम्बन्ध है, उनकी आनाजानी के समय को भी 6 मिनट से घटाकर 5 मिनट करने का प्रयत्न किया जा रहा है । हमारी कठिनाई केवल यही है कि ज़ंक्शन मीटर तथा कम्पेस्ट से सम्बद्ध नया सामान उपलब्ध नहीं है । ज्यों ही हमें यह सामान उपलब्ध हो जायेगा, हम इसमें सुधार करना आरम्भ कर देंगे ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : इन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया ही है कि गाड़ियों की आनाजानी के समय में वृद्धि की जा रही है ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : "फ्री प्रैस जनरल" नामक पत्रिका में अनेक लेख लिखे गये है । मुझे मालूम नहीं कि इन्होंने उन्हें पढा है या नहीं । वित्तीय संसाधनों के इलावा अनेक ऐसी समस्यायें भी है जिन्हें कि मनोवैज्ञानिक ढंग से तथा मानवीय स्तर पर सुलझाया जा सकता है ।

प्रो० मधु दण्डवते : जैसा कि मैंनें उन्हें पहले भी बताया, गाड़ियों के आनाजानी के समय की बीच के अन्तराल को कम किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त जहां तक मानवीय प्रयत्नों का सम्बन्ध है, हमने दादर स्टेशन पर ऐसी व्यवस्था की है कि ड्राईवर शीघ्र ही स्टाफ के दो सदस्यों को यह सूचना दे दे कि कम्पेटर या टंक्शन मोटर काम नहीं कर रही है ताकि वह वी०टी० स्टेशन को सुचित कर सके क्योंकि जब गाड़ी प्लेटफार्म संख्या 1 पर आये, तो लोगों को यह सूचना दी जा सके कि वह दूसरे प्लेटफार्म पर चले जाये । यदि मनोवैज्ञानिक पहलू को समझ लिया जाये, तो सारी समस्यायें समाप्त हो जायेगी ।

श्री आर० क० महालगी : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि जिन पर्जों का उल्लेख उन्होंने किया है; क्या उन्हें बदलने का कोई चरणबद्ध कार्यक्रम बनाया जा रहा है ।

प्रो० मधु दण्डवते : हम ने सामान के आयात के लिए आदेश पहले ही दे दिया है और हमें आशा है कि जनवरी में हमें इन पुर्जों की खेप मिल जाने की संभावना है । परन्तु जहां तक उन्हें बदलने का सवाल है, उन्हें पूर्णतया देशी पुर्जों से ही बदला जायेगा ।

श्रीमती मृणाल गोरे : अध्यक्ष महोदय, मैं जानती हूं कि मंत्री महोदय ने दबाव में कहा है और यह बात सही है कि सेंट्रल रेलवे में जो इंस्टांस हुआ, गये 6 महीने में वैसा वेस्टर्न रेलवे में नहीं हुआ, लेकिन मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि क्या वे जानते हैं कि 1980 तक वैस्टर्न रेलवे में कोई नये रेक्स नहीं आ रहे हैं और अगर इसी प्रकार से चलेगा तो वैस्टर्न रेलवे की परिस्थिति भी बहुत खराब हो जायेगी ?

सबर्बन रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी में पिछले महीने एक राय से प्रस्ताव पारित हुआ कि वैस्टर्न रेलवे में जो रेक्ज़ की मांग है, वह पूरी करने के लिये कदम उठाये जायें, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मंत्री महोदय इसके बारे में कोई आश्वासन दे सकते हैं ? अगर रेक्ज़ कम मैन्युफेक्चर हो रहे हैं तो क्या वह इम्पोर्ट करेगें जिससे वैस्टर्न रेलवे को भी इसमें प्रेफरेंस मिल सके ? क्या इस बारे में वह कुछ कार्यवाही करेंगे ?

प्रो० मधु दंडवते : माननीया सदस्या वैस्टर्त रेलवे के सबर्बन में रहने वाली महिला है इसलिए उनको वेस्टर्न रेलवे की ज्यादा फिक्र है यह मैं जानता हूं। यह भी मुझे जानकारी है कि वहां के सबर्बन पेसेन्जर्स एसोसियेशन ने एक राय से मांग की है कि 1980 तक उनको रेक्ज़ दिये जाये, अगर उससे पहले मिल सकें तो ठीक होगा लेकिन कम-से-कम 1980 तक भी हो जायें तो ठीक होगा । आगे इस प्रकार की तकलीफ वेस्टर्न रेलवे में न हो जाये इसालये हम रेंग्ज़ का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे, ऐसा में आश्वासन देता हूं ।

दिल्ली में गैस के सिलेंडरों का फटना

*133 **श्री कचरू लाल हेमराज जैन†** :
श्रीमती मोहसिना किदवई :

क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोटला मुबारकपुर नई दिल्ली में 10 अक्तुबर, 1978 को घरेलू गैस के सिलेंडरों से लदे एक ट्रक में रखे सिलेंडर फट गये थे और उक्त क्षेत्र की जनता में बहुत आतंक फैल गया था ;

(ख) गैस सिलडर फटने के क्या कारण है; और

(ग) उसके परिणामस्वरूप जान तथा माल की कितनी हानि हुई ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) इंडियन आयल कार्पोरेशन के शकूर बस्ती (दिल्ली) स्थित बाटलिंग संयंत्र से दिनांक 10 अक्तुबर, 1978 को एक ट्रक में घरेलू खाना पकाने की गैस के 250 सिलेंडर लाये जा रहे थे । ये सिलेंडर बापू पार्क कोटला मुबारकपुर नई दिल्ली में वितरण एजेंट को भेजे जाने थे । ट्रक में आग लग गयी जिसके परिणामस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में सिलेंडर फट गये ।

(ख) विस्फोटक नियंत्रक, आगरा द्वारां इस आग और विस्फोट की असली वजह की जांच की जा रही है । प्रारंभिक जांच पड़ताल से ऐसा प्रतित होता है कि गैस से भरे सिलेंडरों से निकल रही गैस के कारण आग लगी । इन सिलेंडरों में आग किसी बाहरी संसाधान से लगी जिससे इस ट्रक में जिसमें ये सिलेंडर लाए जा रहें थे आग को बाहर से लगायी जाने की संभावना है ।

(ग) सम्पत्ति की कुल अनुमानित क्षति लगभग 1.5 लाख रूपये है । इस क्षति में आग से क्षति-ग्रस्त सिलेंडरों, ट्रक की लागत,उत्पाद की हानि और वितरक के गोदाम में हुई आंशिक क्षति शामिल है । इसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई ।

श्री कचरूलाल हेमराज जैन : प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया है कि कोटला मुबारकपुर के एजन्ट को जो गैस सिलैंडर जा रहे थे तो जिस ट्रक में वह सिलैंडर थे उसमें गोदाम से 5 मीटर की दूरी पर आग लग गई । मैं जानना चाहता हूँ कि जिन एजेन्टों को यह गैस सिलैंडर जा रहे थे, क्या उनके पास अथोराइज्ड़ गोदाम हैं जिनको कि पास किया है ? एक अखबार में लिखा है कि उनके पास अथोराइज्ड़ गौदाम नहीं है और ऐसी जगह गोदाम बना हुआ है जहां कि जन-साधारण रहते हैं और अन-आथोराइज्ड़ गोदाम में गैस सिलैंडर रखे जातें हैं । क्या इसकी जांच कराकर वहां के जन-जीवन को सुरक्षित करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : एजेन्ट ने यह गोदाम कोटला मुबारकपुर में 1975 में बनाया था और उस समय उसने चीफ कन्ट्रोलर आफ एक्सप्लोसिव्ज़, नागपुर की इजाजत से बनाया था । साथ ही उस समय आस-पास कोई र नहीं थे जो कि बाद में बन गये । इसलिये यह बात सही है कि आज उसके चारों तरफ घर बहुत सारे हो गये हैं, लेकिन यह गोदाम उसके पास जाएते का बना हुआ मौजूद है, यह भी प्रामाणिक बात है ।

श्री कचरूलाल हेमराज जैन : विवेक गैस सर्विस और ज्वाला गैस कंपनी के पास क्या अथोराइज्ड़ गोदाम हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : जी हां ।

पश्चिम बंगाल में बाढ़ से क्षतिग्रस्त रेल मार्ग

*134. **प्रो० दिलीप चक्रवर्ती :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि देश में हाल ही की बाढ़ के परिणामस्वरूप रेल मार्ग का बहुत बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो इस क्षति के (राज्यवार) आंकड़े क्या हैं,

(ग) केवल पश्चिम बंगाल में कितनी क्षति हुई है ,

(घ) इसकी मरम्मत करने में सरकार को कितना समय लगेगा, और

(ङ) इसके लिये पहले कितना राशि खर्च की जा चुकी है और आगे कितनी राशि की आवश्यकता है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) जी हां ।

(ख) से (ङ) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

बाढ़ के कारण हुई हानि के बारे में राज्य-वार सूचना समेकित नहीं की जाती, बल्कि रेलवे-वार की जाती है तथापि, हाल की बाढ़ (1-9-78 से 31-10 -78) तक के कारण रेलवे-वार हुई कुल वास्तविक हानि (यातायात आमदनी से हुई हानि को छोड़कर) का अनुमान नीचे दिया गया है :—

(आंकड़े लाख रुपयों में)

रेलवे	वास्तविक हानि
मध्य	1.52
पूर्व	442.00
उत्तर	183.94
पूर्वोत्तर	47.38
पूर्वोत्तर सीमा	..
दक्षिण	0.55
दक्षिण मध्य	..
दक्षिण पूर्व	305.00
पश्चिम	..
जोड़	980.39 (लगभग 10 करोड़ रुपये)

अभूतपूर्व तथा अत्यधिक विनाशकारी बाढ़ से हुई तोड़-फोड़ के बावजूद, कुछ गैर महत्वपूर्ण शाखा लाइनों या पूर्व और उत्तर रेलों क छोटी लाइन खण्डों और दक्षिण पूर्व रेलवे के हवड़ा-खड़गपुर खण्ड पर कुलगछिया और पांशकुडा के बीच तीसरी लाइन को छोड़कर अन्य सभी खण्डों पर लाइनों को फिर से बिछाने का काम पहले ही पूरा हो चुका है और उन पर यातायात आरम्भ हो गया है। शेष लाइनों को फिर से बिछाने का काम आगामी दो महीनों के आस-पास की अवधि में पुरा हो जाने की आशा है ।

लाइनों को फिर से बिछाने के कार्य की लागत लगभग 10 करोड़ रुपये तक आने की प्रत्याशा है।

हाल की बाढ़ के कारण लाइनों को फिर से बिछाने के लिए आवश्यक पहले से ही किया गया व्यय — लगभग 3.6 करोड़ रुपये

भविष्य में किया जाने वाला अपेक्षित व्यय — लगभग 6.4 करोड़ रुपये ।

श्री दिलीप चक्रवर्ती : क्या गाड़ियों विशेषकर उपनगरीय गाड़ियों के अनियमित और अपर्याप्त संख्या में चलने और राजनीति का हस्तक्षेप के कारण यात्रियों में बड़ा असंतोष है, जैसा कि हाल ही की हावड़ा की बैठक में उन्हें अनुभव हुआ है ?

प्रो० मधु दंडवते : गलती से वे प्रश्न संख्या 127 का अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री दिलीप चक्रवर्ती : क्या मंत्री महोदय को उपनगरीय गाड़ियों के डिब्बों आदि की खराब हालत का पता हैं ? क्या वे उन्हें बदलने जा रहे है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बाढ़ों के बारे में है।

श्री के० सूर्यनारायण: क्या मंत्री महोदय बाढ़ नियंत्रण में सिंचाई विभाग से सहयोग करेंगे क्योंकि दोनों को ही बाढ़ों से बड़ी हानि होती है।

अध्यक्ष महोदय : यहां इस प्रश्न से यह सवाल पैदा नहीं होता।

श्री सौगत राय : क्या मंत्री महोदय बाढ़ से क्षतिग्रस्त रेलवे लाइनों की मरम्मत की प्रगति से संतुष्ट हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि इसमें बड़ा समय लगता है। बाढ़ 27 सितम्बर को आई थी और हावड़ा और खड़गपुर के बीच की लाइन 7 नवम्बर को खोली गई तथा दो गाड़ियां अभी नहीं चल रही थी। 15 नवम्बर से ही वे नियमित चलीं। इतना अधिक विलम्ब होने का क्या कारण है ?

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने सर्वथा विपरीत तर्क दिया है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार और राज्य के विभिन्न राजनीतिक दलों ने निर्धारित तिथि से पहले काम पूरा करने के लिए रेलवे को बधाई दी है।

श्री त्रिदिब चौधरी : इसके लिए रेलवे निश्चय ही बधाई की पात्र है। क्या वे जानते हैं कुछ लाइनें बड़ी अस्थाई तौर पर चालू की गई हैं और कुछ लाइनों पर अब गाड़ियां नियमित नहीं चल रही हैं—विशेषकर पूर्वी रेलवे के सियालदय और लालगोला सेक्शन में ? क्या वे इस ओर ध्यान देंगे ?

प्रो० मधु दंडवते : यह एक सुझाव है, मैं इस ओर ध्यान दूंगा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मंत्री महोदय यह जानते हैं कि प्रति वर्ष अथवा हर तीसरे वर्ष जब भी थोड़ी सी वर्षा होती है हावड़ा के दक्षिण-पूर्व और पूर्वी दोनों सेक्शन पानी से इतने भर जाते हैं कि कई दिन तक गाड़ियां प्लेटफार्म पर नहीं आ सकीं, जिनके कारण यात्रियों को बड़ी कठिनाई हुई। क्या वे इस ओर ध्यान दें ?

प्रो० मधु दंडवते : पिछले सितम्बर और अक्तूबर में जो टूट फूट हुई वैसी पिछले 100 वर्षों में कभी नहीं हुई थी। हमने बाढ़ के स्तर की विशेष जांच भी की है। हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि भारी वर्षा के दौरान फिर ऐसा न हो।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राज्यों में कीटनाशक औषध के कारखाने

*126. **श्री के० राममूर्ति :** क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने कीटनाशक औषध बनाने वाले कारखानों की स्थापना के लिए हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइडस लि० के साथ सहयोग करार किया है ;

(ख) हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइडस लि० द्वारा किन स्थानों पर ऐसें कारखाने स्थापित किए जाएंगे;

(ग) क्या हिन्दुस्थान इन्सेक्टिसाइडस लिमिटेड के ऐसे कारखानों की स्थापना के मामलें में विदेशी सरकारों से भी बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : अभी तक हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइडस के साथ किसी भी राज्य ने सहयोग करार नहीं लिया है। तथापि हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइडस ने सरकार को दो प्रस्ताव भेजें हैं—एक राज्य कृषि उद्योग निगम, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिल नाडू के संयुक्त उद्यम के रूप में आन्ध्र

प्रदेश, कोवूर में एक 26 प्रतिशत गामा बी०एच०सी० प्लांट स्थापित करने के बारे में और दूसरा उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद स्थित उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में एक पैस्टीसाइडस समूह स्थापित करने के बारे में ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

अप्रैल-अगस्त, 1978 के दौरान रेलवे की आय

*127. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल सें अगस्त, 1978 तक अनुमानित आय की तुलना में रेल की वास्तविक आय कितनी है; और

(ख) अनुमानित तथा वास्तविक आय में यदि कोई अन्तर है तो उसके क्या कारण हैं और आय में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते): (क) अगस्त, 1978 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए निर्धारित आमदनी के समानुपातिक लक्ष्य की तुलना में अगस्त, 78 को समाप्त होने वाली अवधि की आमदनी की स्थिति नीचे की तालिका में दी गयी है :—

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

	अप्रैल-अगस्त 1978–79 समानुपातिक लक्ष्य	अप्रैल-अगस्त 1978–79 वास्तविक	कालम 1 और 2 के बीच कमी-बेशी
आमदनी			
यात्री . .	279.90	284.22	+4.32
अन्य कोचिंग .	34.69	34.58	—0.11
माल . .	586.00	546.04	—39.96
फुटकर . .	17.51	19.22	+1.71
जोड़ .	918.10	884.06	—34.04

उपर्युक्त तालिका सें देखा जा सकता है कि अगस्त, 78 को समाप्त होने वाली अवधि सें संबंधित बजट समानुपात की तुलना में 34.04 करोड़ रुपये की कमी आयी है ।

आमदनी में कमी मुख्यत: माल के लदान में कमी होने के कारण हुई । यद्यपि बजट समानुपात की अपेक्षा यात्री यातायात सें आमदनी (4.32 करोड़ रु०) तथा फुटकर आमदनी (1.71 करोड़ रु०) अधिक हुई है, तथापि अन्य कोचिंग के अंतर्गत आमदनी में 0.11 करोड़ रु० की मामूली गिरावट आने के अलावा माल यातायात से होने वाली आमदनी 39.96 करोड़ रुपये कम हुई ।

बजट समानुपात की तुलना में, अगस्त, 78 के अंत तक राजस्व अर्जक माल का प्रारम्भिक लदान 74.6 लाख मीटरिक टन कम होने के कारण माल यातायात सें आमदनी में कमी हुई है ।

आमदनी में कमी के कारण

(ख) माल यातायात के अंतर्गत कम आमदनी मुख्यत: निम्न कारणों से हुई :

(i) कच्चे कोयले की अपर्याप्त उपलब्धता तथा धुलाई कारखानों के काम में दिक्कतों के कारण, धुलाई के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में इस्पात संयंत्रों और धुलाई कारखानों के लिए कोयले के लदान में कमी ।

(ii) (क) समेकित इस्पात कारखानों में बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन में गिरावट और (ख) बिजली-सप्लाई में व्यवधान के फलस्वरूप कोयला खानों में कठिनाइयों के कारण इस्पात संयंत्रों के लिए कच्चे माल के लदान में कमी ।

(iii) निर्यात आर्डरों में कमी हो जाने के कारण निर्यात के लिए लौह अयस्क का अपेक्षाकृत कम लदान ।

(iv) निम्नलिखित के कारण कोयले के लदान में कमी :—

(क) अप्रैल/मई, 1978 में सिंगरेनी कोयला खानों में एक मास लम्बी हड़ताल ।

(ख) ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड (रानीगंज क्षेत्र) से स्टीम कोयले की कम प्राप्ति के कारण लदान में कमी ।

(v) बिहार, मराठवाड़ा आदि में जन आन्दोलन ।

आमदानी बढ़ाने के लिए किये गये उपाय

सभी क्षेत्रीय रेलों से भाड़ेवाले माल का लदान अधिकतम कराने के प्रयोजन से सभी रेलों के लिए भाड़े वाले माल के लदान लक्ष्य को समुचित रूप से संशोधित कर दिया गया है । महाप्रबंधकों को व्यक्तिगत रूप से कहा गया है कि वेम माल का लदान बढ़ाने के लिए सभी सम्भव कदम उठाये और माल डिब्बों का अधिकतम उपयोग करने के लिए अपनी-अपनी रेलवे पर संचलन पर कड़ी निगरानी रखने की व्यवस्था करे ।

मैसर्स होइस्ट फार्मस्युटिकल्स द्वारा अनलजोन फार्मूलेशनों तथा वीटाहेक्स्ट का उत्पादन

*128. **श्री रामजी लाल सुमन :** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री निम्नलिखित दर्शाने वाला एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखेंगे कि :

(क) मैसर्स होईस्ट फार्मास्युटिकल्स की अनलजीन फार्मूलिशनों तथा वीटाहैक्स्ट के उत्पादन के लिए लाइसेंस-क्षमता कितनी है तथा उनके लाइसेंस/अनुमति पत्र की संख्या तथा तारीख क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान (वर्षवार) इस कम्पनी को कौनसी तथा कितनी और कितने मूल्य की कच्ची सामग्रियों की सप्लाई की गई;

(ग) क्या ऐसी कम्पनी सामग्रियां जारी करने के बारे में कोई सामान्य अथवा विशिष्ट निदेश जारी किए गए थे; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है तथा इस कम्पनी की खपत प्राप्त हुई कच्ची सामग्री की मात्रा से अधिक क्यों है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) मैसर्स हैक्स्ट फार्मास्यूटिकल्स लि० के विभिन्न फार्मूलेशनों जिनमें बल्क एनलजिन भी शामिल है, के नाम और लाइसेंस शुदा क्षमता (लाइसेंस/अनुमती संख्या और तिथि सहित) के ब्यौरे अनुबन्ध–I में दर्शाये गए हैं । जहां तक विटाहैक्सट का संबंध है, कम्पनी को इस फार्मूलेशन का निर्माण करने के लिए 27-6-77 को एक सी० ओ० बी० लाइसेंस संख्या आई० एल० 92/79 दिया गया था जिसकी वार्षिक क्षमता प्रतिवर्ष 3.1 लाख लिटर थी ।

(ख) वर्ष 1975–76, 1976-77 और 1977-78 के दौरान आई० डी० पी० एल० और सी० पी० सी० द्वारा मैसर्स हैक्सट फार्मास्यूटिकल्स लि० को सप्लाई किए गए सरणी बद्ध कच्चे माल का नाम, मात्रा और मूल्य अनुवन्धा-II में दिए गए हैं ।

(ग) मैसर्स हैक्स्ट फार्मस्यूटिकल्स लि० द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न सरणीबद्ध कच्चे माल की खपत के आंकडे कम्पनी से एकत्र किए जा रहे हैं ताकि यह पता लग सके कि उनके द्वारा इन पदों की खपत उनको दो कैनेला-इंजिग एजेंसियों से प्राप्त मात्रा, से अधिक की गई है जहां तक मैसर्स हैक्स्ट फार्मास्यूटिकल्स लि० को गत 3 वर्षों के दौरान सारणीबद्ध कच्चे माल की सप्लाई के बारे में पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का संबंध है, कुछ लिखित अनुदेश नीचे दिए गए हैं :—

एनलजिन

(i) वर्ष 1975-76 के दौरान आई० डी० पी० एल० को समय समय पर आदेश दिए गए थे कि वे कम्पनी को एनलजिन की निम्नलिखित मात्रा तदर्थ आधार पर सप्लाई करें :—

क्रम संख्या	तिथि	मात्रा
1	25/26 जुलाई 1975	20 टन
2	6/8 सितम्बर 1975	20 टन
3	9 दसम्बर 1975	50 टन

(ii) दिनांक 5-11-76 को आई०डी०पी०एल० को यह आदेश जारी किए गए थे कि वे मैसर्स हेक्स्ट को 1976-77 के लिए 131.2 टन एनलजिन की सप्लाई करें और मंत्रालय से आगामी आदेश प्राप्त होने तक कम्पनी को वार्षिक आधार पर उतनी ही मात्रा सप्लाई करते रहें।

(iii) दिनांक 30-4-77 को आई०डी०पी०एल० को यह अनुदेश जारी किए गए थे कि वे मैसर्स हेक्स्ट को वर्ष 1977-78 के लिए 128.97 टन एनलजिन की मात्रा सप्लाई करें जो कि उनकी 1976-77 की खपत के बराबर था।

टेट्रासाइक्लीन

(iv) दिनांक 28-1-77 को आई०डी०पी०एल० को यह आदेश जारी किए गए थे कि वे मैसर्स हेक्स्ट को टेट्रा-साइक्लीन एच०सी०एल० की सप्लाई बन्द कर दें, क्योंकि उनको होस्टासाइक्लीन ड्राइ सिरप के निर्माण के लिए इस उत्पाद की आवश्यकता थी और उन्होंने सी०ओ०बी० लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र दिया था, लेकिन उनके आवेदन पत्र को नामंजूर करने का निर्णय किया गया था।

अनुबन्ध–I

मद	वार्षिक क्षमता	स्वीकृति/लाइसेंस संख्या
1. नवलजिन गोलियां .	30 लाख गोलियां प्रतिमाह	एल/22/एल-164/68 दिनांक 2-7-1968
2. नवलजिन इन्जेक्शन 2 मिग्रा	1.50 लाख 2 सी०सी० के एम्पूल्स प्रतिमाह।	
–वही– 5 मिग्रा .	60,000 एम्पूल्स प्रत्येक 5 सी० सी० प्रतिमाह।	–वही–
–वही– 30 मिलि०	4,500 बोतल प्रत्येक 30 सी०सी० प्रतिमाह।	
नावलजिन इंजेक्शन (वैट 30 मि०ली०)	14,000 बोतलें	प्रतिवर्ष एल/22/221/64-कैम 3 दिनांक 17-7-64 जिसमें उद्योग मंत्रालय के 30-5-73 के पत्र द्वारा संशोधन किया गया था।
3. बलारगन गोलियां .	6 लाख मिलियन गोलियां प्रति-वर्ष।	एल/22/132/62-केम 3 दिनांक 18-9-62
4. बलारगन इंजेक्शन 2 मिली० बरालगन इंजेक्शन 30 मिली०	बरालगन कैटोन (एन्टीस्पेमैडिक 500 किग्रा० प्रतिवर्ष)	पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 3(3)/65-कैम 3 दिनांक 27-5-1969, एल/22/274/65-कैम 3 दिनांक 9-6-65 और एल/22/132/62/-कैम 3 दिनांक 28-9-1962।
बरालगन इंजेक्शन 5 मिली०	15 लाख प्रत्येक 5 मिली० प्रति-वर्ष।	–वही–
5. बरालगन ड्रौप्स 10 मिली०	बरालगन किटोन (एन्टीस्पैसियो-डिक)।	एल/22/132/62-कैम 3 दिनांक 28-9-62, एल/22/246/64-कैम 3 दिनांक 28-11-64 एल/22/274/65-कैम 3 दिनांक 9-6-65 और पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 3(3)/65-कैम 3 दिनांक 27-5-69।
6. नवलजीन पेय ड्राप्स .	96,000 बोतलें (प्रतिवर्ष)	एल/22/57/61-कैम 3 दिनांक 17-12-61 जिसमें 30-5-73 को संशोधन किया गया था।
7. नवलजीन क्विनाइन खुराक	5 लाख संख्या/प्रतिवर्ष	अवापत्ति पत्र संख्या 3(15)/62-कैम 3 दिनांक 24-9-1962।

अनुबन्ध-II

गत तीन वर्षों के दौरान मैसर्स हैक्स्ट फार्मास्यूटिकल्स लि० को सप्लाई किए गए सरणीबद्ध कच्चे माल के नाम और मात्रा

(सप्लाई की गई मात्रा किलोग्राम में)
(मूल्य लाख रुपयों में)

सरणी बद्ध बल्क औषध	1975-76		1976-77		1977-78	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि० की मदें :						
क्लोरोक्वीन फास्फेट .	230	0.47	..	..	175	0.74
प्रेलिनामाइड सैक्टेट .	170	1.62	435	4.15	435	4.15
प्रेडनीसोलोन .	..	..	..	..	195	3.33
विटामिन बी-6 .	150	1.00	65	0.36	170	0.94
कैफैन . .	..	..	..	..	645	0.72
क्लोमैफनिकोल पाऊडर	लागू नहीं		3137	16.46	3015	17.21
इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स की मदें :						
नैट्रासाइक्लीन एच०सी०एल०	14710	95.62	14180	92.17	14180	92.17
टेट्रासाइक्लीन बेस .	745	4.84	1000	6.50	1000	6.50
स्ट्रेप्टोमाइसीन सल्फेट .	5025	23.87	5930	28.17	5930	28.17
विटामिन बी-i पेय	66	0.39	66	0.31	140	0.83
विटामिन बी-ii	22	0.21	30	0.28	70	0.65
एनलजीन . .	125000	194.13	131175	202.71	289702	00.29

भारतीय रेलवे में 'नियमानुसार कार्य करो' आन्दोलन

*130. **श्री ए० के० राय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि आल इंडिया रेलवे एम्प्लाइज कान्फेडरेशन इसी प्रकार के अन्य संगठनों से मिलकर एन०सी०सी०आर०एस० की 6 सूत्री मांगों को पूरा कराने के लिए 25 नवम्बर, 1978 से भारतीय रेलवे में 'नियमानुसार कार्य करो' आन्दोलन चलाने वाला है; और

(ख) यदि हां, तो सामान्य स्थिति और अच्छे श्रमिक सम्बन्ध बनाये रखने के लिए इन लम्बे समय से की जा रही मांगों का बातचीत करके समाधान निकालने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) : रेल प्रशासन के साथ हुई अनौपचारिक बातचीत के अनुसरण में कानफेडरेशन ने 25 नवम्बर, 1978 से शुरु होने वाले 'नियमानुसार कार्य' आन्दोलन के आवाहन को वापस ले लिया है।

बम्बई हाई की गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र

*132. **श्री पीयूष टिर्की :** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हाई को गैस पर आधारित किए जाने वाले उर्वरक संयंत्र की स्थापना स्थल के बारे में डा० गांगुली की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें क्या हैं ;

(ख) क्या विश्व बैंक ने किसी विशेष स्थल के संबंध में अपनी प्राथमिकता का संकेत दिया है; और

(ग) उर्वरक संयंत्र के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी के स्थान पर विदेशी प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता देने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है।

(ख) जी, नहीं। विश्व बैंक ने किसी विशेष स्थान के बारे में कोई प्राथमिकता नहीं दर्शायी है।

(ग) जिस क्षेत्र में स्वदेशी प्रौद्योगिकी उपलब्ध है उस क्षेत्र में आयातित प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता देने का कोई प्रश्न नहीं उठता। यद्यपि उर्वरक उद्योग में फर्टिलाइज़र (पी० एण्ड डी०) इंडिया लि० और फीडो जैसी भारतीय इंजीनियरिंग और परामर्शदात्री कम्पनियों ने क्षमताओं में पर्याप्त विकास कर लिया है, फिर भी कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में बड़े पैमाने के उर्वरक संयंत्र के लिए जानकारी और सेवाओं के आयात की अभी भी आवश्यकता है। बम्बई से प्राप्त होने वाली गैस के आधार पर स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित खाद कारखानों के लिए केवल उस सीमा तक प्रौद्योगिकी (और प्रयासी सहायता) का आयात किया जाएगा जो देश में उपलब्ध न हों।

विवरण

डा० ए० के० गांगुली की अध्यक्षता में गठित वातावरण योजना और समन्वय पर राष्ट्रीय समिति के कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1978 के मध्य में प्रस्तुत की थी। प्रस्तावित उर्वरक संयंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में कार्यकारी दल सर्व सम्मति से निम्नलिखित निष्कर्शों पर पहुंचा :

1. कार्यकारी दल की यह राय है कि चेनेरी और यूसर स्थल एक बड़े पैमाने के उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए बिलकुल अनुपयुक्त है।
2. यद्यपि रिवास स्थल पर कुछ तकनीकी-आर्थिक लाभ हैं और यदि सही एहतियाती तरीके अपनाए जाएं तो जल प्रदूषण की सम्भावनाओं को भी कम किया जा सकता है लेकिन उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए, वर्ष के कुछ भाग में वायु प्रदुषण की कुछ समस्या हो सकती है अत्यधिक वनस्पतियुक्त अलीवांग क्षेत्र में एक परिस्थितियुक्त प्राकृतिक सन्तुलन है। कार्यकारी दल ने यह भी नोट किया है कि मंडवा में रहने वाला समुदाय आत्म-निर्भर और आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न हैं। वातावरण संबंधी सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात कार्यकारी दल, रीवास में संयंत्र की स्थापना की सिफारिश नहीं करता है।
3. वातावरण संबंधी सभी पहलुओं को देखते हुए तारापुर स्थल स्वीकार्य हैं।

चूंकि महाराष्ट्र सरकार तारापुर में संयंत्र स्थापित करने के पक्ष में नही थी, इसलिए कार्यकारी दल से दुबारा अनुरोध किया गया कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा सुझाए गए बम्बई के दक्षिण में कुछ अन्य स्थलों पर वातावरणसबंधी प्रभावों की जांच करें।

कार्यकारी दल ने अपनी दूसरी रिपोर्ट 31-5-78 को प्रस्तुत की और यूसर, सोगैन, वड़ावली और दिवि-पारंगी स्थलों को उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के लिए अनुपयुक्त घोषित किया। यद्यपि कार्यकारी दल ने मंडवा और थाल-वैसठ को संयंत्रों की स्थापना के लिए अनुपयुक्त घोषित नहीं किया, लेकिन उसने माण्डवा और थाल-वैसठ के मुकाबले तारापुर को संयंत्र स्थापना के लिए उचित स्थान ठहराया है। कार्यकारी दल की दूसरी रिपोर्ट पर ध्यानपूर्वक विचार करने और महाराष्ट्र सरकार से परामर्श करने के बाद, भारत सरकार ने, महाराष्ट्र के कोलाबा जिले में थालबैसठ स्थल पर उर्वरक संयंत्र स्थापित कर ने का निर्णय किया है।

विधि आयोग की रिपोर्टों पर कार्रवाई

*135. **श्री ओ० पी० त्यागी :**

डा० बसन्त कुमार पंडित :

क्या **विधि, न्याय, और कम्पनी कार्य** मंत्री 27 सितम्बर, 1978 के इंडियन एक्सप्रेस (दिल्ली संस्करण) में प्रकाशित समाचार के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधि आयोग द्वारा मई, 1956 से आज तक प्रस्तुत की गई 73 रिपोर्टों में से 37 रिपोर्टों पर सरकार द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या उन विषयों पर, जिन पर सरकार ने अभी तक विचार नहीं किया है, विधि आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन रिपोर्टों की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : विधि आयोग ने अब तक 73 रिपोर्टें नहीं बल्कि 76 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। विधि आयोग की 36 रिपोर्टों को पूर्णतः या भागतः क्रियान्वित करने के लिए विधान अधिनियमित किए गए हैं। चार रिपोर्टों की बाबत कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं समझी गई। कुछ विधेयक जो रिपोर्टों के क्रियान्वयन के लिए पुरःस्थापित किए गए थे, लोक सभा का विघटन होने पर व्यपगत हो गए। अन्य रिपोर्टों पर विचार का कार्य और/या उनके क्रियान्वयन का कार्य विभिन्न प्रक्रमों पर है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कांग्रेस की स्मारिका को विज्ञापन देने के लिए फर्मों पर मुकदमा चलाया जाना

*136. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर :**

श्री वयालार रवि :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांग्रेस की स्मारिकाओं को विज्ञापन देकर कम्पनी कानून का उल्लंघन करने के लिये फर्मों के अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने मुकद्दमा चलाया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो मुकद्दमा चलाने में जैसा कि मंत्री महोदय ने अनेक बार घोषणा की है, विलम्ब के क्या कारण हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) नहीं, श्रीमान, जी।

(ख) मामला अभी तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जाचान्तर्गत है। जांच से सम्बन्धित कार्य के परिणाम तथा सम्पूर्ण देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित कम्पनियों तथा संक्षिपों, की बृहद संख्या की दृष्टि से, जांच अभी तक पूर्ण नहीं हो सकी है। जांच रिपोर्ट के प्राप्त होने तथा उसके व अन्य सम्बन्धित मामलों की परीक्षा हो जाने के पश्चात, आगे कार्यवाही का निर्णय किया जा सकता है।

मैसर्स रैनबैक्सी लैबोरेट्रीज द्वारा मूल औषधियों का उत्पादन

*137. **डा० सरोजिनी महीषी** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स रैनबैक्सी लबोरेट्रीज को आयातित बल्क औषधियों से मूल औषधियों का उत्पादन करने की अनुमति दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : मैसर्स रैनबक्सी लेबोरेटरीज को आयातित सामग्री पर आधारित बल्क औषधों के निर्माण के लिए गत तीन वर्षों के दौरान दिए गए औद्योगिक लाइसेंसों के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र संलगन है।

विवरण

क्रम संख्या	औद्योगिक लाइसेंस की तिथि और संख्या	निर्माण की मद	मुख्य शर्त
1	सी०आई०एल० 112(76) दिनांक 17-3-76	एम्पीसीलीन ट्राईहाईड्रेट	1. 6-ए०पी०ए० के आयात की अनुमति केवल 2 वर्ष के लिए दी जाएगी। 2. बल्क उत्पादन का 30 प्रतिशत गैर-सम्बद्ध निर्माताओं को सप्लाई किया जाएगा।
2	सी०आई०एल० 420(76) दिनांक 25-11-76	1. नालीडिक्सिक एसिड	1. इन मूल औषधों के लिए किसी विदेशी सहयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
		2. डिलोक्सासाईड और उसके फार्मूलेशन	2. बल्क औषधों, अर्थात नालीडिक्सिक एसिड और डिलोक्सासाइड के आयात के लिए दो वर्ष की अनुमति दी जाएगी और वह भी स्वदेशी उपलब्धता के आधार पर।

विवरण—समाप्त

क्रम संख्या	औद्योगिक लाइसेंस की तिथि और संख्या	निर्माण की मद	मुख्य शर्तें
			3. बल्क औषधों के उत्पादन का 30 प्रतिशत अन्य संबद्ध निर्माताओं को दिया जाएगा ।
3	सी०आई०एल० 41(77) दिनांक 2-2-77	1. क्लोरोक्वीन फास्फेट 2. सिफालोक्सिन	1. इथोक्सी मैथीलीन मैलोनिक ईस्टर और नोवलिडिया-माइन के आयात की अनुमति प्रथम वर्ष के लिए दी जाएगी, जबकि दूसरे वर्ष कम्पनी को क्लोरोक्विन का उत्पादन अपने इथोक्सी मैथीलीन मैलोनिक ईस्टर पर आधारीत करना होगा और तीसरे वर्ष से नोवोल्डियामाइन को अन्य स्वदेशी स्त्रोतों से प्राप्त किया जाना चाहिए ।
			2. 7–ए०डी०सी०ए० के आयात को उस मात्रा तक सीमित किया जाएगा जिसको भारतीय औषध नियंत्रक द्वारा प्रतिवर्ष इस एन्टीबायोटिक्स की संभावित आवश्यकता के अनुसार प्रमाणित किया जाएगा ।
			3. 30 प्रतिशत बल्क औषधों को गैर-संबद्ध निर्माताओं को दिया जाएगा और जो इन बल्क औषधों का निर्माण नहीं कर रहे हैं ।
			4. प्रौद्योगिकी के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
4	सी० आई०एन० 445(76) दिनांक 17-12-76	एल-डोपा	भुगतान वाले किसी विदेशी सहयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
5	सी०आई०एल० 79(77) दिनांक 26-2-77	फैबोबारबिटोन	1. प्रौद्योगिकी और मशीनरी के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
			2. 30 प्रतिशत बल्क औषध गैर-संबद्ध निर्माताओं को दिए जाएंगे ।
6	सी०आई०एल० 123(77) दिनांक 12-4-77	डोक्सीसाइक्लीन और इसके लवण	1. बल्क औषधों के उत्पादन का 30 प्रतिशत गैर-संबद्ध निर्माताओं को दिया जाएगा, जो इस औषध के निर्माता नहीं हैं ।
			2. फार्मुलेशनों के लिए बल्क औषधों के आयात की अनुमति केवल दो वर्ष के लिए दी जाएगी ।
7	सी०आई०एल० 84 (78) दिनांक 26-4-78	नाइट्राजेपाम	1. प्लांट और मशीनरी के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
			2. कच्चे माल/मध्यवर्ती पदार्थों के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
			3. बल्क औषधों के उत्पादन का 30 प्रतिशत गैर-संबद्ध निर्माताओं का दिया जाएगा, जो इस मद के निर्माता नहीं हैं ।
			4. विदेशी सहयोग को अनुमति नहीं दी जाएगी ।

बंगलोर के लिए परिक्रमा रेलवे

*138. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने बंगलोर शहर के लिये परिक्रमा रेलवे चलाने का प्रस्ताव रखा है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित रेलवे की लागत क्या है; और

(ग) क्या इस परियोजना के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ग) : जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली-अहमदाबाद ब्राडगेज गाड़ियां

*139. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली–अहमदाबाद मार्ग पर ब्राड गेज की गाड़ियों के लिए इनकार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) और (ख) : दिल्ली-अहमदाबाद मीटर लाइन के बड़ी लाइन में आमान–परिवर्तन की परियोजना 108 करोड़ रु० की लागत का एक अनुमोदित कार्य है और इसे रेलवे बजट में शामिल कर लिया गया है । इस परियोजना को छोड़ नहीं दिया है वरन् स्रोतों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए और एक समय में अधिक संख्या में परियोजनाओं को शुरू करने की अपेक्षा पहले से चालू परियोजनाओं को पूर्ण करने की हमारी नीति के अनुसार उसे बाद में प्रारम्भ किया जायेगा ।

औषधियों की मूल्य निर्धारण नीति

*140. **डा० नुरली मनोहर जोशी** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषधियों की मूल्य-निर्धारण नीति को अन्तिम रूप दे दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि अनेक औषधि–कम्पनियों ने यह आशंका व्यक्त की है कि अगर नई मूल्य-निर्धारण नीति को क्रियान्वित किया जाता है तो उन्हें फार्मूलेशनों में भारी हानि होगी; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) नई मूल्य निर्धारण नीति की मुख्य बातें 29 मार्च 1978 को लोक सभा पटल पर प्रस्तुत किए गए नई औषध नीति से संबंधित विवरण पत्र में दी गई हैं ।

(ख) जी, हां । विभिन्न औषध निर्माता संघों और व्यक्तिगत निर्माताओं से ज्ञापन प्राप्त हुए हैं जिसमें यह कहा गया है कि नई औषध नीति से उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

(ग) रसायन और उर्वरक विभाग ने औषध उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया था और उनसे यह कहा गया था कि वे विशेषकर नई औषध नीति के प्रभाव की जांच करें । यद्यपि कुछ निर्माताओं ने अपने आंकड़े भेजे हैं जिनमें उन्होंने अपनी लाभप्रदता पर नई औषध नीति के प्रभावों को दर्शाया है लेकिन अधिकांश कम्पनियों ने अभी तक अपेक्षित आंकड़ों के ब्यौरे नहीं भेजे हैं । नई औषध नीति के प्रतिकूल प्रभावों, यदि कोई हो, का मूल्यांकन तभी संभव हो सकेगा जब निर्माताओं से पूरे आंकड़े प्राप्त हो जाएंगे और वी आई० सी० पी० के परामर्श से उनकी जांच हो जाएगी ।

मैसर्स फाइजर द्वारा प्रोटीनैक्स का अधिक उत्पादन किया जाना

1186. **श्री रामदेव सिंह :** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि मंत्रालय द्वारा दी गई राय के अनुसार फाइजर द्वारा उत्पादित प्रोटीनैक्स औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत एक नई वस्तु है, यदि हां, तो इस कम्पनी को बचाने वाले निहित हित कौन हैं और इस बारे में पूरे तथ्य क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रोटीनैक्स का कितना अधिक उत्पादन हुआ है और इसके उत्पादन के लिए कितना कच्चा माल उपयोग किया गया है, और सरकारी नीति का उल्लंघन करते हुए ऐसा कच्चा माल किन-किन स्रोतों से वसूल किया गया है; और

(ग) वर्ष 1977-78 और वर्ष 1978-79 में इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा मैसर्स फाइजर को रिलीज़ की गई आक्सीटेट्रासाइक्लीन की मात्रा क्या है और इस बारे में मंत्रालय द्वारा आई० डी०पी० एल० को जारी किए गए आशय-पत्रों का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) दिनांक 1-8-78 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2352 के उत्तर में यह पहले ही बताया गया है कि मैसर्स फाइजर को बिना औद्योगिक लाइसेंस के प्रोटीनैक्स का उत्पादन करते हुए पाया गया है और कम्पनी की यह धारणा है कि ये प्रोटीन-हाइड्रोलीसेट के निर्माण के लिए उनको दिए गए औद्योगिक लाइसेंस के अन्तर्गत ऐसा करने के हकदार हैं । इस पर सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है ।

(ख) प्रोटीन हाइड्रालीसेट के निर्माण के लिए मैसर्स फाइजर की वार्षिक लाइसेंस शुदा क्षमता 110 मीटरी टन है । वर्ष 1975 से 1977 के दौरान उनका प्रोटीन-हाइड्रोलीसेट और प्रोटीनैक्स का उत्पादन निम्न प्रकार था :—

वर्ष	प्रोटीन-हाइड्रोलीसेट	(टनों में) प्रोटीनैक्स
1975	193.79	345.029
1976	239.70	402.551
1977	लागू नहीं	397.603

प्रोटीनैक्स के अधिक उत्पादन और अन्य संबंधित मामलों का प्रश्न उपरोक्त पैरा (क) के अनुसार सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णय पर निर्भर है ।

(ग) अपेक्षित सूचना 29-8-78 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4760 के उत्तर में पहले ही दी गई है ।

बहु-विवाह पर रोक लगाने का प्रस्ताव

1187. **डा० रामजी सिंह :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत वर्ष में सन्तति-नियमन के लिए बहु-विवाह पर रोक लगाना वांछनीय नहीं होगा;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस्लामी देशों में एक विवाह पद्धति चलती है और यदि हां, तो कहां कहां और इन देशों में एक विवाह पद्धति लागू करने में क्या कठिनाइयां आई; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस राष्ट्रीय महत्व के विषय पर राष्ट्रीय संवाद चलाने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) इस मंत्रालय में उपलब्ध जानकारी के अनुसार ट्यूनिसिया, अल्जियर्स और तुर्की में बहु विवाह प्रतिषिद्ध है । पाकिस्तान में बहु विवाह पर कुछ निर्बंध लगाए गए हैं । उक्त देशों में सुसंगत विधियों को प्रवृत्त करने में आई कठिनाइयों के सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) जी नहीं ।

औषध कम्पनियों की औषधियों के मूल्यों की उत्पाद-वार तुलना

1188. **श्री सुरेन्द्र बिक्रम :** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में स्थित एककों के मूल्य अन्य भारतीय और विदेशी औषध कम्पनियों के मूल्यों की तुलना में उत्पाद-वार कितने हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र में स्थित एककों द्वारा निर्मित औषध फार्मुलेशनों के मूल्य अन्य एककों की तुलना में अधिक हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र में स्थित एकक जनता की कम मूल्यों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करते हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) : आई० डी० पी० एल० तथा एच० ए० एल० जैसे सरकारी क्षेत्रीय एककों द्वारा निर्मित प्रमुख फार्मुलेशनों के मूल्य अन्य भारतीय और विदेशी औषध कम्पनियों के मूल्यों की तुलना में उत्पाद-वार दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है । इस विवरण-पत्र से यह मालूम होता है कि सरकारी क्षेत्रीय यूनिटों द्वारा निर्मित औषध फार्मूलेशनों के मूल्य अन्य यूनिटों के मूल्यों से न्यूनाधिक अनुकुलता से तुलना पाते हैं ।

गैर सरकारी क्षेत्र की अधिकांश कम्पनियों के मुकाबले में सरकारी क्षेत्र के एकक बल्क औषधों के उत्पादन में प्रमुख भाग प्रदान कर रहे है । जोकि नीचे दिए गए आंकड़ों से देखा जा सकता है ।

(रुपये करोड़ों में)

वर्ष	सरकारी क्षेत्र की एककों द्वारा बल्क औषधों का उत्पादन	देश में बल्क औषधों का कुल उत्पादन	कुल उत्पादन में से सरकारी क्षेत्र के उत्पादन की प्रतिशतता
1975–76	42.70	130	32.8
1976–77	48.63	150	32.4
1977–78	46.70	164	28.5

अतः सरकारी क्षेत्र की एककें औषधों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन कर रही है जोकि पूंजी विनियोग को देखते हुए फार्मूलेशन कार्यकलापों की तुलना में कम लाभकारी है ।

सरकारी क्षेत्र की एककों अच्छी तकनीकी को अपना कर तथा दक्षता में सुधार करके अपने बल्क औषधों/फार्मूलेशनों का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं जिससे उनके उत्पादन की कीमत में कमी आएगी ।

[**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 2877/78**]

कीटनाशी पदार्थों का उत्पादन

1189. **श्री अमर सिंह वी० राठवा :** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने उद्योग कीटनाशी पदार्थों का उत्पादन कर रहे हैं;

(ख) भारत में कीटनाशी पदार्थों का वार्षिक उत्पादन कितना होता है ;

(ग) देश में इनकी वार्षिक आवश्यकता कितनी है; और

(घ) इनकी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : देश में तकनीकी ग्रेड पेस्टीसाइड्स के निर्माण करने वाली 25 इकाइयां हैं । उनकी स्थापित क्षमता 67474 मीटरी टन है और 1977-78 के दौरान उनका वास्तविक उत्पादन 42,634 मीटरी टन था ।

(ग) कृषि और स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार 1977-78 के लिए पेस्टीसाइड्स की कुल अनुमानित मांग 90,832 मीटरी टन की थी ।

(घ) आगे और क्षमताओं का 23575 मीटरी टन तक औद्योगिक लाइसेंसों तथा 20,015 मीटरी टन आशय-पत्रों द्वारा अनुमोदन किया गया है । ये कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर है ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों को दिये गये छोटे ठेके

1190. **श्री हुकम चंद कछवाय :** क्या रेल मंत्री 18 जुलाई, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 35 के भाग (ख) के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों को अब तक कितने सीधे छोटे ठेके दिये गये है और नई सरकार की स्थापना के बाद प्रत्येक रेल्वे में आधे यूनिट से अधिक ठेके देने के कितने मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : मई, 1977 से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आबंटित किये गये खान-पान/वेंडिंग के ठेकों की संख्या इस प्रकार है :—

रेलवे	आधी यूनिट	आधी यूनिट से अधिक
मध्य .	4	कोई नहीं
पूर्व .	4	,,
उत्तर .	10	1
पूर्वोत्तर	कोई नहीं	1
पूर्वोत्तर सीमा	2	कोई नहीं
दक्षिण .	कोई नहीं	,,
दक्षिण–मध्य	2	,,
दक्षिण–पूर्व	6	,,
पश्चिम .	3	,,
जोड़ . .	31	2

गत पांच महीनों के दौरान कोंकण रेलवे की प्रगति

1191. **श्री बापू साहिब परुलेकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच महीनों में कोंकण रेलवे के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) गत पांच महीनों में कितनी धनराशि खर्च की जानी थी और वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई ;

(ग) इस परियोजना पर वर्ष 1979-80 में कितनी धनराशि खर्च किये जाने की सम्भावना हैं और मार्च, 1980 के अन्त तक कितनी प्रगति हो जाएगी ; और

(घ) महाराष्ट्र राज्य में कोंकण रेलवे लाइन रत्नागिरी तक कब पहुंचेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : 1978-79 में 1 करोड़ रु० के परिव्यय से आप्ता से रोहा की लाइन का प्रथम चरण, 9करोड़ रु० की लागत पर 1978-79 के बजट में शामिल किया गया है । निर्माण-संगठन स्थापित किया गया है और भूमि अधिग्रहण का काम किया जा रहा है । पुलों और और सुरंगों के लिए, टेण्डरों को अन्तिम रुप दिया जा रहा है ।

(ग) वार्षिक योजना और 1979-80 के बजट को अभी अन्तिम रुप नहीं दिया गया है ।

(घ) 1981 में रोहा तक लाइन का निर्माण पूरा होने के पश्चात् ही रत्नागिरि तक लाइन का विस्तार संभव हो सकेगा। इस अवस्था में, रत्नगिरि तक लाइन के विस्तार के लिए कोई लक्ष्य तारीख नहीं दी जा सकती।

सरकारी एजेंसियों के माध्यम से आयातित बल्क औषधियों का विदेशी कम्पनियों को दिया जाना

1192. **श्री रामजी लाल सुमन :** क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार सरकारी एजेंसियों के माध्यम से आयातित कौन-कौन सी बल्क औषधियां फीज़र, एब्बोट, ई० मक, ग्लैक्सो और सन्डोज़ जैसी पांच विदेशी और भारत की यूनीचैम, एलेम्बिक, साराभाई, डेज और काडिला जैसी भारतीय कम्पनियों को कितनी-कितनी मात्रा और कितने कितने मूल्य की सप्लाई की गई;

(ख) उक्त सप्लाई किस आधार पर की गई और क्या प्रत्येक वर्ष के दौरान की गई सप्लाई नीति के अनुसार अधिकारिता के अनुकूल की गई; और

(ग) क्या इन मामलों में नीति से भिन्न कार्यवाही की गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) : पांच विदेशी कम्पनियों अर्थात् फाइज़र, अबोट, ई० मर्क, ग्लैक्सो और सन्डोज तथा पांच भारतीय कम्पनियों अर्थात् यूनिकेम, एलैम्बिक, साराभाई, डेज मेडिकल स्टार और कादिला को आई० डी० पी० एल० और सी० पी सी० द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान सप्लाई किए गए सरणीबद्ध बल्क औषधों के नाम, मात्रा और मूल्य को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है। मैसर्स कादिला लैबोरेटरीज़ को छोड़कर शेष सभी कम्पनियों को गत तीन वर्षों के दौरान डी० जी० टी० डी० एकक माना गया है। मैसर्स कादिला लैबोरेटरीज़ को लघु उद्योग एकक माना गया है यद्यपि उनको 1977-78 में एफ० सी० ओ० बी० लाइसेंस दिया गया था जिससे उनका स्तर डी० जी० टी० डी० एकक होने से बदल गया। वर्ष 1978-79 में इस कम्पनी को डी० जी० टी० डी० एकक के रूप में सरणीबद्ध बल्क औषधों की सप्लाई की जा रही है।

गत तीन वर्षों के दौरान डी० जी० टी० डी० एककों को पिछले किन्हीं दो वर्षों में अधिकतम खपत के बराबर अथवा राज्य औषध नियंत्रक द्वारा बताई गई मात्रा, जो भी कम हो, के बराबर सरणीबद्ध कच्चे माल की सप्लाई की जा रही थी। अक्तूबर 1977 में यह निर्णय किया गया कि 1-1-78 से डी० जी० टी० डी० एककों को वर्ष 1977-78 के दौरान 1976-77 की सप्लाई के बराबर अथवा फार्मूलेशनों के लिए लाइसेंस शुदा क्षमता के अनुसार उनकी हकदारी के बराबर जो भी अधिक हो, सरणीबद्ध कच्चे माल की सप्लाई की जाएगी। 1977-78 के दौरान विटामिन बी-1, विटामिन बी-2, फोलिक एसिड और रिबो फलेविन-5-फास्फेट सोडियम जैसे मदों की सीधी आबंटन पद्धति के अन्तर्गत सभी एककों को सप्लाई की गई थी, ताकि वे अपनी 12 माह की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

गत तीन वर्षों के दौरान लघु उद्योग एककों की सरणी बद्ध बल्क औषधों की सप्लाई निम्न आधार पर की गई थी :—

(i) प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपये से कम वसूली वाले लघु उद्योग एककों को गत दो वर्षों की अधिकतम खपत जमा 30 प्रतिशत वृद्धि के बराबर उत्पाद,

(ii) एक करोड़ या उससे अधिक वसूली वाले लघु उद्योग एककों को गत दो वर्षों की अधिकतम जमा विकास के लिए 15 प्रतिशत के बराबर उत्पाद,

(iii) पश्चिम बंगाल में स्थित सभी लघु उद्योग एककों को गत दो वर्षों की अधिकतम खपत के अतिरिक्त 50 प्रतिशत तक,

(iv) सभी नए एककों, अर्थात् जिन एककों ने संबंधित कच्चे माल की पहले कोई खपत नहीं की है, को 150 कि ग्रा तक और पश्चिम बंगाल में स्थित एककों को 200 कि ग्रा तक। तथापि कुछ सरणीबद्ध मदों के मामले में जहां खुराकों की आवश्यकता कम है, प्रारम्भ में कम

से कम मात्राओं की सप्लाई की गई थी । राज्य औषध नियंत्रक से आबंटित मात्रा की खपत किए जाने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर एकक उतनी ही और मात्रा के हकदार हो जात थे ।

दो कैनेलाइजिंग एजेंसियां, आई० डी० पी० एल० और सी० पी० सी० दोनों ने यह पुष्टि कर दी है कि उक्त कम्पनियों को गत तीन वर्षों के दौरान सरणीबद्ध बल्क औषधों की सप्लाई उपरोक्त नीति के अन्तर्गत की गई थी और उनके द्वारा नीति का कोई उल्लंघन नहीं किया गया था ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—2878/78]

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कर्नाटक में नई रेलवे लाइनें

1193. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान कर्नाटक के पिछड़े क्षेत्रों में कितनी नई रेलवे लाइनों का निर्माण कार्य करने का प्रस्ताव हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : छठी योजना के दौरान पिछड़े क्षेत्रों में बिछायी जाने वाली लाइनों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

बम्बई वी० टी० स्टेशन पर सार्वजनिक आन्दोलन

1194. **श्री आर० के० महालगी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वी० टी० (बम्बई) स्टेशन (स्थानीय गाड़ियां) पर 19 अक्तूबर, 1978 को जनता ने भारी क्रोध का प्रदर्शन किया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और घटना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या मामले की जांच की गई थी और क्या जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या थाना (महाराष्ट्र) के प्रथम शिकायतकर्ता प्रो० पी० टी० शिम्पी ने अक्तूबर, 1978 के तीसरे सप्ताह में इस घटना के बारे में रेल मंत्री से अभ्यावेदन किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या उन्हें जांच के परिणामों से अवगत कराया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : जी हां, 19-10-78 को कर्जत जाने वाली गाड़ी सं० 8/19 क बारे में सूचना दी गयी थी कि वह प्लेटफार्म नं० 6 से 19.00 बजे छुटेगी किन्तु रेक में खराबी हो जाने के कारण, बाद में यह घोषणा की गयी कि वह गाड़ी 19.25 बजे प्लेटफार्म नं० 7 से रवाना होगी । इस पर थाना के कोई श्री० पी० टी० शिम्पी प्लेटफार्म नम्बर बदलने और साथ ही कथित गाड़ी की कर्जत को रवानगी में विलम्ब के कारण जानने के लिए सहायक स्टेशन मास्टर के कार्यालय में गये बताये जाते हैं । श्री शिम्पी द्वारा यह आरोप लगाया गया कि उपर्युक्त उत्तर मिलने की बजाय उनके साथ रेल कर्मचारियों द्वारा मार-पीट की गयी और उस हाथापाई में उन्हें मामूली चोटें आयीं । दूसरी ओर, रेल कर्मचारियों ने शिकायत की कि श्री शिम्पी ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और कर्मचारियों को पाठ पढ़ाने के लिए भीड़ को उकसाया । जब यह कहासुनी चल रही थी तो एक अच्छी खासी भीड़ सहायक स्टेशन मास्टर के कार्यालय के पास जमा हो गयी । वे कार्यालय, गाड़ी संकेतकों, ट्यूबलाइटों पर पत्थर फैंकने लगे और इस प्रकार उन्होंने अनुमानत: 30,000 रु० की व्यापक क्षति पहुंचायी । शहर पुलिस, राजकीय रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल मौके पर पहुंच गये और स्थिति पर काबू पा लिया । इस झगड़े में दो/तीन व्यक्तियों को चोटें आयीं । 19-45 बजे से 21-00 बजे तक उपनगरीय गाड़ी सेवाएं रोक दी गयीं ।

राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा दो मामले दर्ज किये गये हैं—एक श्री० शिम्पी की शिकायत पर रेल कर्मचारियों के विरुद्ध भा० दं० सं० की धारा 342,322 के अधीन अपराध सं० 324/78 और दूसरा पुलिस उपनिरीक्षक बंडोले की शिकायत पर भीड़ के विरुद्ध भा० दं० सं० की धारा 147, 148, 352, 332 और 426 के अधीन अपराध सं० 327/73 ।

(ग) पुलिस श्री शिम्पी द्वारा रेल कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज करायी गयी शिकायत की तफतीश कर रही है । जब पुलिस तफतीश का काम पूरा कर लेगी तो उपयुक्त कार्रवाई की जायगी ।

(घ) और (ङ) : जी हां, एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और रेल मंत्रालय द्वारा श्री शिम्पी को सूचित किया गया है कि तफतीश के बाद उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी ।

स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों की कुल संख्या

1195. **श्री आर० पी० त्रिपाठी** : क्या रेल मंत्री स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों की संख्या के बारे में दिनांक 14 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2800 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या लोक सभा पटल पर रखी जाने वाली जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : सूचना इकट्ठी कर ली गयी है । एक विवरण संलग्न है जिसमें रेलों पर स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों की वास्तविक स्वीकृत संख्या मंडल-वार और ग्रेड-वार दी गयी है ।

दिल्ली मंडल में स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों के जो पद रिक्त पड़े थे नीचे दिये गये हैं :-

ग्रेड	संख्या
425-640 रु० (सं० वे०)	6
330-560 रु० (सं० वे०)	15

ये रिक्तियां अब भर दी गयी हैं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2879/78]

औषध फर्मों को कच्चे माल का रिलीज किया जाना

1196. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** मंत्री मैसर्स फाइज़र द्वारा आक्सीटैट्रासाइक्लिन के उत्पादन के बारे में 18 जुलाई, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 212 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालयीय आदेश उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, आयात और निर्यात अधिनियम के उपबंधों अथवा किसी अन्य सांविधिक उपबंधों का उल्लंघन कर सकता है;

(ख) यदि नहीं, तो वर्ष 1976-77 के दौरान औषध फर्मों को सरकारी माध्यम से आयात किया गया कच्चा माल लाइसेंस की गई क्षमता से अधिक किस प्रकार दिया गया था ;

(ग) क्या सरकार का विचार 1977 की नीति से पूर्व आक्सी-टैट्रासाइक्लिन के कच्चे माल की अतिरिक्त रिलीज में गड़बड़ी करने के लिये मैसर्स फाइजर को दंड देने का है; और यदि नहीं; तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) मैसर्स फाइजर की आक्सीटेट्रासाइक्लिन के लिये लाइसेंस शुदा क्षमता क्या है और 1974-75, 1975-76 और 1976-77 के दौरान उनको कितना कच्चा माल रिलीज किया गया और उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के किन उपबंधों के अन्तर्गत ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : डी० जी० टी० डी० इकाईयों, जिसमें मैसर्स फाइज़र लिमिटेड भी है, कैनेलाइज्ड कच्चे माल के रिलीज़ के लिए पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदण्ड, जिनका 18 जुलाई 1978 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 212 के उत्तर में उल्लेख किया गया है, वर्ष प्रति वर्ष निर्धारित सरकारी आयात व्यापार नियंत्रण नीति की सीमा में है । वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 में भी आयात व्यापार नीतियों द्वारा व्यवस्था की गई कि डी० जी० टी० डी० इकाईयों आयातित कच्चा माल तथा पूर्जों को पिछले दो वर्षों में उनके द्वारा खपत किए गए आयातित कच्चे माल तथा पुर्जों की संपूर्ति के दावे के रूप में, जो भी उन्हें लाभप्रद हो, प्राप्त करेंगे ।

(ग) और (घ) : मैसर्स फाइज़र को आक्सीटेट्राइसाइक्लीन के रिलीज सम्बन्धी स्थिति पहले ही विस्तार में लोक सभा के निम्नलिखित प्रश्नों क उत्तर में स्पष्ट की गई है :-

(i) 18-7-78 को पूछे गए अता० प्रश्न संख्या 212 के उत्तर में ।

(ii) 25-7-78 को पूछे गए अता० प्रश्न संख्या 1275 के उत्तर में ।

(iii) 29-8-78 को पूछे गए अता० प्रश्न संख्या 4760 के उत्तर में।

जहां तक मैसर्स फाइज़र द्वारा आक्सीटेट्रासाइक्लीन पर आधारित फार्मूलेशनों के निर्माण करने का सम्बन्ध है वे उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951 के खण्ड 18 के अन्तर्गत जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्रों तथा 1960 में जारी किए गए अनुज्ञा-पत्रों की कथित प्राधिकरण के अन्तर्गत यह कार्य कर रहे, इन दोनों में उत्पाद का नाम और उनकी क्षमताओं का उल्लेख नहीं है । इसलिए, उनकी फार्मूलेशन-वार क्षमताओं पर अधिकार को नहीं बताया जा सकता । इन फार्मूलेशनों के अधिक उत्पादन के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की जानी है । मैसर्स फाइज़र सहित डी०जी०टी०डी० की सभी इकाईयों को समेकित लाइसेंस जारी करने के लिए, जिसके अन्तर्गत विशेष बल्क औषध पर आधारित फार्मूलेशनों की क्षमताओं को उस बल्क औषध की मात्रा को रूप में दर्शाया जाना है, लोक सभा पटल पर 29-3-78 को रखे विवरण-पत्र, जिसमें औषध एवं भेषज उद्योग पर हाथी समिति पर सरकार के निर्णय दिए हैं, के पैराग्राफ 37 और 38 के अनुसार कार्यवाही शुरू की गई है । जब एक बार ऐसा हो जाएगा तो कैने-लाइज्ड बल्क औषधों का रिलीज़ अपने आप नहीं विभिन्न डी०जी०टी०डी० की इकाईयों की लाइसेंसीकृत क्षमता के अनुसार पात्रता से सम्बन्धित हो जाएगा ।

वर्ष 1975-76, 1976-77 तथा 1977-78 के दौरान मैसर्स फाइज़र को रिलीज़ किए गए कैने-लाइज्ड कच्चे माल के ब्यौरे 2 मई 1978 को पूछे गए लोक सभा अता० प्रश्न संख्या 8807 के उत्तर में दिए गए हैं ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की भू-वैज्ञानिक जांच योजनाएं

1197. **श्री कुमारी अनन्तन** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की आगामी एक वर्ष के लिये भू-वैज्ञानिक जांच योजनाओं के बारे में कोई व्यापक कार्यक्रम है जिसे लगभग समस्त देश में आरम्भ किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो योजना यदि पूरी हो गई है, तो इसका स्वरूप क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) । तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इसके प्रारम्भ से ही भू-वैज्ञानिक खोज का कार्य किया जाता रहा है । देश के विभिन्न भागों में जहां इस समय तेल और गैस के संचय के पाए जाने की संभावना है, तटवर्ती और अपतटीय दोनों क्षेत्रों में जिसमें भू-वैज्ञानिक अध्ययन, भूकम्पीय, गुरुत्व और चुम्बकीय सर्वेक्षण सम्मिलित हैं, ऐसे खोज कार्य किए जा रहे हैं ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के विचाराधीन इस समय कोई ऐसी वृहद् योजनाएं नहीं हैं जिसके अन्तर्गत आगामी एक वर्ष में देश भर में इस कार्य को पूरा किया जा सके ।

रेलवे में ईंधन की खपत कम करने के लिए उपाय

1198. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले के उत्पादन में कमी को देखते हुए रेलवे में ईंधन की खपत कम करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने वैगन और इंजनों की शंटिंग का कार्य वाष्प इंजन की बजाये डीजल इंजन से करने की वांछनीयता पर विचार किया है जैसा कि कोयले की खपत कम करने के लिये इस समय किया जा रहा है; और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) कोयले की सप्लाई में कमी को देखते हुए, क्षेत्रीय रेलें कोयले की खपत कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रही हैं :—

(1) विभागीय और खण्डीय कार्य गाड़ियों में न्यूनतम आवश्यकता तक कटौती की जा रही है ।

(2) जब कोयले का स्टाक बहुत कम रह जाता है तो अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण खण्डो पर कुछ यात्री गाड़ियां रद्द कर दी जाती हैं । ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इस तरह की निरस्तता से कर्मकारो, दैनिक यात्रियों व कचहरी जाने वाल लोगों के संचलन पर प्रभाव न पड़े और यात्रियो के एक स्थान से दुसरे स्थान तक आने-जाने के लिए वैकल्पिक गाड़ियां उपलब्ध रहे ।

(ख) और (ग) : रेलों की समवेत योजना में माल-डिब्बों और चल-स्टाक की शंटिंग के लिए डीजल रेल इंजनों के उत्तरोत्तर वृद्धिपरक उपयोग का लक्ष्य रखा गया है ।

प्राकृतिक गैस के लिए खोज कार्य

1199. **श्री दया राम शाक्य :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा ज्वालामुखी में प्राकृतिक गैस की खोज पर कितना धन खर्च किया गया है और इस में सफलता न मिलने के क्या कारण हैं; और

(ख) देश के किन भागों में प्राकृतिक गैस की खोज की गई है और कितने स्थानों पर सफलता मिली है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ज्वालामुखी में पहले-पहल अन्वेषी व्यंधन कार्य पांचवें दशक में आरम्भ किया गया था और उस चरण में 9.09 लाख रुपये के मूल्य ह्रास सहित तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के 109.39 लाख रूपये खर्च किये । तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ज्वालामुखी में वर्ष 1977-78 में पुनः व्यधन कार्य आरम्भ किया गया और 31-3-1978 तक 36.03 लाख रुपये के मुल्य ह्रास सहित 137.23 लाख रुपये खर्च किये गये थे । दूसरे चरण में, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने जे० एम० आई०–3 नामक एक कुएं का व्यधन कार्य पूरा कर लिया है, जहां पर हमें कोई अनुकूल परिणाम नही मिले हैं । जे० एम० आई०-6 नामक एक दूसरे कुएं का व्यधन कार्य 1978 में आरम्भ किया गया था और इस समय इस कुएं का उत्पादन परीक्षण किया जा रहा है ।

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अब तक अपतटीय क्षेत्रों के अलावा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, आन्ध्र प्रदश और तमिलनाडु में 199 संरचनाओं पर अन्वेषी कार्य अपने हाथ में लिया गया है । इनमे से 187 संरचनाओं का व्यधन द्वारा परीक्षण पहले से किया जा चुका है, जिसमें से 63 संरचनाएं तेल तथा गैस वाली संरचनाएं सिद्ध हुई हैं और बाकी 124 संरचनाएं सूखी पायी गयी । बाकी 12 संरचाओं का 1 अक्टूबर, 1978 तक व्यधन/परीक्षण किया जा रहा था । गुजरात, असम और बम्बई हाई के आसपास के क्षेत्रो में अनेक संरचनाओं में अब तक वाणिज्यिक मात्रा में तेल/गैस की खोज की जा चुकी है ।

लोक सभा के उन स्थानों की संख्या जिनके लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों ने निर्वाचन लड़े

1200. **श्री गंगाधर अप्पा बुरांडे :** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लोक सभा के उन स्थानों की राज्यवार संख्या कितनी है जिनके लिए विभिन्न राज्यों के साधारण निर्वाचन क्षेत्रों में, गत तीन वर्ष के दौरान, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों ने निर्वाचन लड़े और वे विजयी रहे ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डॉ० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

तलवाड़ा-सुजानपुर रेलवे लाइन

1201. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें हिमाचल हितकारी परिषद्, कालका की ओर से दिनांक 23 अक्तूबर, 1978 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें रेलवे प्रशासन से यह अनुरोध किया गया है कि व्यास नदी के किनारे-किनारे तलवाड़ा से सुजानपुर तक रेलवे लाइन के लिये सर्वेक्षण आरम्भ किया जाय; ।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : हिमाचल हितकारिणी परिषद् ने ब्यास नदी के किनारे-किनारे, तलवाड़ा-तीरा सुजानपुर रेल सम्पर्क के निर्माण के लिए एक सर्वेक्षण आरम्भ करने का अनुरोध किया है । वित्तीय संसाधनो की भारी कठिनाई और पहले से की गयी भारी वचन-बद्धता के कारण, इस समय इस रेल सम्पर्क के लिए सर्वेक्षण प्रारम्भ करना सम्भव नहीं है ।

पहाड़ी स्थलों के लिये टिकटों की बिक्री सें आय

1202. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या रेल मंत्री पहाड़ी स्थलो के लिये टिकटों की बिक्री से रेलवे की आय के बारे में दिनांक 8 अगस्त, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3238 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1978-79 के लिए रेलवे की आय पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जो सूचना एकत्रित की गयी है उसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :--

	रुपये
वर्ष 1976-77 की अवधि में होने वाली आमदनी; . .	36,10,002
वर्ष 1977-78 की अवधि में होने वाली आमदनी	63,92,689
वर्ष 1978-79 (जून, 1978 तक) की अवधि में होने वाली आमदनी	63,78,449

(ख) 1978-79 के तीन महीनो की अवधि के दौरान इन टिकटों की बिक्री में वृद्धि के रुख का पता चलता है ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के न्यायाधिशों की संख्या

1203. **श्री बी० सी० काम्बले** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भारत के (i) जिला न्यायालयों, (ii) उच्च न्यायालयों, और (iii) उच्चतम न्यायालय में इस कितने न्यायाधीश हैं और उनमें से कितने न्यायाधीश अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के है; और

(ख) कमी को पूरा करने के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में से न्यायाधीशों को नियुक्त करने के मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है जिससे कि समग्र रूप से न्यायपालिका में राष्ट्रीय दायित्व का भार उठाने के मामले म अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का सम्मिलित होना सुनिश्चित किया जा सके ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जिला न्यायालयो के बारे में जानकारी राज्य सरकारो से इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

जहां तक उच्च न्यायालयों का संबंध है, 15-11-1978 को पदासीन न्यायाधीशो की कुल संख्या 318 थी । उच्च न्यायालयों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इन न्यायाधीयों में से 5 न्यायाधीश अनूसूचित जाति के हैं और अनुसूचित जनजाति का कोई न्यायाधीश नही है ।

जहां तक उच्चतम न्यायालय का संबंध है, पदासीन न्यायाधीशों की कुल संख्या, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधिपति भी शामिल है, 16 है और इनमें से कोई भी न्यायाधीश अनुसूचित जाति या अनसूचित जनजाति का नहीं है ।

(ख) जहां तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति का संबंध है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ऐसे व्यक्तियों के, जो अपेक्षित अर्हता, अनुभव और योग्यता रखते हो, नामों पर अन्य व्यक्तियों के नामों के साथ, सरकार द्वारा तब विचार किया जाता है जब कि उनके नामों की सिफारिश राज्य प्राधिकारियों/उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा की गई हो ।

जहां तक अधीनस्थ न्यायपालिका का संबंध है राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे सुसंगत सेवा नियमों में इस दृष्टि से संशोधन करने के प्रश्न पर विचार करें कि उनमें अनुसूचित जातियों/अनसूचित जनजातियों के लिए पदों के आरक्षण का स्पष्ट उपबंध हो । अनेक राज्य सरकारो ने नियमों में आरक्षण के उपबंध समाविष्ट कर लिए हैं ।

आरक्षण चार्ट

1204. **श्री अहमद हुसैन :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे डिब्बों/स्टेशनों पर लगाये जाने वाले आरक्षण चार्टों पर हमेशा शुद्धियां अथवा काट कर दुबारा क्यों लिखा जाता है जिसमें यात्रियों को अनावश्यक परेशानी होती है; और

(ख) तिनसुखिया मेल (9-11-78 को दिल्ली से चली) के लगभग सब डिब्बों पर आरक्षण चार्ट में कोच संख्या और सीट संख्या में परिवर्तन क्यों किया गया था ; और उक्त असंगति के लिये कौन-कौन व्यक्ति जिम्मेवार है; और उन्हें सजा देने तथा स्पष्ट आरक्षण चार्ट लगाने की सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) आरक्षण चार्टों की संशुद्धियों अथवा काट-पीट से रहित प्रदर्शित करने का प्रत्येक प्रयास किया जाता है । तथापि, कुछ मामलों में, संयोजन में परिवर्तन अथवा अन्तिम क्षणों में यानों के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण संशुद्धियां करना आवश्यक हो जाता है ।

(ख) 156 अप तिनसुखिया मेल, जो 9-11-1978 को नयी दिल्ली से चली थी, का एक 3-टियर शयनयान क्षतिग्रस्त हो गया था और उसके स्थान पर दूसरा यान लगाना पड़ा था । इसके कारण यानों की संख्या में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया ।

गाड़ी के सामान्य संयोजन में परिवर्तन के कारण दो प्रथम श्रेणी यानों के डिब्बों के नम्बर में परिवर्तन करना पड़ा ।

तथापि, रेलों को यह सुनिश्चित करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं कि जहां तक संभव हो गाड़ी के वास्तविक संयोजन के आधार पर स्पष्ट एवं स्वच्छ आरक्षण चार्ट प्रदर्शित किये जायें ।

तारकुण्डे आयोग की रिपोर्ट

1205. **श्री भगत राम :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गैर-सरकारी तारकुण्डे आयोग की रिपोर्ट के बारे में जानकारी है ;

(ख) तारकुण्डे आयोग के मुख्य निष्कर्षों और सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या और आगे जांच करने के लिए जांच आयोग नियुक्त करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी हां । मै समझता हूं कि प्रश्न में जिस रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है वह निर्वाचन सुधारों से संबंधित तारकुण्डे समिति की रिपोर्ट है ।

(ख) तारकुण्डे समिति के मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें संलग्न हैं । (उपाबंध) ।

(ग) और (घ) : जी नहीं । सरकार निर्वाचन सुधारों संबंधी अनेक प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है जिनमें निर्वाचन विधि में संशोधनों संबंधी संयुक्त समिति की रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशें, तारकुण्डे समिति की रिपोर्ट और निर्वाचन आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सम्मिलित हैं, इसलिए निर्वाचन सुधारों के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए किसी आयोग की नियुक्ति आवश्यक नहीं समझी गई है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2880/78]

अनधिकृत रूप से कब्जे में ली गई रेलवे भूमि पर अनधिकृत कब्जा बने रहने देना

1206. **श्री लखनलाल कपूर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पार्टियों के नाम एवं पते क्या हैं जिन्होंने संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में ग्रामीण क्षेत्रों में रेल्वे की जमीन पर प्रारंभ मे अनधिकृत कब्जा किया परन्तु बाद में उन्हें एक समझौते के अन्तर्गत उसको अपने कब्जे में रखने की अनुमति दे दी गई ;

(ख) प्रत्येक मामले में अनधिकृत कब्जा कब किया गया, प्रारंभ में कितने क्षेत्र पर अनधिकृत कब्जा किया गया और इस समय कितनी कितनी जमीन पर अनधिकृत कब्जा है और प्रत्येक पार्टी से कितनी राशि वसूल की गई ; और

(ग) प्रत्येक पार्टी पर यदि कोई राशि बकाया है, तो कितनी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : एक विवरण संलग्न है, जिसमे अपेक्षित सूचना दी गयी है ।

विवरण

28-11-1978 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1206 के भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर में संम्बन्धित विवरण

क्रम सं०	उन पार्टियों के नाम और पते, जिन्होंने मूल रुप से दिल्ली के संघ-शासित क्षेत्र के शहरी इलाके में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण कर लिया था लेकिन बाद में किस प्रकार के करार के अंतर्गत उन्हें उस भूमि को अपने अधिकार में रखने की अनुमति प्रदान कर दी गयी थी	अतिक्रमण का वर्ष	मूल रूप से अतिक्रमण की गई भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग गजों में)	इस समय कितने क्षेत्रफल पर कब्जा है	करार की शर्तें	प्रत्येक पार्टी से वसूल की गयी रकम (रु०)	आज की तारीख में बकाया रकम (रु0)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	श्री गुरु सिंह सभा, पहाड़गंज .	1952	73.34	73.22	धार्मिक प्रयोजनों के लिए 20रु० प्रतिवर्ष के मामूली लाइसेंस शुल्क पर लाइसेंस दिया गया ।	20.00	कुछ नहीं	
2	राधा किशन मन्दिर, किशनगंज, रेलवे कालोनी ।	1952	221	221	,,	20.00	कुछ नहीं	
3	शिव मन्दिर, रेलवे कालोनी, तुगलकाबाद	1973	476.58	476.58	,,	20.00	कुछ नहीं	
4	मैसर्ज अम्बर वुलन मिल्स अशोक बिहार, दिल्ली ।	1975	358.80	358.80	रेलों की सामान्य लाइसेंस शर्तों पर अल्पकाल के आधार पर, बशर्ते कि:— (1) भूमि पर कोई ढांचा खड़ा न किया जा रहा हो, और (2) वास्तविक रूप से अपेक्षित होने पर रेलवे द्वारा उस भूमि को वापस लिया जा रहा हो ।	कुछ नहीं	13800 (31-12-78 तक)	लाइसेंस का करार अभी नहीं हूआ है और यह पार्टी रेलवे की बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रही है। सार्वजनिक परिसर अधि-नियम (अनाधिकार कब्जे की बेदखली) 1971 के अधीन कार्रवाई की जा रही है।

विवरण—जारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	मैसर्ज ओरिन्टल बिल्डिंग एंड फर्निशिंग कम्पनी (मैसर्ज प्योर ड्रिंक्स कोका कोला), नयी दिल्ली ।	1942	1666.00	2743.00	सामान के चट्टे लगाने या भंडार करने और वाहनों को खड़ा करने के लिये भूमि के बाजार भाव के 6% की दर पर लाइसेंस शुल्क पर लाइसेंस दिया गया, जिसे प्रत्येक पांच वर्ष बाद संशोधित किया जाना था ।	275507	340700 (लगभग)	31-12-72 से लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और सम्बन्धित रेलवे भूमि पर फर्म ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है। रेलवे भूमि से उस फर्म की बेदखली और तोड़फोड़ की वसुलियों के लिए, सम्पदा अधिकारी, नयी दिल्ली के न्यायालय में कानूनी कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है। फर्म इस मामले को उच्च न्यायालय में ले गई है और यह न्यायालय के विचाराधीन है ।
6	श्री ताराचन्द, सब्जी के ठेलेवाला, शकूर-बस्ती, दिल्ली ।	1967	10.30	10.30		185.40		
7	श्री हरिकिशन, सब्जी के ठेलेवाला, शकूरबस्ती, दिल्ली ।	1967	13	13		234.00		
8	श्री शंकर दास, सब्जी के ठेलेवाला, शकूर-बस्ती, दिल्ली ।	1967	9.50	9.50		237.50	जिन अतिक्रमण-कर्ताओं ने फल और सब्जियां बेचने के लिए 'खोखे' बना लिए थे, उन्हें 31-12-1977 तक रेलवे भूमि पर रहने के लिए अनुमति दे दी गई थी। समीप ही उन्हें वैकल्पिक स्थान पर बदलने का इरादा था, लेकिन, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास	
9	श्री चुन्नी लाल, सब्जी के ठेलेवाला, शकूर-बस्ती, दिल्ली ।	1967	9.75	9.75	टिप्पणी का कालम देखें	204.75		
10	श्री मदन लाल, सब्जी के ठेलेवाला, शकूरबस्ती, दिल्ली ।	1967	9.75	9.75		204.75		

11	श्री बाबूराम, सब्जी के ठेलेवाला, शकूर बस्ती, दिल्ली ।	1967	8.70	8.70	182.70	प्राधिकरण ने इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी थी ।
12	श्री मोहिन्दर कुमार, सब्जी के ठेलेवाला, शकूरबस्ती, दिल्ली ।	1967	9.00	9.00	682.00	बाद में सब्जी की इन दुकानों को हटाने के लिए अभ्यावेदन भी दिए गए थे और तदनुसार सार्वजनिक परिसर अधिनियम (अनाधिकार कब्जे की बेदखली) 1971 के अधीन सम्पदा अधिकारी, नई दिल्ली के न्यायालय में बेदखली की कार्रवाई आरम्भ की गयी है और यह न्यायालय के विचाराधीन है। केवल न्यायालय का निर्णय दे दिए जाने के बाद ही बकाया अन्तिम राशि का पता चलेगा।
13	श्री रामकिशन, सब्जी के ठेलेवाला, शकूरबस्ती, दिल्ली ।	1967	9.00	9.00	171.00	
14	श्री रामकुमार, सब्जी के ठेलेवाला, शकूरबस्ती, दिल्ली ।	1967	9.20	9.20	174.80	
15	श्री सूरजभान, सब्जी के ठेलेवाला, शकूर-बस्ती, दिल्ली ।	1967	9.20	9.20	162.00	
16	श्री लालचन्द, सब्जी के ठेलेवाला, शकूर-बस्ती, दिल्ली ।	1967	9.00	9.00	162.00	
17	श्री मुन्शीराम, सब्जी के ठेलेवाला, शकूर-बस्ती, दिल्ली ।	1967	9.00	9.00	171.00	
18	श्री रामजीदास, सब्जी के ठेलेवाला, शकूरबस्ती, दिल्ली ।	1967	9.00	9.00	171.00	
19	श्री तोलाराम, सब्जी के ठेलेवाला, शकूरबस्ती, दिल्ली ।	1967	10.55	10.55	221.55	
20	श्री जस्सा राम, सब्जी के ठेलेवाला, शकूरबस्ती, दिल्ली ।	1967	8.00	8.00	144.00	
21	श्री कन्हैया लाल, सब्जी के ठेलेवाला, शकूरबस्ती, दिल्ली ।	1967	9.50	9.50	199.50	
22	श्री पेरु मल्ल, सब्जी के ठेलेवाला, शकूर-बस्ती, दिल्ली ।	1967	9.50	9.50	199.50	
23	श्री लक्ष्मण दास, सब्जी के ठेलेवाला, शकूरबस्ती, दिल्ली ।	1967	10.50	10.50	195.70	
24	श्री लक्ष्मी दर, सब्जी के ठेलेवाला, शकूरबस्ती, दिल्ली ।	1967	2.65	2.65	66.25	

विवरण—समाप्त

(1)	(2)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
25	श्री इन्दर जीत, सुपुत्र श्री देसराज, सब्जी के ठेलेवाला, शकूरबस्ती, दिल्ली ।	1967	10.30	10.30		783.00		
26	श्री इन्द्रजीत सुपुत्र श्री बीरभान, सब्जी के ठेलेवाला, शकूरबस्ती, दिल्ली ।	1967	1.25	1.25		26.25		
27	श्री देसराज, सब्जी के ठेलेवाला, शकूर-बस्ती, दिल्ली ।	1967	2.00	2.00		150.00		
28	सेन्ट्रल टिम्बर पीलीकोठी .	1971	84.00	84.00	प्रारम्भ में ये लाइसेंस एक वर्ष के लिए, भूमि के बाजार भाव के 6 % की दर पर किराये के भुगतान पर दिया गया था, जिसका प्रतिवर्ष नवीकरण किया जाना था (प्रत्येक पांच वर्ष के बाद संशोधित किया जाना था) ।	6319.00	कुछ नहीं	
29	नेशनल टिम्बर . .	1971	144.00	144.00		11700.00	2606.00	
30	धावन टिम्बर स्टोर्स, पिलीकोठी	1967	184.30	184.30		9200.00	6115.00	

कुकिंग गैस का उत्पादन

1207. **श्री वी० जी० हांडे :** क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में कुकिंग गैस बहुत सस्ती है जबकि हमारे देश मे इस के मूल्य बहुत अधिक हैं; और

(ख) देश में खपत को ध्यान में रखते हुए कुकिंग गैस का उत्पादन बढ़ाने और इसकी कमी को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली में तरल पेट्रोलियम गैस के अन्तिम उपभोक्ता मूल्य इस प्रकार हैं :--

	रुपये	
(i) बम्बई	26.94	14.2 कि० ग्रा० के प्रति सिलण्डर
(ii) मद्रास	29.67	15 कि० ग्रा० के प्रति सिलेण्डर
(iii) कलकत्ता	33.82	,,
(iv) दिल्ली	32.81	,,

घरेलू कुकिंग गैस के उपभोक्ता मूल्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न-भिन्न हैं और विदेशों के लिए इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) वर्ष 1980 के बाद से, जब निम्नलिखित के आरम्भ होने पर अतिरिक्त तरल पेट्रोलियम गैस उपलब्ध होगी, तरल पेट्रोलियम गैस (कुकिंग गैस) की उपलब्धता/सप्लाई की स्थिति में पर्याप्त सुधार होने की आशा है।

(i) बम्बई हाई संबद्ध गैस से कुकिंग गैस को अलग करने के लिए सुविधायें ;

(ii) मथुरा शोधनशाला;

(iii) कोयाली शोधनशाला में सैकण्डरी प्रोसेसिंग सुविधायें ; और

(iv) बोंगाईगांव शोधनशाला का कोकर यूनिट ।

नांदेड नगर के निकट रेलगाडी में डकैती

1208. **श्री केशवराव धोंडगे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1978 में महाराष्ट्र में नांदेड़ नगर के निकट कुछ डाकू "प्रवासी एक्सप्रैस" के महिलाओं के डिब्बे में घुस गये थे, महिलाओं को पीटा था और उन्हें लूट लिया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसी लाइन पर एक रेलवे निरीक्षक और एक रेलवे कर्मचारी को भी लूट लिया गया था ;

(ग) ये डाकू कौन थे, वे किस गिरोह से सम्बन्धित थे और वे कब पकड़े गए थे; और

(घ) रेलवे विभाग यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था कर रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 28-9-78 को दक्षिण-मध्य रेलवे के पुरणा-नांदेड़ खंड पर लिम्बागांव और नांदेड रेलवे स्टेशनों के बीच 342/11-12 किलोमीटर पर जंजीर खीचकर 552 अप गाड़ी को रोका गया और 5 व्यक्ति महिलाओं के डिब्बे में घुस गये और 5 महिलाओं से 6,760 रुपये मूल्य के आभूषण और हाथ की घड़ी जबरदस्ती छीन ली।

(ख) इससे पहले 7-9-78 को कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने एक गार्ड को छुरा दिखाकर 800 रुपये की नकदी छीन ली जबकि वह 581 अप अजमेर-काचेगुड़ा सवारी गाड़ी के पहले दर्जे के डिब्बे में यात्रा कर रहा था।

(ग) महिलाओं के डिब्बे में डकैती की घटना की सरकारी रेलवे पुलिस पुरणा ने भारतीय दंड संहिता की धारा 394 के अंतर्गत अपराध संख्या 79/78 के रूप में दर्ज किया। इस डकैती के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों का एक गिरोह जिम्मेदार था :—

(1) विधि कालेज नांदेड़ का विद्यार्थी गोपाल सुपुत्र भगनू ।

(2) विधि कालेज, नांदेड़ का विद्यार्थी नरेश सुपुत्र गिरबाजे गवले ।

(3) पीपल कालेज नांदेड़ में बी० ए० प्रथम वर्ष का छात्र चन्द्राकान्त सुपुत्र सम्बाजी सूर्यबंशी ।

(4) धर्माबाद का निवासी मोतीराम सुपुत्र लक्ष्मण भोर केटे ।

(5) धर्माबाद का निवासी मानिक राव जगदेव किसले ।

उपर्युक्त सभी व्यक्तियों को 1-10-78 को गिरफ्तार किया गया और उनसे 4255 रुपये मूल्य की चुरायी गयी सम्पत्ति बरामद की गयी ।

गार्ड से लूटपाट का मामला सरकारी रेलवे पुलिस, पुरणा ने भारतीय दंड संहिता की धारा 341/392 के अंतर्गत अपराध संख्या 69/78 के रुप में दर्ज किया था । अभी तक मामला हल नही किया जा सका ।

(घ) (1) यात्रियों की संरक्षा और उनके सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकारी रेलवे पुलिस की है जो राज्य सरकारो के प्रशासनिक और अनुशासनिक नियंत्रण में काम करती है ।

(2) सरकारी रेलवे पूलिस ने अपने द्वारा अपनाये गये निवारक उपायों को तीव्र कर दिया है ।

(3) रेल मंत्री ने सम्बन्धित राज्यों के मुख्य मंत्रियों का ध्यान इस अनुरोध के साथ इस ओर दिलाया है कि वे चलती गाड़ियों मे अपराधों को रोकथाम के लिए कड़े कदम उठायें ।

(4) अपराधों की समस्या, जिससे यात्रियों की संरक्षा और उनके सामान की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है, पर हाल ही में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था ।

(5) यद्यपि रेलवे सुरक्षा दल रेलों को सौपे गये माल और रेलवे के माल की सुरक्षात्मक ढुलाई से सम्बद्ध है तथापि यात्रियों में विश्वास की भावना उत्पन्न करने और अपराधियों को गाड़ियों मे अपराध करने से रोकने के उद्देश्य से सभी भारतीय रेलों के भेद्य खंडोंपर मार्ग में गाड़ियों की रक्षा करने के लिए रेलवे सुरक्षा दल के 2000 से भी अधिक सशस्त्र कर्मचारी तैनात किये गये हैं ।

(6) क्षेत्रीय रेलों ने इस सम्बन्ध में अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान चलाया कि 22.00 बजे और 06.00 बजे के बीच गलियारेदार दरवाजों को ताला लगा दिया जाये। इसके अलावा, चल टिकट परीक्षक और यान-परिचर रात के समय सतर्क रहते हैं और घुसपैठियों, फेरी वालों तथा अनधिकृत व्यक्तियों को डिब्बों मे घुसने से रोकते हैं ।

(7) रात के समय भेद्य खंडों पर चलने वाली सभी प्रभावित गाड़ियों में पुलिस कर्मचारी मार्ग रक्षी के रुप में चलते हैं ।

(8) सरकारी रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल के बीच विभिन्न स्तरों पर समन्वय बैठकों का आयोजन करके गाड़ियों की सुरक्षा की निरन्तर समीक्षा की जाती है ।

(9) उत्तर-दक्षिण की ओर जाने वाली गाड़ियों में लुटपाट और डकती की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, 16-6-78 को रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बीच एक उच्च-स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें गाड़ी के ठीक बीच में पुलिस मार्ग-रक्षियों के साथ तुरत संचार-व्यवस्था करने, गार्डो और ब्रेकमैनों के पास शक्तिशाली टार्च लाइटों की व्यवस्था करने तथा उन राज्यों के साथ जहां पुलिस संरक्षण बढ़ाना आवश्यक हो, निकट-सम्पर्क स्थापित करने जैसे कुछ निश्चित निर्णय लिये गये थे ।

(10) दक्षिण-मध्य रेलवे के भेद्य क्षेत्रों में यात्रियों की संरक्षा के लिए सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा आगे निम्नलिखित और व्यवस्था की गयी है :—

(i) महत्वपूर्ण स्टेशनों पर "क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं" पुलिस बूथ स्थापित किये गये हैं ताकि अपने शिकायतें दर्ज कराने में यात्रियों को सुविधा रहे ।

(ii) पुलिस उप-अधीक्षक, मनमाड का मुख्यालय अस्थायी रुप से नांदेड़ ले जाया गया है, ताकि इस खंड की निगरानी रखने में उन्हें सुविधा रहे ।

त्रिपुरा के लिए पृथक उच्च न्यायालय की मांग

1209. **श्री किरित विक्रम देव वर्मन :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा विधान सभा ने इस वर्ष सितम्बर में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव स्वीकार किया था जिसमें यह मांग की गई है कि राज्य में एक पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना की जानी चाहिए और जब तक पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना नहीं हो जाती है तब तक के लिए गोहाटी उच्च न्यायालय की एक स्थायी बैंच की स्थापना त्रिपुरा में अगरतला में की जानी चाहिए ; और

(ख) इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी हां।

(ख) अगरतला में स्थायी व्यवस्था करने के प्रश्न पर गोहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति और पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल के विचार मांगे गए हैं।

एन० आर० सी० के निदेशक द्वारा कथित धोखाधड़ी

1210. **श्री पी० एम० सईद :**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :
श्री रामचन्द्रन कडनापल्लि :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एन0 आर0 सी0 का भूतपूर्व निदेशक कारपोरेशन के साथ लगभग 2.28 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के लिये जिम्मेदार ठहराया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई जांच की गई है ;

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं ;

(घ) क्या सामान्य बीमा निगम और यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया ने शिकायतें दर्ज कराई हैं क्योंकि दोनों की कम्पनी में बहुत बड़ी पूंजी लगी है ;

(ङ) यदि हां, तो शिकायतों का विवरण क्या है ; और

(च) क्या भूतपूर्व निदेशक को गिरफ्तार भी किया गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (श्री डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), से (च) गत प्रबन्ध : के अन्तर्गत कम्पनी के कार्य कलापों की जांच के आधार पर, सरकार द्वारा मनोनीत निदेशकों ने सूचित किया है कि कम्पनी के एक भूतपूर्व निदेशक श्री सुधीर कपाडिया ने कम्पनी को 2.47 करोड़ की राशि का धोखा दिया था। उक्त भूतपूर्व निदेशक तथा अन्यो के विरुद्ध समुचित अपराधिक कार्यवाही करने के लिये, बम्बई के पुलिस आयुक्त के पास दिनांक 5-11-1977 को की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसरण में श्री सुधीर कपाडिया को सितम्बर, 1978 में गिरफ्तार किया गया था। पीछे वह जमानत पर रिहा हो गया था। तथा पुलिस जांच-पड़ताल भी चल रही है ।

(घ) तथा (ङ) : यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया तथा जनरल इन्शोरेन्स कारपोरेशन आफ इंडिया ने संयुक्त रूप से भूतपूर्व प्रबन्धक द्वारा की गई कतिपय अनिमितताओं तथा कुप्रबंध के कार्यों को प्रकाश में लाते हुए, कम्पनी विधि बोर्ड को, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 408 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र दिया था। कम्पनी विधि बोर्ड ने अपने दिनांक 11 जुलाई, 1977 के आदेश द्वारा कम्पनी के निदेशक मंडल में 8 निदेशक नियुक्त किय थे।

उच्चतम नायालय और उच्च न्यायालयों में लम्बित मामले

1211. **श्री गंगा भक्त सिंह :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार का यह विचार है कि देश के उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में काफी अर्से से 15,000 मामले इसलिए विचाराधीन पड़े हैं क्योंकि इन न्यायालयों में न्यायाधीश बहुत कम हैं ;

(ख) यदि हां, तो 31 जुलाई, 1978 तक प्रत्येक उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद और कब से रिक्त पड़े थे और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) ये पद कब तक भरे जायेंगे और उनके अब तक न भरे जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में बहुत अधिक मामलों के लम्बित रहने का कारण यह है कि पिछले अनेक वर्षों में संस्थित किए जाने वाले मामलों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। संस्थित किए गए मामलों की संख्या उच्चतम न्यायालय में 1960 में 3241 थी जो 1977 में बढ़कर 14507 हो गई तथा उच्च न्यायालयों में 1972 में 3,63,001 थी जो 1977 में बढ़कर 4,54,733 हो गई। किन्तु न्यायाधीशों की संख्या में उसी अनुपात में और समय में वृद्धि नहीं हुई।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। अभी भी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के कुछ पद रिक्त रहने के कारण ये हैं कि कुछ मामलों में राज्य प्राधिकारियों से अभी प्रस्ताव ही नहीं प्राप्त हुए हैं और कुछ अन्य मामलों में संविधान के अधीन अपेक्षित परामर्श किए जा रहे हैं।

(ग) इन रिक्त स्थानों को यथासम्भव शीघ्र भरने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। जो प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, उनमें आगे कार्रवाई की जा रही है। राज्य प्राधिकारियों को उन रिक्त स्थानों के लिए जिनके लिए अभी तक प्रस्ताव नहीं भेजे गए हैं, सिफारिश करने में शीघ्रता करने के लिए स्मरण कराया गया है। 1-4-77 से 25-11-1978 तक की अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों में 190 नईनियुक्तियां की गई हैं।

विवरण

क्र० सं०	उच्च न्यायालय का नाम	न्यायाधीशों के रिक्त पदों की संख्या	तारीख जिससे वे पद रिक्त हैं	टिप्पणियां
1.	इलाहाबाद	2	21-3-1978 और 4-4-1978	
2.	आन्ध्र प्रदेश	3	15-7-1978 और 17-7-1978	अब भर दिया गया है।
3.	बम्बई	2	6-4-1978 और 13-7-1978	अब भर दिया गया है।
4.	गोहाटी	3	18-7-1977, 1-1-1978 और 6-4-1978	
5.	गुजरात	5	26-9-1975, 31-5-1976, 5-10-1977 और 28-12-1977 और 12-5-1978	
6.	हिमाचल प्रदेश	1	20-2-1978	अब भर दिया गया है।
7.	जम्मू-कश्मीर	1	8-4-1978	
8.	कर्नाटक	2	27-1-1978 और 27-4-1978	अब भर दिया गया है।
9.	मध्य प्रदेश	3	28-2-1978, 6-7-1978 और 17-7-1978	अब भर दिया गया है।
10.	मद्रास	2	29-5-1978 और 15-7-1978	
11.	पंजाब	3	9-9-1977, 1-11-1977 और 17-7-1978	दो रिक्त पद अब भर दिए गए हैं।

भारत का उच्चतम न्यायालय

31-12-1977 के पहले उच्चतम न्यायालय के (मुख्य न्यायाधिपति को छोड़कर) न्यायाधीशों की मंजूर की गई संख्या 13 थी। भारत के भूतपूर्व न्यायाधिपति ने उच्चतम न्यायालय में कार्यभार के परिप्रेक्ष्य में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में कम से कम दो पदों को वृद्धि करने का सुझाव दिया था जिससे कि (मुख्य न्यायाधिपति को छोड़कर) न्यायाधीशों की संख्या 15 हो जाए। संस्थित किए गए/बकाया मामलों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए, भविष्य की संभावित अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए और इस प्रकार थोड़े-थोड़े समय के बाद पुनः विधान बनाने की आवश्यकता से बचने के लिए उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अधिनियम, 1977 द्वारा जिसे 31 दीसम्बर, 1977 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई है, उच्चतम न्यायालय में (मुख्य न्यायाधिपति को छोड़कर) न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 17 कर दी गई है। इस समय भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा यथा प्रस्तावित (मुख्य न्यायाधिपति को छोड़कर) 15 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं।

आवश्यक पदार्थों के उत्पादन के लिये एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अधीन प्राप्त आवेदन पत्र

1212. **श्री गणनाथ प्रधान :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अधीन अप्रैल, 1977 से अक्टूबर, 1978 के बीच सरकार को कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा इसी अवधि में कितने आवेदन पत्र अस्वीकृत किये गये ;

(ख) आवेदनकर्ता कम्पनियों तथा उनके द्वारा आवेदनों में प्रस्तावित गतिविधियों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ अस्वीकृत हुए आवेदनों में रसायन, एल्युमिनियम तथा कृमिनाशक दवाओं आदि के उत्पादन के प्रस्ताव थे ; और

(घ) यदि हां, तो गैर-सरकारी निवेश से इस प्रकार का आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को हतोत्साहित करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) 1-4-1977 से 31-10-1978 तक की अवधि के मध्य, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 21, 22 व 23 के अन्तर्गत सरकार को 178 प्रस्ताव प्राप्त हुये थे। इनमें से, 22 प्रस्ताव या तो वापिस ले लिये/बंद कर दिये गए, अथवा उनमें इस अधिनियम के अन्तर्गत अनुमोदन की अपेक्षा नहीं थी, अब तक 42 अनुमोदित हो गये, 9 खारिज हो गए तथा शेष 105 प्रस्तावों पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है।

(ख) कम्पनियों के नाम तथा उनके प्रस्तावित कार्य-कलाप, जिनके लिये आवेदन किये गये हैं, प्रदर्शित करते हुये एक विवरण-पत्र संलग्न है ।

(ग) प्रश्न में संदर्भित अवधि के मध्य प्राप्त प्रस्तावों में से एक कृमिनाशक दवाओं के निर्माण का प्रस्ताव तथा चार रासायनों के निर्माण के प्रस्ताव (ऊपर भाग (ख) में निर्दिष्ट विवरण-पत्र की क्रम सं० 87, 110, 119, 124 तथा 134 में वर्णित) खारिज कर दिये थे। अल्मूनियम के बारे में एक प्रस्ताव मै० हिन्दुस्तान अल्यूमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड से इस अवधि के प्रारंभ, अर्थात् 6-12-76 को प्राप्त हुआ था, जो 15-10-77 को खारिज कर दिया गया।

(घ) प्रस्तावों के खारिज करने के कारण, ऊपर भाग (ख) में निर्दिष्ट विवरण-पत्र की सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने दिये गये हैं। मै० हिन्दुस्तान अल्यूमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड के खारिज किये गये प्रस्ताव के लिये, खारिज करन के मुख्य आधार निम्न प्रकार हैं :—

(1) घरेलु मांग को पूर्ण करने के लिये लाइसेंस क्षमता पर्याप्त होना।

(2) परियोजना के लिये बिजली उपलब्ध न होना।

(3) इस वस्तु के निर्यात, जैसा कि इसके प्रस्ताव में प्रारूपित है, से विद्युतीय शक्ति के बड़ी मात्रा में निर्यात होने का अर्थ है। (जिसकी पूर्ति की देश में कमी है।)

[ग्रंथालय में रखा गया। संख्या देखिये एल०टी०-2881/78]

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्म्मास्युटिकल्स लि० हैदराबाद के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

1213. **श्री के० ए० राजन :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपनी कुछ मांगों पर जोर देने के लिए इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० हैदराबाद के सिन्थेटिक औषधि संयन्त्र के कर्मचारियों ने हाल ही में हड़ताल की थीं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं और उनकी समस्या का समाधान करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुना) : (क) जी, हां।

(ख) श्रमिकों की मुख्य मांगें इस प्रकार हैं :— मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ 15 मार्च 1977 को किए गए करार (तीन वर्ष की वैधता) को समाप्त करना, हैदराबाद में स्थित अन्य सरकारी उपक्रमों के अनुकूल मजदूरी ढाचे में संशोधन करना, एक उचित पदोन्नति नीति लागू करना, छुट्टी नियमों, रात्रिपारी भत्ता, बोनस और प्रोत्साहन बोनस में संशोधन करना।

हाल ही में आई० डी० पी० एल० के प्रबन्धकों ने सरकार की मंजूरी से आई० डी० पी० एल० ऋषिकेश के साथ एक मजदूरी संशोधन करार किया है जो 1 अक्तूबर 1977 से 3 वर्ष की अवधि के लिए वैध है। चूंकि आई० डी० पी० एल० के तीनों संयंत्रों में मजदूरी दरों में हमेशा समानता रही है, अतः इस समझौते को समान रूप से लागू किए जाने की आशा थी। लेकिन हैदराबाद में इस समझौते को स्वीकार नहीं किया गया ।

केन्द्रीय श्रम मंत्री और मैं 16 अक्तूबर 1978 को एस० डी० पी० (आई० डी० पी० एल०) की कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों को मिले और उनको यह बताया कि हैदराबाद स्थित अन्य सरकारी उपक्रमों की समानता करना संभव नहीं है और आई० डी० पी० एल० के अन्तर्गत जो समानता रखी गई है उसको छोड़ना भी संभव नहीं है। बोनस के बारे में उनको यह बताया गया था कि बोनस को केवल कानुनी प्रावधानों के आधार पर निकाला जाएगा, लेकिन यूनियन उन आंकड़ों की जांच करने के लिए स्वतंत्र होगी और आई० डी० पी० एल० भी श्रम मंत्रालय द्वारा उन आंकड़ों की जांच को स्वीकार करेगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यूनियन के नेताओं से यह अनुरोध किया गया कि वे अपने नोटिस के अनुसार 17 अक्तूबर 1978 से हड़ताल करने के मामले में जल्दबाज़ी न करें।

तथापि यह बात यूनियन को मान्य नहीं थी और 17 अक्तूबर 1978 से हड़ताल आरम्भ की गई।

प्लांट/प्रबन्धक/सरकारी स्तर पर विचार विमर्श जारी है।

कुतब नर्मदा एक्सप्रेस गाड़ी को जैतवाड़ा स्टेशन पर रोकना

1214. **श्री निर्मल चन्द्र जैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुतब नर्मदा एक्सप्रेस अप और डाउन गाड़ियों की सितम्बर तथा अक्तूबर, 1978 में कितने दिन जबलपुर डिवीजन में जैतवाड़ा तथा सोहोन स्टेशनों पर रुकना पड़ा था ;

(ख) कितनी बार ऐसी जंजीर खींचने के कारण हुआ ; और

(ग) क्या जंजीर खींचने के अपराध पर किसी व्यक्ति को पकड़ा गया, उस पर मुकदमा चलाया गया और उसे दंड दिया गया ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : सितम्बर और अक्तूबर, 1978 के दौरान 149/150 हजरत निजामुद्दीन जबलपुर कुतुब एक्सप्रेस को जैतवार और सिहोरा रोड पर निम्नलिखित अवसरों पर रोका गया था :—

महीना	149		150	
	जैतवार	सिहोरा रोड	जैतवार	सिहोरा रोड
सितम्बर	6	4	2	3
अक्तूबर	4	2	1	1

उपरोक्त सभी अनियमित रुकाव शरारती तत्वों द्वारा खतरे की जंजीर खींचे जाने के कारण थे।

(ग) 16-9-78 को श्री राम शरण मिश्रा को जैतवार पर 149 गाड़ी की खतरे की जंजीर खींचने के कारण पकड़ा गया था। उस पर भारतीय रेल अधिनियम की धारा 100 ए० के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया और 100 रु० का जुर्माना किया गया।

बोदरा कूप की खुदाई

1215. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बोदरा कूप नं० 3 और 4 की खुदाई करने के लिए सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स वर्कशाप आदि के कार्य को पूरा करने के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 10 लाख रु० से अधिक राशि खर्च करने और फिर उक्त योजनाओं को छोड़ देने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुना) : बोदरा कुआं नं 3 के स्थान पर सिविल निर्माण कार्य आदि को पूरा करने के लिए 4.036 लाख रुपये खर्च किए गये थे। बोदरा कुआं नं० 4 के स्थान पर कोई खर्च नहीं किया गया था।

व्यधन कार्य हेतु स्थान तैयार करने के लिए व्यधन स्थल के लिए भूमि और सम्पर्क मार्ग प्राप्त करना होगा और रिग बुनियादों, सम्पर्क मार्ग, भण्डार के लिए शेडों आदि का निर्माण करना होगा। जलपूर्ति की भी व्यवस्था करनी होगी। आमतौर पर इस प्रारंभिक कार्य में काफी समय लग जाता है। अतः जब किसी विशेष क्षेत्र में किसी स्थान पर व्यधन कार्य आरम्भ किया जाता है तो वहां पर समय रहते उसी क्षेत्र में एक दूसरे स्थान को इसके लिए विमुक्त कर दिया जाता है और उपरोक्त प्रारंभिक कार्यवाही इस बात को सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि जब तक पहल वाले स्थान पर व्यधन कार्य पूरा हो जाता है तब तक दूसरा स्थान व्यधन कार्य के लिए तैयार होता है। इसी कारण से बोदरा नं० 1 के पूर्व में लगभग 1-1/2 किलोमीटर की दूरी पर बोदरा नं० 3 के लिए उस स्थान को विमुक्त कर दिया गया था। बोदरा नं० 1 में व्यधन कार्य आरम्भ करने के पश्चात् लगभग 6 माह में इस स्थान को विमुक्त कर दिया गया था। यदि इस प्रकार का पूल बोदरा नं० 1 में मिल गया होता तो तेल/गैस पूल के अनारेक्षण करने के लिए बोदरा नं० 3 की खुदाई करनी जरुरी समझी गयी होती। क्योंकि बोदरा कुआं नं० 1 सूखा निकल गया था अतः बोदरा-3 और बोदरा-4 स्थानो पर कुओं के खुदाई के काम को भूगर्भीय आधार पर रोक देना पड़ा था।

विधि आयोग के कार्यकरण का पुनर्विलोकन

1216. **श्री विजय कुमार एन० पाटिल** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शीघ्र अनुवर्ती प्रक्रिया की दृष्टि से विधि आयोग के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने और इसकी कार्यपद्धति को नया रूप देने/पुनर्गठित करने के लिये यदि कोई विशेष कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : 1977 में जब आठवें विधि आयोग का पुनर्गठन किया गया था तब न्यायिक प्रशासन में सुधार करने के कार्य को पूर्विकता देने की दृष्टि से विधि आयोग के विचारार्थ विषय पुनरीक्षित किए गए थे। विधि आयोग के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने या इसकी कार्यपद्धति को नया रूप देने या उसे पुनर्गठित/पुनर्रचना करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। विधि आयोग का पुनर्गठन 1 सितम्बर, 1977 से 31 अगस्त, 1980 तक की तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया था।

चलती रेलगाडियों में डकति की घटनायें

1217. **श्री प्रद्युम्न बल :**
श्री विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री एस० आर० रेड्डी
श्री ईश्वर चौधरी :
श्री माधव राव सिन्धिया :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 के दौरान तथा 31 दिसम्बर, 1978 तक विभिन्न रेलवे जोनों में चलती गाड़ियों में हथियार बंद लोगों द्वारा यात्रियों को लूटने की कितनी घटनायें हुई;

(ख) इन डकैतियों के कारण यात्रियों की सम्पत्ति की कितनी हानि हुई ;

(ग) क्या डाकुओ द्वारा कुछ लोग मार डाले भी गये ;

(घ) क्या सरकार ने उन्हें कोई मुआवजा दिया है;

(ङ) कितने डाकू अब तक गिरफ्तार किये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ; और

(च) शेष अपराधियों को पकड़ने के लिये क्या प्रयास किये गये अथवा किये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 1977-78 के दौरान, चलती गाड़ियों में लूटपाट और डकैती की 262 घटनाओं की रपट मिली थी 1 अप्रैल, 1978 से 31 अक्तूबर, 1978 तक राज्य पुलिस प्राधिकारियो को चलती गाड़ियों में लूटपाट और डकैती की 128 घटनाओं की रपटें मिली हैं।

(ख) 1977-78 के दौरान लूटपाट और डकैती की इन घटनाओ के फलस्वरुप यात्रियों को 6,03,827 रुपये की सम्पत्ति की हानि हुई और अप्रैल, 1978 से अक्तूबर, 1978 तक 5,37,691 रुपये की सम्पत्ति की हानि हुई ।

(ग) इन दुर्घटनाओं में 1977-78 के दौरान 2 व्यक्ति और अप्रैल, 1978 से अक्तूबर, 1978 तक की अवधि में भी 2 व्यक्ति मारे गये ।

(घ) वर्तमान नियमों के अनुसार ऐसे अपराधो की शिकार होने वाले व्यक्तियों को कोई मुआवजा स्वीकार्य नही होता ।

(ङ) 1977-78 के दौरान 489 अपराधी और अप्रैल, 1978 से अक्तूबर, 1978 तक की अवधि के दौरान 211 अपराधी गिरफ्तार किये गये । इन मामलों की जांच राज पुलिस प्राधिकारियों द्वारा की जा रही है ।

(च) बाकी अपराधियों को पकड़ने के लिए राज्य पुलिस प्राधिकारियों द्वारा जोरदार प्रयास किये जा रहे हैं ।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें आयोग द्वारा विज्ञापनों के मामले में कुछ कम्पनियों को जारी किया गया नोटिस

1218. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें आयोग ने तीन बहुत बड़ी कम्पनियों को उनके विज्ञापन खर्चों के बारे में 'कारण बताओं' नोटिस जारी किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं उनकी उन पर प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चंद्र चंद्र) : (क) और (ख) : हां, श्रीमान जी, एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग ने एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा, 10(क) (iv) के अन्तर्गत चार कम्पनियों को जांच की नोटिसें जारी की हैं जो अन्य बातों समेत उनके द्वारा ऊंचे विज्ञापन व्यय के बारे में है। उनके विवरण संलग्न विवरण-पत्र में दिखाये गये है । चारों कम्पनियों ने उपस्थिती का स्मृति-पत्र दिया है और ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी से उत्तर भी आ गया है । अन्य कम्पनियों से उत्तरों की प्रतीक्षा है । सारी जांचो एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग के समक्ष फैसले के लिए पड़ीहै ।

विवरण

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	जांच की तारीख	जांच की धारा
1	ब्रिटानिया बिस्कुट क० लि०	17-2-1977	10(क)(iv)
2	रिचार्डसन हिन्दुस्तान लि०	30-8-1978	10(क)(iv)
3	अमृतांजन लिमिटेड	20-9-1978	10(क)(iv)
4	पार्ले प्रोडक्ट्स प्रा० लि०	29-8-1978	10(क)(iv)

एकाधिकार एवं निर्बन्धात्मक व्यापार पद्धति आयोग के समुचित कार्यकरण के लिए जन शक्ति

1219. **श्री एम० कल्याणसुन्दरमम्** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एकाधिकार एवं निर्बन्धात्मक व्यापार पद्धति आयोग के सही और समुचित कार्यकरण के लिए आयोग के पास पर्याप्त मात्रा में जनशक्ति और अन्य सुविधाओं का अभाव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसे एक प्रभावी संस्था बनाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और सांस्कृतिक मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चंद्र) : (क) तथा (ख) । एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग के विद्यमान कार्य-कलापों को दृष्टि में रखते हुये, इसके लिये पर्याप्त कर्मचारियों तथा सुविधाओं की व्यवस्था की गई है । आयोग के एक नये सदस्य के इसके केवल एक ही रिक्त पद पर, दिसम्बर, 1978

के मध्य तक कार्य-भार संभाल लिये जाने की आशा है। आयोग में वर्तमान में 4 समूह 'क' पद रिक्त हैं। इनमें से एक पद के लिये नियुक्ति आदेश प्रेषित किये जा रहे हैं, एवं अन्य तीन पद संघ लोक सेवा आयोग से सिफारिशें प्राप्त होते ही यथाशीघ्र भरे जायेंगे। अन्य स्वीकृत पदों को भरने के लिये एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग स्वयं सक्षम है।

न्यायाधीश श्री राजेन्द्र सच्चर की अध्यक्षता के अन्तर्गत उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति, ने अपनी रिपोर्ट में, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग की विद्यमान प्रशासनिक व्यवस्था को पुनःविन्यासित करने के लिये कुछ सिफारिशें की हैं। ये सिफारिश विचाराधीन हैं, तथा कानून में संशोधन सहित, समुचित उपाय, जो आवश्यक समझे जायेंगे, यथा समय किये जायेंगे।

बडे व्यापारिक गृहों के विविध व्यय पर नियंत्रण रखने का प्रस्ताव

1220. **श्री हलीमुद्दीन अहमद :** क्या **वित्त, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बड़े व्यापारिक-गृहों द्वारा अपने कम्पनी लेखों से किये जाने वाले उनके विविध व्यय पर नियंत्रण रखने के लिये कोई कानून बनाने का विचार कर रही है क्योंकि कम्पनियों की बड़ी राशियों का दुरुपयोग होता है और इससे काली मुद्रा चलन में आती है और इससे कालाबाजारी में भी मदद मिलती है ; और

(ख) यदि नहीं, तो बड़े गृहो के विविध व्यय पर निगाह रखने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा सांस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) जहां तक बड़े व्यापारिक घरानें जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत विनिगमित कम्पनियां हैं, का सम्बन्ध है, सरकार यह विचार करती है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के साथ पठित धारा 227 में उल्लिखित उपबन्ध अधिनियम की धारा 209क के अन्तर्गत निरीक्षण की शक्तियों सहित, इस प्रकार की कम्पनियों पर प्रभावी देखभाल के निमित्त पर्याप्त हैं।

रेलगाडियों का बंद रहना

1221. **श्री मृत्युंजय प्रसाद :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर, पूर्वोत्तर तथा पूर्व रेलवे पर कौन-कौन सी गाड़ियां 1 जुलाई, 1978 से 31 अक्तूबर, 1978 की अवधि में किस तारीख से किस तारीख तक और कहां से कहां तक बंद रही तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या दिनांक 1 नवम्बर, 1978 से उपर्युक्त रेलवे जोनों में सभी गाड़ियां चालू हो गई हैं ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है तथा उनमें से कौन-कौन सी गाड़ियां कब तक चालू हो जाएंगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) । सूचना रेलों से इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

नाइजीरिया को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना

1222. **श्री राम सेवक हजारी :**
श्री कुमारी अनन्तन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने नाइजीरिया को रेलवे के कार्यकरण के बारे में तकनीकी जानकारी देने पर सहमति प्रकट की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे मे भारत को मिले ठेके की रुपरेखा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : करार के महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार है :--

(1) नाइजेरियन रेलवे कारपोरेशन के महाप्रबन्धक के स्तर सहित शीर्ष एवं मध्यवर्ती प्रबंध स्तरों पर महत्वशाली पदों पर नियुक्ति के लिए 36 विशेषज्ञों का एक प्रबंधक दल प्रतिनियुक्त किया जायेगा। दल के सदस्य भारतीय रेलों के विभिन्न विभागों से लिये गये विशेषज्ञ होंगे।

(2) प्रबंध दल की सहायता के लिए एक कृमिक दल होगा जिसमें 398 तकनीकी कार्मिक होंगे जो भारतीय रेलों के कनिष्ठ प्रबन्ध एवं तकनिकविद स्तरों से लिये गये हैं। कृतिक दल के ये सदस्य, स्थानीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ वहां की रेल प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और पुनःस्थापित करने तथा परिचारनिक कार्य-निष्पादन में सुधार लाने से संबंधित नाजुक कार्यक्षेत्रों में लगाये जायेंगे।

(3) ठेका तीन वर्षों की अवधि का होगा। इस अवधि के दौरान यह दल अपने को विभिन्न कामों पर लगायेगा और कतिपय विनिर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होगा, बशर्ते उनके लिए अभिज्ञात निवेश की निरन्तर प्राप्ति होती रहे।

यह ठेका लगभग 20 करोड़ रुपये मूल्य का है जिसमें लगभग 6 करोड़ रुपये का व्यावसायिक शुल्क भी शामिल है।

नमक की ढुलाई के लिये दक्षिण रेलवे में माल डिब्बों की कमी

1223. **श्री सी० एन० विश्वनाथन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे में नमक की ढुलाई के लिये माल डिब्बों की कमी है ;

(ख) क्या माल डिब्बों के आबंटन में उर्वरकों को प्राथमिकता दी जाती है और नमक को नहीं ; और

(ग) नमक, जो कि एक महत्वपूर्ण वस्तु है की ढुलाई के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जनवरी से अक्तूबर, 1978 के दौरान, पिछले वर्ष की इसी अवधि के 9,202 माल-डिब्बों की तुलना में नमक आयुक्त द्वारा दक्षिण रेलवे से कार्यक्रम निर्धारित खाद्य-नमक का कुल लदान 12,089 माल-डिब्बों का हुआ। इस तरह, चालू वर्ष में दक्षिण रेलवे से कार्यक्रम-निर्धारित नमक के लदान में वृद्धि हुई है। लेकिन, निम्नतर प्राथमिकता दिये जाने के कारण और दक्षिणी पत्तनों में सीमेंट तथा उर्वरकों के भारी मात्रा में आयात के फलस्वरुप, और चूंकि उन्हीं मार्गों से जिनसे नमक की ढुलाई होनी थी, इन वस्तुओं का तरजीही आधार पर लदान करना पड़ा, अतः इन वस्तुओं की मात्रा में भारी वृद्धि हो जाने के कारण, चालू वर्ष में मीटर लाइन के स्टेशनों से औद्योगिक और कार्यक्रम बाह्य नमक के लदान में कमी हुई।

(ख) जी हां, जब उर्वरकों का संचलन केन्द्रीय सरकार के लेखे पर किया जाता है।

(ग) ब्लाक रेकों में संचलन की व्यवस्था करके लदान में बढ़ोतरी सुनिश्चित करने के लिए यथेष्ट उपाय किये जा रहे हैं।

नये कुकिंग गैस संयंत्र की स्थापना

1224. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नया कुकिंग गैस संयंत्र स्थापित करने के बारे में निर्णय कर लिया है और यदि हां, तो यह संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जायेगा ;

(ख) इसके निर्माण कार्य पर कुल कितना व्यय होगा और संयंत्र कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ; और

(ग) उक्त संयंत्र से कितने उपभोक्ता लाभान्वित होंगे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) अक्टूबर, 1978 में सरकार ने प्रतिवर्ष 1,68,000 मी० टन तरल पेट्रोलियम गैस, जो कि बम्बई हाई संबद्ध गैस से प्राप्त होगी, की विपणन संबंधी सुविधाओं को जुटाने के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमि० और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमि० के एक संयुक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इन सुविधाओं में बड़े-बड़े बाटलिंग संयंत्र और बम्बई तथा हैदराबाद और बंगलोर में अन्य देहाती स्थानों पर भण्डारण क्षमता की स्थापना सम्मिलित होगी।

(ख) इस परियोजना, जिसे कार्यान्वित किया जा रहा है, पर 58.15 करोड़ रु० की लागत आने का अनुमान है और इसके वर्ष 1980-81 तक पूरा होने की आशा है।

(ग) इस परियोजना के परिणामस्वरुप देश में तरल पेट्रोलियम गैस की उपलब्धता में पर्याप्त वृद्धि हो जायेगी। परियोजना के पूरा हो जाने पर 1.14 मिलियन तरल पेट्रोलियम गैस की सप्लाई के लिए नये ग्राहकों का नाम पंजीकृत किया जायेगा।

राजधानी एक्सप्रेस में कलकत्ता से दिल्ली के लिये प्रथम श्रेणी का न होना

1225. **श्री बी० पी० मण्डल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि हावड़ा से दिल्ली के लिये राजधानी एक्सप्रेस में प्रथम श्रेणी अथवा उसके समकक्ष श्रेणी नहीं है ;

(ख) क्या संसद सदस्यों तथा प्रथम श्रेणी के अन्य यात्रियों को वातानुकूलित चेयरकारों में यात्रा करनी पड़ती है जो कि प्रथम श्रेणी से कम स्तर की हैं तथा रात की यात्रा में बहुत असुविधा होती है ; और

(ग) क्या यह उक्त असुविधाओं को महसूस करते हुए इसका सुनिश्चय करेंगे कि राजधानी एक्सप्रैस में प्रथम श्रेणी अथवा दो टियर वाले द्वितीय श्रेणी के डिब्बे भी जोड़ दिये जायें, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी, हां। हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में पांच वातानुकूल कुर्सी-यान और एक पहला दर्जा वातानुकल शयन-यान होते हैं। इनपर बढ़ी हुई दरों पर किराया लिया जाता है, जो केवल राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों पर ही लागू होता है। इस एक्सप्रेस गाड़ियों पर ही लागू होता है। इस गाड़ी में केवल विशिष्ट रूप से निर्मित यान ही लगाये जा सकते हैं। दूसरा दर्जा वातानुकूल शयन-यानों अथवा पहला दर्जा शयन यानों की विशिष्ट कोटि यदि उपलब्ध होती है तो इस उच्च-गति गाड़ी में लगा दी जाती है और हावड़ा-दिल्ली मार्ग पर इसके लिए किराया पहले दर्जे के किराये से ऊंची दर पर लिया जाता है।

(ख) और (ग) : (1) राजधानी एक्सप्रेस में यानों की अधिकतम अनुमेय संख्या लगती है और यात्री जनता द्वारा इसकी अच्छी मांग है। दूसरा दर्जा वातानुकूल शयन यान का प्रावधान वर्तमान वातानुकूल कुर्सी यानों के बदले किया जा सकता है। ऐसा करने से इस गाड़ी की यात्री वहन-क्षमता में 25 यात्रियों की कमी आ जायेगी जो कि वांछनीय नहीं है, विशेष रूप से इसलिए कि राजधानी एक्सप्रेस से यात्रा के इच्छुक यात्रियों की प्रतीक्षा सूची बहुत बड़ी होती है।

(2) नयी दिल्ली/दिल्ली-हावड़ा मार्ग पर शयन की सुविधाओं के उपयोग के इच्छुक यात्री 1 अप/2 डाउन हवड़ा-दिल्ली-कालका मेल (दैनिक गाड़ी) और वातानुकूल एक्सप्रेस (सप्ताह में 5 दिन) में लगाये गये दूसरे दर्जे के वातानुकूल शयन-यानों में सुविधापूर्वक यात्रा कर सकते हैं।

पूर्वांचल एक्सप्रेस के लियें आरक्षण प्रभार

1226. **पंडित द्वारिका नाथ तिवारी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ तथा गोरखपुर के बीच 47 अप/48 डाउन शान-ए-अवध गाड़ी तथा वाराणसी और गोरखपुर के बीच 49 अप/50 डाउन पूर्वांचल एक्सप्रेस गाड़ी के लिये आरक्षण प्रभार जून, 1976 से समाप्त कर दिये गये थे ;

(ख) क्या यह सच है कि जून, 1976 से जून, 1978 के बीच आरक्षण प्रभार अथवा सुपर फास्ट प्रभार वहीं लिया जाता था ;

(ग) पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा रेलवे बोर्ड को मंजूरी के बिना दूसरे दर्जे में 25 पैसे तथा पहले दर्जे में 1.25 रुपये का सरचार्ज लागू किया गया है ;

(घ) इस गैर-कानूनी सर-चार्ज के कारण कितना राशि वसूल की गई ;

(ङ) क्या वसूल की गई राशि जिन यात्रियों से वसूल की गई उन सब को वापस की जायेगी ; और

(च) यदि नहीं, तो सरचार्ज के रूप में वसूल की गई राशि की स्थिति क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) मूलतः, इन एक्सप्रेस गाड़ियों को सुपरफास्ट गाड़ियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था और सामान्य आरक्षण प्रभार के अतिरिक्त पहले दर्जे के लिए 5 रु० और दूसरे दर्जे के लिए 1.50 रु० का एक पूरक अधिप्रभार लगाया गया। इन गाड़ियों के प्रारम्भिक अल्प उपयोग को देखकर पूरक अधिप्रभार समाप्त कर दिया गया था लेकिन आरक्षण सुविधा की व्यवस्था उपलब्ध रहने के कारण आरक्षण प्रभार जारी रहा। चूंकि अब ये गाड़ियां अत्यन्त लोकप्रिय हो गई हैं इसलिए भारी भीड़-भाड़ को सम्हालने के लिए इन गाड़ियों को अनारक्षित गाड़ियों के रूप में परिवर्तित कर

दिये जाने के कारण बाद में, आरक्षण प्रभार भी वापस ले लिया गया। लेकिन आरक्षण प्रभारों को वापस लेने के कारण हानि को प्रतिसंतुलित करने की दृष्टि से तथा इस बात का विचार रखते हुए कि ये गाड़ियां अन्तरनगरीय प्रतिष्ठाशाली तेज एक्सप्रेस गाड़ियां है, पूर्वोत्तर रेल प्रशासन ने 25-6-1978 से दूसरे दर्जे के लिए 25 पैसे और पहले दर्जे के लिए 1.25 रु० का अधिप्रभार लगाने का विनिश्चय किया। चूंकि ऐसा अधिप्रभार लगाना प्रचलित नीति के अनुरुप नहीं है, इसलिए यह अधिप्रभार, रेल मंत्रालय के आदेशों के अधीन, 22-8-1978 से वापस ले लिया गया।

(घ) से (च) : यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और अधिप्रभार से अर्जित राशि रेलवे राजस्व के जमाखातें में डाली भी जा चुकी है। अधिप्रभार की वापस करना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि उन यात्रियों का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है जिन्होंने इन गाड़ियों के लिए टिकट खरीदा था और अधिप्रभार दिया था।

अमरावती को नागपुर-बम्बई मुख्य लाइन पर लाया जाना

1227. **श्री वन्सत साठे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरावती को नागपुर-बम्बई मुख्य लाइन पर लाने सम्बन्धी प्रस्ताव समय-सूची से बहुत पीछे चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की क्रियान्विति के लिए निर्धारित समय सूची का ब्यौरा क्या है और निर्धारित धनराशि के मुकाबले में चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ग) प्रस्ताव को शीघ्र अन्तिम रुप दिये जाने को सुनिश्चित करने और उसके द्रुत गति से क्रियान्वयन के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : अमरावती को बम्बई-नागपुर मुख्य लाइन पर लाने के लिए 1977-78 में जांच की गयी थी। इस परियोजना की लागत का अनुमान लगभग पांच करोड़ रुपये लगाया गया था और इसे अर्थक्षम नहीं पाया गया। अमरावती के लोगों की सुविधा के लिए अमरावती से विभिन्न गन्तव्य स्थानों के लिए सैक्शनल थ्रू कोच चलाने की सिफारिश की गयी थी। इस सिफारिश को स्वीकार करके मध्य रेलवे से उसके कार्यान्वयन के लिए कहा गया है।

श्रेणीहीन गाडियां

1228. **श्री शंकर सिंह जी बाघेला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे में अब तक कितनी श्रेणीहीन गाड़ियां चलाई गई हैं ;

(ख) उनका पूरा ब्यौरा बतायें ;

(ग) क्या और अधिक श्रेणीहीन गाड़ियां चलाने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : जनता/जयन्ती जनता गाड़ियों के अलावा अभी तक, केवल दूसरे दर्जे के स्थान वाली लम्बी दूरी की निम्नलिखित गाड़ियां चलायी गयी हैं :—

(1) 91/92 टाटानगर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस . . . (सप्ताह में तीन बार)
(2) 29/30 तिरुपति-हैदराबाद रायलसीमा एक्सप्रेस . . (दैनिक)
(3) 59/60 बम्बई वी टी -हावड़ा गीतांजलि एक्सप्रेस . . (सप्ताह में 4 दिन)
(4) 145/146 मद्रास-अहमदाबाद नवजीवन एक्सप्रेस . . (साप्ताहिक)
(5) 173/174 हावड़ा-जम्मूतवी हिमगिरि एक्सप्रेस . . (सप्ताह में दो बार)
(6) 19/20 भुवनेश्वर-सिकन्दराबाद कोणार्क एक्सप्रेस . . (दैनिक)
(7) 101/102 सिकन्दराबाद-बम्बई मीनार एक्सप्रेस . . (दैनिक)
(8) 135/136 मद्रास एगम्बूर-मदुरै वैगई एक्सप्रेस . . (सप्ताह में 6 दिन)
(9) 69/70 काचेगुडा-अजमेर एक्सप्रेस . . (सप्ताह में दो बार)
(10) 45/46 अहमदाबाद-भावनगर/पोरबंदर-गांधी ग्राम एक्सप्रेस . (दैनिक)

(ग) और (घ) : रेलों की यह नीति है कि भविष्य में चालू की जाने वाली लम्बी दूरी की सभी गाड़ियों में केवल दूसरे दर्जे के ही डिब्बे लगाये जायें।

कुकिंग गैस प्राप्त करने में कठिनाई

1229. **श्री हरी शंकर महाले :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों को कुकिंग गैस के कनेक्शन लेने में भारी कठिनाई हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो कुकिंग गैस की कमी दूर करने में कितना समय लगेगा और क्या यह गैस ग्रामीण क्षेत्रों में भी सप्लाई की जायेगी ; और

(ग) क्या इसकी वितरण प्रणाली में सुधार किये जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : इस समय शोधनशालाओं में इस उत्पाद के वर्तमान उत्पादन पर आधारित इस उत्पाद की उपलब्धता की अपेक्षा खाना पकाने की गैस की वर्तमान मांग कहीं अधिक है। तकनीकी असफलताओं, श्रमिक समस्याओं आदि जैसी विभिन्न बातों के कारण अथवा परिवहन समस्याओं आदि के कारण जब सप्लाई की व्यवस्था पूरी तरह से नहीं की जा सकती, इन कारणों से शोधनशाला में इस उत्पाद के उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ता है उसको छोड़ कर तरल पेट्रोलियम गैस के वर्तमान उपभोक्ताओं की सिलेण्डरों में गैस की रिफिल आवश्यकताओं को आमतौर पर पूर्णरूपेण पूरा किया जाता है। तरल पेट्रोलियम गैस की उपलब्धता की अपेक्षा इसकी बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए तेल कम्पनियों के लिए एक विशेष पैमाने पर तरल पेट्रोलियम गैस के नए कनेक्शन प्रदान करना संभव नहीं हो पाया है और इसी लिए नए गैस कनैक्शन प्राप्त करने वालों की एक बहुत बड़ी प्रतीक्षा सूची बन गयी है। खाना पकाने की गैस के संबंध में इस उत्पाद की मांग को काफी हद तक संतोषजनक ढंग से वर्ष 1980–81 से पूरा करना संभव हो सकेगा, जब बम्बई हाई गैस से तरल पेट्रोलियम गैस का उत्पादन करने के लिए विखण्डन यूनिटों के संचालन, मथुरा शोधनशाला के आरम्भ होने और कोयाली शोधनशाला में तेल साफ करने वाले गौण एककों तथा बोंगाईगांव शोधनशाला में कोकर यूनिट के काम आरम्भ करने के परिणामस्वरुप यह उत्पाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने लग जायेगा। तत्पश्चात् निम्नलिखित महत्वपूर्ण विचारधाराओं के आधार पर तेल कम्पनियों के लिए तरल पेट्रोलियम गैस के विपणन का विस्तार छोटे-छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों तक करना संभव हो सकेगा ;

(i) प्रत्याशित ग्राहक क्षमता ;

(ii) सप्लाई साधन से बाजार की दूरी ;

(iii) सुरक्षित तथा वाणिज्यिक स्वरूप के परिवहन की उपलब्धता ;

(iv) वितरण उपकरणों का अधिकतम उपयोग ; और

(v) कार्य संचालन की व्यवहार्यता।

(ग) खाना पकाने की गैस की सप्लाई के संबंध में अधिकांश समस्यायें इस उत्पाद की मांग की तुलना में इसके अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने से उत्पन्न होती हैं। खाना पकाने की गैस की सप्लाई में वर्ष 1980–81 से एक विशेष पैमाने पर वृद्धि हो जाने की आशा है। वर्तमान वितरकों की मितव्ययी और कुशल कार्य संचालन को ध्यान में रखते हुए तरल पेट्रोलियम गैस के प्रत्येक वितरक के लिए हर मास गैस से पुनः भरे सिलेण्डरों की सप्लाई करने की अधिकतम संख्या के संबंध में सीमाएं तय कर दी गयी हैं। वर्तमान बड़े-बड़े वितरकों को तदनुसार इन सीमाओं के अनुरूप बना दिया जायेगा।

कीटनाशी दवाएं बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियां

1230. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन कौन सी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा भारत में कीटनाशी दवाएं बनाई जा रही हैं ;

(ख) क्या उनमें से किसी ने अपनी क्षमता के विस्तार के लिए आवेदन पत्र दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उनके आवेदन पत्र पर भारत सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) संगठित क्षेत्र में उन कम्पनियों के नाम, जिनकी सीधे तौर पर विदेशी साम्यता 40 प्रतिशत से अधिक है और जो भारत में तकनीकी ग्रेड के पेरटीसाईड्स के निर्माण में लगी हुई हैं, निम्न प्रकार हैं :—

1. सीबा गेगी आफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई ।
2. सिनेमाइड (इंडिया) लिमिटेड, बम्बई ।
3. सन्डोज़ (इंडिया) लिमिटेड, बम्बई ।
4. चेयर (इंडिया) लिमिडेड, बम्बई ।
5. अल्काली एण्ड कमिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, कलकत्ता ।
6. यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, बम्बई ।
7. इन्डोफिल केमिकल्स आफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई ।

विदेशी साम्यता रखने वाली 40 प्रतिशत से अधिक सीधे तौर पर निम्नलिखित कम्पनियां केवल आयातित तकनीकी ग्रेड पेस्टीसाईड्स के फार्मूलेशन बना रही है :—

1. होचेस्ट फार्मास्यूटकल्स आफ इंडिया लि०, बम्बई ।
2. मौनसैन्टो कैमिकल्स आफ इण्डिया लि०, बम्बई ।
3. बी०ए०एस०एफ० इंडिया लि०, बम्बई ।

(ख) और (ग) : मैसर्स सीबा गेगी ने तकनीकी डाइजेनोन के निर्माण के लिए आवेदन दिया है । सरकार द्वारा उचित विचार के बाद इस आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दिया गया था । इस अस्वीकृति के विरुद्ध प्राप्त उनके प्रत्यावेदन को भी अस्वीकृत कर दिया गया है । वर्ष 1978 के दौरान अभी तक किसी भी कम्पनी से कोई अन्य आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।]

विदेशी औषधि फर्मों द्वारा विदेशों में धन भेजा जाना

1231. **श्री डी० अमात** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में काम कर रही विदेशी औषधि फर्मों द्वारा विदेशों में भेजी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का इन कम्पनियों द्वारा लाभ की राशि को विदेश भेजने पर रोक लगाने का विचार है; और

(ग) विदेशों में लाभ की राशि भेजने के बाद भारत में इन कम्पनियों द्वारा बनाई गई आस्तियों का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ग) : संगठित क्षेत्र में, विदेशी औषध कम्पनियों की जिनकी विदेशी साम्य पूंजी 40%से अधिक है के विषय में वर्ष 1974/1974–75, 1975/1975–76 और 1976-1977 के लिये मांगी गयी सूचना का विवरण-पत्र संलग्न है ।

(ख) उद्योगों के भी क्षेत्रों में ऐसी सभी विदेशी कम्पनियों को लाभ आदि अपने देश में भेजने की अनुमति कानूनी नियमन व्यवस्थाओं के अनुसार दी जाती है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—2882/78]

टंका पानी में यात्री गाड़ी का हाल्ट

1232. **श्री एन्यू साहूं** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे में हमीस टंकार रोड (उड़ीसा बोलन-गोर) के निकट वाल्टेयर और रायपुर के बीच टंका पानी में यात्री गाड़ी का नया हाल्ट खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) दक्षिण-पूर्व रेलवे द्वारा इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है और यथा-शीघ्र कोई निर्णय लिया जायेगा ।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा डिटरजेन्ट बनाने के लिये पाउलाइनर एलकोहल बेन्जीन का उत्पादन

1233. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ने डिटरजेन्ट बनाने के लिये लाइनर एल्काइल बेन्जीन नामक एक नई सामग्री का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या छोटे पैमाने पर डिटरजेन्ट बनाने के लिये पूरी तरह इस नई सामग्री का प्रयोग करने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), और (ख) : जी नहीं । तथापि इण्डियन पेट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लि० को मैसर्स यूनिवर्सल आयल प्रोडक्टस, यू० एस० ए० से प्रोसेस जानकारी पर आधारित लाइनर एलकाइल बेन्जीन के 30,000 टन प्रतिवर्ष निर्माण के लिए लाइसेंस दिया गया है और इसके शीघ्र ही उत्पादन आरम्भ करने की संभावना है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

महाराष्ट्र में नया उर्वरक कम्पलेक्स

1234. **श्री ए० बाला पजनौर** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में नया उर्वरक कम्पलेक्स स्थापित करने के बारे में स्थान के सम्बन्ध में किये गये अन्तिम निर्णय का ब्यौरा क्या है ;

(ख) परियोजना की अनुमामित लागत क्या होगी और निर्णय करने में लम्बे समय के विलम्ब के कारण लागत में कितनी वृद्धि हो जायेगी ; और

(ग) क्या प्रस्तावित स्थान पर प्रदूषण कठिनाइयों को कम करने का ध्यान रखा गया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) सरकार द्वारा महाराष्ट्र में जिला कोलाबा में थल-वैशट नामक स्थान पर उर्वरक उद्योग-समूह (कम्पलैक्स) की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है ।

(ख) परियोजना पर अब लगभग 570 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है जबकि नवम्बर 1977 में 491.35 करोड़ रुपयों का अस्थायी रूप में लागत अनुमान लगाया गया था । अधिक यूरिया क्षमता, घरेलु उपयोग के लिए अधिक बिजली उत्पादन क्षमता, निस्त्राव शोधन तथा वातावरण संबंधी विकास कार्य के लिए विस्तृत प्रबन्ध और समय के अभाव के कारण उपकरणों तथा संयंत्रों के मूल्यों में वृद्धि ही मुख्यतः लागत वृद्धि के कारण हैं ।

(ग) जी, हां । प्रदूषण को कम सें कम करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे ।

कुछ उपक्रमों के विरुद्ध एकाधिकार एवं निर्बन्धात्मक व्यापार पद्धति आयोग द्वारा आरम्भ की गई जांच

1235. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार एवं निर्बन्धात्मक व्यापार पद्धति अधिनियम की धारा 27(1) के अधीन कुछ उपक्रमों के बारे में एकाधिकार एवं निर्बन्धात्मक व्यापार पद्धति आयोग द्वारा प्रारम्भ की गई जांच, जो कुछ समय पहले रोक दी गई थी, अब पुनः शुरू कर दी गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चुन्दर) : (क) केन्द्रीय सरकार ने एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 27(1) के अन्तर्गत, एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग को दिनांक 2 दिसम्बर, 1975 को एक संदर्भ निम्नांकित तीन कम्पनियों की बाबत दिया गया था :—

(1) आंध्र प्रभा प्राइवेट लि० विजयवाड़ा

(2) इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स (बम्बई) प्रा० लि० बम्बई

(3) इंडियन एक्सप्रेस (मदुराई) प्रा० लि०, मदुराई

इन कम्पनियों से प्राप्त एक अभ्यावेदन पर इस विषय पर विधि कार्य विभाग के परामर्श से पुनः विचार किया गया था, तथा मामले के सभी तथ्यों व परिस्थितियों पर सावधानी पूर्वक विचार करने के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार ने अपने दिनांक 9 दिसम्बर, 1977 के आदेश के अनुसार मूल संदर्भ को अपखंडित करने का निर्णय किया। कथित आदेश जो स्वयं साक्षी है, की एक प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(ख) सरकार द्वारा अपखंडित किये गये संदर्भ की दृष्टि से, एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग द्वारा पुनः जांच प्रारंभ करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2832/78]

जयपुर-टोडारायसिंह लाइन का बढ़ाया जाना

1236. **श्री राम कंवर बेरवा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर टोडारायसिंह रेलवे लाइन को कोटा और चित्तौड़ तक बढ़ाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रेलवे लाइन पर देवली कस्बा, देवली छावनी या केकड़ी को मंडी आदि स्टेशनों के बन जाने से यात्रियों को सुविधा मिलने के साथ-साथ रेलवे आय में वृद्धि होगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्णय और आवश्यक सर्वेक्षण कब तक किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा स्थित तेल शोधक कारखाने के निर्माण कार्य में हुई प्रगति

1237. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मथुरा स्थित तेल शोधक कारखाने के निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इसमें तेल शोधन का कार्य कब से प्रारम्भ हो जायेगा और इसके कार्यकरण के प्रथम चरण के दौरान तेल की कितनी मात्रा प्रति माह शोधित की जायेगी ;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ पाइप लाइन बिछाने का कार्य शुरू हो चुका है और यदि हां, तो यह कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(ग) इस तेल शोधक कारखाने के कारण यमुना नदी के पानी तथा ताजमहल को किसी क्षति से बचाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) अक्तूबर, 1978 तक मथुरा शोधनशाला के निर्माण कार्य में 49% प्रगति हुई है और 1980 के शुरू शुरू में इसको संचालित करने का कार्यक्रम है। परन्तु मजदूर अशान्ति, बाढ़ और रुस के सप्लाई करने वालों से कुछ सामग्रियों को देरी से भेजने के कारण कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और परियोजना निर्धारण पर इनके प्रभाव का मूल्यांकन किया जा रहा है। शोधनशाला को आरंभ करने से 0.5 मि० मी० टन प्रतिमाह की औसत पर 6 एम० टी० पी० ए० कच्चे तेल का शोधन करने की आशा की जाती है।

(ख) मथुरा शोधनशाला की तेल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विरमगम और मथूरा के बीच कच्चे तेल की पाइपलाइन को जोड़ने वाली पाइपलाइन का इस समय निर्माण किया जा रहा है और इस पाइपलाइन के निर्माण संबंधी कार्यक्रम को मार्च, 1980 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) तरल निस्सारों को साफ करने के लिए शोधनशाला के एक भाग के रूप में निस्सारों को साफ करने का संयंत्र स्थापित किया जा रहा है ताकि राज्य सरकारों और आई० एस० आई० द्वारा निर्धारित कोटि विनियमन को पूरा किया जा सके। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में मथुरा शोधनशाला के पर्यावरण प्रभाव के प्रतिकूल उठी आशंकाओं को देखते हुए शोधनशाला प्रदूषण प्रभाव को नितांत रूप से न्यूनतम करने के लिए प्रायोजना प्राधिकारियों को किये जाने वाले

उपायों के बारे में सलाह देने और पेट्रोलियम मंत्रालय को अन्य गौण तथा डाउनस्ट्रीम उद्योगों के प्रदूषणों पहलूओं के बारे में सलाह देने के लिए सरकार ने जुलाई 1974 में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की। इस समिति की रिपोर्ट, जिसे संसद के दोनों सदनों में 14-8-1978 को प्रस्तुत किया गया था, इस समय सरकार के विचाराधीन है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में भूकम्पीय सर्वेक्षण

1238. **श्री समर मुखर्जी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने पश्चिम बंगाल में तेल निक्षेपों का पता लगाने के लिये वर्ष 1969 से 1975 तक 5½ वर्ष से भी अधिक समय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) भूकम्पीय सर्वेक्षण का कार्य एक लगातार चलने वाला काम है और इसे सामरिक आवश्यकताओं के अनुसार निष्पादित किया जाता है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में वर्ष 1961–62 में भूकम्पीय सर्वेक्षण आरम्भ किए गये थे और हाइड्रोकार्बन के लिए उपयुक्त संरचनाओं का पता लगाने की दृष्टि से पश्चिम बंगाल के विभिन्न भागों में अद्यतन उत्कृष्ट उपकरणों की सहायता से इस समय भी इन सर्वेक्षणों का कार्य चल रहा है।

मैसर्स पोरिट्स एंड स्पेन्सर (एशिया) लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच

1239. **श्री अनन्त दवे :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने मैसर्स पोरिट्स एंड स्पेन्सर (एशिया) लिमिटेड, फरीदाबाद के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच कर ली है ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त कम्पनी के निदेशक मंडल में निदेशकों को बार बार बदला गया, जैसा कि गत पांच वर्षों के वार्षिक प्रतिवेदनों में दर्शाया गया है, और ऐसा बिना सरकार की स्वीकृति के किया गया ; और

(ग) यदि हां, तो कम्पनी द्वारा मनमाने ढंग से किये गये कार्य के लिए उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चुन्दर) : (क) से (ग) यह समझा जाता है कि माननीय सदस्य कम्पनी रजिस्ट्रार के पास दायर किए जाने वाले वार्षिक विवरण की ओर संकेत कर रहे हैं। पिछले पांच वर्षों के वार्षिक विवरण से ऐसा लगता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल में परिवर्तन हुए हैं। पर सामान्य तथा निदेशक एक कम्पनी के वार्षिक साधारण सभा में अंशधारियों द्वारा चुने जाते हैं और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता तभी होती है जब नियुक्त होने वाला व्यक्ति एक पब्लिक कम्पनी या एक प्राइवेट कम्पनी का, जो किसी पब्लिक कम्पनी की सहायक हो, प्रबन्ध निदेशक/पूर्ण कालिक निदेशक हो या बैठक की फीस के अलावा उसे किसी प्रकार का पारिश्रमिक दिया जाने वाला हो। तथापि निश्चित व्यक्तियों की इस कम्पनी में पूर्ण कालिक निदेशक/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति का समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की सम्बन्धित धाराओं के अन्तर्गत अनुमोदन किया गया है।

मतदान आयु

1240. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने पंचायतों तथा स्थानीय निकायों के निर्वाचन के लिये मतदान आयु कम कर दी है ; और

(ख) अन्य देशों में मतदान आयु की क्या स्थिति है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, केरल, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश ने पंचायत निर्वाचनों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी है और गुजरात, केरल तथा राजस्थान ने नगर निगमों/नगरपालिकाओं के निर्वाचनों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी है।

(ख) उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

विभिन्न देशों में न्यूनतम मतदान आयु दर्शाने वाला विवरण

देश	आयु
अर्जेन्टाइना	18 वर्ष
आस्ट्रेलिया	18 वर्ष
आस्ट्रिया	19 वर्ष
बंगला देश	18 वर्ष
बेल्जियम	21 वर्ष
ब्राजील	18 वर्ष
बुल्गारिया	18 वर्ष
कैमरून	21 वर्ष
कनाडा	18 वर्ष
कोस्टारिका	18 वर्ष
चेकोस्लोवाकिया	18 वर्ष
डेनमार्क	20 वर्ष
फिजी	21 वर्ष
फिनलैंड	18 वर्ष
फ्रांस	18 वर्ष
जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य	18 वर्ष
जर्मन संघीय गणराज्य	18 वर्ष
हंगरी	18 वर्ष
भारत	21 वर्ष
आयरलैंड डल आयरान	18 वर्ष
सीनेट	21 वर्ष
इजराइल	18 वर्ष
इटली	
चेम्बर आफ डिपुटीज	21 वर्ष
सीनेट	25 वर्ष
आइवरी कोस्ट	21 वर्ष
जापान	20 वर्ष
जार्डन	20 वर्ष
कुवैत	21 वर्ष
लिचिस्तीन	20 वर्ष
मलावी	21 वर्ष
मलेशिया	21 वर्ष
माल्टा	21 वर्ष
मोनक्को	21 वर्ष
न्यूजीलैंड	20 वर्ष
नार्वे	20 वर्ष
नीदरलैंडस	18 वर्ष

देश	आयु
पाकिस्तान	18 वर्ष
पोलैंड	18 वर्ष
कोरिया गणराज्य	20 वर्ष
रोमानिया	18 वर्ष
सेनेगल	21 वर्ष
सीरिया लियोन	21 वर्ष
दक्षिण अफ्रीका	18 वर्ष
स्पेन	
नियोजकों और कर्मकारों के संगठनों के प्रतिनिधि	21 वर्ष
स्थानीय प्रशासनों के प्रतिनिधि	23 वर्ष
परिवार के प्रतिनिधि	†21 वर्ष
	†स्वतंत्र अवयस्कों के लिए आयु सीमा घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है।
वैज्ञानिक संस्थानों के प्रतिनिधि	21 वर्ष
एसोसिएशनों, महाविद्यालयों और चम्बरों के प्रतिनिधि	21 वर्ष
श्री लंका	18 वर्ष
स्वीडन	18 वर्ष
स्विट्जरलैंड@	20 वर्ष
	@यह जानकारी नेशनल काउंसिल को लागू है। काउंसिल आफ स्टेट्स के लिये निर्वाचकों की योग्यता प्रत्येक कैंण्टन द्वारा अवधारित की जाती है।
सीरियाई अरब गणराज्य	18 वर्ष
ट्यूनिशिया	20 वर्ष
सयुक्त सोवियत समाजवादी गणराज्य	18 वर्ष
यूनाइटेड किंगडम	18 वर्ष
संयुक्त राज्य अमरिका	18 वर्ष
वियतनाम	18 वर्ष
जायरे	18 वर्ष
जाम्बिया	18 वर्ष

मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में सुरक्षित रेल यात्रा के उपायों पर विचार

1241. **श्री उग्रसेन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में हाल ही में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में सुरक्षित तथा अधिक निरापद रेल यात्रा सुनिश्चित करने के लिये पुलिस संरक्षण बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में इस बारे में क्या निष्कर्ष निकले ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) । नयी दिल्ली में, हाल ही में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में रेल-यात्रा अधिक सुरक्षित सुनिश्चित करने के विषय पर विचार-विमर्श किया गया था। सम्मेलन में विचार-विमर्श के दौरान निम्नलिखित विचार व्यक्त किये गये :—

(i) सरकारी रेलवे पुलिस की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए।

(ii) रेलपथ के साथ छेड़-छाड़ करने और गाड़ियों में अपराधों को रोकने के लिए कृपाल सिंह समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाना चाहिए ; और

(iii) रेलवे सुरक्षा दल को पुलिस अधिकार देने पर राज्यों को विचार करना चाहिए।

रेलवे बोर्ड में 'स्टाफ डीलिंग' शाखाओं में अधिकारी एवं सहायक

1242. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड में उन अधिकारियों एवं सहायकों के, अनुभाग-वार, नाम क्या हैं जो 'स्टाफ डीलिंग' तथा 'पब्लिक डीलिंग' अनुभागों में लगातार पांच वर्षों से अधिक समय से पदासीन हैं ;

(ख) क्या एक ही अनुभाग में लम्बी अवधि तक पद स्थापित होने के कारण कर्मचारियों को न्याय नहीं मिल पाता है और अधिकारी मनमानी करते हैं ;

(ग) क्या ऐसे कोई प्रावधान है कि किसी कर्मचारी को एक ही अनुभाग में पांच वर्षों से अधिक समय तक न रहने दिया जाये क्योंकि एक ही स्थान पर रहने से एकाधिकार की प्रवृत्तियां पनपती हैं ;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) और (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार का विचार ऐसे सहायकों और अधिकारियों का स्थानान्तरण करने का है जो एक ही अनुभाग में पांच वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं ;

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके विस्तृत कारण क्या है ; और

(च) क्या इतनी लम्बी अवधि तक लगातार ऐसे महत्व पूर्ण अनुभागों में सहायकों और अधिकारियों का बना रहना वांछनीय है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जन सेवा संगठन के रूप में भारतीय रेलों के संचालन पर नजर रखते हुए, मंत्रालय के रूप में रेलवे बोर्ड के सभी अनुभाग कर्मचारियों के मामलों से सम्बन्धित विषयों तथा जनता के हित से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित विषयों पर भी कार्रवाई करते हैं। जिन अनुभाग अधिकारियों/सहायकों ने अनुभाग विशेष में पांच वर्ष या उससे अधिक काम किया है उनकी सूची अनुबन्ध 'क' और 'ख' में दी गयी है।

(ख) किसी भी व्यक्ति को न्याय न मिलने का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि समग्र वरिष्ठता के आधार पर और प्रत्येक अपनी सेवा के सांविधिक नियमों के अनुसार प्रत्येक संवर्ग में पदोन्नति निर्धारित की गयी है। इस केन्द्रीकृत संगठन में जहां स्थापना से सम्बन्धित सभी मामले सचिव, रेलवे बोर्ड, बोर्ड के सदस्यों और मंत्रियों के नियंत्रण में हैं, अधिकारी विशेष द्वारा मनमाने ढंग से कार्य करने का प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) से (च) : ऐसे कोई प्रशासनिक अनुदेश नहीं हैं कि किसी भी कर्मचारी को उसी अनुभाग में 5 वर्ष से अधिक कार्य नहीं करना चाहिए लेकिन, इस सम्बन्ध में कर्मचारियों की ओर से हाल की कार्यालय परिषद की बैठक में दिए गये सुझाव को देखते हुए यह विनिश्चय किया गया है कि प्रशासनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना कर्मचारियों को दूसरी शाखाओं में हस्तान्तरण के अनुरोध पर विचार किया जाए।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2884/78)

पश्चिम बंगाल में रेल परियोजनाओं की क्रियान्विति

1243. **श्री रुडोल्फ रोड्रिग्स** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में हाल की बाढ़ द्वारा हुई क्षति के कारण रेल परियोजनाओं को क्रियान्विति अथवा उनके कार्यक्रमों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा ; और

(ख) पश्चिम बंगाल में बाढ़ के दुष्प्रभाव दूर करने के लिए क्या उपचारात्मक कार्य किए जाने हैं अथवा किए जा चुके हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) परियोजनाओं के अंतिम रूप से पूरे होने की तारीखों पर पश्चिम बंगाल में आयी हाल की बाढ़ों का प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बर्ड एण्ड कम्पनी के निदेशक बोर्ड द्वारा धनराशि का कथित दुरुपयोग

1244. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड के कर्मचारियों से कम्पनी क निदेशक बोर्ड द्वारा शक्ति तथा कम्पनी निधि का दुरुपयोग करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इस कम्पनी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पर्याप्त धनराशि कम्पनी के शेयरों में रुकी पड़ी है और यदि हां, तो इन शेयरों को बाजार में बेच कर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) विभाग, में बर्ड समूह की कम्पनियों के कर्मचारियों द्वारा लिखे होने के अभिप्राय युक्त दिनांक 28 दिसम्बर, 1977 का एक हस्ताक्षर रहित पत्र प्राप्त हुआ है।

(ख) तथा (ग) : सेविंग्स न्यास के पास बर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड के साम्य हिस्सों का 49.8 प्रतिशत भाग है। सेविंग्स न्यास के पास, 31 मार्च, 1978 तक, अनुमानित देयताएं 3 लाख रु० की पैंशनरों द्वारा जमा किये गये धन सहित 58.08 लाख रु० की हैं। सेविंग्स न्यास द्वारा धारित हिस्सों की बिक्री सम्बन्धी विषय, कलकत्ता उच्च न्यायालय के पास अनिर्णीत है।

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में हरिजनों और आदिवासियों की नियुक्ति

1245. **श्री एच० एल० पी० सिन्हा** : क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में कितने हरिजनों, आदिवासियों तथा पिछड़ी जातियों के अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति की गई ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : जातिवार सूचियां नहीं रखी जा रही हैं अतः पटना उच्च न्यायालय में पिछड़ी जातियों के आसीन न्यायाधीशों के बारे में या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के उन व्यक्तियों की संख्या के बारे में जो विगत काल में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे, जानकारी देना संभव नहीं है। पटना उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उस उच्च न्यायालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई आसीन न्यायाधीश नहीं है।

उच्च न्यायालयों और न्यायिक आयुक्तों के न्यायालयों में लम्बित भूमि की अधिकतम सीमा से सम्बन्धित रिट याचिकाएं

1246. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **विधी, न्याय और कम्नी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1978 के अन्त तक विभिन्न उच्च न्यायालयों और न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में भूमि की अधिकतम सीमा और संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन अन्य भूमि सुधार विधियों से सम्बन्धित कितनी रिट याचिकाएं लम्बित थी ;

(ख) ये रिट याचिकाएं कब से लम्बित हैं ; और

(ग) इन मामलों को शीघ्रता से निपटाने क लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : सितम्बर, 1978 के अन्त में जो स्थिति थी उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। 30-6-1978 की स्थिति की जानकारी संलग्न विवरण में दे दी गई है।

(ग) बकाया मामलों को निपटाने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई है, अर्थात्

(i) उन उच्च न्यायालयों में जिनके संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए थे न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी गई है। यह वृद्धि निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में उन तारीखों से की गई है जिन तारीखों को वे पद भरे जाएंगे :—

उच्च न्यायालय का नाम	वृद्धि	
	स्थायी	अपर
इलाहाबाद	..	9
मध्य प्रदेश	..	6
कर्नाटक	1	5
हिमाचल प्रदेश	..	2
पटना	..	3
राजस्थान	..	1
दिल्ली	..	4
कुल	1,	30

(ii) उच्च न्यायालयों में काफी रिक्त स्थानों को भर दिया गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य प्राधिकारियों/मुख्य न्यायाधिपतियों से प्रस्ताव मांगने के लिए पहल की गई है और जहां आवश्यक था, सम्बद्ध राज्य प्राधिकारियों/मुख्य न्यायाधिपतियों को स्मरणपत्र भेजे गए हैं। 1 अप्रैल, 1977 से 25 नवम्बर, 1978 तक की अवधि में 90 नई नियुक्तियां की गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 224क के अधीन तीन तदर्थ न्यायाधीश भी नियुक्त किए गए हैं।

(iii) विधि आयोग से बकाया मामलों की आम समस्या सुलझाने के लिए उचित उपाय बताने का अनुरोध किया गया है। आयोग इस विषय पर विचार कर रहा है।

(iv) विभिन्न राज्यों की विधिज्ञ परिषदों और बार एसोसिएशनों को पत्र भेजे गए हैं जिनमें उनसे यह अनुरोध किया गया है कि वे मामलों को शीघ्र निपटाने के कार्य में अपना सहयोग दें और उसके लिए अपने सुझाव भी दें।

विवरण

संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन अधिकतम भूमि सीमा और भूमि सुधार विधि से संबंधित रिट पिटीशनें जो 30-6-1978 को विभिन्न उच्च न्यायालयों और न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में लम्बित थीं

उच्च न्यायालय का नाम	निम्नलिखित वर्षों में लंबित रिट पिटीशनों की संख्या						लंबित रिट पिटीशनों की कुल संख्या
	1 वर्ष से कम	1—2 वर्ष	2—3 वर्ष	3—4 वर्ष	4—5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8
इलाहाबाद	790	2580	737	619	25	17	4768
आंध्र प्रदेश	70	4	..	..	..	..	74
मुम्बई	661	1170	701	901	924	1049	5406
कलकत्ता	..	..	..	..	..	..	..
दिल्ली	21	1	5	3	1	10	41
गोहाटी	16	53	25	21	6	4	125
गुजरात	376	250	184	9	4	4	827

विवरण—जारी

1	2	3	4	5	6	7	8
हिमाचल प्रदेश . .	23	3	21	12	13	11	83
जम्मू कश्मीर .	16	12	8	5	..	..	41
कर्नाटक . . .	4190	4131	2064	1005	..	..	11390
केरल . . .	173	118	101	38	4	..	434
मध्य प्रदेश . . .	..	4	..	..	..	..	4
मद्रास . . .	80	24	23	15	17	12	171
उड़ीसा . .	29	180	54	19	49	..	331
पटना . . .	712	167	67	63	35	62	1106
पंजाब और हरियाणा . .	421	73	64	138	113	290	1099
राजस्थान . . .	126	174	414	178	155	208	1255
सिक्किम . . .	..	..	..	..	..	..	..
कुल .	7704	8944	4468	3026	1346	1667	27155
न्यायिक आयुक्त का न्यायालय, गोवा, दमन और दीव।	..	..	..	..	..	..	..

रेलवे विद्युतीकरण कार्य की प्रगति

1247. **श्री ओ० वी० अलगेशन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड की नियंत्रक समिति ने जिसकी बैठक विभिन्न रेलवे जोनों पर रेलवे विद्युतीकरण के कार्यों की प्रगति की समीक्षा तथा नई विद्युतीकरण की योजनाओं के लिए प्राथमिकता तय करने के लिए 1972 में हुई थी, अन्य बातों के साथ-साथ निम्न का अनुमोदन किया था :—दक्षिण में (एक) अरकोणम-जोलारपेट्टई-बंगलौर और जोलारपेट्टई-इरोड़ (487 किलोमीटर मार्ग) (दो) मद्रास-अरकोणम-गुंटकल-होस्पेट (564 किलोमीटर मार्ग) सेक्शन;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड द्वारा भारतीय रेलवे में डीजल और बिजली से चलने वाली गाड़ियों के प्रश्न के अध्ययन के लिए 1978 में नियुक्त की गई राज समिति ने सिफारिश की थी कि उपरोक्त दो सेक्शनों को छोड़कर शेष उन सब का विद्युतीकरण कर दिया जाए जिनका अनुमोदन रेलवे बोर्ड ने किया था; और

(ग) क्या सरकार उपरोक्त दोनों सेक्शनों को विद्युतीकरण के लिए सम्मिलित करेगी, क्योंकि दक्षिण क्षेत्र कोयलाक्षेत्र आदि से सबसे अधिक दूर है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण)। (क) नियंत्रक समिति ने, भारतीय रेलों के अन्य खंडों के साथ-साथ मद्रास-अरकोणम-जोलारपेट्टे खंड, जो आरकोणम-जोलारपेट्टे-बेंगलूरु और जोलार पेट्टै-ईरोड खंडों का एक भाग है, के विद्युतीकरण की सिफारिश की है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं। फिलहाल इन खंडों पर यातायात का घनत्व इतना अधिक नहीं है जो विद्युतीकरण को अर्थ-क्षम बना सके और वर्तमान लागतों पर विद्युतीकरण के लिए अर्हक हो।

दिल्ली और बम्बई के बीच नई रेलगाड़ियां चलाने का प्रस्ताव

1248. **श्री राघवजी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे पर दिल्ली और बम्बई के बीच एक अन्य सीधी गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो जनता की प्रबल मांग और आवश्यकता को देखते हुए यह रेलगाड़ी कब तक चलाई जाएगी ; और

(ग) वर्तमान में इस मार्ग पर कितनी सीधी गाड़ियां चलाई जा रही हैं और इनमें कब से कोई वृद्धि नहीं की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : 30 वर्ष से अधिक समय से, भोपाल के रास्ते बंबई वी० टी० / दादर और दिल्ली के बीच दो सीधी गाड़ियां चल रही हैं। इन दो स्थानों के बीच, थ्रू यातायात के लिए अतिरिक्त गाड़ियां वड़ोदरा के मार्ग से चलायी गयी हैं। इसके अलावा, रेलों ने इस मार्ग पर 115/116 बंबई-लखनऊ एक्सप्रेस, 137/138 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, 201/202 बंबई-मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस और 149/150 निजामुद्दीन-जबलपुर कुतब एक्सप्रेस गाड़ियों को भी चालू किया हुआ है। यातायात के विभिन्न वर्गों को अलग-अलग करके और स्वतंत्र तेज गाड़ियों द्वारा उनकी निकासी करके तथा 5/6 पंजाब मेल और 57/58 दादर-अमृतसर एक्सप्रेस गाड़ियों में लगने वाले खण्डीय थ्रू यानों को हटाकर, वर्षों की अवधि में इस मार्ग पर हुए यातायात के विकास को सम्हाल पाना संभव हुआ है। इस मार्ग पर यात्रियों की सुविधा के लिए अब शीघ्र ही 59/60 नयी दिल्ली-जम्मूतवी एक्सप्रेस गाड़ियों को पुणे से/तक विस्तार करने का विचार है।

आदिवासी पिछड़े क्षेत्रों में रेल लाइनें बिछाना

1249. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी पिछड़े क्षेत्रों में चालू वर्ष के दौरान नई रेल लाइनें बिछाने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां तो ये लाइनें कहां-कहां बिछाई जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूरक मांग 1978-79 द्वारा निम्नलिखित 6 नयी रेल लाइनों का निर्माण शुरू करने के लिये संसद का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव किया गया है :

क्रम सं०	लाइन का नाम	सेवित राज्य	कि०मी० में लम्बाई	लागत (करोड़ रुपयों में)
1.	गुवहाटी-बरनीहाट (ब० ला०) . .	आसाम/मेघालय	28.21	8.20
2.	धर्मनगर-कुमारघाट (मी० ला०) . .	त्रिपुरा	33.60	9.67
3.	सिलचर-जिरिबाम (मी० ला०) . . .	आसाम/मनीपुर	50.36	12.13
4.	बालीपारा-भालुकपोग (मी० ला०) . .	आसाम/अरुणाचल	33.45	4.70
5.	आनगुरी-तुलि (मी० ला०) . . .	आसाम/नागालैंड	17.07	4.83
6.	लालाघाट-भैराबि (मी० ला०) . . .	आसाम/मिजोरम	48.77	10.76
		जोड़ .		50.29

पिछड़े और जन जाति क्षेत्रों में निम्नलिखित रेल लाइनों का निर्माण कार्य हाथ में है :—

1. गुजरात में नाडियाड-कापड़गंज-मोदासा
2. उड़ीसा में जखापुरा-बांसपानी
3. महाराष्ट्र में वानी-चनाका
4. आन्ध्र प्रदेश में नाडिकुडे-बीबीनगर
5. उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में करेला रोड-जयन्त
6. आन्ध्र प्रदेश में भद्राचलम-मानुगुरू ।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम वर्कस एसोसियेशन, देहरादून द्वारा ज्ञापन

1250. **श्री रेणुपद दास** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम वर्कर्स एसोसिऐशन, देहरादून से 14 सूत्री मांग पत्र के बारे में 21 सितम्बर, 1978 को ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां। दिनांक 26-8-1978 को मंत्रालय में इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम वर्कर्स एसोसियेशन द्वारा 14 मांगों से युक्त दिनांक 14-8-1978 के ज्ञापन की एक प्रति प्राप्त हुई थी ।

(ख) इन 14 प्वाइंटों पर सितम्बर, 1978 मे आई० आई० पी० वर्कर्स एसोसिऐशन के प्रतिनिधियों के साथ आई० आई० पी० द्वारा चर्चा की गई थी और सौहार्दपूर्ण हल निकाले गये थे ।

कोंकण पश्चिम तट रेलवे

1251. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या रेल मंत्री कोंकण पश्चिम तट रेलवे के कार्य की प्रगति के बारे में 25 जुलाई 1978 के तारांकित प्रश्न सं० 1257 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण पश्चिम तट रेलवे का निर्माण कार्य इस बीच मे शुरू हो गया है;

(ख) क्या इस परियोजना के लिए भूमि देने और अन्य प्रकार के सहयोग करने के लिए सम्बद्ध राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ;

(ग) और इस रेल परियोजना में किस दिशा को अपनाया गया है; उसमें कौन-कौन से क्षेत्र आयेंगे ;

(घ) इस परियोजना की विभिन्न चरणों को पूरा करने के लक्ष्य की तारीखें निश्चित की गयी हैं; और

(ड.) इन तारीखों को किस आधार पर निर्धारित किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) से (ड.) : आप्ता और मंगलूर के बीच वेस्ट कोस्ट कोंकण रेलवे लाइन के निर्माण के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है । यह लाइन 890 किलोमीटर लम्बी होगी और इस पर लगभग 239 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है । 62 कि० मी० लम्बे आप्ता से रोहा तक, इस परियोजना के पहले चरण के निर्माण का अनुमोदन किया गया था और उसे 1978–79 के बजट मे शामिल कर लिया गया था । 9 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले पहले चरण का निर्माण कार्य शुरू किया गया है और 1978–79 में इसके लिए 1 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है । इस परियोजना के लिए महाराष्ट्र सरकार मुफ्त जमीन देने के लिए सहमत हो गयी है । यदि पर्याप्त धन आबंटित किया गया तो आशा है कि पहले चरण का काम तीन वर्ष में पूरा हो जायेगा । इस परियोजना के शेष भाग के लिए, अभी तक, कोई निश्चित तिथि निर्धारित नहीं की गयी है ।

कम्पनियों के प्रबन्धकों को देय वेतन

1252. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत विनियमित होने वाली कम्पानयों को कहा है कि वे अपने प्रबन्धकों को प्रति वर्ष एक अधिकतम वेतन का भुगतान करें ;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें इस अधिकतम सीमा के अन्तर्गत लाया गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) : केन्द्रीय सरकार ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों तक उन प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों जो पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की सहायक कम्पनियां हैं, के प्रबन्ध/पूर्णकालिक निदेशकों/प्रबन्धकों के पारिश्रमिक पर सीमाओं को कम करती हुई प्रशासनिक निदेशिकायें निर्गमित कर दी हैं । इन निदेशिकाओं के अन्तर्गत, ऊपर बताये गये प्रबन्ध कार्मिको का एक से अधिक कम्पनियों से मिलाकर, कम्पनी अधिनियम, 1956 में निर्दिष्ट वैधानिक सीमा के अधीन मिलने वाले वेतन की अधिकतम सीमा 72,000 रुपयें प्रतिवर्ष तय की गई है । इसमें कमीशन, बोनस, महंगाई भत्ता और अन्य सभी तयशुदा भत्ते शामिल हैं ।

रेलवे विभाग में हिन्दी में किया जा रहा कार्य

1253. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) रेलवे विभाग में कितने प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है ;

(ख) रेलवे बोर्ड में हिन्दी का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों का अनुपात क्या है और उसमें वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) पत्र-व्यवहार किस भाषा में किया जा रहा है; और

(घ) हिन्दी में पत्र-व्यवहार न करने के क्या कारण हैं और कितने उच्च अधिकारी हिन्दी में काम कर सकते हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) बड़े रेलवे विभागों अर्थात् क्षेत्रीय रेलों तथा उत्पादन कारखानों में हिन्दी में किये जा रहे काम की प्रतिशत नीचे दिया गया है :--

रेलवे/उत्पादन कारखाना	औसत प्रतिशत
मध्य	72.0
पूर्व	41.4
उत्तर	60.0
पूर्वोत्तर	92.7
पूर्वोत्तर सीमा	54.1
दक्षिण	कुछ नहीं
दक्षिण मध्य	46.0
दक्षिण पूर्व	55.5
पश्चिम	65.5
चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना	38.4
डीजल रेल इंजन कारखाना	50.0
सवारी डिब्बा कारखाना	कुछ नहीं

(ख) रेलवे बोर्ड में हिन्दी जानने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत 87.0 है। इस प्रकार यह अनुपात 8.7 : 10 बनता है। राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत जब कभी कक्षाएं चलायी जाती है तो उनमें हिन्दी प्रशिक्षण के लिए काफी संख्या में कर्मचारियों को नामित किया जाता है ।

(ग) हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अधिकतर हिन्दी में दिया जाता है। इस समय 30 प्रतिशत तक पत्राचार हिन्दी में किया जा रहा है ।

(घ) 231 उच्च अधिकारियों में से कवल 43 अधिकारी ऐसे हैं जो अपना काम हिन्दी में कर सकते हैं। लेकिन उनका काम तकनीकी होने के कारण इस समय अधिक पत्राचार हिन्दी में नहीं किया जा रहा है ।

कम्पनियों के कार्यकारी अधिकारियों की उपलब्धियों की सीमा निर्धारित करना

1254. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम्पनियों के कार्यकारी अधिकारियों की उपलब्धियों और परिलब्धियों की अधिकतम सीमा तक कम करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि यदि परिलब्धियां पर्याप्त न हुई तो प्रतिभावन प्रबन्धकों के मामले में प्रतिभा पलायन की संभावना है; और

(ग) क्या इस से कम्पनियों के प्रबन्ध को व्यवसायात्मक बनाने की सरकार की नीति पर विपरित प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों और उन प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियो के, जो पब्लिक लिमिटेड कम्पनियो की सहायक कम्पनियां है, प्रबन्ध/पूर्णकालिक निदेशकों/प्रबन्धकों के पारिश्रमिक पर सीमाओ को नीचा करती हुई संशोधित प्रशासनिक निदेशिकाएं केन्द्रीय सरकार ने निर्गमित कर दी हैं।

(ख) और (ग) : ये निदेशिकाये मजदूरी, आमदनी और कीमतों पर अध्ययन के लिये नियुक्त भूतलिंगम अध्ययन समिति तथा सच्चर समिति की सिफारिशों पर, जिन्हे मालिकों, कर्मचारियों मजदूर संघों आदि का प्रतिनिधित्व करने वाली अनेक संस्थाओ आदि के विचार जानने का लाभ था, विचार करने के बाद निगमित किया गया है ।

सशोधित निदेशिकाओं के अतर्गत सीमा सार्वजनिक और सरकारी क्षेत्र में प्राप्त सीमा की अपेक्षा बहुत ऊंची हैं । अतएव इस बात की कोई आशंका नहीं होनी चाहिए कि प्रबन्धकों का कम्पनियों से पलायन होगा या कम्पनियों के प्रबन्ध के व्यावसायीकरण में ह्रास आयेगा ।

171 अप यात्री गाड़ी में डकैती

1255. **श्री रामलाल राही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 अक्टूबर, 1978 को 171 अप यात्री गाड़ी में कुछ डाकुओ ने नेपाली मजदूरों को लूट कर चलती गाड़ी से बाहर फेंक दिया था; यदि हां, तो उसके कारण कितने मजदूरों की मृत्यु हुई व कितने घायल हुए और क्या मृतकों के परिवारों को कोई सहायता दी गई हैं; और

(ख) क्या अपराधियों और रेलवे पुलिस कर्मचारियों की सांठगांठ के कारण अपराधियों को अभी तक पकड़ा नहीं गया है; और यदि नहीं, तो अपराधियों को पकड़ने में पुलिस की उदासीनता के क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 31-10-78 को (21-10-78 को नहीं) पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के गोंडा और नेपालगंज रोड स्टेशन के बीच 177 अप सवारी गाड़ी के दूसरे दर्जे में यात्रा करने वाले 23 नेपाली नागरिकों के एक दल से 10/11 अज्ञात अपराधियों ने छुरे की नोक पर 12,000 रु० नकद और अन्य सम्पत्ति लूटी 6 नेपाली नागरिकों और 2 अन्य यात्रियों को चलती गाड़ी से नीचे धकेल दिया जिससे उन्हे चोटें आयी । सूचना मिलने पर सिविल पुलिस, नानपारा (उ० प्र०) ने गाड़ी और घटना स्थल की तलाशी ली और एक शव का पता लगाया, जो 23 नेपाली नागरिकों में से एक का था । वर्तमान नियमों के अनुसार, ऐसे अपराधों का शिकार हुए व्यक्तियों को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अनुमेय नही है ।

(ख) सरकारी रेलवे पुलिस, गोंडा (उ० प्र०) ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतरित 1-11-78 को अपराध संख्या 248 के अतर्गत एक मामला दर्ज किया था । मामले की छान-बीन की जा रही है । पुलिस ने इस गंग के दो अभियुक्तों को अब तक गिरफ्तार किया है और उनसे 700 रु० मूल्य की चुरायी गयी सम्पत्ति बरामद की है । अन्य अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा संगठित प्रयास किये जा रहे हैं ।

हाथी समिति प्रतिवेदन का कार्यान्वयन

1256. **श्री वीरेन्द्र प्रसाद** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर नियंत्रण के लिये सरकार का हाथी समिति के प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशों को कार्यान्वित करने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : हाथी समिति की सिफारिशों पर सरकार का निणय दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र दिनांक 29 मार्च, 1978 को लोक सभा पटल पर रखा गया था । उल्लिखित विवरण पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के या-कलापों पर नियंत्रण पर सरकार का निर्णय भी है ।

कोयले की कमी के कारण गाड़ियों का रद्द किया जाना

1257. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर और अक्टूबर, 1978 में केवल कोयले की कमी के कारण बहुत सी गाड़ियां रद्द कर दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उसके कारण रेलवे नोकरो में रुपए की हानि हुई; और

(ग) यदि हां, तो गाड़ियों को रद्द करने के कारण कितनी हानि हुई और भविष्य मे उस की आवृत्ति को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : जी हां ।

(ग) कोयले की कमी के कारण, सितम्बर और अक्टूबर 1978 के दौरान, गाड़ियाँ रद्द किये जाने के फलस्वरूप आय में लगभग 4.6 करोड़ रुपये की हानि हुई है। ऊर्जा मंत्रालय और कोयला उत्पादन अधिकरणों के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है ताकि रेलों के लिए भाप कोयले की उपलब्धता में वृद्धि की जा सके ।

कुछ सैक्शनों में दो मंजिली कोचों का आरम्भ किया जाना

1258. **श्री एफ० पी० गायकवाड़** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई-सूरत, नई दिल्ली-मेरठ, और हावड़ा-आसनसोल सेक्शनों पर दो मंजिली कोच चलाने के प्रस्ताव पर आगे क्या कार्यवाही हुई है ;

(ख) क्या इस प्रश्न पर अभी विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय करने में कितना समय लगेगा क्योंकि यात्रियों की प्रारम्भिक प्रतिक्रिया तथा आय अनुकूल है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) 1978-79 के चल-स्टाक कार्यक्रम में 24 और दुमंजिले सवारी डिब्बों की व्यवस्था की गयी है। इन्हें, नयी दिल्ली-मेरठ, हावड़ा-आसनसोल तथा बम्बई-सूरत खण्ड पर एक चरणबद्ध ढंग से चलाया जायेगा ।

कुछ औषध फर्मों द्वारा की गई अनियमितताएं

1259. **डा० बापू कालदाते** : क्या **वित्त, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री औषध फर्मों के रिकार्डों की जांच के बारे मे 25 जुलाई, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1237 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (क) साइनोवाओटिक्स लि० (ख) रोशे प्रोडक्टस लि० और (ग) होएस्ट फार्मास्यूटिकल्स लि० की ओर से प्राप्त स्पष्टिकरण की जांच करने के पश्चात् कोई कार्यवाही की गई है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : अनियमितताओं और उन पर की गई कार्यवाही का उल्लेख करते हुए एक विवरण-पत्र संलग्न है।

[**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2885/78**]

गाड़ियों में यात्रियों को सुविधायें

1260. **डा० विजय मंडल** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाड़ियों का देरी से चलना और दुर्गापुर रेलवे स्टेशनों (पूर्व रेलवे) सहित विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं की ओर ध्यान न दिया जाना अपर्याप्त कर्मचारियों के कारण हैं; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे प्रशासन द्वारा इसको दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जाने हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता देने का उपबन्ध

1261. **श्री गिरिधर गौमांगो** : क्या **वित्त, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राज्यों से यह अनुरोध किया है कि वे निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता दे ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अब तक कानूनी सहायता प्रदान की है तथा उस कार्य पर वर्ष 1978-79 में कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने राज्य सरकार के माध्यम से आदिवासियों को कानून की सहायता देने के लिए अनीबल उप-योजना क्षेत्र के लिए धनराशि निर्धारित की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

सीकर में टिकटों की बिक्री

1262. **श्री जगदीश प्रसाद माथुर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीकर में बम्बई के लिये औसतन कितने टिकटें प्रतिदिन खरीदी जाती है ;

(ख) क्या सीकर निवासियों ने शयनयान तथा सीटों का कोटा बरास्ता सवाई माधोपुर-बम्बई तक आरक्षित करने की मांग की है; और

(ग) सरकार ने इस मांग क सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण):(क) 38 ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सवाई माधोपूर से चढ़ने वाले बम्बई जाने वाले यात्रियों के लिए 24 अप जनता एक्सप्रेस में सवाई माधोपूर रेलवे स्टेशन को द्वितीय श्रेणी की 12 शायिकाओं का कोटा आबंटित किया गया है । अन्य स्टेशनों को आबंटित कोटे की पुर्नव्यवस्था के दवारा सवाई माधोपूर को आबंटित कोटे में उपयुक्त सीमा तक वृद्धि करने का प्रस्ताव है । सीकर सें बम्बई तक यात्रा करने वाले यात्री सवाई माधोपूर के इस कोटे का उपयोग कर सकते हैं ।

सोडा एश की कमी

1263. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सोडा एश की बनावटी कमी है और सोडा एश उद्योग असामान्य ढंग सें बढ़ा कर भारी मुनाफा कमा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो देश में सोडा एश के कुल उत्पादन और उसकी आवश्यकता का ब्यौरा क्या है और इस समय बाजार में इसके मूल्य क्या-क्या हैं तथा गत तीन वर्षों की इसी अवधि के दौरान ये मूल्य क्या क्या थें; और

(ग) जो उद्योगपति इसकी बनावटी कमी के लिये उत्तरदायी उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा):(क) सोडा एश की कमी और कमी का लाभ उठाते हुए मूल्यों में वृद्धि होने की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई है ।

(ख) गत तीन वर्षों में देश में सोडा एश का उत्पादन निम्नप्रकार था :—

वर्ष	उत्पादन (मीटरी टन)
1975	5,41,400
1976	5,65,000
1977	5,68,000
1978 (जनवरी से अक्तूबर)	4,78,544

इन आर्गेनिक रसायनों पर कार्यकारी दल ने 1978–79 तक 6 लाख मीटरी टन सोडा ऐश की आवश्यकता का अनुमान लगाया है ।

चार निर्माताओं के कारखाने सें निकलते समय के मूल्य (जिसमें पैकिंग लागत सम्मिलित है और उत्पाद शुल्क तथा अन्य कर शामिल नहीं है) निम्न प्रकार हैं :—

निर्माता	सोडा ऐश की किस्म	जनवरी को मूल्य पये/प्रति मीटरी टन			
		1975	1976	1977	1978 (1-11-78)
1. टाटा कैमिकल्स	हल्का	894	925	925	975
	ठोस	984	979	979	1046
2. सौराष्ट्रा कैमिकल्स	हल्का	900	950	950	1000
	ठोस	1000	1050	1040	1075
3. धागन्ध्रा कैमिकल्स	हल्का	अनुपलब्ध	950	890	1000
	ठोस	—निर्माण नहीं कर रहे हैं । —			
4. न्यू सैन्ट्रल जूट मिल्स	हल्का	1150	1100	935	1400
	ठोस	— निर्माण नहीं कर रहे हैं। —			

टिप्पणी :—अतिरिक्त उत्पाद शुल्क सहित उत्पाद शुल्क की वर्तमान दर लागत मूल्य का 10.5 प्रतिशत है ।

(ग) सोडा ऐश के उत्पादन, परिवहन और विक्रय के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए विशेषत: वर्तमान कमी के कारणों का पता लगाने और कई वर्षों से इस प्रकार की सामयिक कमी के कारणों का पता लगाने और स्थिति से निपटने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति नियुक्त की गई है । इस सम्बन्ध में और अधिक कार्यवाही इस समिति की रिपोर्ट जोकि जनवरी 1979 के अन्त तक प्राप्त होने की आशा है, के पश्चात की जाएगी । औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो सें सभी निर्माताओं को लागत अध्ययन शीघ्र करने के लिए कहा गया है ।

लखनऊ स्टेशन पर हिंसक घटना के कारण रेल सेवाओं में बाधा

1264. **श्री युवराज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ के चारबाग रेलवे जंक्शन के पश्चिम केबिन पर हुई हिंसक घटना के बाद रेलवे कर्मचारी हड़ताल पर चले गये, जिसके परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर डिवीजनों पर रेल सेवायें अस्त व्यस्त हो गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि डिवीजनल सुपरिटेंडेंट घटना के आठ घंटे बाद भी घटना स्थल पर नहीं पहुंचे थे;

(ग) क्या यह सच है कि कानपुर सें लखनऊ आने वाली लगभग 50 दैनिक यात्रियों ने टेलीफोन लाइनों और खिड़कियों के शीशे को जबरदस्ती तोड़ दिया था और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को मारा था; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) जी हां ।

(ख) जी हां, किन्तु मंडल अधीक्षक ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को घटना-स्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया था । मंडल अधीक्षक ने घटना-स्थल पर मौजूद अधिकारियों से निरन्तर संपर्क बनाये रखा और स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए सिविल प्राधिकारियों तथा मुख्यालय से संबंध बनाये रखा ।

(ग) जी हां ।

(घ) इस घटना के लिए कोई रेलवे अधिकारी उत्तरदायी नहीं था ।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन और भारत रिफाइनरीज लिमिटेड के संयुक्त स्वामित्व के अधीन तरल पेट्रोलियम गैस का उत्पादन

1265. **श्री एस० आर० रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन तथा भारत रिफाइनरीज लिमिटेड के संयुक्त स्वामित्व के अधीन तरल पेट्रोलियम गैस का उत्पादन करने की किसी परियोजना को मंजूरी दी है; और

(ख) यदि हां, तो उनके कार्यकरण का ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या परिणाम निकले हैं तथा इस बारे में सरकार का क्या कार्यक्रम है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख): अक्टूबर, 1978 में सरकार ने प्रतिवर्ष 1,68,000 मी० टन तरल पेट्रोलियम गैस, जो कि बम्बई हाई संबद्ध गैस से प्राप्त होगी, की विपणन संबंधी सुविधाओं को जुटाने के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमि० और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमि० के एक संयुक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया । इन सुविधाओं में बड़े-बड़े बाटलिंग संयंत्र और बम्बई तथा हैदराबाद और बंगलौर में अन्य देहाती स्थानों पर भण्डारण क्षमता की स्थापना सम्मिलित होगी । इस परियोजना पर 58.15 करोड़ रू० की लागत आने का अनुमान है और इसके वर्ष 1980–81 तक पूरा होने की आशा है । इस परियोजना के परिणामस्वरूप देश में तरल पेट्रोलियम गैस की उपलब्धता में पर्याप्त वृद्धि हो जायेगी । परियोजना के पूरा हो जाने पर 1.14 मिलियन तरल पेट्रोलियम गैस की सप्लाई के लिए ग्राहकों का नाम पंजीकृत किया जायेगा ।

हिमगिरी एक्सप्रेस के प्रथम बार चलाए जाने के समय रेल कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

1266. **प्रो० समर गुह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब रेल मंत्री अक्तूबर, 1978 के अन्तिम सप्ताह में हिमगिरी एक्सप्रेस गाड़ी का उद्घाटन कर रहे थे उस समय कुछ रेल कमचारियों ने हिंसक प्रदर्शन किया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इन कर्मचारियों का संबंध किस यूनियन से था; और

(ग) रेल मंत्री के विरुद्ध ऐसे हिंसक प्रदर्शन के क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग): 25–10–78 को जब रेल मंत्री हवड़ा स्टेशन पर हिमगिरी एक्सप्रेस का उद्घाटन कर रहे थे, तब ईस्टर्न रेलवे केटरिंग एंड वेन्डर्स यूनियन (सेन्टर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स से सम्बद्ध) के झंडे तले लगभग 45–50 वाणिज्यिक वेंडरों ने अपनी इस मांग के बारे में कि उन्हें रेल सेवा में स्थायी तौर पर समाहित किया जाये, प्रदर्शन किया था । यह रेल मंत्री के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन नहीं था । इस सम्बन्ध में प्रदर्शनकारियों ने स्टेशन पर ही स्थिति स्पष्ट कर दी थी और बाद में वे अपनी मांगों को प्रस्तुत करने के लिए रेल मंत्री से मिले भी थे ।

रेलवे कैंटिनों की अधिक दरें

1267. **श्री हरगोविन्द वर्मा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि यात्रियों से रेलवे कटीनो द्वारा खाद्य पदार्थों के अधिक मूल्य लिये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो बरेली स्टेशन पर चाय विक्रेताओं द्वारा अधिक मूल्य लेने की ओर सरकार क्यो ध्यान नहीं दे रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : 1–4–1977 से आज तक की अवधि के दौरान उत्तर रेलवे के बरेली स्टेशन पर खान-पान ठेकेदारों द्वारा अधिक दाम लेने के 5 मामलों के अतिरिक्त रेलवे स्टेशनों पर भोज्य पदार्थो के अधिकतम दाम लेने की कोई शिकायत नहीं मिली है । इन पांचों मामलों की जांच की गयी थी और रेल प्रशासन द्वारा चेतावनी देने, जुर्माना करने जैसी उपयुक्त कार्रवाई की गयी है । यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिक दाम लेने की घटनाएं न हों, अधिकारी और निरीक्षक निरंतर जांच और अचानक निरीक्षण करते रहते हैं । दोषी पाये गये व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है । अधिक दाम लेने की सम्भावना न रहे, इसके लिए यात्रियों को जानकारी हेतु सभी स्टालों, ट्रालियों, खीमचों आदि पर रेलवे द्वारा अनुमोदित दर-सूचियां लगायी जाती हैं ।

फार्माफिन प्रौद्योगिकी का क्रियान्वयन

1268. **श्री गोविन्द मुण्डा** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फार्माफिन प्रौद्योगिकी के क्रियान्वयन में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस वर्ष प्रौद्योगिकी के प्रारम्भ किये जाने के साथ ही इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० में उत्पादन कम हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) : आई० डी० पी० एल० ने पेनीसीलिन-जी के टेट्रासाइक्लीन, एरिथ्रोमाइसीन के उत्पादन के लिए स्ट्रेन्स और तकनीकी जानकारी तथा डाक्सी-साइक्लीन हाईक्लेट और सेमी-सिन्थेटिक पेनीसीलिन के लिए आधारभूत इंजीनियरिंग के साथ तकनीकी जानकारी इटली के फार्माफिन से प्राप्त की है । आई० डी० पी० एल० इसके कार्यान्वयन के लिए आयातित/देशीय उपकरण और औज़ारों की आधिप्राप्ति के लिए भी विभिन्न फर्मों को आर्डर दिए हैं । अधिकतर उपकरण और औज़ार प्राप्त, प्रतिस्थापित और चालू किए जा चुके हैं । विभिन्न उत्पादों में आवश्यक फेरमैन्टर्स का आधुनिकीकरण किया जा चुका है या किया जा रहा है ताकि परीक्षण उत्पाद किया जा सके । टेट्रासाइक्लीन के मामले में परीक्षण उत्पादन शुरू किया जा चुका है और प्रगति पर है । परियोजना सितम्बर 1979 तक पूरी होगी । जबकि, अभी सारी प्रक्रिया कार्यान्वयनाधीन है इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इसके लागू करने से आई० डी० पी० एल० का उत्पादन कम हो गया है ।

औषध कम्पनियों को ऋण लाइसेंस जारी करना

1269. **डा० पी० वी० पेरियासामी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी औषध कम्पनियों की संख्या कितनी है तथा उनके पास उत्पादन सुविधाएं क्या हैं जिन्होंने ऋण लाइसेंस प्राप्त किये हैं; और

(ख) उन कम्पनियों को औषध तथा कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन करके ऋण लाइसेंस देने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : ऋण लाइसेंस, राज्य औषध नियंत्रणों द्वारा औषध और प्रसाधन अधिनियम (और उसके अधीन बनाए गए नियमों) के अन्तर्गत मंजूर किए जाते हैं, तथा जिनकी देख-रेख स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की जाती है । मांगी गई सूचना प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा पूर्वक्षेत्र में भूगर्भीय और भू-भौतिकीय सर्वेक्षण

1270. **श्री महीलाल** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा पूर्व क्षेत्र में भूगर्भीय और भू-भौतिकीय सर्वेक्षण के बारे में 29 अगस्त, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4769 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां ।

(ख) क्योंकि सूचना विस्तृत है, अतः सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

नागपुर–कोल्हापुर लाइन

1271. **श्री संतोषराव गोडे** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से नागपुर–कोल्हापुर रेलवे लाइन का निर्माण करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इस लाइन पर सर्वेक्षण के आदेश दिये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) भुसावल, मनमाड, दौंड और पुणे के रास्ते नागपुर पहले से ही कोल्हापुर से बड़ी लाइन द्वारा जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र प्रदेश सरकार से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें मिरज–लातूर और पर्ली बैजनाथ–परभनी–आदिलाबाद लाइनों के बड़ी लाइनों में बदलाव और आदिलाबाद से घुगुस तथा लातूर से लातूर रोड तक नयी रेल लाइनों के निर्माण का अनुरोध किया गया है। इस प्रकार नागपुर और कोल्हापुर के बीच एक कम दूरी वाली बड़ी लाइन की व्यवस्था हो जायेगी।

(घ) और (ग) : (1) मीरज–लातूर रेलवे लाइनों के आमान-परिवर्तन और लातूर–लातूर रोड के बीच नयी रेल लाइन बिछाने के लिए किये गये सर्वेक्षण से पता चला है कि यह परियोजना अर्थक्षम नहीं है। संसाधनों की स्थिति पर भारी दबाव को देखते हुए, इस परियोजना को हाथ में लेने का विचार नहीं है।

(2) पर्ली–परभनी खण्ड मनमाड–परभनी–पर्ली बैजनाथ आमान–परिवर्तन परियोजना का ही एक भाग है जिस-पर पहले चरण के रूप में मनमाड से औरंगाबाद के बीच काम शुरू हो चुका है।

(3) परभनी–आदिलाबाद आमान–परिवर्तन के लिए और आदिलाबाद–घुगुस नयी रेल पारयाजना के लिए सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है और सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

पिछड़े हुए और आदिवासी क्षेत्रों में रेलवे लाइनें

1272. **श्री चौधरी बलवीर सिंह :**
श्री अमर सिंह बी० राठवा :
श्री किरित विक्रम देव वर्मन :
श्री छीतूभाई गामित :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1978, 1979 और 1980 में पिछड़े हुये तथा आदिवासी क्षेत्रों में नई रेलवे लाइने बिछाने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकारों तथा देश के अन्य संगठनों, संस्थानों, और वाणिज्य मण्डल की ओर से भी ऐसे कितने प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं; और

(घ) उनमें से प्रत्येक पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) : पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में नयी रेल लाइनों के निर्माण के लिए प्रस्ताव विभिन्न राज्य सरकारों; संसद सदस्यों और अन्य सार्वजनिक निकायों से समय-समय पर प्राप्त हुए हैं जिन पर गुण-दोष के आधार पर निधि की उपलब्धता के अनुसार विचार किया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूरक मांग 1978-79 द्वारा निम्नलिखित 6 नयी रेल लाइनों का निर्माण शुरू करने के लिए संसद का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव किया गया है :

क्र० सं०	लाइन का नाम	सेवित राज्य	कि०मी० में लम्बाई	लागत (करोड़ रु० में)
1	गुवाहाटी–बरनीहाट (ब०ला०)	आसाम/मेघालय	28.21	8.20
2	धर्मनगर–कुमारघाट (मी० ला०)	त्रिपुरा	33.50	9.67
3	सिलचर–जिरिबाम (मी० ला०)	आसाम/मनीपुर	50.36	12.13
4	बालीपारा–भालुकपोंग (मी० ला०)	आसाम/अरुणाचल	33.45	4.70
5	आमगुरि–तुलि (मी० ला०)	आसाम/नागालैंड	17.07	4.83
6	लालाघाट-भैराबि (मी०ला०)	आसाम/मिजोरम	48.77	10.76
		जोड़		50.29

पिछड़े और जन जाति क्षेत्रों में निम्नलिखित रेल लाइन का निर्माण-कार्य हाथ में है :

1. गुजरात में नड़ियाड–कापड़वंज–मोदासा
2. उड़ीसा में जखापुरा–बांसपानी
3. महाराष्ट्र में वानी–चनाका
4. आन्ध्र प्रदेश में नाडिकुडे–बीबीनगर
5. उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में करेला रोड-जयन्त
6. आन्ध्र प्रदेश में भद्राचलम–मानुगुरु

पिछड़े और जन जाति क्षेत्रों में निम्नलिखित नयी लाइनों के सर्वेक्षण का काम हाथ में है :

1. उड़ीसा में कोरापुट–पार्वतीपुरम
2. बिहार में कोडरमा के रास्ते रांची रोड से गिरिडीह
3. बिहार में मंदार हिल से वैद्यनाथधाम
4. उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में खजुराहो, सतना और रीवां के रास्ते ललितपुर-सिंगरोली
5. बिहार और मध्य प्रदेश में बारवड़ी-करंजी ।

कम्पनियों का पंजीकरण

1273. **श्री हुकुम देव नारायण यादव** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता सरकार के गठन के बाद अब तक कितनी नई कम्पनियों का पंजीकरण किया गया है और उनमें एकाधिकार गृहों की कम्पनियों की संख्या कितनी है; और

(ख) कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत कितनी कम्पनियों को दोषी पाया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) 1–4–1977 से 30–9–1978 तक की अवधि के मध्य कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत 4373 नवीन कम्पनियों का पंजीकरण हुआ था । इन नवीन रूप से पंजीकृत 4373 कम्पनियों में से कोई भी एकाधिकारी घरानों से सम्बन्धित नहीं है ।

(ख) देश में 31–3–1978 तक, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत 50607 कम्पनियां कार्यरत थीं । 1–4–1977 से 31–3–1978 तक की अवधि के मध्य कम्पनी अधिनियम के अनेक उपबन्धों के उल्लंघन के लिये, इनमें से 3874 कम्पनियों पर मुकद्दमें चलाये गये थे ।

पूर्व रेलवे द्वारा दिये गये खान-पान के ठेके

1274. **श्री हुकुम चन्द कछवाय** : क्या रेल मंत्री "लीडर प्राडक्ट" के अर्थ के बारे में 18 जुलाई, 1978 के अतारांकित प्रश्न सं० 332 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे दवारा दिये गये खान-पान के ठेकों के बारे में अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना पहले ही एकत्र कर ली गयी है और कार्यान्वयन रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है जिसमें सम्बन्धित विवरण दिया गया है ।

[**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2886/78**]

रेल मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रम

1275. **श्री मृत्युंजय प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रमों के नाम क्या हैं उनके मुख्य कार्यालय कहां-कहां हैं, उनके सभापतियों/अध्यक्षों तथा प्रबंध निदेशकों के नाम क्या है (यदि इन पदों पर दो व्यक्ति हों तो पूरा ब्यौरा दें) और उनके मुख्यालय कहां कहां है और उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनके मुख्यालय उनके मुख्य कार्यालयों के स्थानों से भिन्न स्थानों पर स्थित हैं और वहां वे कब से स्थित हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ख) इन उपक्रमों को क्या-क्या कार्य सौंपे गये हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान उनकी उपलब्धियां क्या रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) रेल इंडिया टैकनिकल एंड इकानामिकल सर्विसेज लिमिटेड (रा टस) और इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (इरकान) नामक दो सरकारी उपक्रम, जिनके मुख्यालय नयी दिल्ली में है, रेल मंत्रालय के संरक्षकत्व में गठित किये गये हैं। रेलवे बोर्ड के पूर्ववर्ती अध्यक्ष श्री जी० पी० वारियर को 5 अगस्त 1978 से राइटस और इरकन का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री ए०वी० रीबेइरो 22 अप्रैल, 1977 से राइटस के प्रबंध निदेशक हैं। इरकान के प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति होनी अभी शेष है।

(ख) जिन विभिन्न देशों में नियतकार्य या तो पूरे किये जा चुके हैं या प्रगति पर है, उनके नाम है—ईरान, सीरिया, घाना, मलेशिया, बंगलादेश, जैरे, फिलिपाइन्स और नाइजेरिया। कुछ काम भारत में भी प्राप्त हुए हैं।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रम

1276. **श्री मृत्युंजय प्रसाद** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनक मं. ालय के अधीन सरकारी उपक्रमों के नाम क्या हैं, उनके मुख्य कार्यालय कहां-कहां हैं, उनके सभापतियों/अध्यक्षों तथा प्रबन्ध ानदेशकों के नाम क्या हैं (यदि इन पदों पर दो व्यक्ति हों तो पूरा ब्यौरा दें) और उनके मुख्यालय कहां-कहां हैं; और उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनके मुख्यालय उनके मुख्य कार्यालयों के स्थानों से भिन्न स्थानों पर स्थित हैं और वहां वह कब से स्थित हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ख) इन उपक्रमों को क्या क्या कार्य सौंपे गये हैं, तथा गत तीन वर्षों के दौरान उनकी उपलब्धियां क्या रही हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चंदर): (क) इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कोई सरकारी उपक्रम नहीं है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रम

1277. **श्री मृत्युंजय प्रसाद** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रमों के नाम क्या हैं, उनके मुख्य कार्यालय कहां कहां हैं, उनके सभापतियों/अध्यक्षों तथा प्रबंध निवेशकों के नाम क्या हैं (यदि इन पदों पर दो व्यक्ति हों तो पुरा ब्यौरा दें) और उनके मुख्यालय कहां कहां हैं और उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनके मुख्यालय उनके मुख्य कार्यालयों के स्थानों से भिन्न स्थानों पर स्थित है और वे कब से स्थित हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ख) इन उपक्रमों को क्या क्या कार्य सौंपे गये हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान उनकी उपलब्धियां क्या रही हैं?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) सूचना अनुबन्ध में दी गई है, पाइराट्स फोस्फेट एण्ड केमिकल्स लि०, इण्डियन आयल कारपोरेशन लि०, इन्डोबर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लि०, बायर लोरी एण्ड कम्पनी लि०, वीको लांरी लि० और ब्रिज एण्ड एफ कम्पनी (इण्डिया) लि० को छोड़कर अधिकांश उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशकों के मुख्यालय उसी स्थान पर स्थित हैं जहां उनके उपक्रमों के प्रधान कार्यालय (पंजीकृत कार्यालय) हैं। इन उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक के कार्यालय देहरी-ओन सोन/नई दिल्ली/देहरा दून/बड़ोदा में स्थित है ताकि विभिन्न राज्यों में स्थितकार्य/एककों से अच्छा सम्पर्क बना रहें।

(ख) विभिन्न उपक्रमों को सोपा गया कार्य और उनकी उपलब्धियों को मंत्रालय तथा उपक्रमों के कार्य निष्पादन बजट और वार्षिक रिपोर्ट में दिया जाता है। मंत्रालय के कार्य-निष्पादन बजट और वार्षिक रिपोर्ट को संसद सदस्यों को दिया जाता है तथा उपक्रमों की वार्षिक रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है।

[**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2887/78**]

पठानकोट से डुनेरा तक बड़ी रेल लाइन

1278. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें हिमाचल हितकारी परिषद कालका की ओर से दिनांक 23 अक्तूबर, 1978 को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें रेल अधिकारियों से यह अनुरोध किया गया है कि पठानकोट से चम्बा जिला में डुनरा तक बड़ी रेल लाइन

तथा डुनेरा से सुरंगानी तक जहां हिमाचल प्रदेश में सबसें बड़ी पन बिजली परियोजना है, नैरो गेज लाइन के लिये सर्वेक्षण कार्य आरम्भ किया जायें ;

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : वित्तीय संसाधनों की अत्यन्त कमी और पहलेसें की गयी भारी वचनबद्धता के कारण फिलहल न तो इन रेल सम्पर्कों का निर्माण सम्भव है और न ही उनके लिए सर्वेक्षण-कार्य कराया जा सकता है । इस समय किया गया सर्वेक्षण उस समय तक पुराना पड़ जायेगा जब तक कि दूर भविष्य में इन रेल सम्पर्कों के निर्माण पर विचार किया जायेगा ।

नांगल-तलवाड़ा लाइन

1279. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नांगल-तलवाड़ा रेलवे लाइन का सर्वेक्षण किस वर्ष में किया गया था ;

(ख) क्या उन्हें हिमाचल हितकारी परिषद कालका की ओर से नांगल-तलवाड़ा रेलवे लाइन को शीघ्र पूरा करने के लिये दिनांक 23 अक्तूबर, 1978 का अभ्यावेदन मिला है;

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) इस लाइन पर कब तक कार्य आरम्भ होगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) यातायात सर्वेक्षण वर्ष 1973 में किया गया था जबकि अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण का काम 1974-77 के दौरान किया गया ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) : वित्तीय संसाधनों की अत्यन्त तंगी और पहले से की गयी भारी वचनबद्धताओं के कारण इस रेल लाइन के निर्माण के काम को हाथ में लेना अब तक संभव नहीं हो पाया है । देश के पिछड़े क्षेत्रों में अलाभप्रद रेल लाइनों के निर्माण के सम्बन्ध में अनुसरणीय नीति के निर्धारण के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति का नियोजन किया गया था । इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है । सरकार द्वारा इस रिपोर्ट पर निर्णय ले लिये जाने के बाद ही इस परियोजना पर काम शुरु करने के सम्बन्ध में नये सिरे से विचार किया जायेगा ।

मैसर्स सिंथेटिक्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, बरेली द्वारा संश्लिष्ट रबड़ का उत्पादन

1280. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स सिंथेटिक्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, बरेली ने समय-समय पर किन-किन श्रेणियों के संश्लिष्ट रबड़ का उत्पादन किया है ; और उनके समय-समय पर लागत मूल्य और बिक्री मूल्य क्या रहे हैं ;

(ख) सरकार इस कम्पनी को संश्लिष्ट रबड़ के मूल्य मनमाने ढंग में बढ़ाने की अनुमति क्यों दे रही है ; और

(ग) सरकार इस कम्पनी द्वारा उत्पादित संश्लिष्ट रबड़ के मूल्यों पर शीघ्र नियंत्रण क्यों नहीं करती है और इनके मूल्यों में 50 पैसे प्रति किलोग्राम कमी क्यों नहीं करती है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) और (ग) : इस समय सिंथेटिक रबड़ पर मूल्य नियन्त्रण नहीं है ।

सिंथेटिक्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा संचालित अतिथि गृह

1281. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में देश के विभिन्न स्थानों पर सिंथेटिक्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा संचालित अतिथि गृहों की संख्या कितनी है और इन सब वर्षों में उन पर कितना व्यय हुआ ;

(ख) इन अतिथि गृहों का प्रयोजन क्या हैं और क्या कम्पनी के कर्मचारी इन अतिथि गृहों में रहते हैं ; और

(ग) क्या यह सच नहीं है कि कम्पनी के 63, गोल्फ लिंक्स, नई दिल्ली स्थित अतिथि गृह का उपयोग कवल कम्पनी के निदेशकों द्वारा तथा कम्पनी के भारी खर्चे पर बड़े लोगों के मनोरंजन के लिये किया जाता है ; क्या सरकार इन खर्चों की लेखा परीक्षा पुनः करायेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) इंसिथेटिक्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड एक अतिथि गृह नई दिल्ली और दो अतिथि गृह मिटौरा, बरेली स्थित अपनी परियोजना में चला रही है । नई दिल्ली स्थित अतिथि गृह 1971 से संचालित किया जा रहा है । वर्ष 1974 से 1977 तक दिल्ली स्थित अतिथि गृहों पर दिये गये खर्च का उपलब्ध ब्यौरा तथा वह खर्च बरेली अतिथि गृहों पर पिछले दस सालों में किया गया है, वह निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	नई दिल्ली	बरेली
1968 . .		60,955
1969 . .		58,045
1970		47,181
1971		61,254
1972		83,803
1973		1,09,921
1974 .	49,560	1,06,654
1975 .	40,299	95,057
1976 . .	36,506	1,31,166
1977	31,996	1,32,478

दिल्ली स्थित अतिथि गृह कम्पनी के निदेशकों द्वारा व्यापारिक उद्देश्यों या उनके बरेली/लखनऊ को जाने तथा चर्चा और बैठक सम्पन्न करने के लिए संचलित किया जा रहा है ।

मिटौरा, बरेली में स्थित अतिथि गृहों में से एक फैक्टरी के सान्निकट आवासीय कालोनी के अन्दर है और निदेशकों के प्रयोग के लिये संचालित किया जाता है क्योंकि उसके आसपास कोई रहने का स्थान उपलब्ध नहीं है । मिटौरा स्थित अन्य अतिथि गृह कम्पनी के कर्मचारियों के लिये आवासीय कालोनी के अन्दर, जो सरकारी दौरे पर आते हैं, संचालित किया जाता है । यह सुविधा आपूर्तिकर्ताओं, लेखा परीक्षकों के प्रतिनिधियों को जो कम्पनी के व्यापार के उद्देश्य के लिये फैक्टरी में आते हैं, और उन सरकारी अधिकारियों के लिये जो सरकारी दौरे पर आते हैं, को भी दी गई है ।

(ग) कम्पनी द्वारा किये गये खर्चे की पुनः लेखा परीक्षा करने को कम्पनी अधिनियम, 1956 के , अन्तर्गत कोई उपबन्ध नहीं है । तथापि, कम्पनी के कार्यों के जांच के आदेश दिये गये हैं ।

उच्च शक्ति प्राप्त दुर्घटना जांच समिति का प्रतिवेदन

1282. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या रेल मंत्री उच्च शक्ति प्राप्त दुर्घटना जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में 18 जुलाई, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 386 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं तो समिति अपना प्रतिलेदन कब तक प्रस्तुत करेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) समिति की कार्यवधि 30-9-1979 तक बढ़ा दी गयी है । आशा है तब तक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

रेलवे में आरक्षण के बारे में शिकायतों की जांच करने के लिए दल

1283. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या रेल मंत्री रेलवे आरक्षण के बारे में शिकायतों की जांच करने के लिये दल के सम्बन्ध में दिनांक 18 जुलाई, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 276 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) रेलवे प्रशासन को 30 अक्तूबर, 1978 तक कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) दल द्वारा कितनी बार जांच की गई और छापे मारे गये ; और

(ग) उन पर क्या कार्रवाई की गई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 31-5-1978 की विशेष दस्ते के गठन के पश्चात 1-6-1978 से 355 शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) 99।

(ग) (1) 82 रेल कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई और 9 के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है/की गयी है ।

(2) विशेष दस्ते द्वारा जांच का काम जारी है ।

(3) आरक्षण प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाने/सुधारने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है ।

सिंथेटिक्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड को लाइसेंस जारी करना

1284. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंथेटिक्स एण्ड कैमिकल्स लि०, बरेली (उत्तर प्रदेश) को इसके कृत्रिम रबड़ उत्पादन के लिये अथवा खुली बिक्री के लिये भी स्टाइरीन के उत्पादन के लिये लाइसेंस दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस कम्पनी को बाजार में स्टाइरीन बेचने की अनुमति क्यों दी जाती है ; और

(ग) इस अपराध के लिये इस कम्पनी के विरुद्ध क्या कारवाई की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : मेसर्स सिन्थेटिक्स एण्ड कैमिकल्स लिमि० को उनके द्वारा बाजार में स्टाइरीन मोनोमर की बिक्री के लिए जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंस की शर्तों के अनुसार कोई मनाही नहीं है ।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे फाटक संख्या 342

1285. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या ऐसें अनुदेश जारी किये गये है कि उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मण्डल के बीलपुर और मीरानपुर कटरा स्टेशन के बीच फाटक संख्या 342, जहां जुलाई, 1978 में हुई एक दुर्घटना में 50 व्यक्ति मारे गये थे, आधा घंटा बन्द कर दिया जायेगा और यदि हां, तो उसके क्या कारण है ; और

(ख) क्या इन स्टेशनों और राष्ट्रीय राजमार्ग बरेली-लखनऊ मार्ग के बीच रेलवे फाटक 343 है जो बीलपुर स्टेशन क पूर्वी केबिन सें कण्ट्रोल होता है और इस केबिन पर कंट्रोल टेलीफोन न होने सें कभी-कभी आधे कंटे सें अधिक समय तक फाटक बन्द रहता है जिसके परिणामस्वरूप मार्ग पर चलने वाले यात्रियों को भारी कठिनाइयां होती हैं और यदि हां, तो क्या सुरक्षा और जनहित में बीलपुर के पूर्वी केबिन पर एक कण्ट्रोल टेलीफोन स्थापित किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) ऐसें कोई अनुदेश जारी नहीं किये गये हैं।

(ख) मीरनपुर कटरा और बिलपुर के बीच एक अन्तर्पाशित समपार-फाटक, सं० 343 है । यह समपार फाटक पूर्वी कबिन बिलपुर सें टेलिफोन द्वारा संबद्ध है जो कि पुन: टेलीफोन द्वारा सहायक स्टेशन मास्टर, बिलपुर सें संबद्ध है । इस समपार पर सड़क यातायात को कोई अकारण रुकाई नहीं होती । पूर्व कबिन बिलपुर में नियन्त्रण टेलीफोन उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है । सहायक स्टेशन मास्टर, बिलपुर के कार्यालय में पहले से ही एक नियन्त्रण टेलीफोन उपलब्ध है।

गैंगमैन की पदोन्नति के अवसर

1286. **श्री ए० के० राय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 95 प्रतिशत अथवा इससें अधिक कर्मचारी गैंगमैन के रुप में ही सेंवा-निवृत्त होते हैं क्योंकि रेल्वे कर्मचारियों की अन्य श्रेणियों के समान यहां न तो पदोन्नति के अवसर है और न ही पद का दर्जा बढाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस श्रेणी में अर्ध-कुशल और कुशल पदों की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) रेलवे कर्मचारियों की इस श्रेणी को पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने और इनके पद का दर्जा बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : गैंगमैन चाबी-वालों और गैंगमेटों के रुप में पदोन्नति पाने के पात्र होते हैं और चाबी-वालों तथा गैंगमेटों की पदोन्नति रेलपथ मिस्त्रियों के रुप में की जाती है । इसके अलावा, गैंगमैन इंजीनियरी विभाग की निर्माण शाखा/यातायात और वाणिज्य विभाग/यांत्रिक विभाग के कारखानों में 10 प्रतिशत रिक्तियों में स्थानान्तरण पर भी जा सकते हैं, जहां उनकी लगातार नौकरी की आधी अवधि की उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति के लिए, उनकी वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए गिना जाता है ।

मेटीरियल चैकरों का दर्जा बढ़ाया जाना

1287. **श्री ए० के० राय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्य अभियन्ता (निर्माण), पूर्व रेलवे में 225--308 रुपये के वेतन मान में कार्य कर रहे मेटीरियल चेकरों का वर्ष 1962 से अब तक 260--400 रुपये के वेतमान में मेटीरियल चेकरों के रुप में दर्जा नहीं बढ़ाया गया है हालांकि इस प्रकार का दर्जा बढ़ाना बहुत समय पूर्व 'ओपन लाइन' में कार्यान्वित किया जा चुका है और ओपन लाइन में मेटीरियल चेकर का कोई पद नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इतने लम्बे अर्से तक इस भेदभाव को जारी रखने के क्या कारण है ; और

(ग) इस प्रकार का दर्जा बढ़ाने को कार्यान्वित करने के लिये रेलवे प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी, हां, मुख्य इंजीनियर (निर्माण), पूर्व रेलवे के अधीन सामग्री जांचकर्ताओं (मैटीरियल चेकर्स) के पदों का ग्रेड बढ़ाकर 260-400 रु ; (सं० वे०) के वेतनमान में सामग्री लिपिकों के पदों के समकक्ष नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) : रेल प्रशासन यह देखने के लिए स्थिति का पुनरीक्षण कर रहा है कि क्या सितम्बर, 1963 और अक्तूबर 1972 में जारी हुए आदेशों के अनुसार, सामग्री जांचकर्ताओं द्वारा की जाने वाली डयूटीयों के आधार पर सामग्री जांच-कर्ताओं के किन्हीं पदों का ग्रेड बढ़ाकर 260--400 रु० (सं०वे०) के वेतनमान में सामग्री जांच लिपिकों के समकक्ष बनाना अपेक्षित है ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्टेशन

1288. **श्री अहमद हुसैन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य स्टेशनों पर यात्रियों के लिये बैंच, प्लेटफार्म पर छतों, पानी की सप्लाई और सफाई जैसी सुविधाओं की अपेक्षित/पर्याप्त व्यवस्था नहीं है ; और

(ख) वहां अपेक्षित सुविधाओं की कब तक व्यवस्था की जायेगी और उन स्टेशनों के नाम क्या हैं और वहां के लिए प्रस्तावित एवं क्रियान्वित किये जा रहे विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : असम और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पड़ने वाले स्टेशनों सहित भारतीय रेलों के सभी नियमित स्टेशनों पर बैंचों, पीने के पानी की सप्लाई, शौचालयों/मूत्रालयों आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गयी है

यातायात की मांग, मौसम एवं रेलवे स्टेशन के महत्व को दृष्टिगत रखकर प्लेटफार्म पर छत की व्यवस्था की जाती है। इन कामों को शामिल करने के प्रश्न पर निधियोंकी उपलब्धता के अनुसार, ज़ोनवार विचार किया जाता है । क्षेत्र-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता ।

अत्यन्त तेज चलने वाली गाड़ियों में सशस्त्र गार्डों की व्यवस्था का प्रस्ताव

1289. **श्री अहमद हुसैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार यात्रियों की सुरक्षा के लिये आरम्भ में अत्यन्त तेज चलने वाली गाड़ियों में आरक्षित यात्री डिब्बों के लिये राइफलों आदि से लैस कुछ सुरक्षा गार्डों की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार कर रही है और/अथवा सरकार का ऐसा विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं ।

(ख) यात्रियों की संरक्षा और उनके सामानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सरकारी रेलवे पुलिस का है जो राज्य सरकार के प्रशासनिक और अनुशासनिक नियन्त्रण में काम करती है ।

सरकारी रेल्वे पुलिस भेद्य खंड़ों पर, प्रभावित गाड़ियों में मार्गरक्षी की व्यवस्था करती है लेकिन सुपर फास्ट गाड़ियों के प्रत्येक आरक्षित डिब्बों में नहीं क्योंकि यह न तो व्यवहार्य है और न आवश्यक ।

धरम नगर-कुमार घाट रेल लाइन

1290. **श्री किरित विक्रम देव वर्मन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल्वे के सम्बध्द में योजना आयोग की समिति ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में त्रिपुरा में धरमनगर-कुमारपाट रेलवे लाइन सहित नई रेल लाइनों के विकास के प्रस्तावों की जांच कर ली है तथा उनकी स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां तों क्या केन्द्रीय सरकार में इस स्वीकृती के आधार पर छटी योजना के अन्तर्गत इन रेल लाइनों को बनाना आरम्भ करने तथा पूरा करने का निर्णय कर लिया है ;

(ग) लागत का ब्यौरा क्या है तथा ये कब तक पूरी हो जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां, बशर्ते कि संसद द्वारा स्वीकृति मिल जाये ।

(ग) निम्नलिखित लाइनों को छठी योजना में शुरु करके पुरा किये जाने का प्रस्ताव है : —

	अनुमानित लागत (करोड़ रुपयों में)
1. धर्मनगर—कुमारघाट	9.67
2. गुवाहाटी—बर्नीहाट	8.20
3. सिलचर—जिरीबाम	12.13
4. बालीपाड़ा—भालुकपोंग	4.70
5. अमगुरी—तुली	4.83
6. लालाघाट—भरैबी	10.66

गोदाम का निर्माण

1291. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया जंक्शन के पूर्व की ओर और जतनाबाद स्टेशन से पहले जो भू-खण्ड स्थित है और जिस पर गोदाम का निर्माण किया गया है, उसें रेल विभाग द्वारा पट्टे पर दे दिया गया है ;

(ख) क्या गया जंक्शन की इस भूमि का उपयोग पैट्रोल पम्प और मिठाइयों की दुकान आदि का निर्माण करने के लिए किया गया है ; और

(ग) क्या सरकार को अपने उपयोग के लिए अन्यत्र भूमि खरीदनी होगी और क्या इन परिस्थितियों में इस पट्टे को रद्द करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क)और (ख) : भारतीय रेलों पर 'जतनाबाद' नाम का कोई स्टेशन नहीं है । लेकिन एक स्टेशन 'जहानाबाद' नाम का है जो पूर्व रेलवे के गया--पटना खण्ड पर गया जंक्शन से 47 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है । सम्भवतः माननीय सदस्य इसी स्टेशन का उल्लेख कर रहे हैं।

गया जंक्शन और जहानाबाद स्टेशन पर अस्थायी आधार पर, रेलवे की भूमि के निम्नलिखित प्लाट लायसेंस पर दिये गये हैं। इन लायसेंसों का नवीकरण प्रतिवर्ष किया जाता है । इन प्लाटों में से किसी पर गोदाम का निर्माण नहीं किया गया है ।

गया जंक्शन

(1) $175' \times 70'$ क्षेत्रफल का एक प्लाट--भारतीय तेल निगमको पेट्रोल पम्प स्थापित करने के लिए ।

(2) $20' \times 30'$ क्षेत्रफल का एक-एक प्लाट--अल्पाहार गृह के लिए श्री रमेश कुमार और श्री विनोद कुमार को ।

जहानाबाद स्टेशन

$150' \times 100'$ क्षेत्रफल का एक प्लाट--भारतीय तेल निगम को ।

(ग) गया या जहानाबाद स्टेशन पर, इस समय भूमि अधिग्रहण का कोई प्रस्ताव नहीं है । इसलिए इन स्टेशनों पर लायसेंसों को रद्द करने का प्रश्न नहीं उठता ।

उच्च ग्रेड के पोलिस्टाइरीन का आयात

1292. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया प्लास्टिक मैन्यूफैक्चरर्स ने सरकार से अनुरोध किया है कि उच्च प्रभाव वाले ग्रेड के पोलिस्टाईरीन के आयात की अनुमति दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का उस पर क्या निर्णय है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) । (क) जी, नहीं ।

(ख) मांग, उपलब्धता और पोलिस्टाईरीन के आयात द्वारा रिक्ति को भरने की बात समीक्षाधीन है और शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लिए जाने की आशा है ।

विदेशों को भारतीय रेलवे की विशिष्ट जानकारी देना

1295. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत रेलवे लाइने बिछाने और रेल उपकरण बनाने में अनेक देशों के साथ सहयोग कर रहा है और यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या है ; और

(ख) उन देशों को भारतीय रेलवे इंजीनियरी किस प्रकार की विशिष्ट जानकारी और तकनीकी सहायता दे रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : भारतीय रेलों ने ऐसें अन्य विकास शील देशों को जो अपनी अपनी रेल प्रणालियों के विकास की योजना बना रहे हैं, रेलवे के क्षेत्र में अपनी तकनीकी जानकारी का लाभ देने की पेशकश की है । रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्रों के दो उपक्रमों-रेल इंडिया टैकनिकल एण्ड इकानामिक सर्विसेज लिमिटेड (राइटस) और इंडियन रेल्वे कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (इरकान) का गठन किया गया है पहला उपक्रम रेलवे प्रोद्योगिकी एवं प्रबन्ध के क्षेत्रों में परामर्श दात्री सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए और दूसरा विदेशों में प्रमुख रेलवे परियोजनाओं का निर्माण करने के लिए है । ऐसे विभिन्न देशों जहां निम्नत कार्य या तो पूरे किए जा चुके हैं या प्रगति पर हैं, के नाम हैं :--ईरान, सीरिया, घाना, मलेशिया, बंगलादेश जेरे, फिलिपाइन्स और नाइजेरिया । कुछ काम भारत में भी प्राप्त हुए हैं ।

सूची नियंत्रण प्रक्रियाओं पर पुनर्विचार

1296. **श्री जी० एम० बनतवाला :**
श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लरी :
डा० सरोजिनी महीषी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व सूची नियंत्रण प्रक्रियाओं पर पुनर्विचार करने और रेलवे के कार्यकरण में सुधार करने के लिए बनाई गई विशेष समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या थीं ; और

(ख) उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : रेलों के भण्डार संगठन के कार्य की समीक्षा करने के लिए 1973 में एक समिति गठित की गयी थी । वस्तु सूची व्यवस्था के लिए इस प्रकार गठित समिति ने निम्नलिखित पहलुओं पर 115 सिफारिशों सहित दो रिपोर्टें प्रस्तुत की थी :—

(1) भंडार की खरीद ।
(2) सप्लाई करने वालों के बिलों का भुगतान ।
(3) अतिरिक्त भण्डार और रद्दी माल का निपटान ।
(4) उत्पादन यूनिटों में सामग्री की व्यवस्था ।
(5) भण्डार डिपों में चोरी और उठाई गिरी की जांच करने की प्रणाली ।
(6) फालतू पुर्जों का गुणवत्ता-नियंत्रण ।
(7) चल स्टाक के लिए फालतू पूर्जों का आयात ।
(8) रेलवे उत्पादन यूनिटों के आस-पास सहायक उद्योगों की स्थापना ।
(9) सामग्री व्यवस्था संगठन ।
(10) सामान्य ।

2. सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी हैं और 106 सिफारिशें पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी हैं । शेष सिफारिशों पर, विभिन्न चरणों में कार्रवाही की जा रही है ।

पश्चिम बंगाल में कुएं खोदना

1297. **श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पश्चिम बंगाल में जब कभी भी किसी की गहरी अर्थात 4000 मीटर से अधिक खुदाई करना शुरू की जाती है तब निश्चय उस कुएं में कोई दुर्घटना होती है और खुदाई का कार्य अस्त-व्यस्त हो जाता है परन्तु जब वही कुआं उथला होता है तो उसमें कोई ऐसी दुर्घटना नहीं होती और इस तरह पश्चिम बंगाल में अशोधित तेल निकालने का कार्य रुक जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में अब तक बोदरा नामक एक ऐसें कुएं, जिसकी 5000 मीटर तक प्रायोजित खुदाई करनी थी, की 4000 मीटर तक खुदाई की गयी है परन्तु नीचे सुराख सम्बन्धी कुछ बाधाओं के कारण इस कुएं की खुदाई 4,198 मीटर की गहराई पर रोक दी गयी थी । फिर भी जिस गहराई तक इस कुएं की खुदाई रोक दी गई थी, उससे ऊपर उन सभी अनुप्रस्थों का परीक्षण किया गया जिनमें हाईड्रोकार्बन पाये जाने की सम्भावना थी । डायमन्ड हार्बर पर 5500 मीटर की प्रायोजित गहराई वाले एक दूसरे कुएं का इस समय खुदाई कार्य चल रहा है । इस बात का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में 4,000 मीटर की गहराई के बाद ही कच्चा तेल प्राप्त हुआ है ।

(ख) व्यघन कार्य के दौरान, कई कारणों से, विशेषकर उपकरणों और सामग्री का यान्त्रिकी रूप सें असफल हो जाने सें बाधाएं उत्पन्न होती हैं । इन बाधाओं को समाप्त करने के और तरीके हैं, जिन्हें परिस्थितियों के आधार पर लागू किया जाता है । जबकि उथले कुओं में इन बाधाओं को समाप्त करना आसान होता है, परन्तु अत्यधिक गहरे कुओं में इन बाधाओं को दूर करना इतना आसान नहीं होता । अत: गहरे कुओं में बाधाओं को समाप्त करने में अकसर अधिक समय लग जाता है और कभी-कभी तकनीकी कारणों से इन बाधाओं को दूर करने सें सम्बन्धित कार्य को आगे बढ़ाना उचित नहीं समझा जाता है ।

कुओं की खुदाई के समय दुर्घटनाएं

1298 **श्रीमती अहिल्या पो० रागनेकर :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में कुओं की खुदाई के समय कितनी दुघटनाएं हुई जिनके कारण खुदाई कार्य अस्त-व्यस्त हो गया तथा ये दुर्घटनाएं कहां कहां हुई ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : गुजरात राज्य के अंकलेश्वर नामक स्थान में एक कुए में 94 मीटर की छिछली गहराई पर एक विस्फोट हुआ था जिसमें ढ़ांचा और मस्तूल को क्षति हो गयी थी । परन्तु पिछले तीन वर्षों के दौरान कुएं के खुदायी में ऐसी कोई गंभीर दुर्घटना नहीं हुई है जिससे खुदाई कार्यक्रम अस्त-व्यस्त हुआ हो ।

कुकिंग गैस कनेक्शन

1299. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैस एजेन्सियों पर विभिन्न श्रेणियों के कितने लोगोने कुकिंग गैस के नये कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नाम दर्ज कराये हैं ; और

(ख) गैस सप्लाई की स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) विभिन्न तेल कम्पनियों के डीलरों के पास रजिस्टर्ड व्यक्तियों की संख्या और तरल पेट्रोलियम गैस (कुकिंग गैस) के कनेक्शनों के लिए इन्तजार कर रहे व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

इंडियन आयल कारपोरेशन	5,80,000 (31-3-78 को)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन	3,55,000 (30-6-78 को)
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन	2,00,000 (31-10-78 को)
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन (विशाख विपणन यूनिट)	51,850 (31-10-78 को)

तरल पेट्रोलियम गैस के डीलर द्वारा अभ्यार्थी का श्रेणी-वार रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता ।

(ख) वर्ष 1980-81 से देश में निम्नलिखित को आरम्भ करने से तरल पेट्रोलियम गैस की उपलब्धता में वृद्धि होने की आशा है :—

(i) बम्बई हाई संबद्ध गैस से कुकिंग गैस को अलग करने के लिए सुविधायें ;
(ii) मथुरा शोधनशाला ;
(iii) कोयाली शोधनशाला में सैकेण्ड्री प्रोसेसिंग सुविधायें ; और
(iv) बोंगाईगांव शोधनशाला की कोकर यूनिट ।

उपर्युक्त उपायों से वर्ष 1980-81 के बाद से कुकिंग गैस की उपलब्धता में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की आशा है जब महत्वपूर्ण स्तर पर कुकिंग गैस कनैक्शन देना सम्भव हो सकेगा ।

औषध फर्मों का पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना

1300. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी औषध फर्मों के नाम क्या है जिनको पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी नहीं किये गये हैं परन्तु अनुमति पत्र जारी किये गये हैं ; प्रत्येक अनुमति पत्र के अन्तर्गत कौन कौन सी वस्तुएं आती है और कितनी क्षमता के लिये हैं तथा गत 3 वर्षों में प्रत्येक वस्तु का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) उक्त कम्पनियों द्वारा कितनी वस्तुओं का उत्पादन अपनी उत्पादन क्षमता से अधिक किया जा रहा है ; और

(ग) क्या यह सच है कि सरकारी एजेंसी के माध्यम से आयातित कच्चा माल एक निश्चित नीति के अनुसार दिया जाता है जो संगठित क्षेत्र के एककों को रिलीज़ में वृद्धि की अनुमति नहीं देती यदि हो, तो इन कम्पनियों को गत तीन वर्षों में वर्ष वार सरकारी एजेंसी के माध्यम से आयातित कच्चे माल की रिलीज़ सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) निम्नलिखित औषधी फार्मों के पास अनुमति पत्र हैं लेकिन पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं हैं :—

1. मैसर्स हैक्स्ट
2. मैसर्स सैन्डोज़
3. मैसर्स एन्लो फ्रैन्च
4. मैसस मर्कशार्प एण्ड डोह्मे
5. मैसर्स जौन्शन एण्ड जौन्शन
6. मैसर्स रोश
7. मैसर्स इन्डो फार्मा
8. मैसर्स डे मैडिकल स्टोर
9. मैसस जर्मन रैमिडीज़
10. मैसर्स रकिट एण्ड कौलमैन

प्रत्येक अनुमति पत्र के ब्यौरे औषध उद्योग पर गठित समिति (हाथी समिति) की रिपोर्ट के अध्याय iv, अनुवन्ध-ii में दर्शाए गए हैं, जिस रिपोर्ट की एक प्रति 8-5-75 को सभा पटल पर प्रस्तुत की गई थी। अनुमति पत्र में दी गई प्रत्येक मद के उत्पादन आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। तथापि हाथी समिति की रिपोर्ट पर सरकार के निर्णय के अनुसरण में हाल ही में लाइसेंसों को समेकित करते तथा अन्य कार्यवाही के एक भाग के रूप में सभी फर्मों (उपरोक्त फर्मों सहित) को सभी अब ब्यौरे भेजने के लिए कहा गया है ।

(ख) उपरोक्त कम्पनियों में से जिस कम्पनी ने गत तीन वर्षों में से किसी भी वर्ष में अपनी लाइसेंस शुदा/स्वीकृत क्षमता से अधिक वल्क औषधों का निर्माण किया है उनके नाम अनुबन्ध में दर्शाए गए हैं।

(ग) सरणीबद्ध कच्चे माल की सप्लाई के बारे में दिसम्बर, 1977 तक डी॰जी॰टी॰डी॰ एककों पर लागू नीति यह थी कि ऐसे एककों को उनकी गत दो वर्षों की अधिकतम खपत के बराबर माल की मात्रा अथवा राज्य औषध नियंत्रण द्वारा बतायी गयी मात्रा, जो भी कम हो, की सप्लाई की जा सकती है। जनवरी 1978 में ऐसे एककों को 1976-77 में की गई मात्रा के बराबर अथवा फार्मुलेशनों की लाइसेस शुदा क्षमता पर आधारित हकदारी के बराबर जो भी अधिक हो सरणीबद्ध कच्चे माल की सप्लाई की जाती है ।

मैसर्स सैन्डोज़ और मैसर्स डेज़ मैडिकल स्टोर को गत तीन वर्षों के दौरान की गई सरणीबद्ध कच्चे माल की सप्लाई के ब्यौरे आज ही पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1192 के उत्तर में दिए गए हैं। मैसर्स हैक्स्ट को की गई इसी प्रकार की सप्लाई के ब्यौरे आज ही पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 128 के उत्तर में दिए गए हैं। शेष कम्पनियों से इसी प्रकार की सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी ।

मावली-बड़ी सादड़ी रेल लाइन का बन्द किया जाना

1301. **श्री एस॰ एस॰ सोमानी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मावली-बड़ी सादड़ी रेल लाईन बन्द करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस प्रश्न पर किसी अधिकारी अथवा किसी समिति ने विचार किया है ;

(घ) क्या सरकार को स्थानीय लोगों में व्याप्त असन्तोष के बारे में पता है ; और

(ङ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली और उदयपुर के बीच चेतक एक्सप्रेस

1302. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली और उदयपुर के बीच एक सीधी रेल गाड़ी केवल 'चेतक एक्सप्रेस' है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि यह रेलगाड़ी सदैव विलम्ब से चलती है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस रेलगाड़ी को डीजल इंजन से चलाने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है; और

(घ) क्या यातायात तथा दूरी को देखते हुए सरकार का विचार इसकी गति बढ़ाने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले दो महीनों के दौरान 15/16 दिल्ली-उदयपुर चेतक एक्सप्रेस का समय-पालन संतोषजनक नहीं रहा है।

(ग) और (घ) : मीटर लाइन के डीजल इंजनों के अभाव में 15/16 दिल्ली-उदयपुर चेतक एक्सप्रेस का डीजलीकरण संभव नहीं है। रेल पटरी और कर्षण की वर्तमान स्थितियों के कारण इन गाड़ियों की गति में वृद्धि करना भी व्यावहारिक नहीं है।

नये तेल शोधक कारखानों की स्थापना

1303. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में निकट भविष्य में नये तेल शोधक कारखाने लगाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय रेलों को विश्व बैंक से वित्तीय सहायता

1304. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लुरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन से वर्ष 1977-78 के दौरान और वर्ष 1978-79 के दौरान अब तक भारतीय रेलों के विकास के लिए प्राप्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है और इस सहायता के साथ अब तक कितना विकास कार्य किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) :

1977–78 :

332.4 लाख अमरीकी डालर के बराबर।

1978–79 (31 अक्तूबर, 1978 तक) :

167.2 लाख अमरीकी डालर के बराबर।

अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन द्वारा दी गयी सहायता को उपर्युक्त राशि उन मदों के आयात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग में लायी गयी, जो देश में उपलब्ध नहीं थे अथवा जिनके लिए देशी क्षमता पर्याप्त नहीं थी। आयात की गयी मदों में चल-स्टाक के निर्माण और अनुरक्षण के लिए हिस्से-पुर्जे सिगनल और दूर-संचार योजनाओं के लिए अपेक्षित मदें, रेलपथ मशीनें तथा संयंत्र और मशीनरी की कुछ मदें शामिल हैं।

कोचीन के निकट पेट्रो-रसायन कम्पलैक्स की स्थापना

1305. **श्री जार्ज मैथ्यू** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कोचीन के निकट प्रस्तावित पेट्रो-रसायन कम्पलेक्स स्थापित करने में क्या अड़चनें हैं ; और

(ख) केरल में शिक्षित बेरोजगारी की ऊंची दर को देखते हुए क्या केन्द्र सरकार कोचीन के निकट इस प्रस्तावित पेट्रो-रसायन कम्पलेक्स की स्थापना के लिए शीघ्र कदम उठायेगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : उन नयी पेट्रो-रसायन परियोजनाओं के ब्यौरे, जिन्हें छठी पंचवर्षीय योजना में आरम्भ करने की आवश्यकता है, तैयार करने के लिए अनेक अध्ययन किये जा रहे हैं। इन परियोजनाओं के स्थानों सहित इन्हें कार्यान्वित करने के लिए इन परियोजनाओं को आरम्भ करने से सबंधित अन्तिम निर्णय इन अध्ययनों की रिपोर्टें प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही लिया जायेगा। जब कभी भी नयी पेट्रो-रसायन परियोजना को स्थापित करने से संबंधित निर्णय लिया जायेगा, उस समय केरल सरकार के प्रस्ताव को भी ध्यान में रखा जायेगा ।

प्राकृतिक रबड़ के मूल्य

1306. **श्री जार्ज मैथ्यू** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि एकाधिकार टायर निर्माताओं द्वारा उत्पादक-संघ के साथ गोपनीय रूप से मेल करके प्राकृतिक रबड़ का मूल्य बहुधा कृत्रिम ढंग से कम कर दिया जाता है ; और

(ख) क्या वह इस मामले की जांच का आदेश देंगे ताकि केरल के गरीब छोटे रबड उत्पादकों को बड़े एकाधिकारी टायर घरानों और उनके मूल्य निर्धारित करने वाले व्यक्तियों के शिकंजे से बनाया जा सके ।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : कम्पनी कार्य विभाग ने एकाधिपत्यीय टायर निर्माताओं द्वारा गुप्तरूप से एक व्यापार संघ के रूप में इकठ्ठे होकर प्राकृतिक रबड़ की कीमतों को कृत्रिम रूपसे, लिखने के कथित आरोप के बारे में कोई शिकायत नहीं प्राप्त की है । तथापि औद्योगिक विकास विभाग द्वारा प्राप्त एक हवाले पर, एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग ने हाल ही में टायर कम्पनियों के खिलाफ जिन्होंने मिलकर मार्च, 1978 के अन्तिम सप्ताह में विभिन्न प्रकार के टायरों और ट्यूबों की कीमतें मिलकर बढ़ा दी थी एक निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा की जांच की आज्ञा दी है ।

2. वाणिज्य विभाग के अनुसार जो प्राकृतिक रबड़ के लिए प्रशासकीय विभाग है, पूर्ति में कमी के कारण पिछले अनेक महीनों से स्वदेशी प्राकृतिक रबड़ की कीमत अगस्त, 1977 में अधिसूचित तयशुदा कीमत से ऊपर चल रही थी और सरकार ने राज्य व्यापार निगम को सितम्बर, 1978 में कमी का सामना करने के लिए 15000 टन प्राकृतिक रबड़ का आयात करने के लिए आज्ञा दी । उस विभाग ने अनेक रबड़ उत्पादक राज्यों के प्रतिनिधियों समेत अनेक पक्षों की एक बैठक मामले के अनेक पक्षों, जिसमें रबड़ के लिए की उचित कीमत भी शामिल होगी, पर विचार करने के लिए प्रस्ताव किया है ।

त्रिवेन्द्रम डिवीजन

1307. **श्री जार्ज मैथ्यू :**
श्री वयालार रवि :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओलक्कोड डिवीजन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना एक नया त्रिवेन्द्रम डिवीजन बनाया जा सकता है ;

(ख) यदि भिन्न भिन्न हित हों तो क्या केन्द्रीय सरकार केरल सरकार की राय अन्तिम मानेगी ; और

(ग) सभी पक्षों की राय पर विचार कर लेने के बाद प्रस्तावित त्रिवेन्द्रम डिवीजन कब तक बनाया जा सकेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) । एक नये रेल मंडल, जिसका मुख्यालय तिरुवनन्तपुरम में होगा, के गठन का विनिश्चय ओलक्कोड मंडल के अस्तित्व के पूर्वाग्रह के बिना किया गया है, क्योंकि ओलक्कोड मंडल का मुख्यालय ओलक्कोड में ही रहेगा । विचाराधीन प्रश्न है वर्तमान ओलक्कोड और मदुरै मंडलों को,

जहां काम की मात्रा बहुत अधिक है, कुछ राहत देने के लिए अधिकार-क्षेत्र सम्बन्धी कुछ परिवर्तन करना। चूंकि, परिचालनिक और प्रशासनिक कार्य-कुशलता की दृष्टि से, नये मंडल का गठन इन दोनो मंडलों में से ही किया जाना है, इसलिए इन मडलों से अधिकार-क्षेत्र में कुछ परिवर्तन अनिवार्य है। चूंकि तीनों मंडलो के अधिकार-क्षेत्रों के निर्धारण के सम्बन्ध में केरल के कोचिन, पालघाट और मालाबार क्षेत्रों को विभिन्न पार्टियों से बड़ी संख्या मे अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, अतः केरल के मुख्य मंत्री से अनुरोध किया गया था कि वह विभिन्न पार्टियों के बीच मतभेदो को दूर करें ताकि प्रस्तावित तिरुवनन्तपुरम मंडल के लिए उपयुक्त अधिकार-क्षेत्र, जो सभी पार्टियों को मान्य हो और अर्धक्षम भी हो, निर्धारित किया जा सके। केरल के मुख्य मंत्री ने 2 नवम्बर, 1978 को एक सम्मेलन का आयोजन किया और इस सम्बन्ध में उनसे एक पत्र प्राप्त हुआ है। सभी पार्टियो और हितो द्वारा व्यक्त किये गये विचारों जो केरल सरकार द्वारा सूचित किये गये हैं, को समुचित महत्व देने के बाद इस सम्बन्ध में आगे कारवाई की जायेगी। अन्तिम रूप से विनिश्चय कर लेने के बाद, नया मंडल दो महीन में अपना कार्य आरम्भ कर सकता है।

भारतीय तेल निगम, बरौनी शोधनशाला द्वारा नियुक्त किये गय प्रशिक्षुओ को खपाना

1308. **श्री ए० के० राय :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) भारतीय तेल निगम बरौनी शोधनशाला (बिहार) में गत तीन वर्षों में नियुक्त प्रशिक्षुओ की संख्या कितनी थी और उन में से कितने प्रशिक्षुओ को इसी शोधनशाला म खपाया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि इसी मंत्रालय के अन्तर्गत खपाये गये अन्य सरकारी क्षेत्रके एकको की तुलना में इनकी दर कम है, यदि हां तो तत्सबंधी तथ्य क्या है ;

(ग) क्या इस मामले पर बरौनी में 26 जून, 1978 से क्रमिक हड़ताल जारी है बरौनी तेलशोधनशाला के नियुक्त प्रशिक्षुओं द्वारा भारी कठिनाइयां पैदा की जा रही हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) मार्च, 1975 से मार्च, 1978 तक की अवधि के दौरान बरौनी शोधनशाला ने 210 वाणिज्यिक प्रशिक्षुकों को लगाया। इनमे से 23 प्रशिक्षुक शोधन शाला द्वारा खपा लिए गये थे।

(ख) जी, नहीं। फिर भी प्रशिक्षुक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित वाणज्यिक प्रशिक्षुकों को लेने की संख्या शोधनशाला में उपलब्ध रिक्तियों की तुलना में कहीं अधिक है और शोधनशाला मे अधिशेष स्टाफ होने के कारण बरौनी तेल शोधक कारखाने में प्रशिक्षुकों को खपाने के अवसर बहुत कम हैं। वास्तव में प्रबंध ने भविष्य में किसी भी वाणिज्यिक प्रशिक्षुक को भर्ती करने के लिए छूट देने हेतु प्रादेशिक प्रशिक्षुक प्रशिक्षण (पूर्वी प्रदेश) निदेशालय को पत्र लिखा है।

(ग) जी, हां।

(घ) शोधनशाला प्रबंध, राज्य सरकार के प्राधिकारियों, प्रादेशिक निदेशक, प्रशिक्षुक प्रशिक्षण (पूर्वी प्रदेश) और संघो द्वारा प्रशिक्षुकों से अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने और आन्दोलन कारी रवैये को छोड़ देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

धनबाद में स्टालों के लिये रेलवे भूमि का आबंटन

1309. **श्री ए० के० राय :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टालों के लिये रेलवे भूमि के आबंटन के बारे में 'हाकर्स कमेटी' धनबाद के सेक्रेटरी से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) क्या यह सच है कि आसनसोल और गया में दुकानों के लिये लाइसेंस पर रेलवे भूमि उपलब्ध कराई गई है लेकिन धनबाद मे इसे नहीं दिया गया है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी, हां।

(ख) रेलव की भूमि केवल उन्हीं स्थानों/इलाकों में पट्टे पर दी जाती है जहां रेलवे के अपने इस्तमाल के लिए इसकी शीघ्र आवश्यकता न हो और जहां इस प्रकार भूमि पट्टे पर देने से रेलवे के काम पर किसी तरह दुष्प्रभाव न पड़े। एक स्थान की स्थिति दूसरे स्थान की स्थिति से भिन्न होती है, अतः धनबाद, आसनसोल और गया के बीच तुलना नहीं की जा सकती।

धनबाद में स्टेशन पहुंच सड़क के पास वाली रेलवे की भूमि को पट्टे पर देने की मांग की जा रही है और रेल प्रशासन इस क्षेत्र में और अधिक भूमि पट्टे पर देने के पक्ष में नहीं है क्योंकि ऐसा कर देने से स्टेशन पहुंच सड़क पर अधिक भीड़-भाड़ हो जायेगी । इसी कारण यात्री संघ ने भी अभ्यावेदन दिया है कि स्टेशन पहुंच सड़क के आस-पास और भूमि पट्टे पर न दी जाये ।

लोक सभा तथा राज्य विधान मंडलों के लिए होने वाले उप-निर्वाचन

1310. **प्रो० पी० जी० मावलंकर :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा तथा विभिन्न विधान मंडलों के लिये एक या अधिक उप-निर्वाचन होने है;

(ख) यदि हां, तो उनके पूरे तथ्य क्या हैं ;

(ग) उक्त उप-निर्वाचन कब होंगे ;

(घ) उक्त उप-निर्वाचन कराने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या किसी उप-निर्वाचन को किसी निश्चित अवधि के भीतर कराने के संबंध में कोई विशिष्ट नियम अथवा प्रथाएं हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और क्या उनका अनुसरण किया जा रहा है ; और

(च) यदि ऐसे कोई नियम नहीं है तो क्या उन्हें तैयार करके शीघ्र ही पारित कराने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र 'चन्द्र') : (क) से (घ) : अपेक्षित जानकारी देने वाले दो विवरण सदन के पटल पर रख दिए गए है ।

(ङ) जी, नहीं । ऐसे कोई नियम या परम्पराएं नहीं हैं ।

(च) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

[**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2888/78**]

जीवन दायिनी औषधियों का मूल्य अधिक होना -

1311. **प्रो० पी० जी० मावलंकर :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में कुछ जीवनदायिनी औषधियों तथा अन्य महत्वपूर्ण औषधियो का या तो मूल्य बहुत अधिक है या वे दुर्लभ हैं और या दोनो बातें हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही उपाय किये है;

(ग) क्या सरकार ने असहाय और निर्धन लोगों की सहायता करने के लिये आम तौर पर कोई औषध मूल्यनीति बनाई है और विशिष्ट विनियम/नियंत्रण रखे हैं; और

(घ) यदि हां, तो वे क्या है और इसे किस प्रकार क्रियान्वित किया जा रहा है ?

पट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : औषधों और फार्मुलेशनो जिनमें जीवन-रक्षक औषधें भी आती हैं, के मूल्य सरकार द्वारा औषध मूल्य नियंत्रण आदेश 1970 के उपबन्ध के अन्तर्गत इस उद्देश्य से नियमित किए जाते ह कि औषध समान रूप से वितरण की जा सके तथा उचित मूल्यों पर उपलब्ध हो सके ।

गत एक वर्ष से औषधें जिनमें आवश्यक जीवन-रक्षक औषधें भी हैं, के मूल्य सामान्यत: स्थिर रहे, जैसा कि नीचे दिए गए थोक विक्रय मूल्य से देखा जा सकता है:—

वर्ष	औषधों और दवाईयों के लिए थोक विक्रय मूल्य सूचकांक (1970-71–100 आधार)	प्रतिशत वृद्धि
1975–76	118.7	
1976–77 . .	133.9	(+) 13 प्रतिशत 75–76 से ज्यादा
1977–78 . .	136.3	(+) 1.8 प्रतिशत 76–77 से ज्यादा
अप्रैल से सितम्बर 1978 .	136.2	77–78 के स्तर पर मूल्य का स्थिर रहना

जीवन-रक्षक औषधों तथा अन्य आवश्यक दवाईयों की नही सामान्य रूप से और न ही अधिक कमी हुई है। राज्यों के औषध नियंत्रक तथा क्षेत्रीय औषध नियंत्रक कमियों के बारे में मासिक आधार पर रिपोर्ट करते हैं। कमियों का पुनरीक्षण सम्बन्धित संगठनों और निर्माणकर्ताओ के प्रतिनिधियों के साथ मासिक बैठकों में किया जाता है और अगर कोई कमी हो, तो उन्हे दूर करने के कदम उठाए जाते हैं।

(ग) और (घ): कई औषध नीति जो 29 मार्च 1978 को लोक सभा पटल पर रखे गए विवरण-पत्र में दी गई है में मूल्य निर्धारण नीति भी है। मूल्य निर्धारण नीति सरकार द्वारा औषधों और दवाईयों, जिनमें जीवन-रक्षक औषधे भी है के मूल्यों को सुव्यस्थित बनाने के विचार से सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले उपायों को प्रदर्शित करती है। नई औषध नीति के अन्तर्गत श्रेणी I और II के फार्मूलेशन, जिनकी जनता को मुख्यत: जरूरत पड़ती है, का मार्क-अप क्रमश: 40 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत होगा, श्रेणी III के फार्मुलेशनो का मार्क-अप 100 प्रतिशत तक होगा और श्रेणी IV के फार्मूलेशनों पर कोई मूल्य नियंत्रण नहीं होगा। नई औषध नीति में यह परिकल्पना की गई है कि एक वर्ष प्रारम्भिक अवधि के लिए श्रेणी I और II के विषमता फार्मूलेशनों के मूल्य लीडर मूल्य, जोकि कुशल मुख्य निर्माताओं के लिए अधिकतम लीडर मूल्य माने गए है, के समान स्थिर किए जाएंगे। जहां पर ऐसे फार्मूलेशनों के बारे में अलग अलग निर्माणकर्ता के चालू मूल्य लीडर मूल्यो से कम होंगे, मूल्यों में वृद्धी नहीं होने दी जाएगी, और जहां कहीं ऐसे फार्मूलेशनो के बारे में अलग अलग निर्माणकर्ताओ के चालू मूल्य लीडर मूल्यों से अधिक हैं, ऐसे निर्माताओं को अपने मूल्य कम करने पड़ेंगे।

नवसारी रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं की व्यवस्था करना

1312. **प्रो० पी० जी० मावलंकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम रेलवे में दक्षिण गुजरात में स्थित नवसारी रेलवे स्टेशन दयनीय और अवव्यस्थित स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो क्या नवसारी में इस स्थिति का समाधान करने और इसमें सुधार लाने के लिये कोई ठोस और तात्कालिक कार्यवाही कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो वह कार्यवाही क्या है और बेहतर सुविधाओं, मजबूत और चौड़े प्लेटफार्मों, समुचित शेडों आदि के रूप में इनके परिणाम कितनी जल्दी पता चलेंगे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क), (ख) और (ग) : नवसारी रेलवे स्टेशन की स्टेशन इमारत की आकृति अच्छी है और संरचना की दृष्टि से भी यह अच्छी हालत में है, स्टेशन की इमारत पर नियमित रूप से सफेदी और उसकी देखभाल की जाती है। जब कभी मरम्मत की जरूरत होती है, तो मरम्मत कर दी जाती है। फिलहाल, स्टेशन इमारत के पुनर्निर्माण/नवीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है।

मौजूदा सुविधाओं में वृद्धि करने का भी फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेलवे आरक्षण में अवैध व्यापार

1313. **श्री पीयूष टिर्की :**
प्रो० समर गुह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश के बड़े नगरों में रेलवे आरक्षण में अवैध व्यापार की बुराई को पूर्णतया समाप्त करने के आश्वासन दिये जाने के बावजूद यह अब भी जारी है;

(ख) क्या यह सच है कि पिछले गर्मी के मौसम में जनता को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था ; और

(ग) यदि हां, इस स्थिति का किस प्रकार मुकाबला करने का सरकार का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग): अनधिकृत ऐंजेंटों, दलालों और अन्य समाज-विरोधी तत्वों द्वारा रेलवे आरक्षण को चोरबाजारी के मामले--विशेषकर ग्रीष्मकालीन भीड़-भाड़ की अवधि के दौरान जब इस प्रकार की कारगुजारी के फिर से उभरने की हमेशा सम्भावना होती है-- रेल प्रशासन के ध्यान में आये हैं। भ्रष्ट और अनियमित कारगुजारियो की रोक थाम के लिए आयोजित गहन जांचों के परिणामस्वरूप बहुत से अनधिकृत व्यक्ति, दलाल और अन्य समाज-विरोधी तत्व पकड़े गये हैं। आरक्षण प्रबन्धों को सरल और कारगर बनाया गया है और धोखा-धड़ी-विरोधी दस्तों और सतर्कता संगठन की सहायता से जांच-कार्य को और भी गहन एवं तेज कर दिया गया है। तात्का-

लिक प्रभाव पैदा करने के लिए रेल टिकटों की बुकिंग और आरक्षण में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए रेल मंत्रालय में एक विशेष दस्ते का गठन किया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरक्षण प्राप्त करने में सदाशयी यात्रियों को कोई असुविधा न हो, समय समय पर विशेष अभियान आयोजित किये जाते रहे हैं।

हिमालय पर तेल की खोज के लिए सर्वेक्षण

1314. **श्री पीयुष टिर्की :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमालय में किन किन घाटियो में इस समय तेल की खोज के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है ;

(ख) इस कार्य पर अब तक कितनी धन राशि खर्च की गई है ; और

(ग) क्या उसके कोई परिणाम निकले हैं और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमबती नन्दन बहुगुणा) : (क) इस समय हिमालय के विभिन्न भागों में तीन भूगर्भीय अन्वेषण करने वाले दल सर्वेक्षण कार्य कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सतलज घाटी क्षेत्र में एक दल सर्वेक्षण कर रहा है। दूसरा दल पश्चिम जम्मू में कार्य कर रहा है और तीसरे दल को दार्जीलिंग के रंजीत घाटी में लगाया गया है।

(ख) वर्ष 1975-76 और 1976-77 के फील्ड मौसमों के दौरान हिमालय के क्षेत्रो में अन्वेषी सर्वेक्षण पर 30.83 लाख रुपये का खर्च आया। वर्ष 1977-78 के फील्ड मौसम के बारे में सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

(ग) अभी तक इन क्षेत्रों से किसी हाइड्रोकार्बन के वाणिज्यिक संचय का पता नहीं चला है।

बम्बई तट दूर बेसिन में ड्रिलिंग कार्य के लिए प्लेट फार्म लगाने के लिए विश्व से सहायता

1315. **श्री पीयुष टिर्की :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई तट दूर बेसिन में ड्रिलिंग के लिए प्लेटफार्म आदि लगाने, खरीदने और प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक से अब तक कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ;

(ख) धन राशि किस प्रकार खर्च की गई ;

(ग) क्या धन राशि सरकार की निगरानी में खर्च की गई ; और

(घ) प्रत्येक प्लेटफार्म पर कितनी लागत आई और प्लेटफार्म लगाने का काम किन कम्पनियों को दिया गया था ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (घ) : बम्बई हाई परियोजना के चरण- III विकास कार्यक्रम के भाग का वित्त प्रबंध करने के लिए इंटरनेशनल बैंक फार रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेन्ट ने 150 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण स्वीकृत किया है। जिसमें से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने 68 मिलियन अमेरिकी डालर मै० ब्राउन एंड रुट के भुगतान के लिए लिया है जिसको बम्बई हाई से उरान तक अन्तः सागरीय पाइप-लाइन बिछाने के लिए, सरकार के अनुमोदन पर, ठेके प्रदान किये गये थे।

शोध प्लेटफार्म और कुएं के प्लेटफार्म के निर्माण कार्य, ढांचे के निर्माण आदि के लिए अभी तक कोई ठेका नहीं दिया गया और इसलिए इसके लिए कोई धन नहीं लिया गया।

क्राम्पटन द्वारा टोशिबा आनन्द लैम्पस का अधिग्रहण

1316. **श्री एन० श्रीकान्त नायर :**
श्री बयालार रवि :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग की स्वीकृति लिये बिना ही 'क्राम्पटन' द्वारा 'टोशीबा आनन्द लैम्स' का अधिग्रहण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग से अनुमति न लेने के लिये क्राम्पटन ने क्या तरीके अपनाये और एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिये इस फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) तथा (ख) : मै० क्राम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड ने मै० टोशीबा आनन्द लैम्प्स लिमिटेड के 10 रु. की दर के 3,75,027 पूर्ण प्रदत्त साम्य हिस्सों की अवाप्ति के लिये कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 372(4) तथा एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 23 (4) के अन्तर्गत कम्पनी कार्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये हैं ।

नियोजनकर्ता कम्प नी के लिये इस प्रकार की अवाप्ति के लिये, एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है । तथापि, एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 23 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार, यदि वह उचित न समझे, तो मामले को, एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग को जांच के लिये तथा इस अधिनियम की धारा 23(4) के अन्तर्गत आवेदन-पत्र पर अपनी राय देने के लिये निर्देशित कर सकती है ।

क्राम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड ने, इन दो कम्पनियों के एकीकरण के लिये सिद्धांत रूप से अनुमोदन प्राप्त करने के लिये आयकर अधिनियम, 1962 की धारा 72(क) के अन्तर्गत औद्योगिक विकास विभाग को भी एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है। सभी तीनों आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं।

उर्वरक कारखानों की उत्पादन क्षमता

1317. **श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरक कारखानों की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है ; और

(ख) देश में उनके उपयोग की प्रतिशत कितनी है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : अपेक्षित ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

	नाईट्रोजन	फास्फेट $पी_2$ $ओ_5$
वर्तमान स्थापित क्षमता (लाख मी० टन में) .	32.59*	10.80**
अप्रैल से अक्तूबर के दौरान क्षमता उपभोग (प्रतिशत) . . .	66	74.9

*सिन्दरी में 90,000 मीटरी टन की क्षमता इस समय परिचालन में नहीं है ।

**$पी_2ओ_5$ की 31,000 मीटरी टन की क्षमता उत्पादन में नहीं है ।

अरब सागर तथा बंगाल की खाडी में पेट्रोलियम की खोज

1318. **श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पेट्रोलियम के भंडार का पता लगाने के लिये अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में खोज कार्य कर रही है ; और

(ख) यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) (क) : और (ख) गत समय में हाईड्रोकार्बन की खोज करने के लिए अन्वेषण किये गये हैं और इस समय अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भी अन्वेषण किये जा रहे हैं ।

पहले किये गये प्रयासों के परिणामों के अन्तर्गत बम्बई हाई और उत्तर बेसिन संरचना में वाणिज्यिक मात्राओं में तेल की खोज और दक्षिण बेसिन संरचना में वाणिज्यिक मात्राओं में गैस की खोज शामिल है ।

इस समय तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अरब सागर में तीन संरचनाओं पर खुदाई कर रहा है । आयल इंडिया लिमि० बंगाल की खाड़ी में महानदी बेसिन में अन्वेषण कार्य कर रहा है और वर्ष 1979 के दौरान प्रथम कुएं को खोदने की योजना पर कार्य कर रहा है ।

प्राकृतिक गैस की मांग

1319. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्राकृतिक गैस की मांग कितनी है ; और

(ख) उसकी सप्लाई कितनी है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) देश में प्राकृतिक गैस की मांग का मल्यांकन कर लिया गया हैं । उपलब्ध मात्रा का समुचित प्रयोग करने तक ही ये अध्ययन किए सीमित रखे गये हैं ।

(ख) इस समय गुजरात, असम और बम्बई अपतटीय क्षेत्र में प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जा रहा है । मुख्य रूप से असम में ही उत्पादित कुछ गैस का उपयोग नहीं हो रहा है । असम में गैस के उपयोग के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक अध्ययन दल की स्थापना की गई है ।

आंध्र प्रदेश में एक उर्वरक कारखाना लगाने का प्रस्ताव

1320. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमोनियम सल्फेट और कैलसियम अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करने के लिये आंध्र प्रदेश में एक और उर्वरक कारखाना आरम्भ करने का सरकार का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : आंध्र प्रदेश के विज़ाग नामक स्थान पर एक कार्यरत यूनिट मिश्रित उर्वरक का उत्पादन कर रहा है । इसके अलावा अमोनिया और यूरिया के उत्पादन के लिए दो परियोजनाएं रामागुण्डम और काकीनाड़ा में कार्यान्वयाधीन है ।

उर्वरक परियोजना की स्थापना तकनीकी आर्थिक पहलुओं पर आधारित हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ कच्चे माल की उपलब्धता "इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं की उपलब्धता, बाज़ार की सामीप्यता और परियोजना के लाभप्रद विपणन जिन में उर्वरकों की मांग आदि भी सम्मिलित हैं । छठीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रस्ताव रखा गया है कि नई परियोजनाएं, जो विशेषकर बम्बई हाई/बासीन तथा आसाम से उपलब्ध गैस पर आधारित हों, स्थापना उनके सप्लाई साधनों के नजदीक की जाए । आंध्र प्रदेश में अमोनिया सल्फेट और कैल्सियम अमोनिया नाइट्रेट के उत्पादन के लिए एक उर्वरक परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । अतिरिक्त क्षमता के सुधार के लिए यूरिया, जो एक उच्च विश्लेषणात्मक तर्क नाइट्रोजनस उर्वरक है, को प्राथमिकता दी गई है ।

दंड प्रक्रिया संहिता और सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने का प्रस्ताव

1321. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि, मंत्री दंड प्रक्रिया संहिता और सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने के लिये एक व्यापक विधेयक लाने के बारे में एक प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं जिससे कि मुकदमों के कार्य में असाधारण विलम्ब को कम किया जा सके और सरकार और पक्षकारों के खर्च में कमी हो सके ; और

(ख) क्या भारत के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति श्री वाई० बी० चन्द्रचूड़ ने न्यायालय में प्रतिपरीक्षा को समाप्त करने और समय बचाने के लिए उसके स्थान पर लिखित दलिले देने की व्यवस्था करने का सुझाव सार्वजनिक रूप से दिया है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, नहीं । किन्तु सरकार विधान बनाकर या अन्यथा न्यायालयों में होने वाले विलम्ब को कम करने की समस्या पर बराबर ध्यान देती है ।

(ख) सरकार ने प्रश्नगत सुझाव की बाबत समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार देखा है ।

बम्बई हाई से प्रतिदिन गैस का उत्पादन

1322. **डा० वसंत कुमार पंडित :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हाई परियोजना से वर्तमान अवस्था में प्रतिदिन कितनी मात्रामें गैस का उत्पादन होनें का अनुमान है ;

(ख) आगामी चरणों में बम्बई हाई से प्रतिदिन और कितनी अधिक गैस प्राप्त करने की योजना है ;

(ग) क्या इस समय बम्बई हाई से प्राप्त गैस का 75 प्रतिशत भाग गुजरात और महाराष्ट्र को उर्वरक परियोजनाओं के लिये देने का वचन दिया गया है ;

(घ) फालतु गैस के उपयोग, प्रस्ताव के बारे में क्या निर्णय लिया गया है और वह किस राज्य को दी जायेगी ; और

(ड़) क्या सरकार को इस गैस का झाबुआ जिले के पिछड़े क्षेत्र में उर्वरक संयंत्र के लिए प्रयोग किये जाने के बारे म मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख): बम्बई हाई से संबद्ध गैस के उत्पादन की वर्तमान दर लगभग 1.15 मि० घन मीटर प्रतिदिन है । संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बम्बई हाई से उत्पादित की जाने वाली संबध्द गैस की मात्रा इस प्रकार होगी ।

वर्ष	प्रति दिन गैस मि० घन मीटर में
1978–79	1.15
1979–80	1.35
1980–81	1.80
1981–82	2.50
1982–83	2.70

(ग) से (ङ): बम्बई हाई से अपतटीय गैस के उपयोग की अधिकतम मात्रा का अध्ययन करने के लिए बेसिन उत्तर और बेसिन दक्षिण गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के लिए दो कार्यकारी दलों की स्थापना की गई थी । उनकी सिफारिशों में जिन्हें सरकार ने मुख्यतः स्वीकार कर लिया है, अन्य बातों को साथ साथ चार उर्वरकों प्रायोजनाओं , दो महाराष्ट्र में और दो गुजरात में, का स्थापित करना शामिल है । गुजरात के कार्यकारी दल ने यह वर्ष 1985 -86 में लगभग 3481 प्रतिदिन मि० घन मी० की आवश्यकता का अनुमान लगाया है वहां महाराष्ट्र क कार्यकारी दल ने 1984–85 में लगभग 3.5 प्रतिदिन मि० घन मीटर की आवश्यकता होने का अनुमान लगाया है ।

मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें इसके साथ झाबुआ जिले में मुख्य उर्वरक उद्योग समुह की स्थापना करने के लिए बम्बई हाई से गैस की सप्लाई का उल्लेख किया गया है ।

अपतटीय गैस भंडार राष्ट्रीय सम्पत्ति है और इसलिए उनका उपयोग सम्पूर्ण राष्ट्रीय विचार तथा देश की अर्थ व्यवस्था के हित में इसके अधिक उपयोग को ध्यान में रखकर किया जायेगा ।

औषध फर्मों द्वारा आय छुपाने के बारे में शिकायतें

1323. **डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभाग को विदेशी सहयोग वाली फार्मास्यूटिकल्स और औषध फर्मों द्वारा निर्यात से होने वाली आय, गैर-कानूनी अन्तरा तथा कर अपवंचन के बारे में 31 अक्तूबर, 1978 तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कम्पनियों के नाम क्या हैं और कितनी गैर-कानूनी धनराशि के बारे में शिकायतें हैं ;

(ग) विदेशी मुद्रा विनियमन, अधिनियम के अन्तर्गत कर तथा जुर्माना वसूल करने के अतिरिक्त सरकार ने उक्त कम्पनियों के विरुद्ध किस प्रकार की कार्रवाई की हैं, और

(घ) क्या औषधियों के नाम पर सौन्दर्य प्रसाधनों का उत्पादन करने वाली विदेश स्थित कुछ फार्मास्यूटिकल्स त । औषध कम्पनियों के संबंध में सरकार को शिकायतें मिली हैं यदि हां, तो इस गैर-कानूनी वर्गीकरण के विरुद्ध क्या कार्रवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) सरकार को केवल एक विदेशो कम्पनी जिसका नाम मैसर्स एबोट लेबोरेटरिज है, के विरुद्ध इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई है ।

(ख) से (घ) : मांगी गई सूचना, लोक सभा में दिनांक 29.8.78 तथा 21.11.78 को क्रमशः प्रश्न संख्या 4749 और 370 के उत्तर में पहले ही दी जा चुकी हैं ।

इलाहबाद उच्च न्यायालय में लम्बित मामले

1324. **श्री गंगा भक्त सिंह** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्टूबर, 1978 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लम्बित मामलों की कुल संख्या कितनी है और वे कब से लम्बित हैं और उनकी श्रेणीवार संख्या कितनी है ;

(ख) विलम्ब के क्या कारण हैं और 31 दिसम्बर, 1977 तक रजिस्टर किए गए मामलों को कब तक निपटा दिये जाने की संभावना है ; और

(ग) इस न्यायालय में प्रत्येक ग्रेड में कितने पद रिक्त पड़े हैं, वे किस तारीख से रिक्त पड़े हैं और उन्हें कब तक भरे जाने की संभावना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) तारीख 31 अक्टूबर, 1978 की स्थिति की जानकारी उपलब्ध नहीं हैं । 30 जून, 1978 की स्थिति की अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) मामलों के निपटारे में विलम्ब का मुख्य कारण संस्थित किए जाने वाले मामलों की संख्या में वृद्धि है । संस्थित किए जाने वाले मामलों की संख्या जो 1972 में 44,417 थी वह 1977 में बढ़कर 57,571 हो गई, किन्तु न्यायाधीशों की संख्या में उसी अनुपात और समय से वृद्धि नहीं हुई । इन मामलों के निपटारे के लिए कोई समय सीमा नहीं नियत की जा सकती है ।

(ग) स्थायी न्यायाधीशों के दो पद क्रमशः तारीख 22-3-1978 और 4-4-1978 से रिक्त हैं । इन रिक्त स्थानों को भरने के लिए नियुक्तियों का अनुमोदन कर दिया गया है । अपर न्यायाधीश का कोई पद रिक्त नहीं है । किन्तु अपर न्यायाधीशों के छह नए पद जो उस तारीख से मंजूर किए गए हैं जिस तारीख को वे भरे जाएं, अभी भरे जाने हैं ।

[**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2889/78**]

उत्तर प्रदेश में स्थानीय रेलगाड़ियों में भीड़-भाड़

1325. **श्री गंगा भक्त सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश में स्थानीय रेलगाड़ियों में सदा बहुत भीड़-भाड़ रहती है ;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हां, तो क्या किसी अध्ययन दल ने इस सम्बन्ध में जांच की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार गोरखपुर और वाराणसी के बीच और लखनऊ-समस्तीपुर लाइन पर अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाने और वर्तमान रेलगाड़ियों के साथ और डिब्बे जोड़ने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : यात्री गाड़ियों में भीड़-भाड़ की सीमा का आकलन करने के लिए, उनमें यात्रियों द्वारा स्थान के उपयोग की संगणना वर्ष में दो बार की जाती है । इन संगणनाओं के परिणाम के आधार पर और अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए नयी गाड़ियां चलाने के सम्बन्ध में कदम उठाये जाते हैं, गाड़ियों की गमन-दूरी बढ़ायी जाती है तथा गाड़ियों में डिब्बों की संख्या में वृद्धि की जाती है । उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पूर्वोत्तर रेलवे की सभी गाड़ियों में सदा भीड़-भाड़ की अधिकता नहीं पायी जाती ।

(ग) गोरखपुर-वाराणसी तथा लखनऊ-समस्तीपुर मार्गों पर, बाराबंकी-सोनपुर खंड के बड़ी लाइन में बदलाव के कारण मार्गवर्ती खंडो पर लाइन क्षमता पर अत्यधिक दबाव होने के कारण अतिरिक्त गाड़ियां चलाना इस समय परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है । फिर भी वर्ष 1977-78 के दौरान विभिन्न खंडों पर एक या दो यान लगाकर, 23/24, 25/26, 9/10, 49/50 और 17/18 गाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ा दी गयी है ।

साधारण टिकटधारी यात्रियों द्वारा आरक्षित डिब्बों में यात्रा

1326. **श्री गंगा भक्त सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि साधारण टिकटधारी यात्री आरक्षित श्रेणी (तीन टायर/दो टायर) के डिब्बों में यात्रा कर जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, और इसे कब तक पूर्णतया रोक दिया जायेगा ; और

(ग) क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रही है अथवा गैर-आरक्षण टिकटधारियों को आरक्षित डिब्बों में यात्रा करने की सुविधा दे रही है ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) महानगरों और प्रमुख नगरों के आस पास लम्बी दूरी की डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों के आरक्षित डिब्बों में कम दूरी के यात्रियों के घुस बैठने के मामले रेल प्रशासन के नोटिस में आये हैं ।

(ख) शयन यानों के साथ ड्यूटी पर चलने वाले कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने की हिदायत है कि अनधिकृत यात्री शयन-यानों में न घुसें । तथापि, कभी-कभी ऐसें यात्रियों को रोकना कठिन हो जाता है । अचानक छापे भी मारे जाते हैं और इन यानों में यात्रा करते पाये गये कम दूरी के यात्रियों के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है । शयन-यानों के साथ चलने वाले कर्मचारियों द्वारा जान-बूझ कर की गयी लापरवाही के मामलों को गम्भीरता से लिया जाता है और उनके खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जाती है ।

(ग) थोड़ी-थोड़ी दूर के दैनिक यात्रियों की सुविधा के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं, ताकि वे लम्बी दूरी को डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों के आरक्षित डिब्बों में न घुसें :—

(i) महानगरों के आस-पास के दैनिक यात्रियों के लिए बड़ी संख्या में उपनगरीय गाड़ियां चलायी जाती हैं ।

(ii) अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों के आस-पास के दैनिक यात्रियों के लिए शटल गाड़ियां चलायी जाती हैं ।

(iii) कुछ आरक्षित गाड़ियों, जैसे दक्कन क्वीन, म दैनिक यात्रियों के लिए अनारक्षित डिब्बे लगाये जाते हैं ।

(iv) लम्बी दूरी की गाड़ियों के देर से चलने की स्थिति में आमतौर पर उपनगरीय और शटल गाड़ियों को तरजीह दी जाती है ताकि दैनिक यात्रियों को कोई असुविधा न हो ।

न्यायालयों में लम्बित मामले

1327. **श्री गंगा भक्त सिंह** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि देश के विभिन्न न्यायालयों में लगभग 15,000 मामले लम्बित हैं जिसके परिणामस्वरूप लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है ;

(ख) 31 मार्च, 1976, 1977 और 1978 को विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लम्बित मामलों की संख्या कितनी थी और सबसे पुराना मामला किस तारीख से लम्बित है ; और

(ग) लम्बित मामलों की सुनवाई किन कारणों से नहीं की जा रही है और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) यह सही है कि विभिन्न न्यायालयों में 15,000 से अधिक मामले लम्बित हैं ।

(ख) उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उच्चतम न्यायालय में तारीख 31-3-1976, 31-3-1977 और 31-3-1978 को लम्बित नियमित मामलों की संख्या क्रमशः 10886, 11415 और 17390 थी । उच्चतम न्यायालय में लम्बित सबसे पुराने मामले वर्ष 1968 की थोड़ी सी सिविल अपीलें हैं और उस वर्ष की लम्बित सभी तैयार अपीलें दैनिक या साप्ताहिक बोर्ड पर हैं और उनका निपटारा इस वर्ष के दौरान कर दिए जाने की संभावना है ।

तारीख 31-3-1976, 31-3-1977 और 31-3-1978 को उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों की और उस तारीख की जिससें कि सबसें पुराना मामला लम्बित है, जानकारी उपलब्ध नहीं है । 30-6-1976, 30-6-1977 और 30-6-1978 को लम्बित मामलों की संख्या और दस वर्ष सें अधिक अवधि सें लम्बित मामलों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) लम्बित मामलों की सुनवाई की व्यवस्था में विलम्ब होने का मुख्य कारण संस्थित किए जाने वाले मामलों की संख्या में वृद्धि होना है । मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की गई है, अर्थात् :—

(i) उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 का संशोधन करके 31 दिसम्बर, 1977 से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की (जिसमें मुख्य न्यायाधिपति सम्मिलित नहीं है) मंजर की गई संख्यां 13 से बढ़ा कर

17 कर दी गई है। तारीख 1-1-1978 और 22-2-78 को न्यायमूर्ति पी० के० गोस्वामी और न्यायमूर्ति एम० एच० बेग के सेवानिवृत्त होने से जो स्थान रिक्त हुए थे और हाल ही में सृजित किए गए दो नए पद भी भर दिए गए हैं।

(ii) उच्च न्यायालयों में काफी रिक्त स्थानों को भर दिया गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य प्राधिकारियों/मुख्य न्यायाधिपतियों से प्रस्ताव मांगने के लिए पहले की गई है और जहां आवश्यक था, सम्बद्ध राज्य प्राधिकारियों/मुख्य न्यायाधिपतियों को स्मरणपत्र भेजे गए हैं। 1 अप्रैल, 1977 से 25 नवम्बर, 1978 तक की अवधि में 90 नई नियुक्तियां की गई है।

(iii) उन उच्च न्यायालयों में जिनके संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए थे न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी गई है। यह वृद्धि निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में उन तारीखों से की गई है जिन तारीखों को वे पद भरे जायेंगे :—

उच्च न्यायालय का नाम	मंजूर किए गए अतिरिक्त पद	
	स्थायी	अपर
इलाहाबाद	..	9
मध्य प्रदेश	..	6
कर्नाटक	1	5
हिमाचल प्रदेश	..	2
पटना	..	3
राजस्थान	..	1
दिल्ली	..	4
	1	30-31

(iv) विभिन्न राज्यों की विधिज्ञ परिषदों और बार एसोसिएशनों को पत्र भेजे गए हैं जिनमें उनसें यह अनुरोध किया गया है कि वे मामलों को शीघ्र निपटाने के कार्य में अपना सहयोग दें और उसके लिए अपने सुझाव भी दें।

(v) विधि आयोग सें बकाया मामलों की आम समस्या सुलझाने के लिए उचित उपाय बताने का अनुरोध किया गया है। आयोग इस विषय पर विचार कर रहा है।

(vi) उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त करके, हाल ही में उच्चतम न्यायालय नियमों में संशोधन किया है जिससें कि उच्चतम न्यायालय में मामले शीघ्र निपटाए जा सकें।

विवरण

उच्चतम न्यायालयों में तारीख 30-6-1976, 30-6-1977 और 30-6-1978 को लम्बित मामलों को और उन मामलों को जो उच्च न्यायालयों में 30-6-1978 को दस वर्ष से अधिक समय से लम्बित थे, दर्शाने वाला विवरण

उच्च न्यायालय का नाम	निम्नलिखित तारीखों पर लम्बित मामलों की संख्या			30-6-1978 को दस वर्ष से अधिक समय से लम्बित मामलों की संख्या
	30-6-1976	30-6-1977	30-6-1978	
1	2	3	4	5
इलाहाबाद	1,13,428	1,25,447	1,39,315	6,382
आन्ध्र प्रदेश	19,837	15,332	16,735	1
मुम्बई	54,827	53,448	54,925	1,007
कलकत्ता	76,787	74,923	69,380	6,219
दिल्ली	23,364	25,058	28,946	693

विवरण—जारी

1	2	3	4	5
गोहाटी	6,472	6,446	6,727	34
गुजरात	13,178	12,331	12,320	8
हिमाचल प्रदेश	4,126	4,711	4,563	22
जम्मू-कश्मीर	3,427	4,344	5,339	23
कर्नाटक	20,198	28,656	41,847	2
केरल	44,056	43,919	37,389	..
मध्य प्रदेश	41,538	44,172	46,652	384
मद्रास	41,627	46,925	52,919	50
उड़ीसा	6,362	5,598	6,958	2
पटना*	26,022	28,079	32,433	1,005
पंजाब और हरियाणा	37,137	41,565	42,599	1,452
राजस्थान	20,724	19,705	22,964	476
सिक्किम	25	36	19	..
कुल	5,53,135	5,80,695	6,22,030	17,760

*केवल मुख्य मामले।

विदेशी औषध कम्पनियों की आस्तियां

1328. **श्री के० ए० राजन** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कार्यरत उन विदेशी औषध कम्पनियों के नाम तथा उनकी आस्तियां क्या हैं जिनमें प्रत्यक्ष तथा परोक्ष शेयर होल्डिंग 40 से 50 प्रतिशत और 51 से 75 प्रतिशत के बीच हैं तथा 75 प्रतिशत से अधिक हैं ;

(ख) क्या सरकार को विचार उत्पादन में अन्तर्ग्रस्त विदेशी प्रौद्योगिकी की मात्रा पर आरिक्षित रहते हुए विदेशी इक्विटी को 40 प्रतिशत से अधिक रखने की अनुमति देने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) संगठित क्षेत्र की औषध कम्पनियां जिनकी प्रत्यक्ष विदेशी साम्यपूंजी 46 प्रतिशत से अधिक है, के संबंध में वांछित सूचना लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1231, जिसका उत्तर आज ही दिया जा रहा है, में दी गई है। अन्य औषध कम्पनियां, जिनकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साम्यपूंजी 40 प्रतिशत सें अधिक है, के संबंध में ऐसी ही सूचना परिशिष्ट में दी गई है।

(ख) और (ग) : विदेशी मुद्रा विनियमन आधनियमन 1973 के अन्तर्गत नीति के अनुसार कम्पनियों में विदेशी पूंजी के भाग अनुज्ञासीमा 70 प्रतिशत या 51 प्रतिशत या 40 प्रतिशत, है जो कि कम्पनी की गतिविधियों पर निर्भर है। परन्तु जो यूनिट 100 प्रतिशत निर्यात कर रही हैं, उनमें प्रत्येक मामले के गुण के आधार पर 74 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्यपूंजी की अनुमति दी जा सकती है। परन्तु नई औषध नीति के अनुसार, जो विदेशी कम्पनियां ऐसे फार्मुलेशन्स या बल्क औषधों का उत्पादन कर रहे हैं, जिनके लिए उच्चकोटि की प्रौद्योगिकी की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अपनी विदेशी साम्यपूंजी अब 40 प्रतिशत तक लानी होगी। जहां तक शेष कम्पनियों का संबंध है किस स्तर तक वे विदेशी साम्यपूंजी रख सकते हैं, इसका निरीक्षण फेरा के मार्गदर्शन सिद्धान्तों के अनुसार किया जाएगा जोकि अन्य सभी उद्योगों में लागू होते हैं। ऐसा करते समय नई औषध नीति सम्बन्धी विवरण-पत्र के पैरा 17 को ध्यान में रखा जाएगा।

विवरण

क्रम सं०	फर्म का नाम	विदेशी साम्यपूंजी	वर्ष	वर्तमान साम्यपूंजी	दीर्घावधि ऋण	रिजर्वस / अधिशेष
1	2	3	4	5	6	7
1	मैसर्स इथनौर०	75 प्रतिशत	1974	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
		(सभी अप्रत्यक्ष)	1975	5.00	0.34	46.67
			1976	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	मैसर्स रुज़ल फार्म लि०	66.67 प्रतिशत	1974	6.54	3.59	98.11
		(33.33 प्रतिशत	1975	6.54	65.01	68.69
		अप्रत्यक्ष सहित)	1976	6.54	110.49	74.67
3.	मैसर्स बांडर लि०	49 प्रतिशत	1974	15.00	28.64	19.31
		(9 प्रतिशत	1975	15.00	46.58	20.81
		अप्रत्यक्ष सहित)	1976	लागू नही	लागू नहीं	लागू नही
4.	मैसर्स सरले इंडिया लि०	47.5 प्रतिशत	1974	69.00	74.03	37.09
		(8.37 प्रतिशत	1975	69.00	85.02	48.90
		अप्रत्यक्ष सहित)	1976	69.00	54.50	49.84
5.	मैसस वोहिंगर बाल लि०	46.4 प्रतिशत	1974-75	80.00	55.09	245.44
		(8.1 प्रतिशत	1975-76	39.70	61.42	281.20
		अप्रत्यक्ष सहित)	1976-77	40.75	78.57	298.55

हुबली डिवीजन का विकल्प देने वाले सभी कर्मचारियों का दक्षिण रेलवे में स्थानान्तरण

1329. **श्री के० ए० राजन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुबली डिवीजन का विकल्प देने वाले सभी कर्मचारियों को दक्षिण रेलवे में स्थानान्तरित कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या उनके मामले पर नया तिवेन्द्रम डिवीजन बन जाने पर विचार किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) हुबली मण्डल के लिए विकल्प देने वालों का दक्षिण रेलवे पर स्थानान्तरण उस सीमा तक कर दिया गया है जहां तक उन्हें उस रेलवे पर खपाया जा सकता था।

(ख) नये तिरुवनन्तपुरम मण्डल के गठन के बारे में अभी तक अन्तिम रुप में से कोई विनिश्चय नहीं किया गया है। केवल अतिरिक्त पदों की स्वीकृति मिलने पर ही विकल्प दिये जाने का प्रश्न उत्पन्न हो पाएगा।

मैसर्स फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी

1330. **श्री विजय कुमार एन० पाटिल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एक अमरिकी बहुराष्ट्रीय फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी पर तुलसा, ओक्लाहोमा (यू०एस०ए०) में फैडरल ग्रांड ज्यूरी ने कर विधियों का उल्लंघन करने का दोष लगाया था कि इसके चेयरमैन सहित तीन कार्यकारी अधिकारियों को अन्य आरोपों के साथ साथ अपने विदेशी एजेंटों को घुस दिये जाने के आरोपों के कारण 5 वर्ष के कारावास का दण्ड दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है अथवा उसके विरुद्ध कार्यवाही करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : संयुक्त राज्य अमेरिका में ओक्लाहोमा स्थित तुलसा की फेडरल ग्रांड ज्यूरी नें संयुक्त राज्य अमेरिका की फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी द्वारा किये गये कर-कानून संबंधी उल्लंघन की जांच की थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायालय में दर्ज किये गये अभियोग पत्र में, ग्रांड ज्यूरी ने फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी और इसके कुछ कार्यकारियों को सात मद्दों पर दोषी ठहराया। इन अभियोगों में से कुछ का सम्बन्ध कम्पनी द्वारा अपनी कर सम्बन्धी विवरणों में भारत में कोचीन शोधनशाला लिमि० से तकनीकी सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त धन को दिखाने में कम्पनी की असफलता से है। तुलसा के मुख्य जिला न्यायाधीश ने फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी और अन्य सभी प्रतिवादियों के सारे अभियोगपत्र को खारिज कर दिया है। बाद में, संयुक्त राज्य अमेरिका के विधि विभाग ने फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी के विरुद्ध अन्य अभियोगों के साथ इस आशय का एक फौजदारी मुकदमा दायर किया कि कम्पनी कोचीन शोधनशाला लिमि० से प्राप्त आय को अपनी विवरणियों से दिखाने में असफल रही। ओक्लाहोमा के उत्तरी जिले में स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायालय ने उक्त फौजदारी मुकदमें में फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी को दोषी पाया और कम्पनी पर कुल 30,000 डालर का जुर्माना लगाया।

कम्पनी के विदेशी अधिकर्ताओं को घूंस देने के अभियोग के साथ साथ अन्य अभियोगों पर कम्पनी के अध्यक्ष सहित इसके तीन कार्यकारियों को 5 वर्ष के कारावास से संबंधित सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

संयुक्त राज्य अमेरीका में कर-कानून का उल्लंघन करने के लिए उसी देश की फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी के विरुद्ध भारत सरकार किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकती है।

पानीपत स्थित उर्वरक कारखाने द्वारा हेसियन और एच० डी० पी० के बोरे खरीदें जाना

1331. **डा० सरोजिनी महिषी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पानीपत स्थित उर्वरक कारखाने के कार्यकरण की जांच की हैं ;

(ख) क्या उस उर्वरक कारखाने ने हाल ही में हैसियन और एच०डी०पी० के बोरे खरीदे हैं। यदि हां, तो खरीद की दरों सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या व्यापारियों से दरें मंगाई गई थीं, यदि हां तो प्रत्येक व्यापारी द्वारा दी गई दरों का ब्यौरा क्या हैं ; और

(घ) वर्तमान सप्लाई कर्ताओं के ठेके की अवधि क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं। सरकार ने मैसर्स नेशनल फर्टिलाइजर लि० के पानीपत यूनिट के कार्यकलापों में किसी सामान्य जांच की आवश्यकता महसूस नहीं की।

(ख) और (ग) : मैसर्स नेशनल फर्टिलाइजर लि०, जो पानीपत, भटिन्डा, और नांगल विस्तार परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है ने उपर्युक्त संयंत्रों के लिए अगस्त, 1978 से मार्च, 1979 की अवधि के लिए मई, 1978 में लगभग 60 लाख (±25 प्रतिशत) यूरिया की पैकिंग के लिए बोरियों की सप्लाई के लिए अखिल भारतीय स्तर पर टैंडर आमन्त्रित किए। प्रत्येक एकक टैंडर आमन्त्रित नहीं करता। एन० एफ० एल० ने उपर्युक्त 3 एककों के लिए मैसर्स हरियाणा जूट एंड लेमिनेटिंग वर्कस, कलकत्ता, को बिक्री कर सहित तथा पानीपत में प्रति 100 बोरी रेल भाड़ा सहित कुल करीब 381.86 रुपये (जिसमें कलकत्ता रेल भाड़ें सहित 113.85 रुपये प्रति 100 बोरी का निर्धारित अंश शामिल है) का 40 लाख बोरी सप्लाई करने का ठेका दिया और 6 लाख बोरियों की सप्लाई के लिए मैसर्स इंडिया वर्लाप एंड लेमिनेटिंग वर्कस को कुल लगभग 384.32 रुपये प्रति 100 बोरी, पानीपत में रेल भाड़े, बिक्री कर सहित, (जिसमें गन्तव्य स्थान के लिए 145 रु प्रति 100 बोरी का रेल भाड़े सहित निर्धारित संघटक शामिल है), दूसरा ठेका दिया।

पानीपत एकक ने बताए गए ठेके के विरुद्ध कोई क्रय-आदेश जारी नहीं किया है या किसी अन्य साधन से जूट की बोरियां/एच० डी० पी० बोरियों की खरीद नहीं की है। किसी समय वर्ष 1979 में शुरू में परीक्षण उत्पादन आरम्भ करने के पश्चात् एकक के अपनी आवश्यकताओं के लिए चालू ठेके के लिए क्रय-आदेश जारी करने की आशा है।

(ग) जी, हां। एन० एफ० एल० द्वारा प्राप्त कोटेशन्स के ब्यौरे संलग्न विवरण-पत्र में दिए गए हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2890/78**]

औषध फर्मों द्वारा लाइसेंस क्षमता से अधिक उत्पादन

1332. **श्री ज्योतिर्मय बसू** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बहु-राष्ट्रीय औषध फर्मों, उनकी शाखाओं अथवा सहायक फर्मों के नाम क्या हैं तथा अन्य विवरण क्या हैं जो लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन कर रही हैं ;

(ख) उन औषधियों का विवरण क्या है जिनका उत्पादन लाइसेंस क्षमता से अधिक किया जा रहा है ; और

(ग) सम्बन्धित फर्मों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है तो वह क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : गत तीन वर्षों (1976/1976-77 को समाप्त होने वाली अवधि) के दौरान अपनी लाइसेंसीकृत/अनुमोदित क्षमता से अधिक बल्क औषधों का उत्पादन करते हुए हुई पाई गई बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, शाखाएं अथवा उनकी सहायक कम्पनियों के नाम और अन्य सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट में दिये गये है ।

(ग) इस सम्बन्धमें सरकार की नीति 29-3-78 को लोक सभा पटल पर रखे गए नई औषध नीति सम्बन्धी विवरण पत्र के पैरा 27-3 में दी गई है । इस नीति को कार्यान्वयन करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2891/78**]

अस्थायी तथा नैमित्तिक कर्मचारी संबंधी नीति

1333. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की अस्थायी तथा नैमित्तिक कर्मचारियों के बारे में क्या नीति है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) अस्थायी कर्मचारियों को, नियमित रिक्तियां होने पर उनकी बारी आने पर स्थायी किया जाता है और तब वे स्थायी ओहदा प्राप्त कर लेते हैं । चालू लाइन रेलों पर नैमित्तिक श्रमिक 120 दिन की लगातार सेवा पूरी कर लेने पर अस्थायी ओहदा प्राप्त कर लेते हैं और अस्थायी रेल कर्मचारियों को मिलने वाली अधिकांश सुविधाएं प्राप्त करने के वे पात्र हो जाते हैं । निर्माण परियोजनाओं में नैमित्तिक मजदूरों को लगातार 180 दिन तक एक ही किस्म का काम करते रहने के बाद महंगाई भत्ते के अलावा वेतन को वेतनमान दर का 1/30 भाग दिया जाता है ।

ऐसे नैमित्तिक श्रमिक, जिन्होंने 120 दिन की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो, अपनी नौकरी की अवधि के आधार पर, श्रेणी-4 के नियमित पदों में स्क्रीनिंग और समाहन के पात्र हो जाते हैं । गत 8 वर्ष के दौरान, ऐसे 1.35 लाख कर्मचारियों को नियमित किया गया है । सरकार की नीति यह है कि ऐसे नियमनों को तेज किया जाये जिसके लिए कि संवर्ग समीक्षा के आदेश दे दिये गये हैं ।

विदेशी औषध फर्मों द्वारा औषधियों की अधिक कीमत लिया जाना

1334. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री औषध फर्मों द्वारा बीजक में अधिक मूल्य दिखाये जाने और बीजक में कम मूल्य दिखाये जाने के बारे में 25 जुलाई, 1978 के अतारांकित प्रश्न सं० 1242 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आरोप लगाया गया है कि रोश प्रोडक्ट्स, वर्रोज वैलकम, मे एण्ड बेकर, फारजर मार्क डेविस, ग्लेक्सो लेबोरेटरीज और अन्य कम्पनियों सहित अनेक विदेशी औषध कम्पनियां अपनी मूल कम्पनियों द्वारा निर्यात की जाने वाली औषधियों अथवा औषधियों के कच्चे माल के लिए प्रतियाबद्ध तरीके से अधिक मूल्य ले रही हैं ;

(ख) क्या उपर्युक्त कम्पनियों के विरुद्ध अधिक मूल्य लिये जाने के आरोप हैं ;

(ग) यदि हां, तो उन आरोपों का ब्यौरा क्या हैं ; और

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमबती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी ।

कांग्रेस की स्मारिका समिति को कुछ कम्पनियों द्वारा दी गई धनराशि

1335. **श्री हलीमुद्दीन अहमद** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1975-76 और 1976-77 के दौरान मैसर्स जीयाजी काटन मिल्स, ग्वालियर रेयंस, टेल्को, टिस्को, हिन्दुस्तान लीवर, फिलिप्स इंडिया लि० और रौनक एन्टरप्राइज ने कांग्रेस पार्टी की स्मारिका समिति को कुल कितनी धनराशि दी ;

(ख) क्या सरकार इन कम्पनियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रही है क्योंकि उन्होंने कम्पनी अधिनियम नियमों का उल्लंघन किया है ;

(ग) यदि हां, तो की जाने वाली दंडात्मक कार्यवाही का ब्यौरा क्या है तथा कब तक कार्यवाही किए जाने की संभावना है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) कम्पनी कार्य विभाग में तुरन्त उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस प्रकार की कम्पनियों के नाम (प्रश्न में संदर्भित उनसे अलग) जिन्होंने कांग्रेस पार्टी और उनके विभिन्न अगों को जो अदायगी वर्ष 1975-76 और 1976-77 की अवधि में की थी की राशी सहित संलग्न विवरण-पत्र में दी जाती है ।

(ख) से (घ) : मामलों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अभी जांच पड़ताल की जा रही है। जांच के सम्बन्ध में कार्य की विशालता कम्पनियों की अत्याधिक संख्या और गवाहियो के सारे देश में विभिन्न स्थानों पर अवस्थित होने के कारण, जांच अभी तक पूर्ण नही हो सकी है । कार्यवाही के आगे कदम के सम्बन्ध में, जांच रिपोर्ट और अन्य सम्बन्धित मामलों को प्राप्त करने और उनकी परीक्षा करने के पश्चात् ही निणय किया जा सकता है ।

विवरण

कम्पनी का नाम	कांग्रेस पार्टी और उसके विभिन्न अंगों को विज्ञापनों के लिए दी गई राशि 1975-76	1976-77 (31-3-1977 तक)
1. मैसर्स जियाजीराव काटन मिल्स लि०	126.7	607.8
2. मैसर्स ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि०	299.5	1187.8
3. मैसर्स टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लि०	–	1700.0
4. मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०	–	1860.0
5. मैसर्स भारत स्टील ट्यूब्स लिमिटेड (एन्टरप्राईज)	300.0	4.5

पुर्वोत्तर रेलवे में चलाई गई नई गाड़ियां

1337. **श्री मृत्युंजय प्रसाद** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तुबर, 78 के अन्तिम सप्ताह में पूर्वोत्तर तथा उत्तर और पूर्व रेलवे में कुछ नई गाड़ियां चलाई गई हैं और पुरानी गाड़ियों की रफ्तार तेज की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये नई गाड़ियां चलाये जाने और पहले से चल रही गाड़ियों में, जहां कहीं, समय-सारणी में फेर बदल किया गया हो उसकी सूचना समाचार-पत्रों में छापी गई थी, यदि हां, तो किन में और किस-किस तारीख के समाचार-पत्रों में और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या हाल में किये गये परिवर्तनों को दिखलाने वाली समय-सारणी पुस्तिकाएं रेलवे स्टेशनों पर मिल रही है; यदि हां; तो कब से और यदि नहीं, तो इन्हें कब तक छापा जायेगा और ये कब से मिलने लगेंगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : जी हां, अक्तूबर के अन्तिम सप्ताह में, सप्ताह में दो बार चलने वाली नं० 173/174 हवड़ा–जम्मू तवी हिमगिरी एक्सप्रेस को आरम्भ किया गया और उस सप्ताह में किसी गाड़ी को रफ्तार नहीं बढ़ायी गयी है । इस गाड़ी को आरम्भ करने के साथ-साथ इस खंड के मिले जुले आमान में

आमान-परिवर्तन के कारण 21-10-78 से सोनपुर-पहलेजाघाट खंड पर गाड़ियों के समय में किया गया परिवर्तन प्रायः सभी स्थानीय समाचार पत्रों में विधिवत अधिसूचित किया गया था।

(घ) जी हां। 1-11-1978 से लागू क्षेत्रीय रेलवे समय सारणियों को अक्तूबर, 78 के अंतिम सप्ताह में, सामान्य तया बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया था ।

तेल की खोज का कार्य

1338. **श्री राम सेवक हजारी :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल की खोज करने के कार्य में तेजी लाई जा रही है ;

(ख) यदि हां तो इस बारे में योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसे क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) विभिन्न अध्ययनों और निष्पादित सर्वेक्षणों के माध्यम से सुनिश्चित भूगर्भीय प्राथमिकताओं के अनुसार तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तटवर्ती तथा अपतटीय—दोनों प्रकार के क्षेत्रों में एक संतुलित अन्वेषण कार्यक्रम आरम्भ करता रहा है। अगली पंचवर्षीय योजना के लिए, जो कि वर्ष 1978-79 से आरम्भ हो रही है, वर्ष 1978-79 से 1982-83 तक की परिवर्तनशील योजना के लिए तैयार की गई अन्वेषण योजनाओं में भारत के प्रख्यात तेल वाले दो ! ांतों अर्थात् कैम्बे और असम-अरकान बेसिनों में न केवल अन्वेषी प्रयासों की दिशा संबंधी परिकल्पना की गयी है अपितु उन कुछ नए क्षेत्रों में भी अन्वेषी प्रयास का निर्देशन किया गया है जिन्हें तेल वाला प्रत्याशित क्षेत्र समझा जाता है। शक्तिशाली रिगों को प्राप्त करने के साथ विभिन्न बेसिनों में और अधिक गहरे क्षितिजों का पता लगाने की योजना है। इस प्रकार के सर्वेक्षणों से एक बहुत बड़े क्षेत्र को शामिल करने के लिए विभिन्न चरणों में अनेक भूकम्पीय तथा भूगर्भीय दलों की संख्या में वृद्धि करने का भी प्रस्ताव है। तटवर्ती तथा अपतटीय दोनों प्रकार के क्षेत्रों में उपलब्ध तेल भंडारों की तत्काल एक सूची तैयार करने की योजना है । अपतटीय क्षेत्रों में देश के पूर्वी, पश्चिमी—दोनों प्रकार के तटों मे संरचनाओं का अगली पंचवर्षीय योजना के दौरान पता लगाने का प्रस्ताव है।

(ग) रिगों की संख्या तथा भूगर्भीय और भू-भौतिकीय क्षेत्र में काम करने वाले दलों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है । भूमि पर इस समय संचालित कुल 32 रिगों की संख्या बढ़ा कर वर्ष 1982-83 तक 39 कर दी जायेगी और वर्ष 1982-83 तक अपतटीय 4 रिगों को बढ़ा कर 5-6 रिग कर दिए जाएंगे। भूगर्भीय दलों की संख्या में जो कि इस समय 14 हैं में उत्तरोत्तर वृद्धि कर के 18 कर दी जायेंगी और इस योजना अवधि के दौरान भू-भौतिकीय दलों को बढ़ा कर 27 से 37 कर दिया जायेगा।

मीटरगेज लाइन के लिये डीजल इंजनों का निर्माण

1339. **श्री सी० एन० विश्वनाथन :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मीटर लाइन के लिये डीजल इंजनों के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) यदि ऐसे अधिक इंजन उपलब्ध कराने की कोई योजना है तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है ; और

(ग) दक्षिण रेलवे में प्रयोग में लाये जाने वाले मीटर लाइन तथा बड़ी लाइन के डीजल इंजनों की संख्या कितनी है और उनकी संख्या में वृद्धि करने के क्या प्रस्ताव हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी ने मीटर लाइन के डीजल रेल इंजनों का निर्माण 1968-69 से शुरू किया था। 1977-78 के अन्त तक, डीजल रेल इंजन कारखाने ने भारतीय रेलों के लिए मीटर लाइन के 186 और तंजानिया को निर्यात करने के लिए 15 डीजल रेल इंजनों का निर्माण किया था, मीटर लाइन के डीजल रेल इंजनों के निर्माण का अगला कार्यक्रम इस प्रकार है :—

1978-79	2
1979-80	34
1980-81	35

मीटर लाइन के डीजल रेल इंजनों के निर्माण का अगला कार्यक्रम निधि का उपलब्धता अनुकूल रहने पर भारतीय रेलों की आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(ग) इस समय दक्षिण रेलवे में बड़ी लाइन के 110 और मीटर आमान की मुख्य लाइन के 55 डीजल रेल इंजन चल रहे हैं। डीजल रेल इंजन कारखाने में 1979-80 और उससे आगे बड़ी और मीटर लाइन के डीजल रेल इंजनों का और उत्पादन होने पर, अगले दो वर्षों में प्रतिवर्ष लगभग 10–15 अतिरिक्त डीजल रेल इंजन चलाये जाने की प्रत्याशा है, लेकिन इनके सही सही आबंटन की पुनर्समीक्षा सभी रेलों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उचित समय पर की जायेगी।

भटिंडा और पानीपत स्थित उर्वरक कारखानों द्वारा उत्पादन

1340. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भटिंडा और पानीपत स्थित उर्वरक कारखानों में उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा ;

(ख) इन उर्वरक कारखानों की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ग) क्या इन उर्वरक कारखानों में उत्पादन आरम्भ हो जाने के बाद कुल उर्वरक उत्पादन से वर्तमान आवश्यकता पूरी हो जायेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो देश के उन स्थानों के नाम क्या है जहां आगामी वर्ष में ऐसे उर्वरक कारखाने लगाने का सरकार का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : भटिण्डा और पानीपत स्थित ईंधन तेल पर आधारित दो संयंत्रों में से प्रत्येक की क्षमता प्रतिदिन 900 टन अमोनिया और 1550 टन यूरिया की होगी। पानीपत प्रायोजना द्वारा फरवरी 1979 से और भटिन्डा प्रायोजना द्वारा अप्रैल, 1979 से वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने की आशा है।

(ग) और (घ): देश में उर्वरक क्षमता का विकास करने की एक बृहद् योजना के एक भाग के रूप में इन दो प्रायोजनाओं के अलावा 8 अन्य प्रायोजनाओं का विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वयन हो रहा है, ये प्रायोजनाएं, रामागुण्डम (आन्ध्र प्रदेश), तालचर (उड़ीसा), सिन्दरी (बिहार)––आधुनिकीकरण और सुव्यवस्थीकरण प्रायोजनाएं, हल्दिया (पश्चिम बंगाल), ट्राम्बे (महाराष्ट्र), फूलपुर (उत्तर प्रदेश) और जिला ब्रोच (गुजरात) में स्थित हैं। इन प्रायोजनाओं के पूरा होने पर छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् 1982-83 तक नाइट्रोजन का उत्पादन 41 लाख टन और फास्फेट का उत्पादन 11.25 लाख टन होने का अनुमान है जबकि नाइट्रोजन की अनुमानित मांग 52.50 लाख टन और फास्फेट की मांग 16 लाख टन है। इस अन्तर को पूरा करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से बम्बई हाई/दक्षिण बसीन संरचनाओं से प्राप्त गैस पर आधारित चार बड़े आकार के नाइट्रोजन युक्त खाद कारखानों और असम में आयल इंडिया और ओ० एल० जी० सी० के तेल क्षेत्रों से उपलब्ध गैस पर आधारित एक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा मैसर्स नांगार्जुना फर्टिलाइजर्स भी आन्ध्र प्रदेश में काकीनाडा नामक स्थान पर एक खाद कारखाना लगा रहे हैं। मैसर्स इंडियन एक्सप्लोसिव लि० को भी कानपुर स्थित अपनी क्षमता में विस्तार करने के लिए एक आशय पत्र जारी किया गया है।

1974 में हुई रेल हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों की बकाया राशि

1341. **श्री राजेंद्र कुमार शर्मा :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1974 में हुई रेल हड़ताल में भाग लेने के कारण ऐसे कितने रेल कर्मचारियों को मुअत्तिल किया गया था जिन्हें वापस सेवा में ले लिया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि हड़ताल के दौरान बर्खास्त किये गये कर्मचारियों को उस अवधि की बकाया राशि अभी तक अदा नहीं की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है और उन्हें बकाया राशि कब तक दी जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण : (क) 10,157।

(ख) और (ग) : जिन कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया था और ड्यूटी पर वापस ले लिया गया है उन्हें जारी किये गये आदेशों के अनुसार देय बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है, जो आमतौर पर डयूटी पर वेतन और भत्तों के लगभग आधे के बराबर सहायता भत्ते के रूप में है।

गैस एजैंसी देने का मानदंड

1342. **श्री अमरसिंह वी० राठवा :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगरों में गैस एजैंसी देने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किया गया है ;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) गुजरात राज्य में कितनी गैस एजेन्सिया कार्य कर रहीं है ;

(घ) क्या गैस एजेन्सि देने के संबन्ध में कोई आवेदन पत्र सरकार के विचाराधीन है;

(ड) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों द्वारा एजेन्सिय प्रदान करने से संबंधित वर्तमान नीति के अनुसार सभी (खाना पकाने की गैस की एजेंसियों सहित) एजेंसियों की 25 % एजेंसियां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों को, 2% एजेंसियां शारीरिक रुप से अपंग व्यक्तियों को और बाकी एजेंसियां वाणिज्यिक रुप से महत्वपूर्ण विचारधाराओं के आधार पर, उस में भी उचित उपभोक्ता सहकारी समितियों तथा कृषि -उद्योग निगमों को तरजीह देते हुए, इन्हीं संगठनों को दी जाती है। उस संबंधित क्षेत्र में प्रचलित समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर आवेदन पत्र आमंत्रित करने के पश्चात् सभी नियुक्तियां की जाती है।

दिनांक 15 मई, 1978 को सदन में दिये गये वक्तव्य में जैसा सूचित किया गया है, उसके अनुसार, ऐसी सीमाएं तय करने के बारे में एक निर्णय लिया गया है, जहां तक एक वितरक विशेष को अपने कारोबार को जारी रखने अथवा उसे बढाने की अनुमति होगी। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने की भिन्न परिस्थितियां और इस काम को चलाने की लागतको देखते हुए सिलेंडरों की उस संख्या के बारे में निम्नलिखित सीमाएं निर्धारित की गयी है, जिनमें गैस को पुनः भर कर तरल पेट्रोलियम गैस (खाना पकाने की गैस) को एक वितरक को एक माह में सप्लाई करने की अनुमति होगी :—

मार्केट	गैस से पुनः भरे सिलेंडरों की मासिक संख्या
बम्बई	6,000
दिल्ली	4,000
दस लाख से अधिक की जन संख्या वाले अन्य स्थान	3,500
2 से 10 लाख के बीच की जन संख्या वाले नगर	3,000
अन्य स्थान	2,500

सहकारी समितियों को इन सीमाओं से छूट होगी।

(ग) गुजरात राज्य में इंडियन आयल कार्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन दोनों के मिलाकर खाना पकाने की गैस के 59 वितरक है। हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कर्पोरेशन गुजरात राज्य में अपनी शोधनशालाओं में उत्पन्न होने वाली खाना पकाने की गैस अनुदानग्राहियों अर्थात् मैसर्स कोसन गैस कम्पनी के माध्यम से बेचता है। मैसर्स कोसन गैस कम्पनी की इस राज्य में 51 एजेंसियों/उप एजेंसियां है।

(घ) गैस एजेंसियों के लिए नियुक्तियां चूंकि तेल कम्पनियों द्वारा की जाती है, अतः सरकार के पास अनिर्णित पड़े आवेदन पत्रों का प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम रेलवे पर आरम्भ की गई रेलवे परियोजनाएं

1343. **श्री अमरसिंह वी० राठवा :**

श्री अहमद एम० पटेल :

क्या रेल मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे पर आरम्भ की गई रेल्वे परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है : और

(ख) उनकी क्या प्रगति है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	लम्बाई (कि० मी० में)	अनुमानित लागत	वास्तविक प्रगति
1.	वीरमगाम-ओखा/पोरबंदर मीटर लाइन का बडी लाईन में आमान-परिवर्तन कानालुस-सिका और जामनगर- बेडी लाइन के आमान-परिवर्तन सहित	556.97	80.00 करोड़ रु०	45%
2.	नडियाद से मोडासा बडी लाइन का निर्माण (नडियाद से कापड़वंज छोटी लाईन के बड़ी लाइन में आमान-परिवर्तन और कापड़वंज से मोडासा तक नई रेल लाइन सहित)	105.14	9.43 करोंड़	0.8%
3.	दिल्ली-साबरमती मीटर लाइन खण्ड का बडी लाइन में आमान परिवर्तन	929.00	108.00 करोड़ रु०	अनुमोदित परन्तु निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया ।
4.	नागदा और रामगंजमण्डी के बीच दोहरी रेल लाइन . .	151.94	12.57 करोड़ रु०	19%
5.	रामगंजमण्डी और लाखेरी के बीच कहीं-कहीं दोहरी लाइन की व्यवस्था			
	(क) गुर्ला-लाखेरी	54.94	9.31 करोड़ रु०	45%
	(ख) अलनिया-रामगंजमण्डी . . .	49.19		
6.	**कोटा-मथुरा खण्ड**			
	मथुरा-बयाना	75.13	6.73 करोड़ रु०	90.5%
7.	**उज्जैन-ना-गदारतलाम खण्ड**			
	(क) असलावदा में तीसरी लाइनसहित उज्जैन-नागदा खण्ड के बीच कहीं- कहीं दोहरी लाइन बिछाना . .	19.17	3.88 करोड़ रु०	17.50%
	(ख) नागदा 'क' और 'ख' केबिनों के बीच पुल नं० 317 को दोहरा करना ।			
8.	साबरमती-छारोडी के बीच दोहरी लाइन बिछाना .	34.60	3.79	43%
9.	निम्नलिखित स्टेशनों पर विन्यास यार्ड की व्यवस्था :-			
	(क) बाटवा-गैरातपुर (चरण-1) . . .	..	4.99 और	49%
	(ख) करचिया	..	2.27 करोड़ रु०	23%

बरौनी तथा सिन्दरी उर्वरक कारखानों की क्षमता एवं उत्पादन

1344. **श्री बी० पी० मण्डल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरौनी तथा सिन्दरी उर्वरक कारखानों की क्षमता एवं उत्पादन के आंकडे क्या है ;

(ख) क्या ये कारखाने घाटे में चल रहे है और यदि हां, तो गत दो वर्षों का घाटा क्या है; और

(ग) इनके घाटे पर चलने को रोकने के लिए यदि उनका कोई उपाय करने का विचार है तो वे क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगणा) : (क), (ख) और (ग) मांगी गई सूचना देने वाला एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान बरौनी और सिन्दरी उर्वरक कारखानों की क्षमता और उत्पादन निम्न प्रकार है:—

कारखाने का नाम	वार्षिक स्थापित क्षमता	उत्पादन (000 मी० टन)	
		1976–77	1977–78
नाईट्रोजन			
बरौनी (वाणिज्यिक उत्पादन नवम्बर 76 से आरम्भ हुआ)	152	14.6	38.2
सिन्दरी	90	35.1	19.6
फास्फेट			
सिन्दरी	156	शून्य	2.8
बरौनी	(परीक्षण परिचालनों के दौरान उत्पादन)		
	(बरौनि में फास्फेट की कोई स्थापित क्षमता नहीं है)		

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान बरौनी और सिन्दरी कारखानों द्वारा उठाई गई वित्तीय हानि नीचे दी गई है :—

(रुपये लाखों में)

कारखाने का नाम	वर्ष	
	1976–77	1977–78
बरौनी	735	1,444
सिन्दरी	1,785	2,244

(ग) सरकार इन कारखानों के कार्यकलापों पर कडी निगरानी रख रही है और इन संयंत्रों के कार्यों में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहें है :—

बरौनी—(1) खराब उपकरणों को बदला/प्रतिस्थापित किया जा रहा है ।

(2) अपने पावर संयंत्र की स्थापना ।

सिन्दरी—(1) एकक की इस समय प्राकृतिक जिप्सम पर निर्भरता को समाप्त करने के लिए एक सुव्यवस्थीकरण योजना को हाथ में लिया गया है ।

(2) अमोनिया के उत्पादन के लिए चालू प्रक्रिया की प्रतिस्थापित करने के लिए एक आधुनीकरण योजना कार्यन्वयाधीन है । इस योजना की प्रक्रिया में ईधन तेल को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा ।

हाल्ट स्टेशनों पर अधिभार लगाना

1345. **पंडित द्वारिकानाथ तिवारी** : क्या रेल मंत्री शेर हाल्ट के वित्तीय परिणाम के बारे म 25 जुलाई, 78 के आतारांकित प्रश्न संख्या 1317 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या इस बारे में सूचना एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) कभी कुछ हाल्ट स्टेशनों पर अधिभार समाप्त करने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है ;

(घ) क्या हाल्ट स्टेशनों पर लगाये गये अधिभार को समाप्त कर दिया गया है ; और

(ङ) यदि नही, तो कुछ हाल्ट स्टेशनों पर अधिभार लागू करने और अधिकांश हाल्ट स्टेशनों पर अधिभार न लागू करने का क्या औचित्य है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ङ) : जी हां । कार्यान्वयन रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है जिसमें समग्र सम्बन्धित विवरण दिया गया है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2592/78]

महाराष्ट्र में रेल परियोजनाएं

1346. **श्री वसंत साठे** : क्या रेल मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में विभिन्न परियोजनाओं पर जैसे मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने और नई लाइनें बिछाने, नई लाइनें खोलने के लिए सर्वेक्षण/जांच आदि सम्बन्धी कार्य की प्रगति निर्धारित समय को ध्यान में रखते हुए बहुत कम है ;

(ख) यदि हां, तो धन के उपयोग और वास्तविक उपलब्धियों की दृष्टि से लक्ष्यों और उपलब्धियों का परियोजनावार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न बाधाओं का पता लगाने के लिये महाराष्ट्र में मंजूरशुदा निर्माण कार्यों की प्रगति पर पुनर्विचार किया है और उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने नई रेल लाइनें खोलने और वर्तमान मीटर लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के लिये बिना लागत भूमि देने की पेशकश की है, उसका ब्यौरा क्या है और निर्माण कार्यों की प्रगति तेज करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : महाराष्ट्र में नयी रेल लाइनों के निर्माण और आमान-परिवर्तन परियोजनाओं की निम्नलिखित योजनाएं चल रही है :

लाइन का नाम	कि० मी० में लम्बाई	करोड़ रुपयों में लागत	1978-79 के लिए परिव्यय (करोड़ रुपये में)	सितम्बर 1978 तक किये गये काम की प्रतिशतता	काम शुरू करने की तारीख	काम पूरा होने की तारीख	टिप्पणी
1. दिवा से बेसिन रोड तक नयी बड़ी लाइन	42.00	23.48	3.00	47.73	अप्रैल, 1972	मार्च, 80	—
2. वाणि से चनाका तक नयी बड़ी लाइन	75.70	9.57	0.10	17.11	अप्रैल, 1974	अभी निश्चित नहीं की गयी	* *सीमेंट का वह कारखाना लगाया नहीं गया है जिसे इस लाइन द्वारा सेवित करने का प्रस्ताव था ।
3. आप्टा से रोहा तक नयी बड़ी लाइन	62.00	9.00	1.00	—	मई, 1978	मार्च, 1981	—
4. मनमाड-परभनी-पुर्ली वैजनाथ मीटर लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव	354.00	29.74	0.25	—	—	—	** **इस आमान-परिवर्तन परियोजना का औरंगाबाद-मनमाड, भाग नवम्बर, 1978 में शुरु किया गया है और यह भाग तीन वर्ष में बनकर पूरा होगा ।

(घ) आप्टा-रोहा लाइन के लिए, महाराष्ट्र सरकार निःशुल्क भूमि देने के लिए राजी हो गयी है।

मुरतिजापुर तालुका प्रवासी सेवा समिति, मुरतिजापुर से ज्ञापन

1347. **श्री वसंत साठे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुरतिजापुर तालुका प्रवासी सेवा समिति, मुरतिजापुर, मध्य रेलवे से कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा बताये; और

(ग) उसमें दिये गये विभिन्न प्रस्तावों पर की गई/की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) ज्ञापन में की गयी प्रमुख मांगें संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) इन मांगों पर विचार किया जा रहा है। यथा व्यवहार्य और उचित कार्रवाई यथा समय की जायेगी।

विवरण

मुर्तजापुर तालुका प्रवासी सेवा समिति, मुर्तजापुर द्वारा दिये गये ज्ञापन में की गई प्रमुख मांगे

1. मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में मुर्तज़ापुर के लिए आरक्षित कोटे में वृद्धि।
2. अचलपुर-मुर्तज़ापुर सवारी गाड़ी को फिर से चलाना।
3. मुर्तज़ापुर टाउन स्टेशन के प्लेट फार्म पर छत की व्यवस्था करना।
4. अचलपुर–मुर्तज़ापुर–यवतमाल खण्ड पर विशेष गाड़ी चलाना।
5. अचलपुर–मुर्तज़ापुर–यवतमाल छोटी लाइन को मीटर लाइन और बडी लाइन में बदलना और इसे वाणि–चनाका तथा नागपुर–इटारसी मार्ग तक बढाना।
6. अमरावती और शेगांव के बीच स्थानीय गाड़िया चलाना।
7. शेगांव के गजानन बाबा के दर्शनों के लिए और अधिक सवारी गाड़ियों की व्यवस्था करना।
8. मुर्तज़ापुर में पूछ-ताछ क्लर्क तैनात करना।
9. 400 अप सवारी गाड़ी के समय में परिवर्तन करना।
10. मुर्तज़ापुर रेलवे प्लेटफार्म का विस्तार।
11. मुर्तज़ापुर में लाउड-स्पीकर की व्यवस्था।

नई रेलगाड़ियों का चलाया जाना]

1348. **श्री शंकर सिंह जी वाघेला** : क्या रेल मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) 1–11–1978 से चलाई गई नई रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है जिनकी चालन दूरी को 1–11–78 से बढ़ा दिया गया है ;

(ग) ऐसी रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है जिनकी गति 1–11–78 से बढ़ाई गई है; और

(घ) उपरोक्त भाग (क), (ख) और (ग) के बारे में भावी कार्यक्रम क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) कुल मिलाकर 9 अनुपनगरीय गाड़ियां-7 बड़ी लाईन पर, जिनमें सप्ताह में दो बार चलने वाली 2 गाडियां शामिल है, और 2 मीटर लाइन की सवारी गाड़ियां तथा कलकत्ता क्षेत्र में 20 उपनगरीय गाड़ियां, नवम्बर 1978 से लागू होने वाली समय सारणी में शामिल की गयी है।

(ख) इस समय सारणी में कुल मिलाकर 12 अनुपनगरीय गाड़ियों अर्थात बड़ी और मीटर लाइन पर 6–6 गाड़ियों तथा कलकत्ता क्षेत्र में 7 अनुपनगरीय गाड़ियों का चालन क्षेत्र बढ़ाया गया है।

(ग) 26 मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों सहित कुल 85 गाड़ियों के चालन-समय में 15 मिनट और उससे अधिक की कमी की गयी है।

(घ) जम्मूतवी-नयी दिल्ली श्रीनगर एक्सप्रेस जल्दी ही पुणे से/तक बढ़ायी जा रही है। गाड़ियों का चलाया जाना/बढ़ाया जाना/उनका चालन-समय कम करना एक सतत प्रक्रिया है और समय सारणियों के अगामी संशोधन के समय इस पर यथोचित विचार किया जायेगा।

मुनाफाखोरों और औषधियों में मिलावट को रोकने के उपाय

1349. **श्री हरी शंकर महाले** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने मुनाफाखोरो को और औषधियों में मिलावट को रोंकने के लिये कार्यवाही की है और यदि हा तो इसका ब्योरा दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाये ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : औषधों के मूल्य कानूनी रुप से औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के अन्तर्गत नियंत्रित किए जाते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी फुटकर विक्रेता किसी फार्मूलेशन को सरकार द्वारा पास किए गए फुटकर मूल्य से अधिक मूल्य पर उपभोक्ता को नहीं बेचेगा । इससे यह सुनिश्चित होता है कि निर्माताओं द्वारा लिया जाने वाला लाभ सीमित रहेगा। औषध मूल्य नियंत्रण आदेश में निहित मूल्यों की वैकल्पिक योजना में यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि किसी वर्ष विशेष के लिए कर से पूर्व वास्तविक कुल लाभ, जैसा कि निर्माता अथवा आयातकर्ता के लेखा परीक्षित खातों में दिखाया गया हो, वर्ष की कुल बिक्री के 15 प्रतिशत से अधिक हो और उसे लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किया गय हो, तो उस अधिक लाभ को अलग खाते में रखा जाएगा और उसे लाभांश के विवरण में प्रयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन उस अधिक लाभ को सरकार की पूर्व अनुमति के नीचे दिए गए किसी भी प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है :—

(क) अनुसंधान और विकास खर्च के लिए ।

(ख) भावी लाभ और हानि का समायोजन करने के लिए ।

(ग) अन्य ऐसे कार्यों के लिए जिनको केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्धारित करे ।

29 मार्च 1978 को लोक सभा के पटल पर प्रस्तुत किए गए विवरण-पत्र के एक भाग के रूप में नई मूल्य निर्धारण नीति में 8 से 13 प्रतिशत तक अधिकतम लाभ की सीमा की परिकल्पना की गई है जैसा कि उक्त विवरण पत्र के पैरा 54 में बताया गया है ।

जहां तक मिलावट और नकली औषधों के निर्माण की जांच करने का प्रश्न है, यह उल्लेखनीय है कि औषध और सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत औषधों के निर्माण और बिक्री पर राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। नकली औषधों को अधिनियम में दिए गए गलत ब्राण्ड वाले औषधों की परिभाषा के अन्तर्गत रखा गया है। गलत ब्राण्ड (नकली औषधों) अथवा मिलावटी औषधों का निर्माण/बिक्री अधिनियम के अन्तर्गत एक अपराध है ।

इस अपराध के लिए कम से कम एक वर्ष तक की सजा है, जिसको जुर्माने के अलावा 10 वर्ष तक बढ़ावा जा सगता है, जब किसी व्यक्ति को नकली अथवा मिलावटी औषधे बेचते हुए अथवा निर्माण करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा अदालत में मुकदमा चलाया जाता है। नकली औषधों के निर्माण और बिक्री को रोकने के लिए किए गए उपायों अथवा किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है ।

विवरण

नकली और मिलावटी औषधों के निर्माण और बिक्री को रोकने के लिए किए गए अथवा किए जाने वाले प्रस्ताव

1. जिन औषधों का निर्माण और बिक्री आमतौर पर नकली औषधों के निर्माण और बिक्री में शामिल होता है, उनके अनधिकृत निर्माण को समाप्त करने के लिए अेक अखिल भारतीय लाइसेंसशुदा औषध निर्माताओं की सूची तैयार करके उसे अध्यतन बना लिया गया है । इस सूची को सभी राज्य औषध नियंत्रकों और औषध निर्माताओं और डीलरों के प्रमुख संघों में भी परिचालित कर दिया गया है ।

2. जब कभी केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन द्वारा नकली औषध प्राप्त किए जाते हैं और जब यह धन्धा अन्तर राज्य स्तर का हो तो संबंधित राज्यों को शीघ्र ही सर्तक कर दिया जाता है और उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे नकली औषध के निर्माण और वितरण के स्त्रोंत का पता लगाएं ।

3. राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारियों को यह सलाह दी जाती है कि वे पुलिस अधिकारियों के साथ निकट संबंध बनाए रखें ताकि नकली औषधों के खिलाफ गहन अभियान चलाया जा सके ।

विवरण—(जारी)

4. राज्यों को सलाह दी गई है कि वे औषध नियंत्रण संगठन की पूर्वापेक्षा को सक्रिय रखे जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नकली औषधों की समस्याओं से निपटने के लिए कानूनी-व-आसूचना सेल स्थापित करने की आवश्यकता भी शामिल है और उनसे यह अनुरोध किया गया है कि ये अपने संगठनों को सुव्यवस्थित करे ।

5. राज्यों ने अपने औषध निरीक्षकों को कहा है कि वे नकली औषधों के अभियान के बारे में सतर्क रहें और औषधों के बार-बार नमुने लेते रहे ।

6. केन्द्रीय सरकार के पास केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कलकत्ता, केन्द्रीय इंडियन फार्माकोपिया प्रयोग शाला, गाजियाबाद और केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान में उपलब्ध परीक्षण सुविधाओं को राज्यों को सौंपा गया है और उनका प्रयोग इस समय 21 राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा किया जा रहा है । इन सुविधाओं को और बढ़ाया जा रहा है ताकि अधिक नमुनों का परीक्षण किया जा सके ।

7. राज्यों को केन्द्र द्वारा बताई गई योजनाओं के अन्तर्गत अपनी परीक्षण सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है । इस योजना के अन्तर्गत 8 राज्यों को संयुक्त रुप से खाद्य और औषध प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लिए, 3 राज्यों को खाद्य और औषधों जैसा भी मामला हो का परीक्षण करने के लिए एक विंग की स्थापना करने के लिए और 12 राज्यों को नाजुक परीक्षण उपकरणों की खरीद के लिए सहायता दी जा रही है ।

8. केन्द्रीय और राज्य संगठनों के बीच निकट सम्पर्क स्थापित रखने और सम्पूर्ण देश में अधिनियम को समान रूप से लाग करने क लिए बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और गाजियाबाद में केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठनों के चार क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए है । इन क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ औषध निरीक्षक भी सम्बन्ध है और ये निरीक्षक राज्य प्राधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण करते है ताकि लाइसेंसों को कानून के अनुसार निर्धारित मानको के अनुरूप बनाया जा सके ।

9. केन्द्रीय औषध नियंत्रण संगठन द्वारा औषध निरीक्षकों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जात है, यह एक चालू कार्यक्रम है और राज्य सरकार इस सुविधा का लाभ उठा रही है ।

10. औषध एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम के अन्तर्गत मिलावटी औषधों के निर्माण के लिए कम से कम एक वर्ष की सजा रखी गई है जो 10 वर्ष तक भी बढ़ाई जा सकती है । तथापि न्यायालय को यह अधिकार है कि वे निर्धारित सजा से भी कम सजा दे सकता है । ऐसें औषधों के निर्माण तथा उनके यातायात में लगे हुए उपकरणों को भी जब्त किया जा सकता है । तथापि अब यह प्रस्ताव है कि अधिनियम में और संशोधन किया जाए ताकि नकली औषधों का निर्माण करने के लिए कड़ी सजा रखी जा सके । न्यायालय को दिया गया विवेकाधिकार समाप्त करने का प्रस्ताव है । औषध निरीक्षकों के अधिकारों को बढ़ाने का भी प्रस्ताव है । इस उद्देश्य से संशोधन विधेयक का प्रारुप तैयार कर लिया गया है ।

अहमदाबाद से ओखा तक की मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

1350. **श्री अहमद एम• पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद से ओखा तक की मीटर लाइन को बढ़ी लाईन में बदलने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) उसे पूरा करने के लिये किस तारीख का लक्ष्य रखा गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : अहमदाबाद बीरमगाम से बड़े आमान की एक रेलवे लाईन द्वारा पहले ही जुड़ा हुआ है । वीरमगाम-ओखा/पोरबन्दर मीटर लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने का काम एक अनुमोदित कार्य है । संसाधनों की तंगी होनके कारण इस परियोजना को पूरा करनें में, विगत में कुछ विलम्ब हुआ है । अब इस आमान परिवर्तन परियोजना के उच्च प्राथमिकता दी गयी है और 1977–78 में इस परियोजना के लिए केवल 5.50 करोड़ रूपये की तुलना में चालू वर्ष में इसके लिए 7.95 करोड़ रूपये तक की धनराशि आबंटित की गयी है । इसकी अब तक 45% प्रगति हुई है । इस परियोजना के वीरमगामसे कानालुस (288कि० मी०) तक के प्रथम चरण को 1980 तक पूरा करने का विनिश्चिय किया गया है । सम्पूर्ण परियोजना को 1982 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ।

वर्ष 1977 के दौरान दक्षिण पूर्व रेलवे में रिक्त स्थानों का भरा जाना

1351. **श्री डी० अमात :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे में, सभी वर्कशापों तथा निर्माण परियोजनाओं सहित प्रत्येक श्रेणी तथा ग्रेड में पदोन्नति तथा प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा वर्ष 1977 के दौरान कितने रिक्त स्थान भरे गये; और

(ख) उनमें से कितने रिक्त स्थान अनुसुचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों की नियुक्तियों/पदोन्नतियों से भरे गये ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) और (ख) : (i) सीधी भर्ती द्वारा भरी गयी रिक्तियां नीचे दी गयी है :—

श्रेणी	कुल	अ० जा०	अ० ज० जा०
I	38	4	3
II	..	..	..
III	510	121	122
IV	1,592	406	130

(ii) पदोन्नति द्वारा भरी गयी रिक्तियां नीचे दी गयी है :—

श्रेणी	कुल	अ०जा०	अ० ज०जा०
I	35	5	1
II	71	8	5
III	2,316	419	152
IV	562	90	44

विदेशी औषधि कम्पनियों को औद्योगिक लाइसेंस दिया जाना

1352. **श्री डी० अमात :** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में गत तीन वर्षों से चल रही 100 प्रतिशत विदेशी औषधि फर्मों को दिए गए औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि में इन कम्पनियों को आयात के लिए अनुमति दिए गए पूंजीगत माल का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पूंजीगत माल के लिए लाइसेंस प्राप्त करते समय किसी फर्म ने भारतीय पूंजी लगाने का भी वचन दिया था अथवा सहमति व्यक्त की थी; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस वचन का कोई उल्लंघन हुआ है, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) मैसर्स अवोट लेबोरेटरीज़ और मैसर्स बरोज़ वैलकम ही केवल शत प्रतिशत विदेशी कम्पनियां हैं जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान औषध मदों के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस दिए गए हैं। इन लाइसेंसों के विवरण निम्न प्रकार हैं :—

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	औद्योगिक लाइसेंस की संख्या और तिथि	निर्माण की मदें
1.	अवोट लैब्स	सी० आई० एल०/179/76 दिनांक 7-5-76	1. गिवेरालिक एसिड 2. एरिथ्रोमाइसीन 3. ट्रिओपटाइन सोडियम
2.	बुरोज वैलकम	सी० आई० एल०/448/76 दिनांक 18-12-76	पेसीयूडो इफेड्राइन एच० सी० एल०

वार्षिक क्षमता	पूंजीगत माल का आयात अगर कोई है
1. 365 किलो ग्राम प्रतिवर्ष 2. 4,000 किलो ग्राम प्रतिवर्ष 3. 1,000 किलो ग्राम प्रतिवर्ष	कोई पूंजीगत माल आयात नहीं किया गया
2. 2 मीटरी टन	कोई पूंजीगत माल आयात नहीं हुआ है

(ख) जी, नहीं। तथापि, मैसर्स एबोट का मैसर्स एबोट लंब्स, उत्तरी चिकागो, यू० एस० ए० से पिरिडरोमाइसीन आदि के निर्माण के लिए विदेशी समझौता करने का प्रस्ताव सरकार द्वारा इन शर्तों पर अनुमोदित किया गया था कि अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय कम्पनी को औद्योगिक लाईसेंस प्राप्त करने की तिथि से 3 वर्षों के अन्दर अपनी विदेशी साम्यपूंजी को 60 प्रतिशत तक घटाना होगा।

(ग) जी, नहीं। कम्पनी न लाइसेंस को कार्य में लाने के लिए अपनी असमर्थता बताई है जिसे (लाइसेंस) रद्द किया जा रहा है। तथापि विदेशी मुद्रा विनियमन, अधिनियम (फीरा) 1973 के अन्तर्गत बैंक आफ इंडिया ने अब कम्पनी को अपनी विदेशी साम्यपूंजी 40 प्रतिशत घटाने के लिए निदेश दिए है जिसको कम्पनी ने मान लिया है।

अखिल भारतीय रेलवे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति संगठन से ज्ञापन

1353. **श्री डी० अमात** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय रेलवे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति संगठन से मई 1978 में संगठन की मान्यता देने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां, जो प्रश्न उठाये गये हैं उनमें एक प्रश्न इस एसोसिएशन को मान्यता देने के सम्बन्ध में है।

(ख) और (ग) : भारत सरकार की नीति और कार्य-विधि के अनुसार किसी जाति, कबीले तथा धार्मिक आधार पर अथवा किसी जाति, कबीले तथा धार्मिक आधार के समूह या वर्ग पर आधारित किसी एसोसिएशन को मान्यता नहीं दी जा सकती।

विदेशी औषधि कम्पनियों द्वारा प्रयुक्त प्रौद्योगिकी

1354. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी औषधि कम्पनियों द्वारा उपयोग में लाई जा रही उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाकर सुस्थापित करने की कोई कार्यावाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) और (ख) : सरकार न उच्च प्रौद्योगिकी रहित बल्क औषधों के निर्माण में लगी हुई विदेशी कम्पनियों का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की है। प्रौद्योगिकी और कम्पनियों का पता लगाने के लिए अपेक्षित कार्यवाही से संबंधित अन्य मामलों के बारे में सूचना/आंकड़े प्राप्त करने के लिए समिति द्वारा बनाया गया प्रोफार्मा संबंधित विदेशी कम्पनियों को पहले ही भेज दिया गया है। 5 कम्पनियों को छोड़कर शेष सभी कम्पनियों ने सूचना भेज दी है। इस पांच कम्पनियों को अनुस्मारक जारी किए गए हैं। अब तक प्राप्त सूचना/विवरण को समिति के विचारार्थ भेजा जाएगा।

रसायनिक उर्वरकों का उत्पादन

1355. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ उर्वरक एककों की क्षमता का कम उपयोग किये जाने के कारण रसायनिक उर्वरकों के उत्पादन का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक एकक का अब तक वार्षिक कुल उत्पादन कितना रहा है और कितने प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया है ;

(ग) कम काम होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) कार्यकरण में सुधार करने तथा कमी पूरी करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : अप्रैल 1978 से अक्तूबर 1978 की अवधि के दौरान नाइट्रोजन और पी$_2$ ओ$_5$ की वार्षिक स्थापित क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपभोग का एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

(ग) विद्युत समस्या, उपकरणों का रुक जाना/खराब होना, बड़े पैमाने पर संशोधन कार्यों के कारण संयंत्रों का बन्द किया जाना, कच्चे माल की अपर्याप्त उपलब्धता, आदि जैसे विविध तथ्य कई एककों में उत्पादन में कमी और कम क्षमता उपभोग के कारण बताए गए हैं ।

(घ) एककों में उत्पादन की पद्धति की सरकार द्वारा लगातार देखा-रेखा की जाती है और कई संयत्रों में मरम्मत, कठिनाईयों पर काबू पाना, प्रतिस्थापन और नवीनीकरण, पावर उत्पन्न करने की अपनी सुविधाओं की स्थापना और कच्चे माल में परिवर्तन आदि जैसे विभिन्न कदम उठाए गए हैं ताकि उनकी परिचालन दक्षता में सुधार लाया जा सके ।

इस समय उर्वरकों का उत्पादन आवश्यकताओं से कम पड़ता है और इस कमी को आयातों द्वारा पूरा किया जाता है जिसके लिए पर्याप्त प्रबन्ध किए गए हैं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—2893/78]

बिड़ला बन्धुओं की फर्म

1356. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बिड़ला बन्धुओं की फर्मों के नाम क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक कम्पनी में इस परिवार के लोगों के कितने तथा कितने मूल्य के शेयर हैं ; और

(ग) नाबालिगों सहित प्रत्येक व्यक्ति के शेयरों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और सांस्कृतिक मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चुन्दर) : (क) एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत, बिड़ला समूह की 72 कम्पनियों का पंजीकरण किया गया है । इनके अतिरिक्त, 61 कम्पनियां पंजीकरण योग्य हैं व उन्हें चूक नोटिस प्रेषित किये गये हैं । इन कम्पनियों की सूची अनुलग्नक 1 व 2 के रूप में संलग्न है ।

(ख) तथा (ग) : इन कम्पनियों में बिड़ला परिवार के व्यक्तियों की हिस्सेधारिता की बाबत सूचना 1-1-1975 तक धारित साम्य हिस्सों के बारे में अनुलग्नक 3 में दी गई है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—2894/78]

जयपुर टोडारायसिंह यात्री गाड़ी

1357. **श्री राम कंवार बेरवा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर टोडारायसिंह यात्री गाड़ी को अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचने में 6 घण्टे का समय लगता है ;

(ख) क्या रेलवे को घाटा होने का यही मुख्य कारण है ;

(ग) क्या यहां के निवासियों और अन्य संगठनों ने मांग की है कि इस गाड़ी की गति तेज की जानी चाहिए ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय कर लेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) : जयपुर और टोडारायसिंह के बीच दो जोड़ी यात्री गाड़ियों, अर्थात् 253/254 और 255/256, का यात्रा-समय 4 घंटा 50 मिनट और 5 घंटा 55 मिनट के बीच बनता है । रेल पटरी की कमजोर हालत के कारण इन गाड़ियों की गति में वृद्धि करना उचित नहीं है । इन गाड़ियों से कम व्यवसाय होने और सांगानेर-टोडा रायसिंह खण्ड के कम बचत वाली शाखा लाइन होने के कारण को दृष्टि में रखते हुए इस रेल पटरी को मजबूत बनाने का काम भी उचित नहीं समझा जाता ।

टोडारायसिंह से जयपुर के लिये यात्री गाड़ी के प्रस्थान का समय

1358. **श्री राम कंवार बेरवा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टोडारायसिंह से जयपुर जाने वाली यात्री गाड़ी का समय प्रातः 03.00 बजे का है इसके कारण गाड़ी में कम यात्री यात्रा करते हैं ;

(ख) क्या टोडारायसिंह के निवासियों तथा अन्य संगठनों ने और इस क्षेत्र के संसद् सदस्य ने इस गाड़ी का समय प्रातः 4.30 बजे या 5.00 करने का रेलवे से अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में कब तक निर्णय किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) टोडारायसिंह से 253अप टोडारायसिंह जयपुर यात्री गाड़ी के प्रस्थान का समय प्रातः 4 बजे है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) 253अप को टोडारायसिंह से लगभग एक घंटा बाद में रवाना करना, जयपुर में प्रातः काल के समय महत्वपूर्ण मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के एकत्रित हो जाने के कारण इस गाड़ी को ठहराने के लिए प्लेटफार्म के उपलब्ध न होने के कारण परिचालन की दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है । इसके अतिरिक्त, 253अप के जयपुर में देरी से पहुंचने से लोहारा और आगरा किला के लिए जयपुर से चलने वाली अन्य गाड़ियों के साथ मेल का विच्छेद हो जायेगा ।

जयपुर टोडारायसिंह लाइन

1359. **श्री राम कंवार बेरवा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जयपुर टोडारायसिंह रेलवे लाइन किस वर्ष में बनी थी;

(ख) उपरोक्त रेलवे लाइन पर बनाये गये स्टेशनों पर कुल कितना खर्च हुआ था;

(ग) कितने स्टेशनों से स्टाफ हटा लिया गया है और कितनों पर काम कर रहा है;

(घ) क्या जिन स्टेशनों से स्टाफ हटा लिया गया है उनको हानि हो रही है और यदि हां, तो कितनी; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार का कौन-से कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जयपुर-टोडारायसिंह लाइन नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार चरणबद्ध रूप में बिछायी गयी एवं यातायात के लिए खोली गयी थी :

खण्ड का नाम	खुलने का वर्ष
जयपुर-सांगानेर जं० (12 कि० मी०)	सितम्बर, 1943
सांगानेर जं० फागी (35 कि० मी०)	जनवरी, 1950
फागी-डिग्गी (25 कि० मी०)	अप्रैल, 1950
डिग्गी-टोरडी सागर (21 कि० मी०)	मई, 1953
टोरडी सागर-टोडा राय सिंह (24 कि० मी०)	मार्च, 1954

(ख) लगभग 1.45 करोड़ रुपये ।

(ग) पांच स्टशनों से कर्मचारी हटा लिये गये हैं और छः स्टेशनों पर कर्मचारी काम कर रहे हैं ।

(घ) और (ड.) : चुंकि स्टेशन बन्द कर दिये गये हैं इसलिए उन पर हानि का प्रश्न ही नहीं उठता ।

बेरोजगार व्यक्तियों को उर्वरक डीलरशिप का आबंटन

1360. **श्री वी० जी० हांडे** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम ने 45 वर्ष से कम आयु के बेरोजगार और अर्द्धरोजगार वाले व्यक्तियों को उर्वरक डीलरशिप देने की सिफारिश की है;

(ख) क्या सरकार नासिक जिले तथा महाराष्ट्र के अन्य स्थानों के लोगों को ऐसी सहायता देने के लिए निगम को निदेश देगी; और

(ग) यदि हां, तो महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में इस सहायता का ब्यौरा क्या है और यह कार्य कब तक किया जाएगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) : फर्टिलाइज़र कारपोरेशन आफ इंडिया पहले से ही बेरोजगार स्नातकों के फर्टिलाइज़र डीलरशिप देने की एक योजना चला रही है । यह योजना केवल 30 वर्ष से कम आयु वाले उम्मीदवारों के लिए हैं। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में सभी भावी डीलरशिप का कम से कम 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को देने की योजना भी चलाई है। इस योजना के अन्तर्गत केवल वे ही उम्मीदवार पात्र होंगे जो बेरोजगार हों और 45 वर्ष से कम आयु के हों । राष्ट्रीय कैमिकल एण्ड फर्टिलाइजर्स ने भी इसी प्रकार की योजनाएं चला रखी हैं और वे इन योजनाओं को अपने क्षेत्रों में लागू कर र हैं। जिनमें महाराष्ट्र के वासिक और अन्य जिले शामिल हैं। आर० सी० एफ० इन श्रेणियों के दीलरों को बैंक से ऋ ण दिलाने तथा अन्य मामलों में सहायता देती है ।

पश्चिमी बंगाल में लक्ष्मीकांतपुर कुएं का कार्य

1361. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के 24 परगना में लक्ष्मीकांतपुर कुआं सं०–1 का कार्य कोई कारण बताये बिना स्थगित रखा गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के उक्त कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार के लेखा परीक्षकों को उनके कई बार अनुरोध करने पर भी कारण नहीं बताये गये ? ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं । लक्ष्मीकान्तपुर स्थान पर खुदाई आरंभ करने की संभावनाओं का उचित पुनर्मूल्यांकन करने के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने डायमण्ड हारबर स्थान पर जहां इस समय खुदाई जारी है के परिणाम के आने तक पश्चिम बंगाल के लक्ष्मीकान्तपुर स्थान पर खुदाई को आस्थगित रखा है।

(ख) जी, नहीं । तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा दिसम्बर, 1977 में कारणों की सूचना सरकारी लेखा परीक्षा को दे दी गयी थी और इस संबंध में पुन: कोई सवाल नहीं उठाया गया है ।

जनरल मैनेजरों के अंग रक्षक

1362. **श्री दयाराम शाक्य** : या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोनल रेलवे के जनरल मैनेजरों के लिये अंग रक्षक मंजूर किये गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो पूर्वोत्तर रेलवे के जनरल मैनेजरों द्वारा सादी वर्दी में रहने वाले उप निरीक्षकों आदि को अंगरक्षकों के रूप में प्रयोग किये जाने के क्या कारण हैं और ऐसे अंग रक्षक कितने समय से प्रयोग में लाये जा रहे हैं और अब तक उन पर कितनी राशि व्यय हुई है; और

(ग) ऐसी प्रक्रिया को रोकने के लिये तथा अब तक व्यय की गई सरकारी राशि को वसूल करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) । पूर्वोत्तर रेलवे पर मई, 1974 के पश्चात् व्याप्त कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण एक उप निरीक्षक नहाप्रबन्धक के साथ रहता है । यह उप निरीक्षक महाप्रबन्धक के साथ रहने के साथ-साथ, यदि आवश्यकता हो तो, सिविल प्राधिकारियों के साथ समन्वय भी रखता है । अंगरक्षकों पर कोई व्यय नहीं किया गया है, अत: किसी प्रकार की वसूली का प्रश्न ही नहीं उठता ।

बहुत बड़ी राशि का कथित दुर्विनियोग

1363. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **रेल** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे की ब्राड गेज कंसट्रक्शन कापोरेशन आर्गेनाइजेशन में नैमित्तिक श्रमिकों को जाली भुगतान के रूप में बहुत बड़ी राशि का दुर्विनियोग किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे के उंगलियों के निशानों के विशेषज्ञों ने इस दुर्विनियोग को पकड़ा था और उसी महीने विशेष में भुगतान बन्द कर दिया गया;

(ग) कुल कितनी धनराशि का दुरुपयोग किया गया, कुल कितने महीनों में जाली भुगतान किया गया तथा दोषी अधिकारियों को दंड देने के लिये और दुर्विनयोग को पकड़ने वाले कर्मचारियों को पारितोषिक देने के लिये क्या कार्यवाही की गई ; और

(घ) हानि को किस प्रकार पूरा किया गया ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) सें (घ) यह सही नहीं है कि पूर्वोत्तर रेलवे पर बड़ी लाइन के निर्माण संगठन में श्रमिकों को झूटा भुगतान करके बहुत बड़ी रकम का गबन किया गया है । लेकिन पूर्वोत्तर रेलवे के अंगुलि-छाप परीक्षक द्वारा अप्रैल 1978 में एक मामला पकड़ा गया था जिसमें कुल मिलाकर लगभग 15,000 श्रमिकों को भुगतान करते समय 2 श्रमिकों की 213 रुपये की रकम का दो बार भुगतान किया गया था । बाद में यह राशि वापस ले ली गयी और रेलवे के पास जमा करा दी गयी । जिन मेटों ने उक्त दो श्रमिकों की शिनाखत की थी, उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया और नौकरी सें बरखास्त कर दिया गया ।

स्वामी भक्ति के लिये दी जाने वाली वेतन वृद्धि समाप्त किया जाना

1364. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह वफादार और गैर-वफादार के अन्तर तथा पहली सरकार द्वारा स्वामी भक्ति के लिए दी गई वेतन-वृद्धि को समाप्त करने जा रहे हैं ;

(ख) क्या स्वामी भक्ति के लिए दी जाने वाली वेतन वृद्धि को समाप्त किया जायेगा ; और

(ग) वर्ष 1974 की हड़तालियों, वेतन वृद्धि खोने वालों के राहत देने तथा उनके बच्चों की नियुक्ति पर लगी रोक हटाने के लिये प्रशासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) । जिन कामगारों ने मई, 1974 की हड़ताल में भाग नहीं लिया था उन्हें इनाम देने के उद्देश्य से, तत्कालीन सरकार ने यह विनिश्चय किया था कि ऐसे कामगारों को, कुछ शर्तों के अधीन, इन लाभों में से एक लाभ दिया जाये, जैसे अग्रिम वेतन वृद्धि, नकद पारितोषिक, सख्त काम के लिए भत्ता, सेवा काल में वृद्धि/पुनर्नियोजन और पुत्रों/पुत्रियों की नियुक्ति के लिए विचार करना ।

इस सम्बन्ध में बार-बार अभ्यावेदन किये गये हैं कि :

(i) हड़ताली कर्मचारियों की भी एक अग्रिम वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए या निष्ठावान कर्मचारियों को दी गयी वेतन वृद्धि वापस ले ली जानी चाहिए ताकि वेतन में हुई असमानता को समाप्त किया जा सके ; और

(ii) निष्ठावान कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति रद्द की जानी चाहिए । जहां तक उपर्युक्त (i) का सम्बन्ध है, अग्रिम वेतन वृद्धि से वेतन में पैदा हुई असमानता दूर करना व्यावहारिक नहीं है । जहां तक मद (ii) का सम्बन्ध है, इस उद्देश्य के लिए निर्धारित कोटे के अन्तर्गत पहले ही की गयी नियुक्तियों को रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि ये नियुक्तियां उस समय विद्यमान आदेशों के अनुसार प्राप्त हुई हैं ।

रेलगाड़ियों में हत्या तथा डकैतियां

1365. **श्री उग्रसेन** :
श्री जनार्दन पुजारी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के आरम्भ से चलती गाड़ियों में हत्या तथा डकैती की कितनी घटनायें हुईं ; और

(ख) यात्रियों की जान-माल की रक्षा के लिये क्या विशेष उपाय करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) राज्य पुलिस प्राधिकारियों से प्राप्त की गयी सूचना के अनुसार चालू वर्ष के प्रथम दस महीनों के दौरान चलती गाड़ियों में हत्या की 31, डकैती की 56, और लूट-पाट की 133 घटनाएं हुई थीं ।

(ख) 1. यात्रियों की जान-माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी राजकीय रेलवे पुलिस की है जो राज्य सरकारों के प्रशासनिक और अनुशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है ।

2. राजकीय रेलवे पुलिस ने भी अपने निवारक उपायों को तेज कर दिया है ।

3. रेल मंत्री ने सम्बन्धित राज्यों के मुख्य मंत्रियों का ध्यान इस ओर दिलाया था और उनसे चलती गाड़ियों में होने वाले अपराधों की रोकथाम करने के लिए सुदृढ़ उपाय करने का अनुरोध किया था। इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्रियों की प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक रही है ।

4. मुख्य मंत्रियों के हाल में हुए सम्मेलन में यात्रियों के जान-माल की हिफ़ाजत से सम्बन्धित अपराध की समस्याओं के बारे में विचार-विमर्श किया गया था ।

5. यद्यपि रेलवे सुरक्षा दल का सम्बन्ध रेलों की ढुलाई के लिए सौंपे गये माल और रेल सम्पत्ति की सुरक्षा से है, तथापि यात्री जनता में विश्वास की भावना पैदा करने तथा गाड़ियों में चलने वाले अपराधियों को दूर रखने के लिए समूची भारतीय रेलों के भेद्य खंडों पर गाड़ियों के साथ आरक्षी के रूप में चलने के लिए रेलवे सुरक्षा दल के 2000 सशस्त्र कर्मचारी तैनात किये गये हैं ।

6. क्षेत्रीय रेलों ने रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के बीच गलियारों के दरवाजों को ताला लगाने के बारे में दिये गये अनुदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान चलाया था । इसके अतिरिक्त, रात के समय चल टिकट परीक्षक और डिब्बा परिचर सतर्क रहते हैं और घुसपैठ करने वालों, फेरीवालों और अनधिकृत व्यक्तियों को डिब्बों में घुसने से रोकते हैं ।

7. भेदय खंडों पर महत्वपूर्ण गाड़ियों में पुलिस कर्मचारी आरक्षी के रूप में चलते हैं ।

8. राजकीय रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल के बीच विभिन्न स्तरों पर समन्वय के द्वारा गाड़ियों की सुरक्षा की निरन्तर समीक्षा की जाती है ।

9. उत्तर-दक्षिण की ओर जाने वाली गाड़ियों में हुई लूट-पाट और डकैती की घटनाओं के सन्दर्भ में 16-6-78 को रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी जिसमें कुछ ठोस निर्णय लिये गये थे जैसे गाड़ी के मध्य में चलने वाले पुलिस आरक्षियों को तत्काल सूचना देने के लिए संचार व्यवस्था हो, गार्ड और ब्रेकसमैन के पास शक्तिशाली टार्च हों तथा पुलिस संरक्षा बढ़ाने के लिए प्रभावित राज्यों के साथ निकट सम्पर्क रखा जाये ।

आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा अशोधित तेल का उत्पादन

1366. **श्री श्यामसुन्दर गुप्त** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयल इंडिया लिमिटेड ने 1 अप्रैल, 1978 से 31 अक्तूबर, 1978 के दौरान अशोधित तेल का कुल कितना उत्पादन किया;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान अशोधित तेल का वार्षिक उत्पादन कितना था; और

(ग) क्या सरकार का विचार अशोधित तेल का उत्पादन बढ़ाने की कोई नई योजना तैयार करने का है, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 1.515 मि० मी० टन ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन निम्नलिखित रूप में हुआ :

(मि० मी० टन)

1975-76	8.43
1976-77	8.90
1977-78	10.76

(ग) तेल के अतिरिक्त स्त्रोत का पता लगाने के लिए अपतटीय तथा तटवर्ती दोनों क्षेत्रों में प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

देश में रेल लाइनों का निर्माण

1367. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रेल लाइनों के निर्माण के लिये सरकार द्वारा कोई नई नीति निर्धारित की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : रेलों सहित, देश के लिए समग्र यातायात नीति के सम्बन्ध में निर्णय करने के लिए योजना आयोग द्वारा एक राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति नियुक्त की गयी है। इस समिति की रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने के पश्चात् ही सरकारी नीति का अन्तिम रुप से निर्धारण सम्भव हो पायेगा ।

न्यू बोंगई गांव सें गोहाटी के लिये ब्राड गेज रेल लाइन

1368. **श्री श्यामसुन्दर गुप्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू बोंगईगांव से गोहाती तक ब्राड गेज लाइन के निर्माण की दिशा में धीमी प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) लाईन का निर्माण कब तक पूरा कर लिया जायेगा और उसे कब तक चालू किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) । धनराशि की कमी के कारण पिछले वर्षों में इस परियोजना की गति धीमी रही ।

(ग) इस परियोजना के 1981 तक पूरे हो जाने की सम्भावना है ।

नरुला उद्योग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का प्रबन्ध

1369. **श्री कचरुलाल हेमराज जैन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नरुला उद्योग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, नारायणा, नई दिल्ली के चेयरमैन प्रबन्ध निदेशक तथा अन्य निदेशकों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में कोई ऐसे मामले आये हैं जिनमें उन्होंने कम्पनी विधि के उपबन्धों का उल्लंघन किया हो ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इस कम्पनी द्वारा कम्पनी विधि के उपबन्धों का पालन सुनिश्चत करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार कम्पनी के अध्यक्ष प्रबन्ध निदेशक तथा अन्य निदेशकों के नाम निम्न प्रकार हैं :—

1. श्री राजकुमार नरूला, अध्यक्ष
2. श्री प्रेम कुमार नरुला, उपाध्यक्ष
3. श्री सुभाष कुमार नरुला, प्रबन्ध निदेशक
4. श्री भारत भूषण नरुला, कार्यवाही निदेशक

(ख) निम्नांकित विवरण-पत्र में कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन तथा की गई कार्यवाही प्रदर्शित की गई है ।

	प्रलेख की प्रकृति	अधिनियम की ग्रस्त धारा	चूक	की गई कार्यवाही
(1)	30-6-75 तक का तुलन-पत्र	210(3)	30-6-75 तक का प्रथम तुलन-पत्र वार्षिक साधारण बैठक में 2 मास व 6 दिन की देरी से प्रस्तुत किया गया था ।	थम चूक होने से क्षपाकर दी गई थी ।
(2)	28-4-75 तक बनाई गई बंटन विवरणी ।	75	3 मास व 9 दिन देरी से प्रस्तुत की गई थी ।	धारा 611(2) के अन्तर्गत 60 रु० अतिरिक्त शुल्क लगाया गया था, जो कम्पनी द्वारा दे दिया गया ।

विवरण—समाप्त

	प्रलेख की प्रकृति	अधिनियम की ग्रस्त धारा	चुक	की गई कार्यवाही
(3)	2-6 1-75 तक बनाई गई बंटन विवरणी	75	2 वर्ष, 5 माह व 11 दिन की देरी से प्रस्तुत की गई ।	धारा 611(2) के अन्तर्गत 240 रु० अतिरिक्त शुल्क लगाया गया था, जो कम्पनी द्वारा दे दिया गया ।
(4)	31-7-75 तक बनाई गई बंटन विवरणी	75	4 दिन देरी से प्रस्तुत की गई ।	थोड़ी होने से देरी क्षमा कर दी गई ।
(5)	12–9–75 तक बनाई गई बंटन विवरणी	75	3 दिन देरी से प्रस्तुत की गई ।	–वही–
(6)	30-6-75 तक का तुलन-पत्र	220	एक मास देरी से प्रस्तुत किया ।	धारा 611(2) के अन्तर्गत 60 रु० अतिरिक्त शुल्क लगाया गया था, जो कम्पनी द्वारा दे दिया गया ।
(7)	30-6-76 तक बनाई गई वार्षिक विवरणी	159	25 दिन देरी से प्रस्तुत की गई ।	–वही–
(8)	30-6-76 तक का तुलन-पत्र	220	1 मास व 25 दिन देरी से प्रस्तुत किया गया ।	धारा 611(2) के अन्तर्गत 120 रु० अतिरिक्त शुल्क लगाया गया था, जो कम्पनी द्वारा दे दिया गया ।
(9)	30-12-76 को पास किया गया विशेष संकल्प	192	4 मास व 9 दिन देरी से प्रस्तुत किया गया ।	–वही–
(10)	30-6-77 तक का तुलन-पत्र	220	1 मास देरी से प्रस्तुत किया ।	धारा 611(2) के अन्तर्गत 60 रु० का अतिरिक्त शुल्क लगाया गया था, जो कम्पनी द्वारा दे दिया गया ।
(11)	27-2-78 को पास किया गया विशेष संकल्प	192	22 दिन देरी से प्रस्तुत किया ।	कम्पनी द्वारा दिये गये उत्तर को देखते हुए देरी क्षमा कर दी गई थी ।

(ग) प्रश्न के भाग (ख) के सापेक्ष में, जो कुछ वर्णित है, उसके अलावा अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

मैसर्स इन्टरनेशनल मेडिटेक प्राइवेट लिमिटेड का प्रबन्ध

1370. **श्री कचरलाल हेमराज जैन :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स इंटरनेशनल मेडिटेक प्राईवेट लिमिटेड, 6 नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली के चेयरमैन, प्रबन्ध निदेशक तथा अन्य निदेशकों के नाम क्या हैं ;

(ख) यह फर्म किन वस्तुओं का निर्माण करती हैं या बेचती हैं ;

(ग) इस फर्म की वार्षिक बिक्री कितनी होती है;

(घ) क्या इस फर्म के सम्बन्ध में कम्पनी विधि के उपबन्धों का उल्लंघन किये जाने के कोई मामले सरकार के ध्यान में लाये गये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उनका विवरण क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (श्री डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) 17 नवम्बर, 1977 तक की वार्षिक विवरणी के अनुसार कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक और अन्य निदेशकों के नाम निम्न प्रकार है:—

1. श्री प्रेम कुमार नरुला . . . . प्रबन्ध निदेशक
2. श्री राज कुमार नरुला . . . . . निदेशक
3. श्री परवीन कुमार नरुला . . . . . निदेशक
4. श्रीमती स्नेह नरुला . . . निदेशक
5. श्रीमती नीरज नरुला . . . . निदेशक

(ख) कम्पनी रजिस्ट्रार के पास कम्पनी द्वारा स्तुत 30-6-77 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्रथम लाभ और हानि लेखा से यह दिखलाई देता है कि कम्पनी चिकित्सा और शल्यक्रिया सम्बन्धी सामग्री का व्यापार कर रही है ।

(ग) 30-6-1977 को समाप्त हुई अवधि के लिये लाभ और हानि लेखा के अनुसार वार्षिक व्यापारावर्त 612 रु० मात्र है । (कम्पनी केवल 7-5-1977 को हाल ही में विनिगमित हुई थी)

(घ) तथा (ङ) : कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा रखे गए दस्तावेजों से प्रगट होता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 192(4)(ग) के शर्तों के अन्तर्गत प्रबन्ध निदेशक के पद पर श्री प्रेम कुमार नरुला की नियुक्ति के सम्बन्ध में बोर्ड का संकल्प प्रस्तुत नही किया है । यह मामला कम्पनी के साथ उठाया जा रहा है और जो भी उचित कार्यवाही ठीक समझी जाती है, यथाक्रम में ली जायेगी ।

स्थानीय अधिवक्ताओं की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति

1371. **श्री एच० एल० पी० सिन्हा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न उच्च न्यायालयों में नियुक्तिया करते समय सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि स्थानीय अधिवक्ता अपने-अपने राज्य के उच्च न्यायालय में न नियुक्त किये जायें अपितु उनकी नियुक्ति अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में की जाये ताकि निष्पक्ष न्याय मिल सके ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार की जाती है, जिसमें स्थानीय अधिवक्ताओं की उनके राज्यों के उच्च न्यायालयों में नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई गई है । उनके स्थानीय अधिवक्ताओं ने उन उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रुप में ख्याति प्राप्त की है जिनमें उन्होंने वकालत की थी ।

गया-पटना रेल लाइन पर डकैती की घटनायें

1372. **श्री एच० एल० पी० सिन्हा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गया-पटना रेल लाईन पर वर्ष 1977-78 के दौरान अब तक चलती हुई रेलगाडियों में डकैती की कितनी घटनायें हुई ;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकांशत: शिक्षित युवकों का इन डकैतियों में हाथ होता है; और

(ग) अब तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और इनमें से कितने व्यक्तियों पर मुकदमें चलाये गये ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 1977-78 के दौरान पूर्व रेल्वे के गया-पटना खंड पर चलती गाड़ियों में डकैती/लूट-पाट की 6 घटनाएं हुई थीं ।

(ख) डकैती और लूट-पाट के इन मामलों में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 12 व्यक्तियों में से तीन व्यक्ति शिक्षित थे जो इन्टर साइंस तक पढ़े हुए थे ।

(ग) डकैती/लूट-पाट के इन मामलों में अब तक 12 व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके हैं । तीन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है ।

रेलवे के खान-पान विभाग द्वारा काम पर लगाये गये विक्रेता

1373. **श्री एच० एल० पी० सिन्हा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के खान-पान विभाग द्वारा मिठाई, पान, सिगरेट, चाय आदि बेचने पर लाखों विक्रेताओं को काम पर लगाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि उन्हें न तो वेतन दिया जाता है और न ही रिहायशी आवास उपलब्ध कराया जाता है और उन्हें केवल कमीशन दिया जाता है; और

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में उन्हें वेतन देने और रेलवे कर्मचारियों के रुप में मान्यता देने का है ; यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं, केवल चार हजार विक्रेता भारतीय रेलों पर विभागीय खान-पान स्थापनाओं द्वारा कमीशन के आधार पर नियोजित किये गये हैं ।

(ख) और (ग) : कमीशन विक्रेता रेल कर्मचारी नहीं होते हैं । तथापि, उन्हें उनके द्वारा की गयी बिक्री के आधार पर निःशुल्क वर्दी सप्लाई की जाती है और रेलवे अस्पतालों में बहिरंग रोगी के रुप में केवल स्वयं के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाती है । इन कमीशन विक्रेताओं को, रेलों पर नियमित कर्मचारियों के रूप में समाहित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार पद्धति अधिनियम के अधीन अनुमोदित प्रस्ताव

1374. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1978 तक सरकार द्वारा एकाधिकर एवं निर्बन्धात्मक व्यापार पध्दति अधिनियम के अधीन अनुमोदित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन प्रस्तावों में से उन प्रस्तावों की संख्या कितनी है , जो सर्वोच्च दस बड़े उद्योग गृहों से सम्बन्धित हैं ; और

(ग) क्या बड़े उद्योग गृहो से सम्बन्धित प्रस्तावों को मंजूरी देते समय आय में असमानताओं में कम करने की सरकार की घोषित नीति में रखा गया था ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) 1-6-1970 से 31-12-76 के अवधि में सरकार द्वारा एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 21, 22 और 23 के अन्तर्गत अनुमोदित प्रस्तावों के सम्बन्ध में ब्यौरे एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के कार्यकरण एवं प्रशासन की छः वार्षिक रिपोर्टों में जो पहले ही लोकसभा के पटल पर क्रमशः 28-11-72, 13-12-73, 18-12-74, 18-5-76, 5-4-77 और 12-5-78 को प्रस्तुत की गई थी में दिया गया है । 1-1-77 से 31-7-78 तक सरकार द्वारा एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की इन धाराओं के अन्तर्गत अनुमोदित प्रस्तावों के ब्यौरों का उल्लेख करता हुआ एक विवरण-पत्र संलग्न है ।

(ख) सरकार द्वारा 1-6-1970 से 31-7-78 तक अनुमोदित कुल 4.26 प्रस्तावों में से 126 प्रस्ताव 1975 में परिसम्पत्तियों के मूल्य के अनुसार बृहद् दस बड़े औद्योगिक घरानों की श्रेणी से सम्बद्ध हैं ।

(ग) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम द्वारा अच्छादित उपक्रमों से प्राप्त प्रस्तावों की वर्तमान औद्योगिक लाइसेंस नीति और एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत उल्लिखित विवेचनों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की जाती है तथा यह सन्तोष होने के पश्चात् कि इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में वित्त योजना से सामान्य हानि में आर्थिक शक्ति के सकेन्द्रण की सम्भावना नहीं थी या इसके जनहित के विपरीत होने की सम्भावना नहीं थी । यह भी सामान्यतः सुनिश्चित किया जाता है कि एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत संस्वीकृत अनुमोदन के परिणाम स्वरुप कोई भी एक या व्यापारिक समूह बाजार में प्रमुखता या एकाधिकारिक स्थिति प्राप्त नहीं करे तथा बड़े घराने अन्तः श्रृन्खलाबन्धन के माध्यम से विनिर्मित उत्पादनों से उद्भूत अनुचित प्रथाओं का सहारा नहीं लेते । अन्य महत्वपूर्ण विचार जो अब ध्यान में रखा जा रहा है, वह यह है कि बड़े औद्योगिक घरानों को अपने प्रस्तावों के विस्तार या नये उपक्रमों

के गठन के लिये यथा सम्भव सीमा तक, पूंजी गहन प्रकृति जैसे उर्वरक, कागज, सीमेन्ट, जहाजरानी पैट्रो-रसायन आदि के प्रस्तावों के मामलों को छोड़कर, अपने स्वयं के आन्तरिक संचालित श्रोतों द्वारा कार्यान्वित करना चाहिए । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2895/78]**

दक्षिण रेलवे में विद्युतीकरण

1375. **श्री ओ० वी० अलगेशन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे में मद्रास-विजयवाड़ा और मद्रास-अरकोणम, अर्थात् विद्युतीकरण की मद्रास-तिरुवल्लूर योजनाओं के प्रथम चरण के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है और वे कब तक पूरी हो जायेंगी ;

(ख) दूसरा चरण, अर्थात् तिरुवल्लूर-अरकोणम विद्युतीकरण को कब आरम्भ किये जाने का विचार है ; और

(ग) क्या विद्युत चालित गाड़ी की सेवा के लिये मद्रास-तिरुवल्लूर और मद्रास गुम्मिडि पूंडी उपनगरीय सेक्शनों में विद्युतीकृत वर्तमान दोहरी लाईन को पृथक रखने और उपरोक्त दोनों छोटे टुकडों पर मुख्य लाइन के यातायात के लिये पृथक लाइनें डालने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) सितम्बर, 78 के अन्त तक मद्रास-विजयवाड़ा खंड पर विद्युतीकरण का 62.2% और मद्रास-तिरुवल्लूर खंड पर 65.45% कार्य पूरा हो चुका है । इन दोनों खंडों के विद्युतीकरण का काम 1979-80 के दौरान पूरा हो जाने की आशा है ।

(ख) अभी तक तिरुवल्लूर-अरकोनम खंड के विद्युतीकरण को शुरू करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ग) इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

मद्रास तेल शोधक कारखाने की क्षमना बढ़ाने के लिये प्रस्ताव

1376. **श्री ओ० वी० अलगेशन :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास तेल शोधक कारखाने से क्षमता बढ़ाकर 35 लाख टन करने के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) वर्ष 1984-85 तक दक्षिण भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कितनी अतिरिक्त तेल शोधन क्षमता की आवश्यकता होगी ; और

(ग) अतिरिक्त क्षमता का स्थान कहां रखे जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : दिनांक 14-12-1977 को अतिरिक्त शोधन क्षमता सेकेण्ड्री प्रोसेसिंग क्षमता जिसें छठी योजना (1978-83) के दौरान और दो अनुवर्ती वर्षों के लिए स्थापित/आरंभ किया जाना है, की जांच करने के लिए एक अध्ययन दल की नियुक्ति की गई थी । उक्त अध्ययन दल की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और योजना आयोग द्वारा स्थापित किये गये पेट्रोलियम पर कार्यकारी दल के साथ परामर्श करके सरकार द्वारा उसका मूल्यांकन किया जा रहा है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तट पर और तट से दूर तेल का उत्पादन

1377. **श्री ओ० वी० अलगेशन :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इस समय तट पर और तट से दूर तेल का कितना उत्पादन किया जाता है ;

(ख) तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या-क्या योजनाएं हैं ;

(ग) क्या तमिलनाडु और उड़ीसा के तटों पर तट से दूर तेल की खुदाई का कार्य सफल रहा है ;

(घ) क्या पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों को छोड़कर तट पर तेल की खोज के लिये उत्साहजनक प्रयास किये जायेंगे ; और

(ङ) क्या बम्बई हाई से तेल के उत्पादन को अधिकतम बनाने के कोई प्रस्ताव हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ङ) : अप्रैल, 1978 से सितम्बर 1978 तक की अवधि के दौरान तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने पहले से ही लगभग 3.93 मि० मी० टन कच्चे तेल का उत्पादन कर लिया है, जिसमें से 2.81 मि० मी० टन कच्चा तेल तटवर्ती क्षेत्र से और 1.12 मि० मी० टन अपतटीय क्षेत्रों से उत्पन्न हुआ है ।

कच्चे तेल के अन्वेषण और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग सघन प्रयास कर रहा है । वर्ष 1977–78 में इस उत्पाद के 7.59 मि० मी० टन के वास्तविक उत्पादन की अपेक्षा वर्ष 1982–83 तक तेल के उत्पादन में लगभग 15.2 मि० मी० टन तक वृद्धि करने की इसकी योजना है ।

जहां तक तटवर्ती क्षेत्रों का संबंध है, पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के सतत प्रयासों के अतिरिक्त इसका त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, पंजाब पहाड़ी तलछटी, गंगा घाटी, कृष्णा-गोदावरी बेसिन आदि के तटवर्ती क्षेत्रों में और आगे अन्वेषण करने का प्रस्ताव है ।

जहां तक बम्बई हाई से हो रहे उत्पादन का संबंध है, विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए कच्चे तेल के उत्पादन कार्यक्रम म अभी हाल ही में निम्नलिखित रूप में संशोधन किया गया है :—

(कच्चा तेल मि० टन में)

1978–79	1979–80	1980–81	1981–82	1982–83
3.40	4.40	5.90	8.20	9.00

पाण्डिचेरी-तमिलनाडु समुद्र तट तथा बंगाल-उड़ीसा बेसिन के आसपास के अपतटीय क्षेत्रों में अब तक जितने कुएं खोदे गये वे सभी सूखे पाए गये ।

उत्तर रेलवे में दिये गये खान-पान सम्बन्धी ठेके

1378. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के प्रत्येक डिवीजन में कितने खान-पान ठेके दिये गये हैं ;

(ख) क्या खान-पान तथा अन्य स्टालों के 10 प्रतिशत ठेके नियमों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लोगों को दिये गये हैं, और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) उत्तर रेलवे के सभी डिवीजनों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के जिन लोगों को बड़े व छोटे ठेके दिये गये हैं, उनकी संख्या, नाम तथा पते क्या हैं ; और

(घ) ऐसे छोटे एवं बड़े ठेकेदारों की संख्या कितनी है जिनके ठेकों का तीन या चार बार नवीकरण किया जा चुका है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 1–4–1975 से 31–10–1978 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित ठेके दिये गये हैं :—

मंडल	ठेकों की संख्या
दिल्ली	31
मुरादाबाद	50
लखनऊ	18
इलाहाबाद	28
फिरोजपुर	29
बीकानेर	167
जोधपुर	141
जोड़	464

(ख) केटरिंग/वेंडिंग के ठेके देने के मामले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है । लेकिन, सरकार की 1-8-78 से लागू वर्तमान नीति के अनुसार केटरिंग और वेंडिंग के 1/2 यूनिट के सभी ठेके केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित हैं ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) कुल मिलाकर 488 बड़े और छोटे ठेकों का तीन या चार बार नवीकरण किया गया है । ऐसे ठेकों के बारे में जो, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के पास थे और उनका नवीकरण किया गया था, सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 2896/78]

पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में नई रेल लाइनों का निर्माण

1379. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में नई लाइनों के निर्माण के लिये अभ्यावेदन या प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मांगे किन-किन क्षेत्रों से की गई हैं; और

(ग) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : पिछडे आदिवासी क्षेत्रों में नयी रेल लाइनों के निर्माण के लिए प्रस्ताव विभिन्न राज्य सरकारों, संसद् सदस्यों और अन्य सार्वजनिक निकायों से समय-समय पर प्राप्त हुए हैं जिन पर गुण-दोष के आधार पर निधि की उपलब्धता के अनुसार विचार किया गया है ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूरक मांग 1978-79 द्वारा निम्नलिखित 6 नयी रेल लाइनों का निर्माण शुरू करने के लिए संसद् का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव किया गया है :

क्र०सं०	लाइन का नाम	सेवित राज्य	कि०मी० में लम्बाई	लागत (करोड़ रुपयों में)
1	गुवाहाटी-बुरनीहाट (बड़ी ला०)	आसाम/मेघालय	28.21	8.20
2	धर्मनगर-कुमारघाट (मी० ला०)	त्रिपुरा	33.50	9.67
3	सिलचर-जिरिबाम (मी० ला०)	आसाम/मनीपुर	50.36	12.13
4	बालीपारा-भालुकयोग (मी० ला०)	आसाम/अरुणाचल	33.45	4.70
5	आमगुरि-तुलि (मी०ला०)	आसाम/नागालैण्ड	17.07	4.83
6	लालाघाट-भैराबि (मी० ला०)	आसाम/मिजोरम	48.77	10.76

पिछड़े और जन जाति क्षेत्रों में निम्नलिखित रेल लाइनों का निर्माण कार्य हाथ में है:—

1. गुजरात में नाडियाड-कापड़बंज-मोदासा
2. उड़ीसा में जखापुरा-बांसपानी
3. महाराष्ट्र में वानी-चनाका
4. आन्ध्र प्रदेश में नाडिकुड़े--बीबीनगर
5. उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में करैला रोड-जयन्त
6. आन्ध्र प्रदेश में भद्राचलम-मानुगुरु ।

उर्वरक कारखानों द्वारा क्षमता से कम उत्पादन

1380. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उर्वरक कारखानों के नाम क्या हैं जिनमें उत्पादन उनकी क्षमता से कम हो रहा है ;

(ख) क्या सरकार यह बात स्पष्ट करेगी कि वह ऐसे कारखानों के बारे में क्या नीति अपनायेगी; और

(ग) किस समय तक ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) अप्रैल–अक्तूबर 1978 की अवधि के दौरान निम्नलिखित संयंत्र निर्धारित क्षमता से कम क्षमता पर कार्य कर रहे थे :—

संयंत्रों का नाम

सरकारी क्षेत्र

नाइट्रोजन

1. *सिन्दरी
2. गोरखपुर
3. नामरूप
4. नामरूप विस्तार
5. दुर्गापुर
6. बरौनी
7. ट्राम्बे IV
8. नंगल
9. नांगल विस्तार
10. उद्योगमंडल]
11. कोचीन I और II
12. राऊरकेला
13. नैवेली
14. मद्रास

फास्फेट

1. ट्राम्बे IV
2. उद्योगमंडल
3. कोचीन II
4. मद्रास
5. खेतरी

गैर-सरकारी क्षेत्र

15. वाराणसी
16. एन्नौर
17. बड़ौदा
18. विज़ाग
19. कोटा
20. कानपुर
21. गोवा
22. टूटीकोरन
23. मंगलौर

1. बड़ौदा
2. विजाग
3. गोवा
4. टूटीकोरन

(ख) और (ग) : एककों में उत्पादन की पद्धति की सरकार द्वारा लगातार देख–रेख की जाती है और कई संयंत्रों में मरम्मत, कठिनाइयों पर काबू पाना, प्रतिस्थापन और नवीनीकरण, पावर उत्पन्न करने की अपनी सुविधाओं की स्थापना और कच्चे माल में परिवर्तन आदि जैसे विभिन्न कदम उठाए जा रहे ह ताकि उनकी परिचालन दक्षता में सुधार लाया जा सके।

*जब तक आधुनिकीकरण योजना चालू है तब तक सुरक्षा के लिए उर्वरक संयंत्र को बन्द कर दिया गया है ।

तेल उत्पादक देशों द्वारा तेल के मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव

1381. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि तेल उत्पादक तथा निर्यातक देश तेल का मूल्य बढ़ाने का विचार कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका भारतीय अर्थ–व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) । दिनांक 16 दिसम्बर, 1978 को अबूधाबी में होने वाली बैठक में तेल उत्पादक तथा निर्यातक देशों द्वारा तैल के मूल्य को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किये जाने की आशा है ।

इस समय भारत के तेल आयात का बिल लगभग 1600 करोड़ रुपये है । और इसमें तेल उत्पादक तथा निर्यातक देशों द्वारा तेल के मूल्य में और कोई वृद्धि करने के अनुसार वृद्धि हो जायेगी ।

तेल शोधन क्षमता को दुगुना करने का प्रस्ताव

1382. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अशोधित तेल शुद्ध करने की क्षमता को दुगुना करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अशोधित तेल की सप्लाई पर ईरानी तेल-श्रमिकों द्वारा की गई हड़ताल का प्रभाव

1383. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ईरानी तेल श्रमिकों की निरंतर हड़ताल को देखते हुए ईरान से अशोधित तेल की सप्लाई रुकने से उत्पन्न होने वाली गंभीर स्थिति से अवगत है;

(ख) क्या सप्लाई में कमी की पूर्ति के लिये अन्य देशों से अशोधित तेल का आयात करने हेतु कोई तात्कालिक योजना तैयार की गई है; यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मद्रास रिफाइनरी को जो केवल ईरानी तेल पर निर्भर है, निरन्तर चालू रखने के लिए कोई अन्य उपाय किये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां ।

(ख) विभिन्न ठेके प्रबंधों के अन्तर्गत नवम्बर और दिसम्बर, 1978 के दौरान ईरान के कच्चे तेल को हमारी शेष हकदारी की संभावित उपलब्धता के संबंध में इस समय स्थिति अनिश्चित है । ईरान के कच्चे तेल के उत्पादन में बताये गये सुधार के अनुसरण में शेष मात्रा में से जिसे इस अवधि के दौरान ईरान से उठाने की योजना थी, अधिकतम सप्लाई प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं । इसके साथ ही साथ क्रूड को अन्य स्थानों से आयात करने की संभावना की खोज की गई है । अभी हाल ही में ईराक से 485,000 टन कच्चे तेल का अतिरिक्त आयात करना निश्चित कर दिया है । ईरान से अन्य उपलब्धता पर निर्भर करते हुए अन्य स्रोतों से अतिरिक्त क्रूड आयात करने की यथावकश्क व्यवस्था करनी होगी ।

(ग) मद्रास शोधनशाला सहित सभी तटवर्ती तेल शोधक कारखानों में नवंबर, 1978 में लगभग योजनाबद्ध स्तरों तक अशोधित तेल के उत्पादन को बनाये रखने के लिए ईरान से अतिरिक्त अन्य संसाधनों से उपलब्ध होने वाले अशोधित तेल का पुनः आबंटन किया गया है ।

उच्चतम न्यायालय बार आसोसिएशन की सेवा निवृत्ति न्यायाधीशों द्वारा प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध लगाए जाने की मांग

1384. **श्री विजय कुमार एन० पाटिल** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन ने यह मांग की है कि उच्च न्यायालयों में स्थायी न्यायाधीश के पदों पर कार्य कर रहें व्यक्तियों द्वारा वकालत करने पर पुनः प्रतिबन्ध लगाया जाए तथा उसने उच्च न्यायालयों के सेवा निवृत्त न्यायाधीशों की आयोगों में अथवा अन्य पदों पर नियुक्ति का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन से प्राप्त मांगों/संकल्पों या ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनमें की गई विभिन्न मांगों के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हाँ ।

(ख) एसोसिएशन ने यह संकल्प पारित किया है कि संविधान के अनुच्छेद 220 से 'स्थायी' और 'उच्चतम न्यायालय या अन्य उच्च न्यायालयों के सिवाय' शब्दों को हटाने के लिए तुरन्त कार्रवाई करने की आवश्यकता की ओर सरकार और संसद् के दोनों सदनों के सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया जाए। एसोसिएशन की तारीख 1-9-1972 को हुई साधारण सभा की बैठक में पारित संकल्प का भी हवाला दिया गया है जिसमें यह संकल्प किया गया था कि सरकार को उच्च न्यायालयों के भूतपूर्व न्यायाधीशों की आयोगों में और अन्य पदों पर नियुक्ति की अवांछनीयता पर भी विचार करना चाहिए ।

(ग) विधि आयोग ने अपनी 72वीं रिपोर्ट में अनुच्छेद 220 में कोई संशोधन करने के विचार का विरोध किया है । उसके विचार को सरकार ने स्वीकार कर लिया है । उपयुक्त व्यक्तियों की आवश्यकता और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सरकार यह उचित नहीं समझती है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की आयोगों में नियुक्ति न की जाए ।

बस्तर में नई रेल लाइन

1385. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में एक नई रेल लाइन के निर्माण के लिए अन्तिम स्थल निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस लाइन का निर्माण कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) । ढल्ली राजहरा से जगदलपुर तक बड़े आमान की नयी लाइन के निर्माण के लिए अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है । यह प्रस्तावित लाइन 234 कि०मी० लम्बी होगी और इस पर 46 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है, जिस पर डीजल कर्षण सहित डी० सी० एफ० पद्धति से 7.97 प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त होगा । इस लाइन का निर्माण आरम्भ करना इस प्रयोजन के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

(एक) समस्तीपुर मतदान सम्बन्धी घटनाओं और (दो) श्री वसंत साठे, संसद सदस्य तथा अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में वक्तव्य

अध्यक्ष महोदय : विपक्ष के नेता एक वक्तव्य देंगे ।

श्री सी० एम० स्टीफन (इंदूकी) : आपकी अनुमति से मैं समस्तीपुर चुनाव सम्बन्धी कुछ घटनाओं को सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं । एक मंत्री, उनके सुरक्षा अधिकारी को गिरफ्तार किया गया तथा

जिस जीप में वे यात्रा कर रहे थे उसे हिरासत में लिया गया। सत्ताधारी दल के एक विधायक को गिलफ्तार किया गया। आज समाचारपत्र में उसका समाचार छपा है। इन सब गिरफ्तार लोगों को छोड़ दिया गया है। इन सब को गैर-कानूनी तौर पर इकट्ठा होने, झगड़ा फसाद करने, चोट पहुंचाने और हत्या के प्रयत्न के आरोपों में गिरफ्तार किया गया।

मंत्री महोदय के साथ तीन सुरक्षा कर्मचारी थे जबकि सामान्यतः एक होता है। पुलिस यही पता -लगाने का प्रयत्न कर रही है ये तीनों लोग घटना के समय मंत्री के साथ कैसे थे। जिस जीप में वे थे वह दिल्ली में रजिस्टर है। मंत्री महोदय और सुरक्षा अधिकारियों को एक दिन नजरबन्द रख कर जमानत पर छोड़ दिया गया है।

जनता विधायक श्रीमती प्रेमलता राय को भी मतदान पेटी ले जाने का प्रयत्न करने पर गिरफ्तार किया गया। मतदान पेटी उठाने और मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने का प्रयत्न किया गया। ऐसी सघटनाएं पहले भी हुई हैं परन्तु यह पहला मौका है जब किसी मंत्री का भी इसमें हाथ रहा हो।

ऐसे ही एक अन्य मामले में कल्याण मंत्री श्री कामेश्वर पासवान के सुरक्षा कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने रिवाल्वर बाहर निकाल लिया था।

मतदान में सब बराबर है। अपना मत डालने ही कोई मतदान केन्द्र में जा सकता है अन्यथा नहीं। यहाँ मंत्री अपने सुरक्षा कर्मचारियों के साथ जिनके पास पिस्तोल आदि थे वहाँ गये और लोगों से उनका झगड़ा हुआ तथा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया।

ऐसी स्थिति है तो मतदान शान्तिपूर्ण कैसे हो सकते हैं। मैं सदन से यही पूछना चाहता हूं।

सदन को आश्चर्य होगा कि वह मंत्री अब भी मंत्री पद पर आसीन हैं। मुख्य मंत्री अनजान स्थान पर आराम फरमा रहे हैं। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। कानून और व्यवस्था की स्थिति बड़ी खराब है।

एक बात और। क्या सचिवालय को श्री वसन्त साठे की गिरफ्तारी की जानकारी है। पी०टी०आई० का समाचार है कि वे गिरफ्तार किए गए हैं, उन्हें चोट भी लगी है। उसका समाचार आपको नहीं मिला है, यह सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन है।

मेरी मांग है कि इन मंत्रियों को बर्खास्त किया जाएं।

अध्यक्ष महोदय : विपक्ष के नेता को मंत्री का स्तर प्राप्त है और यदि कोई मंत्री वक्तव्य देना चाहते हैं तो उसे अनुमति देना सदन की परम्परा रही है। अतः श्री मण्डल को भी वक्तव्य देने की अनुमति दी जाए।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिकलाल मण्डल) : मैं वक्तव्य बाद में दूंगा। मैं मंत्री महोदय के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का विपणन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री मण्डल कल वक्तव्य देंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र।

तेल उद्योग विकास बोर्ड (कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि) नियम, 1978

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 31 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तेल उद्योग विकास बोर्ड (कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि) नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी जो दिनांक 28 अक्तूबर, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सं० नि० 512 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—2876/78]**

श्री विश्वेश्वर राव राजे की रिहाई के बारे में सूचना

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करता हूं कि मुझे पुलिस निरीक्षक, पुलिस स्टेशन लक्कड़गंज, नागपुर से दिनांक 27 नवम्बर, 1978 का बेतार का सन्देश प्राप्त हुआ है :

"श्री विश्वेश्वर राव राजे, संसद् सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में उन्हें आज अर्थात् 27-11-78 को 16.15 बजे रिहा किया जाता है ।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : श्री साठे के बारे में क्या समाचार है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई सूचना नहीं मिली है । यदि ऐसा है तो मैं कार्रवाई करुंगा ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

श्री मुख्तियार सिंह मलिक (सोनीपत) : मैं कृषि और सिंचाई मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं :—

"गुजरात, तमिलनाडू और देश के अन्य भागों में आए समुद्री तूफान से हुई जन-धन की भारी हानि का समाचार ।"

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : 23 नवम्बर, 1978 को प्रातः 8.30 बजे श्रीलंका के पश्चिमी तट पर ट्रिन्कोमाली के पूर्व 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर एक समुद्री तुफान की सचना मिली थी । यह तूफान श्रीलंका की ओर बढ़ रहा था और ऐसी आशंका थी कि यह तमिलनाडु के दक्षिणी तट की ओर भी आ सकता है । 23 नवम्बर, 1978 के अपराह्न को भारतीय मौसम विभाग ने एक चेतावनी जारी की कि दक्षिणी तमिलनाडु के तट पर 24 नवम्बर, 1978 को दोपहर अथवा अपराह्न तक 5 मिनट तक के लिये एक तूफानीलहर आने की सम्भावना है । कृषि विभाग के अपर सचिव ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव तथा राजस्व सचिव को तत्काल एक टेलेक्स संदेश भेज कर अनुरोध किया कि जान-माल बचाने के लिये हर सम्भव उपाय किए जायें । 23-11-1978 को सायं 8.30 बजे तमिलनाडु के राजस्व सचिव से टेलीफोन द्वारा भी संबंध स्थापित किया गया । अपर सचिव ने उन्हें तुफान के बारे में सचेत करके भारतीय मौसम विभाग की चेतावनी से अवगत कराया । उन्होंने बताया कि राज्य सरकार को समुद्री तुफान की जानकारी है और वह समुद्री तटीय क्षेत्रों में जान-माल की सुरक्षा के लिये हर सम्भव उपाय कर रही है ।

राज्य सरकार से फोन द्वारा मिली सूचना के अनुसार श्रीलंका में आए समुद्री तूफान ने मनार की खाड़ी को पार करके 24 नवम्बर को सायं 6 बजे तूतीकोरीन तथा पमबान के बीच तमिलनाडु के तट को प्रभावित किया । पमबान पुल तथा सड़क ठीक हालत में हैं, किन्तु सड़क के पुल के लिये बनाई गई जेटी ध्वस्त हो गई है । तीन जिलों, अर्थात् थन्जावुर, रामनाथपुरम और टिनीवेल्ली के तटीय क्षेत्र तूफान से प्रभावित हुए । मछुओं की लगभग 300 से 500 नावें या तो क्षतिग्रस्त हो गई हैं या लापता हैं । लगभग 40,000 व्यक्ति दूसरे स्थानों को ले जाए गए थे । तूफान से कोई भी गांव नहीं बहा, किन्तु 6 गांव तहस-नहस हो गए । यह तूफान कोयम्बटूर तथा नीलगिरी के बीच पश्चिम की ओर बढ़ा और नीलगिरी में भारी वर्षा हुई तथा ऊटकमंड के निकट कुनूर मंडी बुरी तरह से प्रभावित हुई ।

राज्य सरकार के अनुसार अभी तक कुल 14 व्यक्तियों की जानें गई हैं और एक व्यक्ति लापता है । लगभग 500 मवेशियों की मौत हुई है । लगभग एक हजार कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं ।

राज्य सरकार ने लगभग 300 राहत शिविर खोले हैं । सेना को सावधान कर दिया गया था, किन्तु उनकी सहायता की आवश्यकता नहीं हुई । प्रारम्भिक सूचना के अनुसार बोए हुए अधिक क्षेत्र को क्षति नहीं पहुंची है तथा जन सुविधाओं को हुई क्षति का जायज़ा लिया जा रहा है ।

[श्री सुरजीत सिंह बरनाला]

प्रायद्वीप के दक्षिणी भागों में तथा अरब सागर ने द्वीपसमूह में 24 तथा 26 नवम्बर के बीच तूफान के साथ कहीं-कहीं भारी वर्षा होने तथा काफी दूर-दूर तक वर्षा होने की सूचना मिली थी ।

27 तारीख की शाम को गोवा के लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में हवा का दवाव कम हो जाने के कारण यह समुद्री तूफान आया । इस स्थिति में उपग्रह के नवीनतम फोटो ने इसके उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने तथा अधिक कमजोर होने के संकेत दिए । इस तूफान की गतिविधियों पर उपग्रह द्वारा और परम्परागत जहाजों तथा ऋतु मानचित्र द्वारा निरन्तर निगाह रखी गई ।

तूफान के उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने तथा शनैः शनैः कमजोर पड़ने की स्थिति को देखते हुए पश्चिम तट के सभी बन्दरगाहों तथा सरकारी एजेन्सियों को 27 तारीख की शाम को इस तूफान के टल जाने की सूचना दी गई ।

इस तूफान के बारे में दी गयी सभी चेतावनियां पूर्णतः पर्याप्त तथा समय पर दी गई थीं । सब से पहले 21 नवम्बर को, जब तूफान तटीय रेखा से लगभग 1050 किलोमीटर की दूरी पर केन्द्रित था, आकाशवाणी ने तुफान के बनने, उसकी सम्भावित गतिविधि तथा प्रभावित होने वाले क्षेत्र के बारे में चेतावनी प्रसारित की थी । 22 नवम्बर, की शाम को आकाशवाणी, नई दिल्ली तथा आकाशवाणी, मद्रास से भारी वर्षा होने तथा तेज़ हवाएं चलने के बारे में विस्तृत चेतावनियां प्रसारित की गयी थीं । ज्वारीय लहरों के बारे में 23 नवम्बर की शाम को चेतावनी जारी की गयी थी, जो इस घटना के लगभग 24 घंटे पहले दी गयी थी । समय-समय पर समुचित प्रेस-बुलेटिन भी जारी किए गए ।

तमिलनाडु को छोड़कर किसी अन्य राज्य सरकार से इस समुद्री तूफान के कारण हुई किसी प्रकार की क्षति के बारे में अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

गुजरात सरकार, जिससे कल शाम को सम्पर्क स्थापित किया गया था, से कुछ घंटे पूर्व यह सूचना प्राप्त हुई है कि समुद्री तूफान, जिसके बारे में 8 नवम्बर, 1978 से चेतावनी प्राप्त हो रही थी, 11 और 12 नवम्बर, 1978 की रात्रि को गुजरात से होकर गुजरा जिससे कच्छ, जामनगर, सुरेन्द्रनगर, जूनागढ़, अमरेली और राजकोट जिले प्रभावित हुए । 7 से 8 मीटर तक ऊंची एक ज्वारीए लहर ने कच्छ जिले में नालिया और माण्डलिया के बीच के तटीय क्षेत्रों को जलप्लावित कर दिया । तीन व्यक्ति जो एक नाव में यात्रा कर रहे थे, अभी तक लापता है तथा एक व्यक्ति बिजली गिरने से मर गया । 55 गांवों को खाली करवा लिया गया था । पशुओं के जीवन को क्षति नहीं हुई हैं । 44 झोपड़ियों को नुकसान हुआ था तथा 46 घर गिर गए थे । कच्छ के लिटल रन में 54 लाख रु० के मूल्य के साल्ट पानों एवं 1 करोड़ 55 लाख रु० के मूल्य का नमक या जो समाप्त हो गया था क्षतिग्रस्त हो गया । भारी वर्षा, और विशेषकर पूर्णिमा की रात्रि होने के कारण समुद्री लहरों के दाखिल होने से जो निचले क्षेत्र पानी में डूब गए थे उनमें 5 हजार व्यक्ति इससे प्रभावित हुए । इन व्यक्तियों के लिए 10,500 खाद्य पैकेट हवाई जहाज से गिराये गए । मुख्यतः कच्छ और सुरेन्द्रनगर जिलों में जो बोया गया क्षेत्र क्षतिग्रस्त हुआ है उसका जायजा लिया जा रहा है । राज्य सरकार ने अभी तक कोई केन्द्रीय सहायता नहीं मांगी है, परन्तु उनका सेन्ट्रल साल्ट सैस से सहायता प्राप्त करने का विचार है ।

कर्नाटक सरकार ने भी, जिनसे कल सम्पर्क स्थापित किया गया था, आज सुबह कुछ घंट पूर्व यह सूचित किया है कि राज्य में समुद्री तूफान के कारण किसी प्रकार क्षति होने का पता नहीं चला है ।

जैसा कि समाचार मिला है, नवम्बर, 5 और 7 की लक्षद्वीप में वर्षा के साथ 60 से 100 कि० मी० प्रति घन्टे की गति से तूफान आया । इससे किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई और यातायात में कोई रुकावट नहीं पड़ी । लगभग 7600 नारियल के पेड़ उखड़ गए और 16 घर नष्ट हो गए । 190 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए और 200 व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया और उन्हें सभी प्रकार से खाने, आवास आदि की सहायता दी गई । सरकारी भवनों की 20,000 रुपये की क्षति हुई । एक नाव इतनी क्षति ग्रस्त हुई की उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती । क्षति का पता लगाने के लिए उच्चतर अधिकारियों से कहा गया है । सभी प्रभावित द्वीपों पर पर्याप्त खाने, तेल आदि का भण्डार है । किसी प्रकार चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगूसराय) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपने कहा कि विपक्ष के नेता का स्तर एक मंत्री का है, इसलिए वे कभी भी सदन में आकर वक्तव्य दे सकते है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस सम्बन्ध में आप भविष्य के लिए दिशा निर्देश दें ?

अध्यक्ष महोदय : अभी ध्यानाकर्षण पर चर्चा चल रही है । इस पर कल चर्चा सरलता से हो सकती है । मैं मंत्री महोदय को वक्तव्य देने की अनुमति दे चुका हूं ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : हो सकता है मंत्री महोदय वक्तव्य न दें ।

अध्यक्ष महोदय : तब भी मैं आपको अवसर दूंगा ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही में शामिल न किया जाए (**व्यवधान**)**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक: स्पीकर साहब, देश के अन्दर सूखा, बाढ़ और साइक्लोन वगैरह की एक ऐसी बीमारी हो गयी है जिस की वजह से देश के अन्दर काफी तबाही होती है और नुकसान होता है । पिछले साल साइक्लोन आया, फ्लड आया जिस की वजह से सोयल और फसल डेमेज हुई। लोगों की लाइफ गयी । उस के बारे में मंत्री महोदय ने हाउस के अन्दर एक लम्बा-चौड़ा स्टेटमेंट दिया और उस में कुछ एश्योरेंसिज दीं कि गवर्नमेंट इस किस्म के स्टेप्स उठा रही है जिससे कि लोगों की लाइफ और प्रापर्टी को बचाया जा सके। मेरी समझ में नहीं आया कि मिनिस्टर साहब ने पिछले साल जो एश्योरेंसिज दिये थे कि वे बड़े जबर्दस्त कदम उठा रहे हैं और इस हाउस के अन्दर दिये थे, उसके बावजूद ये फ्लड और साइक्लोन क्यों आते रहते हैं ?

मर्जे इश्क पर रहमत खुदा की ।
मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की ।।

जितना ज्यादा आप कहते हैं कि इन आफतों को आप रोकेंगे उतनी ही ये ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। पिछली दफा आपने हाउस में एश्योरेंसिस दिए थे। मुझे पता नहीं इन पर कोई अमल भी हुआ है या नहीं हुआ है, कोई असर उनका हुआ है या नहीं हुआ है । मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ही ये पेपर एश्योरेंसिस थे, हाउस को बतलाने के लिए ही थे और वे सब खटाई में पड़े हुए हैं ।

नवम्बर के महिने में कई हादसे हुए हैं। पता नहीं यह नवम्बर का महीना कैसा चढ़ा है । इस में कई दुर्घटनाएं हुई हैं। अच्छा है यह दो एक दिन में जा रहा है । मंत्री महोदय ने बता दिया है कि राज्य में कोई हानि नहीं हुई है । फिर बाद में मंगलौर वगैरह का उन्होंने जिक्र करना शुरू कर दिया। कब से ये हादसे शुरू हुए हैं ? पांच नवम्बर से शुरू हुए हैं । पांच तारीख को इतना जबर्दस्त धमाका हुआ कि लोक सभा को भी उसने हिट कर दिया । इंदिरा गांधी यहां पर आ गई। साथ साथ पांच तारीख से कर्नाटक में एक स्टार्म शुरू कर दिया। यह कोई अच्छी बात नहीं थी। उसी दिन 77-78 आदमी एक हवाई हादसे में मारे गए। नवम्बर में यह जबर्दस्त स्टार्म आया और इसने तमिलनाडु और कर्नाटक के अन्दर तबाही मचाई। किस तरह से यह सब चीज जुड़ी हुई है इसको आप देखेंगे। पिछली दफा प्राइम मिनिस्टर के तौर पर हलफ लिया था तो उसी दिन एक जैट एयरक्रेश हुआ था।

अब हवाई हादसे में 78 सैनिक मारे गए हैं । पांच तारीख से यह स्टार्म और साइक्लोन शुरू हुआ है। आंन्ध्र से और कर्नाटक से शुरू हुआ। मंगलौर वगैरह पर इसका असर पड़ा । यह कोई छोटा मोटा स्टार्म नहीं था। इसमें तमिलनाडु में चौदह जानें गई हैं । भारी तादाद में मकान गिरे हैं । पांच सौ हैड्रज आफ कैटल इसके अन्दर पैरिश हुए हैं । तीन सौ से लेकर पांच सौ किश्तियां या तो डैमेज हुई हैं या मिसिंग हैं । अलग अलग नहीं बताया है कि कितनी डैमेज हुई हैं और कितनी मिसिंग हैं । पांच सौ फिशर बोट्स के मिसिंग होने का मतलब यह होता है कि इन में बहुत ज्यादा जानें गई होंगी। कितना भारी जानी माली नुकसान हुआ है उसका आज तक पता नहीं है । यह गवर्नमेंट की फैल्यौर है कि इसका वह आज तक पता

**कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया ।

[श्री मुख्तियार सिंह मलिक]

नहीं लगा सकी है । इन मछेरों की क्या हालत हुई है यह भी सरकार को पता नहीं है । ये डूब गए हैं या क्या हुआ है कुछ पता नहीं है । 24 तारीख को यह समुद्री तूफान आया। आज 28 तारीख हो गई है । सरकार को यह पता नहीं चल सका है कि उन किश्तियों का क्या हुआ है । सरकार ने एक लम्बा चौड़ा बयान दे दिया है । आपने कहा है कि तमिलनाडु सरकार ने भी और ए० आई० आर० ने भी उन लोगों को बराबर वार्निंग्ज दीं कि तूफान आने वाला है । 20-21 तारीख से इनका देना शुरू हो गया था । उनको बता दिया गया था कि साइक्लोनिक वेव्ज आएंगी। तभी न आ करके ये 24 तारीख को आई । जब आपको पता था और लोगों को भी बता दिया गया था तो ऐसे कदम क्यों नहीं उठाए गए जिससे हैड्ज आफ कैटल जो तबाह हुए, मकानात आदि गिरे, वह चीज न होती ।

मैंने गुजरात के बारे में एक सवाल दिया है । मेरी इत्तिला के मुताबिक वह कल आने वाला है । हो सकता है कि इसका नम्बर न आए। यानी मुझे यह पता चला है कि सैटेलाइट के जरिए कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम ऐसा इज़ाद किया जा रहा है जिससे साइक्लोन का प्रेडिक्शन बहुत जल्दी किया जा सकता है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कभी प्राइम मिनिस्टर से, क्योंकि वह स्पेस एंड इलैक्ट्रानिक्स के इंचार्ज हैं, इसको एक्सप्लोर करने के लिये कोई बातचीत की है या नहीं कि आया इस किस्म का कोई सैटेलाइट जिसमें फ्लड वगैरा या साइक्लोन वगैरा को प्रेडिक्ट किया जा सके या कोई आला इजाद किया जा रहा है ? इससे कितना फायदा कंट्री को हो सकता है या नहीं हो सकता है या दूसरे मुल्कों को हो सकता है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : इस दफे तो जैसा मैंने अर्ज़ किया था कि साइक्लोन जब 1,000 किलोमीटर परे था, तभी पता लगा लिया गया था और वार्निंग दे दी गई कि किस जगह पर खतरा है, कितनी ऊंची वेव आयेगी, और किस जगह पर स्ट्राइक करेगा। इस वार्निंग का ही नतीजा था कि 40 हजार आदमी उस लोकेलिटी से निकाल लिये गये, नहीं तो नुकसान बहुत भारी होने का खतरा था। उसके बावजूद भी 14 जानें गई हैं, तो जब कभी ऐसा तूफान आता है, तो कुछ नुकसान तो होता ही है । यहां कहा गया कि किश्तियां 300 से 500 तक लापता हैं या डूब गई हैं, उनमें बहुत आदमी होंगे, हर किश्ती में आदमी होते हैं ऐसी बात नहीं है । कोस्टल लाइन पर खासतौर से वार्निंग दी जाती है, उस समय किश्तियां बांध दी जाती हैं, जब तूफान आता है तो बहुत सी किश्तियों को ले जाता है । किश्ती खाली होती हैं, उसमें आदमी नहीं होते हैं । जब कोस्ट पर वार्निंग दी जाती है तो सब किश्तियां छोड़कर बांधकर बाहर निकल जाते हैं । इसलिये कोई खास आदमी का नुकसान नहीं हुआ है, किश्तियों का जरूर हुआ है, क्योंकि वह पानी में थीं।

दूसरे आपने कहा है कि कर्नाटक में भी 5 तारीख को कोई साइक्लोन आया है । हमें ऐसे साइक्लोन की कोई इत्तिला नहीं आई है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, भले ही आप उसे साइक्लोन कहें या कुछ कहें, शायद आप मजाक में किसी और बात को साइक्लोन बता रहे थे। मैंने तो डिटेल दी हैं कि इस वार्निंग की वजह से ही बन्दोबस्त हो सका है हम ट्रेक कर सके हैं कि साइक्लोन कहा जा रहा है। जब वह वहां से चला गया तो हमने डी-वार्न कर दिया कि अब किसी को कोई खतरा नहीं है ।

सैटेलाइट के जरिये हम ट्रेक करते रहे हैं, यह मैंने अपने स्टेटमेंट में ही कहा है। जब वह अरेबियन सी की तरफ चला गया तब उस कोस्टल एरिये में डी-वार्न किया गया।

श्री शंकर सिंहजी वघेला (कपडवंज) : जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हमनें रखा था, उसमें पहला नाम गुजरात का था। अभी जो मंत्री ने वक्तव्य दिया उसमें भी गुजरात और तमिलनाडु के नाम हैं, लेकिन हमको साढ़े 11 बजे तक जो वक्तव्य मिला, उसमें गुजरात का नाम बिल्कुल नहीं था। अभी भी जो वक्तव्य आया है, रिपोर्ट आयी है, यह पूरी नहीं है, आधी है । इसमें भी यह है कि गुजरात की गवर्नमेंट से लास्ट इवनिंग में ही कांटेक्ट हुआ है । 11, 12 नवम्बर को जहाँ तूफान आया है, वहां लास्ट इवनिंग को ही गुजरात सरकार को कंटैक्ट किया जाता है और कहा जाता है कि नीचे लिखी इन्फार्मेशन कुछ घंटे पहले ही प्राप्त

हुई है । आज की कालिंग अटेंशन है और कुछ घंटे पहले इनको इन्फार्मेशन मिलती है कि गुजरात में यह हुआ है । 11, 12 नवम्बर को ऐसी घटना हुई और आज 28 नवम्बर को इतने दिन बाद हमारी केन्द्रीय सरकार कहे कि आज सूचना मिली है यह दुःख की बात है ।

दूसरे जो तूफान होता है, ठीक है वह ऊपर वाले को मालूम होता है और ऊपर वाला शायद जानकर भी अनजान रह सकता है लेकिन अगर सरकार जानकर भी अनजान रहेगी तो जो माल का नुकसान होता है, आदमी मारे जाते हैं, क्या हमारी सरकार इसकी कोई चिन्ता करेगी ?

इसके अलावा हवा–मौसम विभाग से रेडियो पर बातें आती हैं कि आज का मौसम सूखा रहेगा तो उस दिन मौसम भीगा रहता है और जब वह विभाग कहता है कि बारिश होगी, तो मौसम सूखा रहता है ।

अध्यक्ष महोदय : इस समय नहीं । इस बार उन्होंने सही भविष्यवाणी की है ।

श्री शंकरसिंहजी वाघेला (कपड़वंज) : यह जो इन्होंने बताया कि 23 नवम्बर को सूचना मिली और 24 को सूचना दे दी तो एक दिन की सूचना दी । इस स्टेटमेंट में दिया गया है कि इस तूफान के बारे में दी गई सभी चेतावनी पूर्णतया समय पर दी गई। तो एक दिन के समय को क्या ये पर्याप्त समय कहते हैं ? एक दिन की क्या बात होती है । गुजरात में जो अभी कच्छ में नुकसान हुआ है वह लाखों रुपये में है । गुजरात में ला एंड आर्डर की भी तकलीफ है । एक हरिजन लड़की तलवार से मारी गई, लेकिन आज तक कोई आदमी पकड़ा नहीं गया है ।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जिन किसानों का पाट का नुकसान हुआ है, नमक बनाने वालों का जो नुकसान हुआ है––नमक गुजरात का बहुत बड़ा प्राडक्शन है––, काटन का जो नुकसान हुआ है और जो मकान गिर गये हैं, क्या सरकार, उनको कोई सबसिडी देने की योजना पर विचार कर रही है। जिन लोगों का नेशनल कैलेमिटीज में नुकसान हो, क्या सरकार उनके बारे में किसी बीमा योजना, इनशोरेंस, पर विचार कर रही है?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : शायद माननीय सदस्य ने मेरे जवाब को ठीक तरह से देखा नहीं है। हम ने 21 तारीख से वार्निंग दनी शुरू की और 24 तारीख तक वार्निंग देते चले गये। मैं समझता हूं कि इस से बढ़िया और कोई वार्निंग नहीं हो सकती थी। हम कान्टीन्युअसली यह वार्निंग देते रहे––रेडियो से देते रहे, और तरीकों से भी देते रहे। लोगों को वार्निंग थी और इसी लिए वे बच गये।

माननीय सदस्य ने फरमाया है कि उन्होंने गुजरात के बारे में सवाल दिया था, लेकिन उसकी पूरी इत्तिला नहीं दी गई। मुझे इस का नोटिस कल शाम को साढ़े सात बजे मिला। आपसे भी दरख्वास्त है कि इन नोटिसों को कम से कम 24 घंटे पहले दिया जाना चाहिये। प्राप्त होते ही हम विभिन्न राज्य सरकारों से सम्पर्क करते है। गुजरात के मुख्य सचिव के पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उसके बाद हमने रिलिफ एण्ड रिहाबिलीटेशन के डाइरेक्टर से सम्पर्क किया और उन्होंने जो सूचना भेजी, उसे मैंने बता दिया है यह वक्तव्य का भाग नहीं हो सकती। इसी प्रकार लक्षद्वीप के बाद में सूचना प्राप्त हुई, लेकिन मैंने उसे वक्तव्य में जोड़ दिया है ?

माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि जिन लोगों का नमक का नुकसान हो गया है, क्या उन्हें कुछ एसिस्टेंस दी जायेगी। मैंने जिक्र किया है कि स्टेट गवर्नमेंट का यह ख्याल है कि वह सेंट्रल साल्ट सेंस से कुछ एसिस्टेंस लेना चाहती है। उसने हमें एसिस्टेंस के बारे में नहीं लिखा है। जब वह लिखेगी, तो जरूर उसके बारे में गौर किया जायेगा।

श्री शंकर सिंहाजी वाघेला : मंत्री महोदय ने इनशोरंस के बारे में जवाब नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसके लिये कोई इनशोरंस स्कीम बनाने जा रहे है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री जी०एम०बनतवाला (पोन्नानी): अध्यक्ष महोदय, यह बात प्रशंसा के योग्य है कि पिछले वर्ष के तूफान की तुलना में इस बार दोनों ने ही अर्थात् केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने अपनी-अपनी मुस्तैदी का सबूत दिया है। हालांकि तमिल नाडू में तूफान के कारण हुए नुकसान तथा हानि के अनुमान लगाने में भारी भेदभाव किया गया है। उदाहरण के तौर पर मंत्री

[श्री जी० एम० बनातवाला]

महोदय द्वारा यह बताया गया है कि 300 से 500 मच्छओं की नावे या तो क्षतिग्रस्त हुई है अथवा लापता है। जबकि कई समाचार पत्रों में छपी रिपोर्ट से पता चलता है कि नुकसान लगभग 700 नावों को हुआ है। आगे, मंत्री महोदय ने कहा है कि छः गांव पानी में डूब गये, जबकि इस प्रकार की रिपोर्ट है कि आज भी 48 गांव पानी में डूबे हुए हैं। इसी प्रकार जबकि मंत्री महोदय यह कहते है कि प्रारम्भिक जानकारी के अनुसार फसल के अधिक क्षेत्र को क्षति नहीं हुई है, रिपोर्टो तथा विश्वस्त रिपोर्टो से पता चलता है कि लाखों एकड़ के क्षेत्र में खड़ी धान की फसल को नुकसान हुआ है। क्षति के बारे में हुए अनुमान में असमानता के बारें में सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या वह तमिल नाडू सरकार के साथ क्षति का आकलन करने के लिये संयुक्त परीक्षण करने को तैयार है जिससें कि हर्गे हानि तथा क्षति का सही पता लग सके, और तदनुसार सहायता के लिये विचार कर सकें। दूसरे तमिलनाडू सरकार द्वारा मांगी गई सहायता किस प्रकार की है, तथा केन्द्रीय सरकार किस सीमा तक, किस प्रकार की सहायता करेगी ?

यह एक बार बार होने वाली घटना है। कई सौ तथा हजारों झोपड़िया तटवर्ती इलाकों के पास बह गई है अथवा बरबाद हो गई है। क्या सरकार स्थायी उपाय करने के बारे में सोच रही है, जैसें कि विशेष प्रकार के आश्रय जिन्हें प्रदान किया जा सकता है, जिससें कि इन बार-बार आने वाले तूफानों के विध्वस से कम से कम कुछ बचाव तथा सुरक्षा की जा सके ?

अखिरी प्वाइंट जिसें मैं कहना चाहता हूँ यह है कि तमिलनाडू के वित्त मंत्री ने मुख्य मंत्री से सलाह के बाद यह कहा है कि उनकी सरकार श्री लंका के त्रिनकोमाली क्षेत्र के तूफान पीड़ित लोगों को जो प्रधानतः तमिल बोलने वाले है 10 लाख रुपये के मूल्य की वस्तुओं को सहायता के रूप में देने के लिये इच्छुक है, अगर प्रधान मंत्री इसके लिये अनुमति दे देते है। इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : आखिरी बात का प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैंने इस बात को रखा है, कि श्री लंका में प्राकृतिक विपदा आई है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न केवल भारत में आई प्राकृतिक विपत्तियों के बारे में है।

श्री जी० एम० बनातवाला : यह परोपकार का प्रश्न है। मेरा विचार है कि मंत्री महोदय जैसे दयालू व्यक्ति इस विषय पर सरकार के विचार बतायेंगे।

अन्त में, गुजरात सरकार के बारे में हमें बताया गया कि राज्य सरकार ने अभी तक कोई केन्द्रीय सरकार से सहायता नही मांगी है। लेकिन वे केन्द्रीय साल्ट सेस से सहायता का प्रस्ताव कर रहे हैं। क्या सरकार सेस से सहायता की स्थिति के बारे में जानकारी देगी, दी जाने वाली सहायता का रूप, तथा इसका तुरन्त प्रभाव ? मुझे उम्मीद है कि सरकार उठाये गये सभी मुद्दों की जानकारी से परिचित करायेंगी।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : माननीय सदस्य ने बताया है कि मेरे द्वारा दिये गये वक्तव्य तथा कुछ अखबारों में बतायी गई क्षति के बारे में परस्पर विरोध है। हम राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित करते हैं। मेरा वक्तव्य मुख्यतः राज्य सरकारों से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है। कभी-कभी अखबारों में छपे वक्तव्य भी सत्य नहीं होते हैं। अतः हम हमेशा राज्य सरकारों से एकत्रित सूचना के आधार पर ही संसद् में वक्तव्य देते हैं। अतः क्षति के बारे में मने जो बताया है वह तमिलनाडू सरकार द्वारा बतायी गई सूचना पर आधारित है।

यह कहा गया है कि हमें संयुक्त परीक्षण के लिये सहमत होना चाहिये। जब हम राज्य सरकार की जांच को स्वीकार करते हैं, जो भी क्षति उन्होंने बतायी है हम उससे सहमत हैं, तब संयुक्त जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वे केन्द्रीय सरकार से एक केन्द्रीय दल को भेजने के लिये कहते हैं, हम इसे भेजते, जो वहां पर लोगों तथा अधिकारियों से बात कर सकती है, तथा सारी स्थिति तथा क्षति का जायजा ले सकती है, जिससे उस क्षेत्र को उचित सुविधायें प्रदान की जा सकें। लेकिन मौजूदा विषय में अभी तक कोई केन्द्रीय दल की मांग नहीं की गई है, अगर वे एक केन्द्रीय दल को चाहते हैं, तो हम अवश्य ही उस क्षेत्र की क्षति तथा हानि का अंदाजा लगाने दल को वहां भेजेंगे।

यह बताया गया है कि गुजरात सरकार ने हमें यह सूचित किया है कि वे केन्द्रीय सरकार से किसी प्रकार की सहायता नहीं चाहते बल्कि केन्द्रीय नमक शुल्क से सहायता चाहते हैं। मैंने अपने वक्तव्य में पहले ही बताया है कि उस क्षेत्र में मुख्यतः नमक क्षेत्र को ही क्षति हुई है। नमक कड़ाह जिनमें 54 लाख रुपये की कीमत का नमक था, जो संभवतः निजी

उदय कर्ताओं के थे, तथा दूसरे क्षेत्र में 1.55 करोड़ रुपये के नमक के कड़ाह क्षतिग्रस्त हुए। इसी करण से उन्होंने केन्द्रीय नमक शुल्क का उल्लेख किया है। अगर गुजरात की राज्य सरकार हमसे किसी प्रकार की सहायता के लिये कहती है अथवा कोई स्मरणिका भेजती है, हम उसकी जांच करेंगे तथा सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे।

मैं स्थायी उपायों को बताना भूल गया हूं। इस पर पिछले वर्ष भी आन्ध्र प्रदेश तथा तमिल नाडू की सरकार द्वारा विचार किया गया था। यह बताया गया था कि तटवर्ती क्षेत्रों में कुछ स्थायी निर्माण किया जाना चाहिए, जहां पर तूफान के समय ये लोग वहां जाकर आश्रय लें सके। अभी तक तमिल नाडू ने 37 संकट विरोधी शरण गृहों को निर्माण करने का प्रस्ताव किया है। इनमें समय आने पर प्रत्येक में लगभग 500 व्यक्तियों को आश्रय दिया जा सकता है। इनकी शिक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं के लिये सामुदायिक केन्द्रों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है तथा दूसरे समय के दौरान सामुदायिक हाल के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है।

श्री जी० एम० बनतवाला : इसको वे कर रहे हैं। आप उनकी क्या सहायता कर रहे हैं ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : हमने पिछले वर्ष काफी मात्रा में सहायता की है। केवल तमिलनाडू को ही पूर्व में 29.31 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये थे। बाद में, दोबारा मार्च में एक केन्द्रीय दल वहां भेजा गया। उन्होंनें भी दोबारा कुछ सिफारिशें की, जिसके आधार पर इस वर्ष पुनः 14.40 करोड़ पये आवंटित किये गये। कुछ खाद् यपदार्थों से भी सहायता की गयी।

डा० मुरली मनोहर जोशी (अल्मोड़ा) : वक्तव्य के अनुसार 8.30 म प दिनांक 3 नवम्बर, को तूफान की सूचना मिली। वह कौन सी एजेंसी थी जिसने इस तूफान की सूचना दी —क्या वह राष्ट्रीय एजेंसी थी अथवा अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी ?

आगे उन्होंने कहा है कि तमिलनाडू सरकार द्वारा पर्याप्त उपाय किये गये हैं। वास्तविक सहायता के रूप में क्या उपाय किये गये ?

इसके बाद तूफान के प्रश्न को हम दूसरे परिपेक्ष्य से लेते हैं। तूफान आमतौर पर नवम्बर के महीने में ही आते हैं। इसके पीछे एक इतिहास है कि आमतौर पर नवम्बर महीने में ही चक्रवाद जैसी स्थिति हो जाती है। मार्च तथा अप्रैल के महीनों में बवंडर आते हैं। मैं आंकड़ों के विस्तार में नहीं जाऊंगा। मंत्री महोदय को उनके बारे में मालूम है। दिल्ली में मार्च, 1978 में बवंडर आया। इससे पूर्व वे पंजाब तथा अन्य स्थानों पर आये। मार्च में बवंडर आते हैं तथा नवम्बर में तूफान आते हैं। ऐसे कई निश्चित् क्षेत्र हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं क्या उन्होंने इस बात का पता लगा लिया है कि कौन-कौन से स्थान बवंडर के क्षत्रों में आते हैं तथा अन्य कुछ स्थान तूफान के क्षेत्र में आते हैं। अगर इन क्षेत्रों का पता लगा लिया गया है तथा केन्द्र सरकार की सूचना देने सम्बन्धी स्थायी एजेन्सी रखने के लिये क्या योजना है, ताकि प्रभावित क्षेत्रों में सहायता तथा आश्रय की व्यवस्था की जा सके।

ऐसा भी प्रतीत होता है कि इन क्षेत्रों में आने वाले तूफानों तथा बवडंरो के कारणों की हमें अधिक जानकारी नहीं हैं। ये तूफान क्यों आते है इसके बारे में तथा पूरे आंकड़ों की जानकारी के लिये क्या सरकार कोई विशेष अध्ययन की व्यवस्था करने के लिये विचार कर रही है। क्या यह सही नहीं है कि उष्णीय वातावरण में कुछ गड़बड़ी होने के कारण ही ये आते है ? इसके बारे में बहुत ही अधूरा जानकारी है। भारत में पर्याप्त आंकड़े तथा कार्मिक नहीं है जो देश को इसकी सूचना दे सके। इसके बारे में कई अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम किये गये है जैसे 1960 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा किया गया विश्व वातावरण अनुसंधान कार्यक्रम। क्या भारत ऐसे कार्यक्रम में भाग लेता रहा है ? अगर तूफान के बारे में भविष्यवाणी एक या दो सप्ताह की जा सके तो स्थानों को खाली कराने तथा सहायता करने में आसानी होगी। 1973 में सोवियत संघ के साथ एक संयुक्त परीक्षण किया गया था, जो भारत-सोवियत अन्तरिक्ष-विद्या परीक्षण के नाम से जाना गया था। इसके परिणाम क्या है ? क्या देश को उस परीक्षण से लाभ पहुंचा है ? उसके बाद 1967 में मोनेक्स का परीक्षण किया गया। इन दोनों परीक्षणों के क्या परिणाम है ? यह कहा गया था कि एक मौसम उपग्रह छोड़ा जायेगा। उसके सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ? इसको वर्ष 1979 में किसी समय छोड़ा जायेगा। इसमें केवल भारत और श्रीलंका ही अन्तर्ग्रस्त नहीं हैं बल्कि इसमें अन्य तटीय देश भी काफी संख्या में सम्मिलित है। क्या सरकार हिन्द महासागर के राष्ट्रों के संयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम पर विचार कर रही है, जिससे कि उष्ण मौसम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके ? अगर ऐसा है, तो हम मंत्री जी से पूरी जानकारी जानना चाहते हैं।

श्री सुरजित सिंह बरनाला : जहां तक भारत में तूफान से प्रभावित क्षेत्रों का सम्बन्ध है पूर्वी समुद्र तट में तूफानों का अधिक झुकाव रहा है, जिसमें पश्चिमी बंगाल से लेकर, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के भाग सम्मिलित है । यहां पर तूफान अधिक आते हैं, तथा तूफानों से प्रभावित क्षेत्र है जो पश्चिमी समुद्र तट से अधिक है । पश्चिमी समुद्र तट में भी तूफान कभी कभी आते है लेकिन उस ओर नुकसान पूर्वी समुद्र तट के तूफान की अपेक्षा कुछ कम होता है ।

जहां तक बवंडरो का सम्बन्ध है इसके बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत अधिक उन्नतिशील देशों में भी इनके बारे में कोई भविष्यवाणी करना संभव नहीं हो सका है । अमेरिका में भी जहां पर वायु में बड़ी संख्या में वबंडर आते है, वे विशेष क्षेत्र को ढूंढने तथा पता लगाने में समर्थ नहीं रहे है । अथवा उनका पता नहीं लगा सके है । जब यह आकार का रूप ले लेता है तभी इसका पता लग सकता है और तभी इसका पीछा किया जा सकता है । हमारे यहां पर भी जब बवंडर वास्तव में आकार ले ल लेता है तभी इसको जाना जा सकता है और उससे पहले कुछ भी पता नहीं लग सकता । अतः इसके बारे में कोई चेतावनी नहीं दी जा सकती ।

अध्यक्ष महोदय : इसके पीछे जाते है अथवा पहले जाते ?

श्री सुरजित सिंह बरनाला : इसका पीछा किया जा सकता है, जिस क्षेत्र की ओर यह बढ़ रहा है वहां पर बेतार संदेह द्वारा खबर दी जा सकती है । साधारणतः यही किया जाता है । बेतार द्वारा, रेडियो द्वारा उन क्षेत्रों को सूचना दी जाती है जो इसके द्वारा संभवतः प्रभावित हो सकते है । तूफान के बारे में भविष्य वाणी की जाती है । क्षेत्र को तूफान से वास्तव में प्रभावित करने के तीन दिन पूर्व 1000 कि० मी० की दूरी से भी हम चेतावनी देते है ।

जहां तक निर्देशक का सम्बन्ध है, हमारे पास अच्छी चेतावनी देने की प्रणाली है । पूर्वी समुद्र तट पर कलकत्ता, पारादीप, विशाखापत्तनम तथा मद्रास में हमारे पास तूफान राडार केन्द्र है । कारइकाल तथा मछलीपत्तनम में दो और केन्द्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव है । पश्चिमी समुद्र तट पर ये बम्बई तथा गोआ में है । अतः चेतावनी देने वाली पृथा बहुत अच्छी है । हम इसमें सुधार करने की कोशिश कर रहे है ।

डा० मुरली मनोहर जोशी : मोनेकस 1967 का क्या रहा ? क्या हम इस परीक्षण को उपयोग में लाने तथा संतोषजनक परिणाम प्राप्त करने में समर्थ रहे है ? कौन सी एजेन्सी रिपोर्ट देगी ? क्या यह राष्ट्रीय एजेंसी थी ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : रिपोर्ट भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दी गयी । उन्होंने इस चेतावनी को जारी किया, जिसे आल इण्डिया रेडियो द्वारा प्रसारित किया गया तथा अखबारों में छापा गया । यह भारतीय मौसम विभाग द्वारा उत्पन्न किया गया, जो कि हमारी अपनी राष्ट्रीय एजेंसी है । भारत विश्व मौसम विज्ञान संगठन के ट्रापिकल साइक्लोन प्रोजेक्ट में भी भाग ले रहा है । यह एक ऐसी योजना है जिसमें हम भाग लेने की कोशिश कर रहे है ।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : यह मुश्किल से ही एक विवादोस्पद विषय होगा, जिसमें कई प्रश्न पूछे जा सकते है । वास्तव में हमारी यही शिकायत है कि हमें अधिक विवादास्पद प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि हमें विवादास्पद प्रश्नों की अपेक्षा परिणामपूर्ण प्रश्नों को रखना चाहिये ।

श्री सौगत राय : इससे सदन और अधिक गंभीर होगा । हम इससे अप्रसन्न है कि मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है वह अपूर्ण है क्योंकि समें तूफान से तमिल नाडू के नीलगिरी क्षेत्र में हुई क्षति को सम्मिलित नहीं किया गया है । यद्यपि नीलगिरी एक तटवर्ती जिला नहीं है, फिर भी समूचे दक्षिण

में यह बुरी तरह से प्रभावित जिला है । कोन्नूर कस्बा पूरी तरह बरबाद हो गया, तथा अटी की संसार व्यवस्था पूरी तरह तितर-बितर हो गयी है तथा काफी बागानों के क्षेत्रों से सम्बन्ध टूट गया । एक केन्द्रीय दल क्षति का अनुमान लगाने के लिये पहले ही पहुंच गया है ।

अतः मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि (क) क्या नीलगिरी की हुई इस क्षति का कारण भारी मात्रा में वनों को काटना और क्या इस मामलें में नीलगिरी में वनरोपन की कोई योजना है ; (ख) क्या वह नीलगिरी जिले में हुई हानि को पूरा करने के लिये तमिलनाडु सरकार को पर्याप्त सहायता देने को तैयार है और (ग) क्या वह सन्तुष्ट हैं कि पूर्वी तथा पश्चिमी तटों के साथ-साथ पूर्व चेतावनी पद्धति जो पहले सन्तोषजनक सिद्ध नहीं हुआ था, ठीक है ? समुद्री तूफान पहले श्रीलंका में आया और वहां पर जन धन की भारी हानि हुई और उसके बाद यह भारत आया । अतः मंत्री जी का कहना है कि हमारी पहले की चेतावनी प्रणाली काफी ठीक है । वास्तव में पहले श्रीलंका ने चेतावनी दी थी न कि हमारी प्रणाली ने । तूफान का पूर्व पता तभी चल सकता है जब उसकी गति धीमी हो । यदि समुद्री तूफान की गति तेज हो जैसा कि आन्ध्र प्रदेश के मामले में हुआ था, तो हमारी पूर्व चेतावनी पद्धति फेल हो जाती है । अतः वास्तव में यह आवश्यक है कि पूर्वी तट पर 5 या 6 स्टेशनों के बजाय 20 स्टेशन और पश्चिमी तट पर 2 स्टेशनों के बजाय 10 स्टेशन होने चाहियें । क्या मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यह कहना ठीक नहीं है कि चेतावनी केवल उस समय दी गयी जब श्रीलंका में चक्रवात आ चुका था । चेतावनी इससे पहले ही दी जा चुकी थी ।

नीलगिरी में जो नुकसान हुआ है वह चक्रवात से नहीं हुआ है, बल्कि भारी वर्षा के कारण हुआ हैं । वन काटने से चक्रवात को कुछ लेना देना नहीं है । चक्रवात वन काटने से नहीं आते । वनों के हटाये जाने से भू-स्खलन हो सकता है, गाद जमा हो सकती है, लेकिन चक्रवात नहीं आ सकते ।

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 57 के अधीन मैंने कल स्थगन प्रस्ताव की एक सूचना दी थी ।

अध्यक्ष महोदय : इसका प्रश्न नहीं उठता । व्यवस्था का प्रश्न चर्चा अधीन विषय पर होता है और अब वह विषय चर्चा अधीन नहीं है ।

भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यकरण के बारे में याचिका

श्री आर० के० महालगी (थाना) : मैं भारत जीवन बीमा निगम के कार्यकरण के बारे में श्री सुधीर अनन्त बरवे और अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्तान्तरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

नियम 377 के अन्तर्गत मामले

(एक) विभिन्न राज्य के बीच सीमा विवादों के हल के लिए एक समान नीति बनाने की आवश्यकता

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : पिछले कई वर्षों से अन्तर-राज्यीय सीमा विवाद हल नहीं हो सके हैं । इन मासलों के कारण समय समय पर काफी संकट और अशांति की स्थिति पैदा हो चुकी है । यह दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार ने आम तौर पर हस्तक्षेप न करने का रवैया अपनाया है और जिसकी वजह से इन विवादों का कोई शांतिपूर्ण तथा स्थायी समाधान नहीं हो सका है । अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इन सीमा विवादों को हल करने के लिए कोई समान नीति बनाई जाए ताकि ये समस्यायें हमेशा के लिए तय की जा सकें ।

(दो) कपास के मूल्यों में कथित भारी गिरावट और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कपास उत्पादकों की हुई कठिनाइयां

श्री बलवन्तसिंह रामूवालिया (फरीदकोट) : कपास की कीमतों में, जो पिछले वर्षों की तुलना में 1500 रुपये से 200 रुपये कम हैं, भारी कमी के कारण पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कपास-उत्पादन आर्थिक

[श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया]

दृष्टि से तबाह हो गये हैं । इस सप्ताह 50 रु० की और कमी होने की आशा है क्योंकि इन राज्यों की मार्किटों में स्टाक भरा पडा है । इन राज्यों के किसानों में अविश्वास और निराशा की भावना भर गई है । किसानों के प्रति भारतीय कपास निगम का रवैया उदासीनता से भरा हुआ है । भारतीय कपास निगम कपास उत्पादकों की कीमत पर वस्त्र निर्माताओं के हित को अधिक ध्यान में रखते हुए योजना बना रहा है । कपास की कीमत 300 रु० है जबकि रूई की कीमत 1500 रु० है । गरीब किसान का घरेलू बजट छिन्नभिन्न हो गया है ।

भारत सरकार को इन किसानों की मदद करनी चाहिए । भारतीय कपास निगम 3500 रुपये प्रति गांठ की दर पर रुस और 4000 रुपये प्रति गांठ की दर पर मिश्र से कपास का आयात कर रहा है, इसकी तुलना भारतीय कपास की कीमत 1700 रुपये प्रति गांठ है । यह आयात बन्द होना चाहिए । कपास उत्पादकों के लिए तुरन्त आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए । कृषि मूल्य आयोग को अपनी सिफारिश पर पुनर्विचार करना चाहिए । कपास के मूल्य कपड़े के मूल्य सूचकांक के साथ मिलाये जाने चाहिये । भारतीय कपास निगम कृषि मंत्रालय से सम्बद्ध किया जाना चाहिए ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

विधेयक के उपबन्धों का आशय यह है कि नई संहिता के वास्तविक कार्यकरण में आने वाली कठिनाइयां तथा शंकाएं समाप्त हो जाये ।

विधेयक के खण्डों पर नोटों में परिवर्तन करने के कारण बताये गये है और उनमें महत्वपूर्ण ये हैं ।

नई संहिता में यह प्रावधान है कि जिलाधीश सैशन न्यायाधीश के परामर्श से जिले है लोक अभियोजक अतिरिक्त लोक अभियोजक की तालिका तैयार कर उसमें से इनकी नियुक्ति करेगा । जबकि इस प्रावधान से उन राज्यों में सन्तोषजनक कार्य हो रहा है जहां लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए अभियोजक अधिकारियों का कोई नियमित संवर्ग नहीं है । लेकिन उन राज्यों में कठिनाइयां उत्पन्न हो गई है जहां अभियोजक अधिकारियों का नियमित संवर्ग है क्योंकि प्रत्येक जिले के लिए तालिका तैयार करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना व्यावहार्य नहीं है । तदनुसार उन राज्यों में, जहां ऐसे संवर्ग बने हुए हैं, नियमित संवर्ग में से इन अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए धारा 24 का संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

वर्तमान संहिता के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट शांति कायम रखने के लिए किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत बन्धन पत्र मांग सकता है जमानत नहीं मांग सकता । पुरानी संहिता में इस उपबन्ध के अन्तर्गत जमानत लेने का भी प्रावधान है । नई संहिता के लागू होने के बाद कुछ राज्य सरकारों ने सुझाव दिया है कि पुरानी संहिता में जमानत के साथ व्यक्तिगत बन्धन पत्र मांगने का प्रावधान नये उपबन्ध के रूप में लागू करना चाहिए लेकिन यह कारगर सिद्ध नहीं हो रहा है । इसलिए खण्ड 11 के द्वारा धारा 107 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे मजिस्ट्रेट कुछ वांछनीय मामलों में जमानत मांग सके ।

तत्पश्चात् लोक सभा 2-00 बजे तक के लिए मध्याह्न भोजन के लिये स्थगित हुई ।

लोक सभा मध्याह्न भोजन के बाद 2-09 पुनः समवेत हुई ।

[श्रीमती पार्वती कृष्णन पीठासीन हुई]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (एस० डी० पाटिल) : नई संहिता की धारा 167 के अधीन यदि जांच 60 दिन के भीतर पूरी नहीं होती तो अपराधी व्यक्ति को, यदि वह हिरासत में हैं, जमानत पर रिहा किया जा सकता है । गम्भीर मामलों में प्रायः 60 दिनों में जांच पूरी करना सम्भव नहीं होता और यदि

अपराधी को जमानत पर रिहा किया जाता है तो इससे भारी नुकसान हो सकता है। इसका समाधान करने के लिये खंड 13 में उन अपराधों के मामलों में अवधि 60 दिन से बढ़ाकर 90 दिन करने का प्रस्ताव है जो अपराध मृत्यु, आजीवन कारावास या न्यूनतम दस वर्ष कारावास से संबंधित हैं ।

उस खंड में यह व्यवस्था भी की गई है कि एग्जीक्यूटीव मजिस्ट्रेट, जिसे ज्यूडिशयल मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी गई है, अपने समक्ष पेश किये गये व्यक्ति को 7 दिन से अनधिक अवधि के लिये रिमांड का आदेश हो सकता है । यह प्रावधान ऐसे मामलों में किया गया है जिन मामलों में ज्यूडिशयल मजिस्ट्रेट तत्काल मौजूद नहीं होता ।

भारत में महिला के दर्जे संबंधी समिति ने यह सिफारिश की है कि द्विपत्नीत्व का मुकदमा दायर करने में महिलाओं को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह व्यवस्था की जाए कि शिकायत पत्नी की ओर से उसके किसी संबंधी द्वारा की जा सकती है और उस स्थान पर की जा सकती है जहां वह रहती हो न कि केवल उस स्थान पर जहां कि वह अपने पति के साथ रही हो । यह सिफारिश मान ली गई है और खंड 15 तथा 17 के संशोधनों में यह व्यवस्था की गई है ।

नई संहिता में एक लाभप्रद प्रावधान किया गया है जिससे अपराधी व्यक्ति को सजा के मामले में अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा । इसके द्वारा विचारणा में अनावश्यक विलम्ब नहीं होना चाहिए और तदनुसार खंड 25 में संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि केवल इसके लिए कोई स्थगन नहीं किया जाएगा ।

कभी-कभी यह होता है कि सुपुर्दगी कार्यवाही में एक से अधिक दिन लग जाते हैं । मौजूदा संहिता में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिसके अन्तर्गत सुपुर्दगी कार्यवाही के दौरान अभियुक्त की रिमांड में देने के लिए सुपुर्दगी मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया हो । खंड 19 में इस कमी को निकाला जा रहा है ।

विद्यमान धारा 378 में प्रावधान है कि उच्च-न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय द्वारा दिये गये दोष मुक्ति के अपील आदेश पर अथवा मूलतः उच्च-न्यायालय में अपील की जा सकती है इस धारा में संशोधन का प्रस्ताव है, जिससे पुनरीक्षण में भी, सेशन-कोर्ट द्वारा दिये गये दोषमुक्ति के आदेश के विरूद्ध उच्च-न्यायालय में अपील की जा सके ।

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक 1972 पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति ने इस प्रावधान हेतु कि जहां मृत्यु से दण्डनीय अपराध की दोषसिद्धि होने पर, किसी व्यक्ति को जन्म कैद की सजा दी गई है अथवा जहां मृत्यु-दण्ड की दी गई सजा को जन्म कैद की सजा में संराशित कर दिया गया हो, तो ऐसे व्यक्ति को तब तक कारावास से मुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि वह वास्तविक कारावास-दण्ड के कम से कम 14 वर्ष पूरे न कर ले, इस आशय का एक परन्तुक भा० द० सं० की धारा 57 में जोड़ा। क्योंकि समिति को यह बताया गया था कि कभी-कभी छूट मिलने पर, यहां तक कि मृत्यु-दण्ड पाये हत्यारों को जिनकी मृत्यु-दण्ड की सजा जन्म-कैद में संराशित कर दी गई थी 5 या 6 वर्ष के अन्त में छोड़ दिया गया था। चूंकि भा० द० सं० की धारा 57 के परन्तुक की विषय वस्तु दाण्डिक प्रक्रिया संहिता के अध्याय xxxii के उपबन्धों से अधिक अच्छी तरह से मेल खाती है, तो संयुक्त समिति द्वारा जोड़े गये परन्तुक, जिसे इसी कारण से, दूसरे सदन द्वारा पारित भा० द० सं० (संशोधन) विधेयक 1972 से निकाल दिया गया था, को सम्मिलित करने के लिए, एक नई धारा 433क को जोड़ने का प्रस्ताव है।

मैं सदस्यों को यह सूचित करना चाहूंगा कि इन संशोधनों को राज्य सरकारों तथा लागू करने वाले अभिकरणों से गहन विचार-विमर्श करने के बाद तैयार किया गया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के संशोधनार्थ, 1976 में दूसरे सदन में, एक विधेयक प्रस्तुत तथा पारित किया गया और उसके बाद समाप्त हो गया, क्योंकि इस पर लोकसभा ने विचार ही नहीं किया । उस विधेयक के उन उपबन्धों को जिन्हे अन्यायपूर्ण और विवादास्पद समझा गया, उन्हें वर्तमान विधेयक से निकाल दिया गया है । वर्तमान विधेयक में दृष्टिगोचर हुई व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के उपबन्ध हैं, जिससे कि पूर्ण एवं शीघ्र न्याय हेतु नयी संहिता को अधिक परिपूर्ण बनाया जा सके और इसके निहित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : इसमे अपूर्णता की अल्पता है ।

श्री एस॰ डी॰ पाटिल : मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य उन संशोधनों का शीघ्र ही अनुमोदन कर देंगे ।

मैं प्रस्ताव रखता हूं कि दाण्डिक प्रक्रिया संहिता 1973 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

"कि दाण्डिक प्रक्रिया संहिता—1973 को और आगे संशोधित करने के विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सर्वश्री विनायक प्रसाद यादव और दिनेश जोरदार द्वारा संशोधनों की सूचनाएं भिजवाई गई हैं । क्या आप लोग प्रस्तुत कर रहे है ?

श्री विनायक प्रसाद यादव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पहली जनवरी, 1979 तक, समर्थन मत प्राप्त करने के विचार से इस विधेयक को घुमाया जाये।"

श्री दिनेश जोरदार : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दाण्डिक प्रक्रिया संहिता 1973 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को, दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेज दिया जाये, जिसमें 15 सदस्य हों 10 इस सदन से, नामशः—

(1) श्री पलास बर्मन

(2) श्री चित्त बसु

(3) श्री धीरेन्द्र नाथ बसु

(4) श्री सी० के० चन्द्राप्पन

(5) श्री राज कृष्ण डॉन

(6) श्रीमती मृणाल केशव गोरे

(7) श्री एस० डी० पाटिल

(8) श्री शक्ति कुमार सरकार

(9) श्री उग्रसेन

(10) श्री दिनेश जोरदार

और 5 राज्य सभा से :

"कि संयुक्त समिति की बैठक बुलाने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के कुल सदस्यों की संख्या के एक-तिहाई से मानी जायेगी ;

कि समिति को अगले सत्र के अन्तिम दिन तक इस सदन को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा; कि अन्य मामलों में, इस सदन के संसदीय समितियों से सम्बन्धित प्रक्रिया नियम, उन विभिन्नताओं एवं फेर-बदल के साथ जैसा कि अध्यक्ष करे, लागू होंगे ; और

कि यह सदन राज्य-सभा से अवश्य सिफारिश करे कि राज्य-सभा कथित संयुक्त-समिति में अवश्य सम्मिलित हो और राज्य-सभा अपने द्वारा संयुक्त-समिति के लिये नियुक्त 5 सदस्यों के नाम भेजे।"

सभापति महोदय : श्री जोरदार ।

श्री दिनेश जोरदार : सभापति महोदया, सच बात यह है कि इस विधेयक में, वास्तव में मुख्य प्रतिवाद की कोई बात नहीं है । इस विधेयक द्वारा लाये गये संशोधन अधिकांशतः स्वाभाविक रूप में शान्तरूप हैं और आवश्यक भी। कुछ तो बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नहीं हैं । लेकिन कुछ ऐसे भी खण्ड हैं, जिन पर मैं जोर देना चाहूंगा । मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि क्या इनका इस ढंग से पुनर्विधान कर सकते हैं कि कुछ प्रतिवाद जो भविष्य में उठ सकते हैं इसमें न रहें । इस विधेयक में इस प्रकार के प्रतिवाद का अवसर नहीं रहना चाहिये ।

मैं मंत्री जी से उसी प्रकाश में, विचार करने का निवेदन करूंगा । खण्ड-5 की धारा 24 में, यह सुझाव दिया गया है कि केन्द्रीय सरकार भी लोकाभियोजक या अतिरिक्त अभियोजक नियुक्त कर सकती है । जब कि उच्च-न्यायालय या जिला-अदालत में, राज्य सरकार लोकाभियोजक अथवा अतिरिक्त अभियोजक नियुक्त कर सकती है, तो मैं सोचता हूं कि केन्द्रीय सरकार को जिला-स्तर या उच्च-न्यायालय तक में, लोकाभियोजक अथवा अतिरिक्त अभियोजक की नियुक्ति की शक्ति को भी, अपने हाथ में नहीं लेना चाहिये । उनकी नियुक्ति वे राज्य मशीनरी के द्वारा सीधे ही कर सकते हैं । यदि किसी अदालत विशेष में, लोकाभियोजकों के दो संवर्ग हों, एक राज्य सरकार का संवर्ग और दूसरा केन्द्रीय सरकार का, जिनके दो भिन्न मत हों तो इस प्रकार कुछ असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी । उस मामले में, केन्द्रीय सरकार किसी लोकाभियोजक की सहायता की मांग कर सकती है । वह सब कुछ राज्य प्रशासन के द्वारा करवाया जाना चाहिये । उन्हें, स्वयं राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कुछ, लोकाभियोजकों की सहायता की आवश्यकता होगी । यदि वे सीधे ही किसी कचहरी के लिए लोकाभियोजक नियुक्त करते हैं तो उस मामले में किसी अदालत के सीमा क्षेत्र की बात उठेगी और इस प्रकार कुछ असमंजस भी उठ खड़ा होगा । अतः उस प्रकार की किसी भी गलतफहमी को दूर करने अथवा अलग-अलग लोकाभियोजकों के संवर्गों द्वारा बनाई गई अलग रायों के झमेले को हटाने के लिये, मेरे विचार से किसी भी लोकाभियोजक की नियुक्ति केवल राज्य द्वारा हो; न कि सीधे केन्द्रीय सरकार द्वारा । आप खण्ड 8 के उप-खण्ड(5) में भी पायेंगे कि जिला-स्तर पर लोकाभियोजकों की नियुक्ति तालिका में से होनी चाहिये, जिसको जिला-मजिस्ट्रेट तैयार करेगा । राज्य-सरकारों के मामले में, लोकाभियोजकों की नियुक्ति पैनल (नामिका) में आये लोगों में से ही होनी चाहिये, उनमें से नहीं जिनका कि नाम पैनल (नामिका) में आया ही नहीं ।

राज्य सरकारों की तरह, केन्द्रीय सरकार के मामले में ऐसी बात लागू नहीं होती कि लोकाभियोजकों की नियुक्ति पैनल (नामिका) से ही हो । केन्द्रीय सरकार किसी भी व्यक्ति को पैनल (नामिका) के बाहर या भीतर से नियुक्त कर सकती है । उस मामले में, मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि मानक अनुरक्षित रखा जाये । अन्यथा स्वैच्छाचारिता का उदय होगा और विधिवक्ता अनावश्यक रूप से कुछ अधिकारियों का अनुग्रह प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे । चाहे पैनल में नाम न भी हो तो भी वे उस आदमी की जिला-स्तर पर लोकाभियोजक के रूप में नियुक्ति करा के छोडेंगे । अतः केन्द्रीय सरकार के मामले में भी यह शर्त होनी चाहिये कि पैनल में आये नामों में से ही नियुक्ति लोकाभियोजक की की जाये न कि पैनल से बाहर के व्यक्तियों की ।

अब मैं उस उपबन्ध की बात करूंगा जिसके अनुसार विचारणाधीन कैदी को रोक रखने की अवधि को 60 दिन से बढ़ा कर 90 दिन किया जा रहा है । विचारणाधीन कैदी को 60 दिन तक रोक रखने की यह सीमा, पिछली लोकसभा में, एक लम्बे संघर्ष एवं लड़ाई के बाद ही निश्चित की गई है ।

प्रारंभ में सरकार, विचारणाधीन कैदी को रोक रखने की इस सीमावधि को, स्वीकार करने की इच्छुक नहीं थीं । बहुतसे माननीय सदस्यों ने इसके लिये लड़ाई लड़ी और तब कहीं जाकर सरकार यह स्वीकार करने को राज़ी हुई कि विचारणाधीन कैदी को रोक रखने की 60 दिन जैसी कोई सीमा होनी चाहिये । अब, जो कुछ हो रहा है, वह यह है कि पुलिस अधिकारी किसी निश्चित अवधि में जांच पूरी करने की कभी परवाह नहीं करते । वे अदालतों से, अभियोगी को रोक रखने की अवधि में बड़ोतरी कराते रहते हैं । विचारणाधीन कैदी यह नहीं जान पाता कि वास्तव में उस के मामले कब और किस ढंग से निपटाया जायगा, क्या इसका न्याय-निर्णय भी होगा अथवा मामले को कैसे निपटाया जायगा । वह सब कुछ निश्चित नहीं होता और जैसा कि मैंने कहा है, पुलिस अधिकारी निश्चित अवधि में जांच करके नहीं देते । इसलिये तो पिछली लोक-सभा में ये मत व्यक्त किये गये थे कि पुलिस-अधिकारियों से निश्चित अवधि में जांच पूरी करने के लिए कहा जाये । यदि आप उनको असीमित समय देते जायें तो उस मामले में, पुलिस अधिकारी जिम्मेदारी प्रदर्शित नहीं करेंगे और वे अपना कर्तव्य पूरा करने और अपने उत्तरदायित्व को निभाने जैसी बात को व्यवहार में नहीं लायेंगे । इस प्रकार, उनके हाथ में फिर वैसी ही व्यवस्था पड़ जायेगी । अतः, तथापि मैं इस बात से सहमत हूं कि हत्या या हत्या सहित डकैती या ऐसे कुछ अपराधों में जिनमें जन्म कैद दी गई हो, जहां इसकी आवश्यकता हो, ऐसे कुछ मामलों में, अन्य बातों के सम्बन्ध में, इसे 60 दिन की अवधि मे पूरा होना ही चाहिये । इन अपराधों के विचार से भी, दण्ड प्रक्रिया संहिता में कुछ अपवाद दिये गये हैं । यदि 60 दिन की अवधि से अधिक रोक रखने की

[श्री दिनेश जोरदार]

आवश्यकता हो तो, कारणों को लिखित रूप में लिपिबद्ध करना होगा। और इस मामले में भी, यदि 90 दिन से भी अधिक रोक रखने की आवश्यकता हो तो, इसे लिखित रूप में अभिलेखित किया जाये और यह केवल विशेष परिस्थितियों में ही दी जाती है, जहां जांच पूरी नहीं हो सकी हो और व्यक्ति को रोक रखना आवश्यक है ।

इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि 90 दिन की यह सीमा, अन्तिम सीमा होनी चाहिये । पुलिस-अधिकारियों को चाहिये कि वे इस अवधि में जांच पूरी करें । यदि आवश्यक हो तो आप राज्य सरकार से जांच अधिकारियों की संख्या बड़ाने को कहें । वे पुलिस-स्टेशनों में पुलिस अधिकारियों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं । किसी भी प्रकार से, किसी विचारणाधीन कैदी को असीमित अवधि तक रोक कर न रखा जाये और उसकी स्वतन्त्रता का हनन नहीं होना चाहिये ।

फिर खण्ड 13 में यह कहा गया है कि जहां मामले की जांच नहीं की जा सकी हो अथवा 24 घन्टे में पूरी न की जा सकी हो, तो अभियोगी को रोककर रखा जा सकता है और उस मामले में उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा । यहां कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भी सम्मिलित कर लिया गया है जिसके समक्ष भी अभियोगी व्यक्ति को पेश किया जा सकता है । और, कार्यपालक मजिस्ट्रेट तो अभी भी अन्य अधिकारियों एवं जिला-मजिस्ट्रेटों के नियन्त्रण में हैं । उन पर स्थानीय, राजनैतिक बातों अथवा कुछ अन्य परकीय प्रभावों का प्रभाव पड़ सकता है । किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप में भी रोककर रखा जा सकता है यदि चाहे उसके विरुद्ध कोई मामला बिल्कुल भी न बनता हो । पुलिस के हाथ एक ऐसा हथकण्डा आ जायेगा कि जिसको भी चाहे वे पकड़ लेंगे, रोक रखेंगे और उसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देंगे । कार्यपालक-मजिस्ट्रेट, जिला-मजिस्ट्रेट के प्रभाव में रहकर कार्य करेगा । ऐसी पकड-धकड़ पुलिस किसी व्यक्ति के दबाव में आकर भी कर सकती है । वे निर्दोष व्यक्तियों को भी अनावश्यक रूप में रोक रखेंगे । ऐसे निर्दोष व्यक्तियों को ऐसी मुसीबतों से बचाने के लिये, जिससे वे पुलिस के शिकंजे में न आने पायें, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेटों सम्बन्धी प्रावधान इस विधेयक में नहीं रहना चाहिये, इसे हटा ही दिया जाये । स्थिति से निपटने के लिये, आप राज्य सरकारों से पर्याप्त संख्या में न्यायिक-मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति के लिये कहें, जिससे कि उनकी सेवाएं दूर-दराज के गांवों में भी उपलब्ध कराई जा सकें । न्यायिक सुविधाओं को राज्यों के सुदूर दूरस्थ कोने तक पहुंचाने के प्रश्न पर हमने सदन में कई बार विचार-विमर्श किया है जिससे कि लोगों को अनावश्यक मुसीबतें और कठिनाईयां उठानी न पड़े तथा रोज-न्दारी के मजदूरों को, लगातार कई दिनों तक दूर-दूर तक अदालतों में जाने के कारण, अपनी दैनिक मजदूरी खोनी न पड़े । दण्ड प्रक्रिया संहिता में भी ऐसा प्रावधान है कि गरीब लोगों को विधिक सहायता और अन्य सुविधाएं दी जायें । इस विचार से, यह आवश्यक था कि न्यायिक मजिस्ट्रेटों की संख्या पर्याप्त हो तथा अदालतों की संख्या भी बढ़ाई जाये जिससे कि लोगों को सस्ता न्याय के शीघ्र एवं तत्परता से मिलने का लाभ हो सके ।

विधेयक के खण्ड 21 में यह सावधान रखने का विचार है कि अगर गवाही अदालत की भाषा में दी जाती है, तो इसे उस भाषा में रिकार्ड नहीं किया जा सकता, अगर इसको रिकार्ड करने में कोई दिक्कत आती है तो इसे हिन्दी अथवा अंग्रेजी में रिकार्ड किया जा सकता है । मैं नहीं समझता कि इस धारा को क्यों सम्मिलित किया गया है । मान लीजिये तमिल-नाडू में अदालत की भाषा तमिल है और गवाही तमिल में दी जाती है, और वह तमिल में रिकार्ड नहीं की जाती है, उस हालात में इसे हिन्दी में रिकार्ड किया जाना चाहिये । इसका यह भी तात्पर्य हो सकता है कि अदालत का अन्वेषण मजि-स्ट्रेट अथवा न्यायमूर्ति उस भाषा से भली भांति परिचित न हो । कोई बाहर से आने वाला अधिकारी, कोई भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी अथवा कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है जिसे मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया हो और वे उस अदालत की भाषा न जानते हों, जहां पर उन्हें तैनात किया गया है । यह हो सकता है । लेकिन यह एक आम सिद्धान्त होना चाहिए कि जब कोई राज्य किसी विशेष भाषा को सरकारी तथा अदालती कार्य करने के लिये स्वीकार कर लेती है अगर वहां पर अदालत के लिये कोई विशेष भाषा है तो इस बात का भी प्रावधान होना चाहिए कि सभी मजि-स्ट्रेट तथा न्यायमूर्ति भी उस विशेष भाषा को जाने और सीखें । जहां पर वे नौकरी कर रहे हैं उस स्थान की भाषा को उन्हें सीखना चाहिए । यह बहुत ही वांछनीय है कि मजिस्ट्रेट को स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए । यह देश की एकता तथा स्थिरता के लिये बहुत ही आवश्यक है ।

अन्त में मैं परीक्षण के अन्तर्गत रोके गये अपराधियों के विपरीत जेल की अवधि को तय करने के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा । जब कोई निश्चित धनराशि जुर्माने के रूप में किसी अपराधी पर लाद दी जाती है और अगर वह जुर्माना देने में असमर्थ होता है तो उसे इसके बदले में सारी अवधि के लिये जेल जाना पड़ेगा इससे अलावा दण्ड देने की बजाय अगर उसको निश्चित अवधि के लिये जेल जाने की दण्ड मिलता है, तो परीक्षण के दौरान जब वह जेल में था उसका भी उसे लाभ होना चाहिए । मैं यहां पर निवेदन करता हूं कि अपराधी व्यक्ति को जब कोई दण्ड दिया जाता है, और उसकी अनुपस्थिति में निश्चित समय की जेल होती है । उस स्थिति में मामले के समय से प्रारंभ होने का लाभ तथा जेल जाने का अन्तर्परीक्षण का समय भी लगाया जाना चाहिये और दण्ड के सारे समय के साथ सामंजस्य करना चाहिये ।

विधेयक के खण्ड 33 द्वारा एक नये खण्ड 433क को जोड़ा गया है । मंत्री महोदय ने बताया है कि यह संयुक्त समिति की सिफारिश थी जब कोई मृत्यु दण्ड, आजीवन कारावास में परिवर्तित हो चुका है और कुछ अन्य दण्ड दिये जा चुके हैं तो उस समय अवधि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये । कारावास की अवधि कम से कम 14 वर्ष की होनी चाहिये । हम इस खण्ड से सहमत नहीं हैं । मेरे विचार से शायद आप भी जानते हैं कुछ माह पूर्व एक स्त्री कैदी मोनिका दत्त जेल से छोड़ी गई । उस पर धन का जुर्माना किया गया था और पूरा करने की इंतजार में थी, फिर भी उसको छोड़ दिया गया । आप इस प्रकार के मौके को अलग कर रहे हैं । मामले की विशेष परिस्थितियों पर विचार करने तथा उन तथ्यों पर विचार करने, जिनके अन्तर्गत निश्चित दण्ड दिया गया था इस पर राज्य सरकार के जो अधिकार तथा विशेषाधिकार हैं आप उनमें भी हस्तक्षेप कर रहे हैं । इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को यह अधिकार होना चाहिये कि वह किसी भी दण्ड को, चाहे किसी भी प्रकार का हो कम कर सकती है इसको अलग नहीं किया जाना चाहिये । उस समय भी हमने बहुमत के विचारों से सहमति प्रकट नहीं की थी, हमने अपनी बात रखी थी, अब भी मैं आपसे इसको रोकने का निवेदन करता हू क्योंकि इससे राज्य सरकारों के अधिकार, प्राधिकार तथा विशेषाधिकार में हस्तक्षेप होता है । यद्यपि इसे व्यर्थ बताया गया था फिर भी इसे यहां पर सम्मिलित कर लिया गया है । इन शब्दों के साथ मैं अपनी टिप्पणियों को समाप्त करता हूँ ।

श्री पूर्णनारायण सिन्हा (तेजपुर) : यद्यपि मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि विधेयक के कुछ खण्ड उन अनुभवों के विपरीत जाते हैं जो गत वर्षों में प्राप्त किये गये हैं । कुछ खण्डों से पता चलता है कि सरकार को न्याय पालिका से अलग करने जैसा कुछ भी नहीं किया गया है । विधेयक के कुछ खण्डों के अन्तर्गत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह एक अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है और उसको 7 दिन तक के समय के लिये हिरासत के लिये भेज सकता है और हिरासत की अवधि के समाप्त होने पर उसकी जमानत हो सकती है लेकिन एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको अभियुक्त को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया है उसे यह शक्ति नहीं दी गई है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर सके । यह खण्ड सरकार को न्यायपालिका से अलग रखने के सिद्धांत पर कुठाराघात करता है । खण्ड 13 में बताया गया है :

> "...मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा निरोध पन्द्रह दिन की अवधि से आगे के लिये उस दिशा में प्राधिकृत कर सकता है जिसमें उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के लिये पर्याप्त आधार हैं, किन्तु कोई भी मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का इस पैरा के अधीन अभिरक्षा में निरोध, (एक) कुल मिलाकर नब्बे दिन से अधिक की अवधि के लिये प्राधिकृत नहीं करेगा जहां अन्वेषण ऐसे अपराध के सम्बन्ध में है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या दस वर्ष से अन्यून की अवधि के लिये कारावास से दण्डनीय है ;
>
> (दो) कुल मिलाकर साठ दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा जहां अन्वेषण किसी अन्य अपराध के सम्बन्ध में है।"

दण्ड प्रक्रिया संहिता में एक प्राधिकार देने का आवधान है । इस विधि को अंगहानि के लिये बनाया गया है कोई भी व्यक्ति जमानत पर रिहा नहीं हो सकेगा । हम सभी जानते हैं कि अन्वेषण का कार्य 60 दिन के भीतर पूरा करना होता है । अभियोग पत्र देना होता है तथा अंतिम रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास आनी चाहिये ताकि छः महीने के अन्तर्गत इसको निपटाया जा सके । जबकि छः महीने की अवधि नजरबंदी के लिये कम से कम दी गयी है । पुलिस रिकार्ड तैयार करती है तथा छानबीन करती है । यह उपाबन्ध नागरिक स्वतंत्रता के सिद्धान्त पर कुठाराघात करता है । इसके साथ ही अन्य उपाबन्ध भी है कि केन्द्रीय सरकार कुछ सहायक लोक अभियोजक तथा अतिरिक्त अभियोजकों की नियुक्ति करेगी । मेरे मित्र जो अभी बोले हैं उन्होंने राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाने के बारे में बताया

[श्री पूर्णनारायण सिन्हा]

है। केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त लोक अभियोजको तथा कुछ राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त लोक अभियोजकों की संख्या अधिक हो जायेगी। इन दोनों के बीच जिला न्यायालयों में, उप-मंडलीय अदालतों में प्रतिस्पर्द्धा होगी और उनके आपसी झगड़ों के कारण न्याय के बदले लोगों को अन्याय मिलेगा।

दूसरी बात यह है कि एक वकील जिसने वकील अथवा सहायक लोक अभियोजक के रूप में कम से कम 7 वर्ष की प्रैक्टिस की हो तभी वह अतिरिक्त लोक अभियोजक बन सकता है। लेकिन एक मजिस्ट्रेट की क्या योग्यता है? एक वकील को ही जिसने 5 वर्ष की प्रैक्टिस भी पूरी नहीं की है एक न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाया जाता है। कुछ मजिस्ट्रैटों ने केवल तीन वर्ष तक ही प्रैक्टिस की है। एक विधि स्नातक प्रशिक्षण की अवधि पूरी करने पर भारत की बार काउंसिल से लाइसेंस लेकर, बार में एक अधिवक्ता के रूप में भाग ले सकता है। तीन या पांच वर्ष में वह बहुत कम ही सीख पाता है। वह एक न्यायिक मजिस्ट्रेट बन जाता है तथा एक वकील के 30 और 50 वर्ष तक के कानूनी अनुभव पर न्याय देने के लिये बैठ जाता है। यहां पर यह शर्त लागू क्यों की गई है कि अतिरिक्त लोक अभियोजक के लिये 7 वर्ष का कानूनी अनुभव तथा विशेष लोक अभियोजकों के लिये 10 वर्ष का कानूनी अनुभव आवश्यक है। ये कुछ ऐसे उपाबन्ध है जो हमें बिल्कुल भी माननीय नहीं है। विशेषकर जैसा कि मैंने पहले ही बताया है एग्जीक्यूटिव को न्यायपालिका के साथ सम्बन्धित करने के लिये खण्डों में संशोधन किया गया है।

खण्ड 13(घ) में बताया गया है :

"(2क) : उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी.....
.....भेजी गई थी।"

मेरा विचार है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता में यह संशोधन नहीं किया जाना चाहिये था। अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि नया विधेयक प्रस्तुत किया जाय अथवा उनके द्वारा नियुक्त संयुक्त समिति को इस विधेयक को भेजा जाय ताकि ये विभिन्न खण्ड जो उस सिद्धान्त पर कुठाराघात कर रहे है जो 1955 के संशोधन के बाद में इतने वर्षों से प्रयोग में लाया जा रहा है, इन पर सावधानीपूर्वक विचार किया जा सकेगा तथा भारत में न्यायपालिका प्रणाली में सुधार करने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता का सभी प्रकार से संशोधन करने के लिये एक नया विधेयक लाया जा सकेगा।

श्री ए० सुन्ना साहिब (पालघाट) : वर्तमान संशोधन विधेयक से जो कुछ अनियमितताये उत्पन्न की गई हैं मैं उनकी तरफ मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। लोक अभियोजकों को केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। जब एक लोक अभियोजक केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है तब उसको राज्य में सिद्धान्त को व्याख्या करने वाला नहीं समझा जायेगा। मैं यह कहना चाहता हूँ अगर ऐसे मामले हैं जो केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाये जाने चाहिये तो इसके लिये केन्द्रीय सरकार का लोक अभियोजक होना चाहिये और जहां तक राज्य के मामलों का सम्बन्ध है उनको निपटाने के लिये राज्य लोक अभियोजक होना चाहिए। तथा उनको जिला मजिस्ट्रेट की अदालतों में तथा सत्र न्यायालयों में जाने का अवसर दिया जाना चाहिये।

जब लोक अभियोजकों एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के यहां प्रस्तुत होते हैं तब भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 326 सामने नहीं आती है। इनका प्रश्न ही नहीं उठता। उस क्षेत्र से यह दूर है।

जिला मजिस्ट्रेटों को कई मामले की छानबीन करनी होती है। सत्र न्यायाधीश इससे अलग होते हैं। मेरा नम्र निवेदन यह है कि जहां तक लोक अभियोजकों का सम्बन्ध है, राज्य के मामलों को राज्य के अभियोजकों द्वारा निपटाये जाने चाहिए तथा केन्द्रीय सरकार के मामलों के लिये केन्द्रीय सरकार के अभियोजकों को अवसर दिया जाना चाहिये।

यह कहा गया है कि जिला न्यायाधीशों के परामर्श से लोक अभियोजकों को नियुक्त किया जायेगा। जिला न्यायाधीश की सलाह से लोक अभियोजकों की तालिका दी जाती है। इसमें राजनीतिक प्रभाव भी होता है। जब सूची में उस वकील का नाम नहीं होता है जिसमें पार्टी दिलचस्पी रखती है तो तालिका को वापिस भेज दिया जाता है। वास्तव में इसका मानदण्ड लम्बी सेवावधि तथा व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिये। इन पर विचार किया जाना चाहिये ताकि वे कार्य को न्यायपूर्वक करने में योग्य हो सके।

पालघाट जिले में मैं भी एक लोक अभियोजक रहा हूँ। मैंने देखा है कि सत्र न्यायालयों में अभियुक्त की ओर से पेश होने वाले वकील जिन्हें अनुभव बहुत ही कम होता है, अवसर दिया जाता है। जिला न्यायाधीश बहुत ही कम

अनुभव वाले वकीलों को चुन लेते है। योग्य और अनुभव प्राप्त वकीलों की ही नियुक्ति की जानी चाहिये। वे वकील जो बार में ख्याति प्राप्त है नियुक्त किये जाने चाहिये। जिला न्यायाधीश द्वारा ख्याति प्राप्त वकीलों को वरीयता दी जानी चाहिये। अगर जिला मजिस्ट्रेट को जिला न्यायाधीश के परामर्श से लोक अभियोजक की नियुक्ति करनी होती है तब अपराधी व्यक्ति के हित की भी रक्षा की जानी चाहिए। अच्छे वकीलों को ही नियुक्त किया जाना चाहिये ताकि उसका पूरी तरह से बचाव किया जा सके। अनुभवहीन वकील अपराधी के मामले की अच्छी प्रकार से दलील नहीं कर सकेगा।

एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव शीर्ष के अन्तर्गत आते हैं, उनको रेवन्यू डिजीजनल आफीसर्स कहते हैं। मान लिजिये भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कोई मामला है और अगर उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के यहां पेश होना है, तो मैं सच कहता हूँ कि इन दोनो के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 तथा 145 के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मामलों का परीक्षण कर सकता है। अगर व्यक्ति तथा सम्पत्ति के बीच झगड़ा है उसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भाग ले सकता है। जहां तक भारतीय दण्ड संहिता का सम्बन्ध है, न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वतंत्रतापूर्वक नियुक्त किया जाता है वह मामले को निपटा सकता है। एग्जीक्युटिव फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव अधिकारियों के अधीन होते है। सबसे बड़ा अधिकारी कलक्टर होता है। उससे निदेश लेना चाहिए।

भारतीय दण्ड संहिता के मामलों में अभियुक्त के हित की रक्षा की जा सकती है, अगर उसको जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

अगर किसी प्रकार की जमानत आदि निकालनी है तो स्वाभाविक है कि सम्बन्धित व्यक्ति को ज्युडीशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ेगा।

अभियुक्त की छः माह तक अथवा 90 दिनों तक नजरबंदी संगतपूर्ण नहीं है। खिलवाड का भाग यह है कि जब 173 के बाद जांच पड़ताल पूरी होती है, तब प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जाती है। अभियुक्त कही होगा और वह छिपता फिरेगा। धारा 162, 164 के अन्तर्गत जो भी सम्बन्धित मजिस्ट्रेट हो उसके समक्ष अभियुक्त से गलती को स्वीकार करने तथा वक्तव्यों का रिकार्ड किया जायेगा। यह कानून सें भिन्न नहीं होगा।

जब धारा 173 के अन्तर्गत पुलिस अधिकारी दवारा एफ० आई० आर० दर्ज की जाति है, तब वक्तव्य तथा जांच पड़तांल का कार्य विनिर्दिष्ट समय के अन्तर्गत पूरा होना चाहिए। अगर नजरबंदी का समय बढ़ाया जाता है तो जांच पड़ताल का कार्य स्वभावतः ही विस्तार से होगा तथा निर्णय देने में विलम्ब होगा और नकारा जायेगा। उस समय जांच-पड़ताल उचित नहीं होगी तथा यह कानून के अनुरूप भी नहीं होगी। यह बेहतर है कि धारा 162 के अधीन जितना शीघ्र संभव हो सके वक्तव्य दर्ज किया जाय। यह बहुत ही दूभाग्यपूर्ण है कि अवधि 60 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दी गई है। यह बेहतर होगा कि अगर जांच-पड़ताल का कार्य समय की अवधि के अन्तर्गत कर दिया जाय, जहां तक संभव हो सके शीघ्र ही पूरा कर लिया जाय, जिससे की परीक्षणाधीन अभियुक्तों को कष्ट न हो। निर्णय देने में विलम्ब का तात्पर्य है न्याय की अवमानना। अतः जांच पड़ताल का कार्य शीघ्रता से किया जाय।

अगर प्रयोजनार्थ उप-निरीक्षकों की संख्या पर्याप्त नहीं है तो उप-निरिक्षकों की संख्या बढायी जाय। अधिक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रखने की अपेक्षा और अधिक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रखे जा सकते है। बजाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की विविधता के संविधान के ढ़ाचे के अन्तर्गत अधिक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रखने चाहिए ताकि वे अपने कर्तव्यों को कुशलता और शीघ्रता से पूरा करे।

इसके बाद मैं खण्ड 21 पर आता हूं, जिससे बताया गया है :

"मूल अधिनियम की धारा 277 में खण्ड (क) में 'उसी भाषा में लिखा जायेगा' शब्दो के पश्चात 'या यदि ऐसा करना साध्य नहीं है तो वह हिन्दी या अंग्रेजी में लिखा जायेगा' शब्द अन्तः स्थापित किये जायेगे।"

वास्तव में मैं उस उपाबन्ध का उद्देश्य समझने में असमर्थ हूं। मैं केरल का प्रतिनिधित्व करता हूं, जहां पर न्यायालय की भाषा अधिकतर मलयालम है, इसी प्रकार तमिल नाडू में तमिल है। अतः यह बेहतर है कि इसें इंगलिश में जारी रखा जाय, जैसा कि मौजूदा प्रावधान में है। मेकाले द्वारा लिखित दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा जो उस समय अधिनियमित की गई थी, वकालत कर रहे वकीलों के लिये घट-बढ़ रूप में बाइबल की तरह बन गई है। आज कल विभिन्न अधिनियमों में किये जा रहे संशोधनों की संख्या पर विचार करते हुए, यह कही अधिक अच्छी तरह सें लिखी गई है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : आप मलयालम और तमिल दोनों में ही धारा प्रवाह बोलते हैं।

श्री ए० सुब्बा साहिब : जब अभियुक्त कटघरे में खड़ा हो और मजिस्ट्रेट उसका साक्ष्य ले रहे हो तो अच्छा यही होगा कि अभियुक्त द्वारा बोली जाने वाली भाषा में ही उसे अभिलिखित किया जाये। सही विचारण के लिये भाषा को बाधा नहीं बनना चाहिये। मजिस्ट्रेट को अभियुक्त की भाषा समझनी ही चाहिये। यदि मजिस्ट्रेट को क्षेत्रीय भाषा नहीं आती तो अच्छा यही होगा कि वह जिले विशेष की भाषा सीखे और साक्ष्य अभिलिखित करे। यही सब कुछ भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों के मामले में भी किया जा रहा है। यदि भारतीय प्रशासन सेवा में आये उत्तर-प्रदेश के किसी व्यक्ति को केरल में नियुक्त किया जाये तो प्रथमतः उसे दो वर्ष तक सहायक-कलक्टर के पद पर रखा जाता है। प्रशिक्षित किया जाता है। और तब उसे भारतीय प्रशासन सेवा के वर्ग में लिया जाता है। अतः जिस भाषा में वक्तव्य अभिलिखित किया जाये, वह राज्य की भाषा होनी चाहिये, जिसे अभियुक्त बिना किसी कठिनाई के समझ सके।

अब खण्ड 32 पर आते हुये, जुर्माने के विकल्प स्वरूप कारावास की सजा दी जाती है। यहां मैं यह सुझाव दूंगा कि यदि विचारणाधीन कैदी ने कारावास भोग लिया है तो अच्छा यह होगा कि उसके बदले में इसे दिया जाये। अतः कारावास अवश्य होना चाहिये। उसके साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जाना चाहिये। यदि जुर्माने पर विचार नहीं किया जाता तो, भोगी गई सजा के विकल्प पर विचार किया जाये।

इस निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और सभापति महोदया को, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए, धन्यवाद देता हूँ।

श्री आर० डी० गट्टानी (जोधपुर) : सभापति महोदय, नया जाब्ता फौजदारी कानून 1974 में लागू हुआ था। दो बरसों के अनुभव के बाद उसमें संशोधन करने के लिए 1976 में एक बिल पेश हुआ था। मगर पिछली लोक सभा के खत्म होने के साथ साथ वह बिल भी खत्म हो गया। अब फिर संशोधन के लिए एक नया बिल लाया गया है। मंत्री महोदय ने कहा है कि 1976 के बिल में जो जो ग़ैर-ज़रूरी बातें थीं, और जो अच्छी बातें नहीं थीं, उनको हटा दिया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि दो बातों की तरफ शायद मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है।

इस संशोधक विधेयक की क्लाज 13(बी) को मन्जूर करने का मतलब यह होगा कि जब पुलिस रिमांड लेने के लिए मैजिस्ट्रेट के सामने जायेगी, तो मुलजिम को साथ ले जाना जरूरी नहीं होगा। यह बहुत गलत बात होगी। आज तक ऐसा नहीं हुआ है। इस बारे में पूरी तरह सें सोच-विचार कर लेना चाहिए। कहा गया है कि कभी कभी ऐसा मोका आ जाता है, जब मुलजिम को साथ नहीं ला सकता है। मै निवेदन करना चाहता हूं कि मुलज़िम को साथ ले जाना बहुत ज़रूरी है। आप और हम सब जानते हैं कि पुलिस की कस्टडी में मुलजिम को कितनी यातनायें दी जाती हैं। अगर रिमांड के वक्त मुलज़िम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश न किया गया, तो मुलजिम की तरफ से बताने वाला कौन होगा कि उसको पीटा गया है या नहीं, उसको खाना दिया गया है या नहीं, उसको सोने दिया गया है या नहीं, और उसके साथ इन्सान का सा बर्ताव भी किया गया है या नहीं ? कहा गया है कि अगर मुलज़िम बीमार हो, तो क्या किया जाये। सवाल यह है कि अगर वह आज बीमार होता है, तो क्या किया जाता है ? कहा गया है कि कभी कभी सिक्युरिटी के खयाल सें मुलजिम को साथ ले जाना मुनासिब नहीं होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मुलज़िम इतना खूंखार व्यक्ति है, अगर सिक्युरिटी का सवाल है, तो अच्छा यह होगा कि मजिस्ट्रेट को जेल या पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाये। लेकिन मैजिस्ट्रेट के लिए यह लाज़िमी होना चाहिए कि वह मुलज़िम से बात करे और पूछे कि रिमांड के बारे में उसको क्या एतराज है। यह ज़रूरी है। यह कानून बरसों से चला आ रहा है। हमें इसको नजर-अंदाज नहीं करना चाहिए।

जहां तक क्लाज़ 21 का सम्बन्ध है, दो आनरेबल मेम्बर्ज़ इसके बारे में बोल चुके हैं। इस में कहा गया है कि अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट लैंग्वेज में किसी गवाह का एविडेंस न ले सकता हो, तो हिन्दी या अंग्रेजी में उसका बयान लिया जाये। मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। अव्वल तो कोर्ट में ऐसा मजिस्ट्रेट क्यों हो, जो कोर्ट की लैंग्वेज नहीं जानता है ? अगर किसी वजह से ऐसा हो भी जाये, तो क्या यह ज़रूरी है कि जिस गवाह का बयान लेना है, वह हिन्दी या अंग्रेजी जानता हो ? तमिलनाडू, केरल और कर्नाटक में ज्यादातर गवाह ऐसे होंगे, जो न हिन्दी और न अंग्रेजी जानते होंगे। उनके लिए और ज्यादा मुश्किल होगी। मेरा सुझाव है कि अगर वाकई कोई दिक्कत होती है, तो स्टेटस जरूरत के मुताबिक सी० आर० पी० सी० में संशोधन कर सकती हैं। इसलिए क्लाज़ 21 को हटा दिया जाना चाहिए और क्लाज़ 13(बी) को भी खत्म कर देना चाहिए।

दो एक बातें मैं दूसरी भी निवेदन करना चाहूंगा। अभी यह कहा गया था कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को रिमांड की पावर नहीं देनी चाहिए। मेरे ख्याल से उन साहबान ने जिन्होंने इस का विरोध किया है पूरा कानून जो हम लाने जा

रहे हैं वह पढ़ा नहीं है । इस में दो शर्तें रखी गई हैं कि जहां जूडिशियल मैस्जिट्रेट नहीं मिल पा रहा हो और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को जूडिशियल मैजिस्ट्रेट की पावर्स दी गई हों वहां रिमांड के लिए मुलज़िम पेश किया जा सकता है । यह मेरे ख्याल से ज्यादा ठीक है और मुलजिम की सहूलियत के लिए है । क्योंकि वहां एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को जूडिशियल मैजिस्ट्रेट के अधिकार दिए गए हैं, तो मुलज़िम न केवल रिमांड की, सुख-दुख की बात मैजिस्ट्रेट सें कह सकेगा बल्कि जमानत की भी सहूलियत उस को मिलेगी, वह जमानत भी हासिल कर सकेगा । तो यह जो सुधार किया जा रहा है यह मुलज़िम के फायदे के लिए हैं ।

60 दिन और 90 दिन के बारे में बहुत कहा गया है और यह कहा गया है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड । मगर हम को यह भी ध्यान में रखना चाहिए, 60 दिन के बजाय 90 दिन का प्रावधान अगर किया जा रहा हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि 90 दिन होने ही चाहिए । साथ साथ यह भी नहीं होना चाहिए कि जल्दी जल्दी में काम हो । यह कहावत तो ठीक है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड लेकिन इस कहावत को भी हमें अपने ध्यान में लाना चाहिए कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड ।

अभी एक साहब ने कहा कि तमिलनाडु या केरल की तरफ तो इंग्लिश ही कोर्ट लैंग्वेज हो जाया करती है । मैं निहायत अदब सें कहूंगा कि आज के जमाने में भी यह कहा जाय कि इंग्लिश कोर्ट लैंग्वेज हो, जब कि हम उम्मीद करते हैं कि हमारे यहां जो लोकल लैंग्वेजज़ हैं वह ज्यादा फ्लरिश करें, यह किसी तरह भी ठीक नहीं है । धन्यवाद ।

श्री टी० बालाकृष्णैया (तिरुपती) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं, क्योंकि यह राजनीति सें प्रेरित है । अन्यथा इस प्रकार के विधान को इतना जल्दी लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी । दण्ड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दण्ड संहिता तथा दिवानी प्रक्रिया संहिता, ये अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विधियां हैं और इनका प्रयोग आमतौर से होता है । ऐसी बात नहीं है कि इनको कभी-कभी प्रयोग किया जाता है । इनकी महत्ता के कारणे ही इन सब संहिताओं को संशोधित करके, आद्यतन बनाया गया । सरकार को विधि-आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखना चाहिये, नामशः—मुकदमेबाजी कम खर्चीली बनाई जानी चाहिये, मामलों के लंबन को कम करने के लिये विलम्ब को कम करना चाहिये और न्याय की सीमा तक न्याय मिलना चाहिये । क्या दण्ड प्रक्रिया संहिता में इस संशोधन को लाते समय, सरकार ने इन बातों को ध्यान में रखा है ? यदि आप खंडों का परीक्षण करें, तो आप पायेंगे कि इस विधेयक का मुख्य ध्येय कुछ लोगों अथवा कुछ दल के लोगों को तंग करना ही है । अतः इसलिये मैं अनुभव करता हूं कि यह ठीक नहीं है । आपको लोगों के अधिकाधिक हितों को ध्यान में रख कर ही कोई विधान प्रस्तुत करना चाहिये । इसीलिए मैंने कहा कि यह संशोधन राजनीति-प्रेरित है तथा यह विधान का निकृष्ट अंग है, जिससें लोगों को कोई लाभ नहीं होगा ।

विधि-आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, हमें देखना होगा कि क्या प्रथमतः विलम्ब घटाया जा सकता है । मान लो कि कोई व्यक्ति दिल्ली में कोई अपराध करता है तो इस विधि के अनुसार, उसे फतेहपुर में गिरफ्तार करके वहीं किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जा सकता है । उसे वहीं पेश किया जा सकता है । कार्यपालक मजिस्ट्रेट सात दिन का रिमांड दे सकता है । वर्तमान विधेयक में ऐसा ही प्रावधान है ।

लोग सोचते हैं कि स्वतन्त्र न्यायपालिका होनी चाहिये । इसलिये तो संविधान में भी दिया गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग होना चाहिये । इस संशोधन को प्रस्तुत करते समय, इस संवैधनिक उपबन्ध को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया? एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट को रिमांड (प्रतिप्रेषण) देने की शक्ति को दी जाये । क्या आप कार्यपालक मजिस्ट्रेटों कों यह शक्ति प्रदान करके विलम्ब को घटा सकते हैं ? मान लो कि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तथा उसे किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना है और उसकी इच्छा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की है, जोकि तत्काल मिल नहीं सकता तथा एक न्यायिक मजिस्ट्रेट, अर्हता प्राप्त मजिस्ट्रेट उपलब्ध है, तो उसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास ही भेजने में क्या तुक है? इसका मुख्य कारण यह है कि सत्ता-दल, चाहे जो कोई भी दल सत्ता में हो, किसी व्यक्ति विशेष को सजा दिलवाने और तंग करने के लिये कार्यपालक मजिस्ट्रेट पर अभिभावी हो सकता है । इसीलिए तो मैंने कहा है कि यह संशोधन राजनीति सें प्रेरित हैं प्रतिप्रेषण की शक्ति कार्यपालक-मजिस्ट्रेट को नहीं दी जानी चाहिये । यह तो केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास ही होनी चाहिये ।

जो व्यक्ति नगर में अपराध करता है उसे तो नगरेतर मजिस्ट्रेट के समक्ष सिपुर्द करने में और जो व्यक्ति ग्राम-क्षेत्र में अपराध करता है उसें नगर-मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने में क्या तुक है ? और ऐसा ही होने जा रहा है । सी आर पी (CRP) मामलों में वे पुरानी विधि को ही प्रत्यावर्तित करना चाहते हैं । हमने पुराने कानून को इसलिए त्याग दिया था, क्योंकि निम्न-अदालतों में प्रारंभिक जांच करने, साक्ष्य लेने और ऐसी ही अन्य बातों में अनावश्यक झमेले खड़े रहते थे।

[श्री टी० बालाकृष्णैय्या]

मजिस्ट्रेट के पास उसे दण्डित करने की शक्ति नहीं होती थीं और सेशन-कोर्ट के सिपुर्द करना पडता था। उसमें अत्यंत ही विलम्ब और ऐसी ही बातें होती थीं। अतः 1973 में एक संशोधन किया गया कि उसे सीधा ही सेशन-कोर्ट के हवाले किया जाये, जहां उस पर विचारण हो सके तथा साक्ष्य लिया जा सके। लेकिन अब तो वे दूसरी ही बात करने जा रहे हैं। वे तो पुराने कानून को प्रत्यावर्तित कर रहे हैं। वे उसे प्रथम श्रेणी अथवा द्वितीय-श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना चाहते हैं, साक्ष्य लेकर, सब प्रक्रिया को ठीक प्रारंभ से ही अपनाना चाहते हैं। एक प्रकार से तो यह ठीक हैं कि इस प्रकार वे उन वकीलों की सहायता कर रहे हैं, जिन्हे उनकी निम्न-अदालतों में और सेशन-अदालतों में भी, प्रतिपरीक्षा करने का अवसर मिलेगा। लेकिन इस प्रकार वे विलम्ब को बढ़ा रहे हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि यह एक बुरा विधान है।

खण्ड 11 की धारा 107 में दिये गये प्रतिभू के सम्बन्ध में, मुख्यरूप से गरीब लोगों को तंग करने के लिये उनका अब एक संशोधन लाने का प्रस्ताव है। आप यह कहना चाहते हैं कि आप गरीब लोगों की सहायता करने जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आप ऐसा उपबन्ध पुरःस्थापित कर रहे हैं, जिसमें उससे स्वयं के प्रतिभू-बन्धपत्र के साथ ही किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी, एक अन्य प्रतिभू की मांग कर रहे हैं। दूसरे, 107 धारा वाले व्यक्ति को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष, पुलिस द्वारा हमेशा पेश किया जाता हैं, जिससे कानून और व्यवस्था बनायी रखी जा सके। जब दो व्यक्ति लड़ते हैं, लोगों के दो दलों में झगड़ा होता हैं, तो धारा 107 की कार्यवाही पुलिस द्वारा शुरू की जाती है और उन्हे खण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है जिसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट होना चाहिए। हाल ही में एक नवीन संशोधन लाया गया था क्योंकि ऐसे अनेक व्यक्ति थे जो प्रतिभू उपस्थित नहीं कर सकें और अन्य स्थानों से प्रतिभू ला भी नहीं सकते थे। अतः उनके स्वयं के बन्ध पत्रपेर वे नहीं छूट सके। यह तो मौजूदा प्रावधान है। मैं नही जानता कि अब सरकार ऐसा परिवर्तन क्यों ला रही है कि अपने स्वयं के प्रतिभू-बन्ध पत्र के साथ-साथ, उसे अपने वास्ते किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिभू भी देनी होगी। क्या इससे गरीब आदमियों को कठिनाई नहीं होगी, विशेषकर वर्तमान परिस्थितियों में, जबकि आजकल साम्प्रदायिक तत्वों का जोर है और आदमी आदमी को सता रहा है? क्या इससे गरीब लोगों को कठिनाई नहीं हो रही, जबकि उन्हे अपने प्रतिभू-बन्धपत्र के अतिरिक्त अपने लिये किसी और कि प्रतिभू देने के लिए कहा जाए? क्या आप उस खण्ड विशेष को हटाने की बात पर विचार करेंगे?

अनुच्छेद 143 के अधीन पहले से ही जनमतसंग्रह का उपबन्ध है, जिसमें, राष्ट्रपति जब भी विधिक राय जाननी चाहें, मामले को उच्चतम न्यायालय के पास भेज सकते है। लेकिन भारत के संविधान के उस उपबन्ध से आश्वस्त न होने के कारण वे दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन कर रहे हैं, जिससे कि कल को वे जो कुछ भी करने जा रहे हैं, वह सब उसके ही अनुसार हो, कुछ ऐसी ही बात मस्तिष्क में रखकर, वे इस संशोधन को प्रस्तावित कर रहे हैं। अतः इसीलिए मैं कहता हूं कि यह एक बुरा विधान है, यह एक राजनीति-प्रेरित विधान है और अच्छा विधान नहीं है।

इसमें संज्ञेय अपराध और गैर-संज्ञेय अपराध के मध्य कोई विभेद नहीं है। मौजूदा विधेयक के अधीन, किसी भी बात को संज्ञेय अपराध करार दिया जा सकता है। इसका क्या कारण है? जब कोई गैर-संज्ञेय अपराध किया जाता है, तो आप इसे एक संज्ञेय अपराध क्यों बनाना चाहते हैं? क्या यह राजनैतिक प्रेरणा से बाहर है अथवा किसी व्यक्ति को दिये जाने वाले विधिक न्याय के वास्तविक लक्ष्य से बाहर है? गैर-संज्ञेय और संज्ञेय अपराध के बीच स्पष्ट भेद होता है। लेकिन मौजूदा विधेयक में एक गैर-संज्ञेय अपराध को संज्ञेय अपराध बनाने का प्रस्ताव वे रख रहे हैं, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को, यह कहकर कि उसने संज्ञेय अपराध किया है, जेल में डाला जा सके।

इसलिए मैं इस विधेयक का पूर्णतया विरोध करता हूं। यह एक बुरा विधान है और इसको अब लाने की बिलकुल भी आवश्यकता नहीं है।

श्री लक्ष्मी नारायण नायक (खजुराहो) : माननीया सभानेत्री जी, अभी जो दण्ड प्रक्रिया संशोधन विधेयक, 1978 रखा गया है, मैं उस का समर्थन करता हूं। इस में जो विशेष मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति का प्रावधान है—

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

खास तौर से जो चलते-फिरते न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है, वह वास्तव में बहुत अच्छा है। अभी मुझ से पूर्व-वक्ता इस पर आशंका प्रकट कर रहे थे, लेकिन मैं इस को उपयुक्त समझता हूं, क्योंकि यह जनता के हित में है। जब भी कोई मैजिस्ट्रेट किसी विशेष स्थान पर न्याय के लिये पहुंचेंगे तो वहां की जो स्थिति होगी, वह उन को अच्छी तरह से मालूम हो जायगी और इससे उनको न्याय करने में बहुत सहूलियत होगी। इस के लिये खंड 5, धारा 14 उपधारा (1) में जो प्रावधान किया गया है, वह बहुत ही ठीक है।

खण्ड 8, धारा 24 में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें हाई कोर्ट से परामर्श कर के पब्लिक प्रासीक्यूटर्स को नियुक्त कर सकेंगी—खास तौर से जिले में या उस क्षेत्र में—ऐसे पब्लिक प्रासीक्यूटर्स को नियुक्त कर सकेंगी—मैं इस को उपयुक्त नहीं मानता, क्योंकि इस में अभी भी कई जगहों पर ऐसा हुआ है कि जहां पर जरूरत नहीं है, फिर भी उन की नियुक्ति हो जाती है, जब कि कहीं कोई विशेष जरूरत पड़े तो वहां भेजा जा सकता और किसी भी काम को निपटाया जा सकता है। जैसे किसी खदान का मामला हो या ऐसा कोई और झगड़ा हो और जहां यह माना जा रहा हो कि दूसरी जगह को भी भेजा जा सकता है तो उसके लिए तो कोई ऐसा प्रावधान रहना चाहिये लेकिन हर जिले और हर क्षेत्र में इसकी नियुक्ति की जाए तो यह ठीक नहीं होगा। इसमें ज्यादा खर्च होगा, ऐसा मैं मानता हूं।

खंड 17, में धारा 198 का संशोधन किया जा रहा है। यह विवाहों से सम्बन्धित अपराधों के बारे में है। इस में आपने कहा है कि इस प्रकार के अपराधों की शिकायत को ले कर किसी पत्नी का रिश्तेदार भी जा सकता है। यह बहुत अच्छा प्रावधान आपने किया है। देखा गया है कि कई पुरुष अपनी स्थिति का, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके दूसरी शादी कर लेते हैं। उस अवस्था में महिला को महिला के अधिकारों की रक्षा के लिए यदि वह स्वयं अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती है तो उसके परिवार का कोई सदस्य या रिश्तेदार न्यायालय की इजाजत ले कर शिकायत कर सकता है, मामले को पेश कर सकता है और उस महिला के लिए न्याय प्राप्त कर सकता है। यह जो प्रावधान आपने किया है यह ठीक है और इसका मैं स्वागत करता हूं।

बराबर इस बात को कहा गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग होना चाहिये। लेकिन इस चीज़ को कार्य रूप में परिणत नहीं किया जा रहा है। आप 107 और 117 के मुकदमों को ले। ये अनुभागीय अधिकारी के यहां पेश होते हैं जिसके पास माल विभाग भी होता है। वहां पर इन मुकदमों में लोगों को न्याय नहीं मिलता है, निष्पक्ष न्याय वहां पर न मिलने के कारण और समय पर न मिलने के कारण दोनों पक्षों में जो झगड़े पहले से चले आए हुए होते हैं वे और भी बढ़ जाते हैं। फिर भी अनुभागीय अधिकारी के यहां ही इन मुकदमों को ले कर जाना पड़ता है। बराबर वहां पेशियां पड़ती रहती हैं और मामले खिंचते रहते हैं। दो दो तीन तीन साल तक ये मुकदमे चलते रहते हैं। वहां पर यह नहीं देखा जाता है कि ये झगड़े किस कारण से हुए हैं। मैं चाहता हूं कि यह चीज़ अलग होनी चाहिये। माल विभाग के अनुभागीय अधिकारी के पास माल विभाग का, शासन भी रहा है, उसके प्रशासकीय अधिकार भी होते हैं और न्याय करने के भी अधिकार होते हैं। इसी वजह से बहुत बड़ी मुसीबत का सामना जनता को करना पड़ता है। उस को न्याय नहीं मिलता है। कई तरह के झंझटों में उसको पड़ना पड़ता है। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि इस ओर आपका ध्यान जाना चाहिये और न्यायपालिका और कार्यपालिका को आपको बिल्कुल अलग अलग कर देना चाहिये।

मैं यह भी चाहता हूं कि फैसले जल्दी होने चाहियें। फैसले जल्दी न होने के कारण दूसरे मुकदमे भी उठ खड़े होते हैं। एक मुकदमे का फैसला होता नहीं है कि नया मुकदमा कायम हो जाता है। आपने गारंटी दी हुई है कि तीन महीने या अधिक से अधिक छः महीने में किसी मुकदमे का फैसला हो जाना चाहिये। लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। इसका आपको सख्ती से पालन करवाना चाहिये। जिन कैसों में तीन महीने या छः महीने में न्याय मिल जाना चाहिये था उनको पांच पांच साल हो गए हैं लेकिन न्याय नहीं मिला है। मैं चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था आप करें जिससें जल्दी न्याय लोगों को मिल जाया करे ताकि दूसरे मुकदमे तैयार न हो।

इस विधेयक पर मेरी एक ही आपत्ति है और वह पब्लिक प्रासीक्यूटर के सम्बन्ध में है। बाकी के जो संशोधन रखे गए हैं उनका मैं समर्थन करता हूं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मैं सबसे पहले आपको यह बता दूं कि दण्ड प्रक्रिया (संशोधन) विधेयक पर विचार करने के लिए इस अल्पावधि वाद-विवाद में भाग लेने में मैं गर्व का अनुभव क्यों कर रहा हूं। मैं विभिन्न खंडों की गहराई में नहीं जाना चाहता और नहीं मैं एक वकील के दृष्टिकोण से इन खण्डों का दिग्दर्शन कर सकता हूं।

लेकिन बात यह है कि यह विधेयक मुझे आपके समक्ष वे कुछ विशाल दृष्टिकोण और विचारधाराएं, जिनके वे लायक हैं, रखने का अवसर देता है। भारतीय दण्ड संहिता तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के समस्त विषय-व्यापार पर और विशेषरूप से दण्ड प्रक्रिया संहिता पर जिस पर हम अब विचार-विमर्श कर रहे हैं। मेरा प्रथम मुद्दा यह है कि मैं अनुभव करता हूं, जब कभी भी हम संशोधन करते हैं—मैं नहीं जानता कि मन्त्री जी कहां चले गये हैं, मेरा ख्याल है श्री बरनाला जी उनके स्थान को ग्रहण किए हुए हैं। मैं नहीं समझता कि क्यों इस प्रकार का विधेयक यानी कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक चाहिये...महोदय मैं चाहूंगा कि स्थानापन्न मन्त्री जी मेरी बात सुनें, जिससे कि कम से कम वे मेरा मतलब ग्रहण कर सकें और मेरी बात बताने में बिना किसी गलती के, श्री पाटिल को मेरी बात बता दें।

[प्रो० पा० जी० मावलंकर]

मेरी पहली बात यह है कि भा० दं० सं० और दं० प्र० सं० और इस मामले में दं० प्र० सं०, लम्बे समय से विधि-पुस्तिका में सम्मिलित रहीं तथा बहुत सी जानकारियों के लिए इसमें कोई संशोधन और परिवर्तन नहीं किये गये। कम-बड़ती उनके संतोषजनक परिणाम निकल रहे थे। लेकिन, बाद में, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई, जिसमें हम पाते हैं कि यहां तक कि अत्यन्त महत्वपूर्ण अधिनियमों में भी बार-बार संशोधन किया जा रहा है। मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि उसकी आवश्यकता क्या है? यह कैसे हो सकता है कि विगत में कोई आवश्यकता अनुभव नहीं की गई तथा अचानक, पिछले कुछ वर्षों में, जिन अधिनियमों को बारंबार संशोधित नहीं करना चाहिये था, उन्हें आमतौर से बार-बार संशोधित करने की आवश्यकता उठ खड़ी हुई। कुछ भी हो, दीर्घ अभ्यास, न्यायपूर्ण विचारों तथा प्रशासनिक विचार-धारा के आधार पर ही आपने बहुत कुछ परिपक्व अनुभव का उपयोग यहां पर किया है। यह मेरी प्रथम बात है। मेरी दूसरी बात यह है कि मैं यह अनुभव करता हूं कि जब कभी भी संशोधन लाये जाते हैं, तो उन्हें मोटे तौर पर, यदि मुख्य रूप से नहीं भी तो, अधिकार-क्षेत्र के दृष्टिकोण से ही लाया जाता है। जैसा कि मन्त्री जी ने स्वयं कहा है, विधि-आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है। इसीलिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं। मैं विधि-आयोग की इज्जत करता हूं। विधि-आयोग में बड़े ही विशिष्ट व्यक्ति हैं। उनकी दीर्घ न्यायिक पृष्ठ भूमि है और उन्हें लम्बा अनुभव है। लेकिन बात यह है कि क्या विधि-आयोग को उन लोगों का अनुभव प्राप्त है जो वास्तव में इस पेशे में हैं, विशेषकर उन वकीलों का जो कि अपीलीय मामलों के नहीं, अपितु मूल मामलों के हैं। उनके अनुभव के बारे में क्या स्थिति है। और स्वयं अभियोगी व्यक्तियों के अनुभव की बात इसमें कहां है? स्वयं प्रशासकों--यानी मजिस्ट्रेटों के अनुभव के बारे में क्या बात आई है। उस पर तो विचार ही नहीं किया गया।

मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस बात की आवश्यकता है, उसको छोड़कर, इस मामले में सैद्धान्तिक, वैधानिक और सीमा-क्षेत्र के दृष्टिकोण से अधिक विस्तार और जोर देकर बात को कहा गया है। इसीलिए तो मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं कि यह सम्पूर्ण अधिनियम का एक न्यायपूर्ण तथा सन्तुलित संशोधन बनने के बजाय, एक ढुल-मुल प्रकार का संशोधन ही बनकर न रह जाये।

मेरी तीसरी बात यह है कि जब कभी भी ऐसा संशोधन लाया जाता है तो मुझे लगता है कि इससे पुलिस और वकीलों को रुपया बटोरने के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। मुझे खेद है कि मुझे यह सब कहना पड़ रहा है। (व्यवधान) मेरे माननीय मित्र श्री पारूलेकर एक वकील होने के नाते, मेरे 'वकीलों' शब्द कहने पर आपत्ति उठा रहे हैं। यदि ऐसी बात है तो मैं शब्द तो वापिस नहीं ले सकता लेकिन मैं 'वकील' शब्द पर जोर न देकर 'पुलिस' शब्द पर जोर देता हूं। असल बात तो यह है कि फिर भी, ऐसे कानूनों में हम हर बार संशोधन करते चलते हैं, इससे होता क्या है कि पुलिस को दोनों दलों से रुपया ऐंठने और घूस खाने के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। इसीलिए तो आप ऐसी विधि बनाने जा रहे हैं कि जिससे उनके लिए तो अधिकाधिक धन खेंचना सम्भव हो सके, लेकिन न्याय किसी को भी न मिले।

बात यह है कि वकीलों को तो किसी भी परिभाषा क्षेत्र में रहकर भी विधि को जानना ही चाहिये, जबकि अभियोगी व्यक्ति को, आम आदमी को कानून से कभी साबका ही नहीं पड़ता। इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पवित्र सदन में विधायक होने के नाते, हमें ऐसे ढंग से विधान तैयार नहीं करना चाहिये जिससे कि गैर-विधिक नागरिकों को और फंसना पड़े और मुसीबतें झेलनी पड़े, न्याय मिलने की बात तो दूर रही। लेकिन यह कहां का न्याय होगा कि केवल वकीलों और पुलिस-अधिकारियों को ही अधिक धन बटोरने के अवसर हम जुटाते रहें। यह मेरी दूसरी बात है।

संक्षेप में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि न्यायिक प्रक्रिया में न तो विलम्ब ही होना चाहिए और न ही जल्दबाजी। यदि सरकार वास्तव में विधेयक में सुधार करना चाहती है तो ऐसे सुधार किए जाएं जिससें विलम्ब भी समाप्त हो और जल्दबाजी भी। मुझे पक्का पता नहीं है कि इसमें वे सफल हुए हैं अथवा नहीं। इसलिए मैंने यह बातें कहीं।

मैं मंत्री महोदय एवं माननीय सदस्यों के इस विचार से सहमत हूं कि यह एक छोटा सा विधेयक है। प्रसन्नता की बात है कि मंत्री महोदय ने उस मूल विधेयक में से अवांछित या आपत्तिजनक अथवा विवादास्पद संशोधन हटा दिए हैं जो पांचवीं लोकसभा के भंग होने पर व्यपगत हो गया था। इसके लिए मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं। अब मंत्री महोदय बहुत कम संशोधनों के साथ यह विधेयक लाए हैं। यह अच्छी बात है। अब समय आ गया है कि हम समस्याओं को चुटकलों के रूप में न समझे और न ही विशिष्ट चूकों को समाप्त करने के बारे में सोचे बल्कि हमें चाहिए कि हम उनके मंत्रालय, विधि मंत्रालय या सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा विचार करने के बाद एक व्यापक विधेयक लाएं। यदि हमें ऐसा करना है तो हमें अगले वर्ष एक विधेयक पेश करना चाहिए और इस पर विचार करने के बाद प्रवर समिति को भेजा जाए

और उसके बाद इस पर चर्चा एवं विचार करके पास किया जाए। इसके बाद दस, पन्द्रह या 20 वर्ष इसमें संशोधन न किया जाए। यही वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए। मैं आपत्ति इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गत सरकार एवं इस सरकार तभी राज्य सरकारों का दृष्टिकोण विधायी तदर्थवाद का रहा है न कि विधायी कानून बनाने का, जिसका स्थायी मूल्य है। यदि सरकार का उद्देश्य विधायी तदर्थ वाद का है तो उसे इस सदन में अथवा राज्य विधान मंडलों में संशोधनकारी विधेयक लाना होगा।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान खंडों की ओर दिलाना चाहता हूं। पृष्ठ 16, खंड में मंत्री महोदय ने सदन के विचारार्थ टिप्पणियां दी हैं। इस बारे में मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार का प्रयास विशेष न्यायालय स्थापित करने का है? सरकार विशेष न्यायालय क्यों बनाना चाहती हैं? आशा है कि मंत्री महोदय इसका उत्तर देंगे। इस विधेयक के पृष्ठ 16 पर दी गई टिप्पणियों को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि एक से अधिक जिले तथा क्षेत्राधिकार रखे गए हैं। मंत्री महोदय ने कहा है कि विशेष न्यायालय एवं जूडिशियल मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में क्षेत्राधिकार की परिभाषा करने तथा इसका विस्तार राज्य या उसके किसी भाग तक करने के लिए राज्य सरकारों को शक्ति देने क अधिकार दिए जाएंगे। इस पैराग्राफ के पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि विशेष न्यायालय बनाने का विचार है। मंत्री महोदय इसका स्पष्टीकरण करें। मैं जानता हूं कि यह मामला पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय में है। सरकार इस प्रकार के संशोधन न लाए और कानून में विसंगति पैदा न करे।

अब मैं खंड 21 के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मंत्री महोदय विधेयक के पृष्ठ 19 को देखें। भाषा सम्बन्धी खंड में संशोधन क्यों किया जा रहा है? मंत्री महोदय ने कहा है कि न्यायालय की भाषा में साक्ष्य होगा। अब उनका कहना है कि न्यायालय की भाषा अंग्रेजी या हिन्दी में होगी। मैं चाहता हूं कि न्यायालय की भाषा वही होनी चाहिए जो भाषा उस राज्य के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है। मंत्री महोदय का कहना है कि इसमें कठिनाई होगी क्योंकि एक न्यायालय में कई भाषाएं हो सकती हैं। चाहे एक न्यायालय में एक से अधिक भाषाएं क्यों न हो, फिर भी यह तो निश्चित है कि न्यायालय की भाषा वहां के अधिकांश लोगों द्वारा बोले जानी वाली भाषा होगी। मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपनी भाषा में साक्ष्य देना चाहता है, उसे ऐसा करने से रोका जाएगा और उसे विवश किया जाएगा कि वह अंग्रेजी या हिन्दी मे बोले। यदि भाषा तमिल, गुजराती, मराठी या कोई ओर हो तो बात अलग है। तब उसे अंग्रेजी या हिन्दी भाषा बोलने का विकल्प होगा। यदि यह न्यायालय की भाषा है, तो या अंग्रेजी या हिन्दी में साक्ष्य देने के लिए विवश किया जाएगा? या इससे उसें कठिनाई या परेशानी नहीं होगी? आशा है कि विधेयक में ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। जहां तक खंड 19 का सम्बन्ध है, सरकार उन लोगों को 60 से 90 दिन का समय देना चाहती है जिन्होंने घृणित अपराध किया है। यह खतरनाक है क्यों कि इसमें इन लोगों को 30 दिन का समय और मिल जाएगा। यह गारन्टी कहां है कि 30 दिन की अवधि और मिलने पर पुलिस अधिकारी यह तर्क नहीं देगे कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है? इस संशोधन से यह दोष दूर नहीं होता। या इसे नाद में दूर किया जा सकता है। केवल अवधि बढ़ा देना ही संतोष की बात नहीं है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि 60 से 90 दिन करना अच्छा है। परन्तु जब तक पुलिस अधिकारी को 90 दिन में जांच पूरी कर लेने के लिए कानून नहीं बनाया जाता, तब तक 90 दिन की अवधि करने से कोई लाभ नहीं।

खंड 13 (ख) में कतिपय आपत्तिजनक बातें कहीं गई हैं। 1973 के मूल अधिनियम के पृष्ठ 55, धारा 167 (ख) में यह कहा गया है :--

> "कोई भी मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन नजरबन्दी को तब तक प्राधिकृत नहीं कर सकता जब तक दोषी को उसके समक्ष पेश न किया जाय"

अब मंत्री महोदय का कहना है कि वह इसमें संशोधन करना चाहते है। मंत्री महोदय का कहना है कि यदि दोषी को पेश नहीं किया जाता, तो उसके लिए लिखित कारण ही पर्याप्त हैं। यह न्याय की उपेक्षा करना होगा। दोषी को यह अधिकार है कि उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए अन्यथा पुलिस अपराधी को डराएगी, धमकाएगी और परेशान करेगी। उस समय तक हमें यह पता नहीं होता कि वह वास्तविक अपराधी है या नहीं। अतः उप-धारा (ख) में इस प्रकार से संशोधन किया जाए कि उसे न्याय के मूल अधिकार से वंचित न किया जाए।

न्यायालयों में काम करने वालों के वास्तविक अनुभव को भी ध्यान में रखा जाए। एक नया संशोधन पेश किया जाए जिसमें न केवल न्यायालयों में काम करने वालों बल्कि प्रशासन के अनुभव पर भी विचार किया जाए। ऐसा भी सुनने में आया हैं कि न्यायालय के निम्नस्तरों पर तथा पुलिस प्रशासन में राजनीतिक प्रभाव व्याप्त है। हमें इन तथ्यों से इनकार नहीं करना चाहिए। माननीय मंत्री एसा संशोधन लाए जिससे न्यायपालिका तथा पुलिस प्रशासन में राजनीतिक

[प्रो० पी०जी० मावलंकर]

प्रस्ताव को दूर नहीं तो कम किया जा सके । हम जो भी करे वह न्याय सिद्धान्तों एवं प्रशासन के मूल सिद्धान्तों के अनुरूप होना चाहिए । यदि ऐसा किया जाए तो मेरा विश्वास है कि कानून तथा इसका क्रियान्वयन नागरिकों को न्याय दिलाने में लाभकारी होगा ।

श्री विनायक प्रसाद यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री मावलंकर क साथ सहमत हूं कि कम से कम सी० आर० पी० सी० और आई० पी० सी० जैसे कानूनों में इतनी जल्दी जल्दी चेंज नहीं होना चाहिए । 1887–88 में अंग्रेज ने सी० आर० पी० सी० बनाया था, और 1974 तक उसमें कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई । 1974 में एक नया सी० आर० पी०सी० बनाया गया, और उसके चार साल के अन्दर मिनिस्टर साहब एक और एमेंडिंग बिल ले आये हैं । इतने मौलिक कानून में इतनी जल्दी एमेंडमेंट लाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसपर हमें गंभीरता सें विचार करना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, कल आपने यह रिमार्क किया था कि मेरे एमेंडमेंट खाली पब्लिक ओपीनियन एलिसित करने के लिए होते हैं। दूसरे बिलों के बारे में मेरे इस प्रकार के एमेंडमेंट अनुपयुक्त हो सकते हैं, लेकिन मंत्री महोदय सी० आर० पी० सी० में जो एमेंडमेंट लाये हैं, उसको निश्चित रूप से या तो जायंट सिलेक्ट कमेटी में भेजना चाहिए या इसको जनता की राय प्राप्त करने के लिए सर्कुलेट करना चाहिए कि जो एमेंडमेंट लाया जा रहा है, वही काफी है, या इसमें और किसी संशोधन की भी जरूरत है ।

इस बिल में सेक्शन 107 में संशोधन किया गया है। 1974 के सी० आर० पी० सी० में यह प्रावधान था कि जिन पर सेक्शन 107 लगाया जायेगा, उन्हें ज़मानत नहीं देनी पड़ेगी, वे पर्सनल बांड देने पर रिलीज़ कर दिये जायेंगे । अब मंत्री महोदय कह रहे है कि वह जो संशोधन किया गया था, वह ग़लत हुआ, और पहले की व्यवस्था होनी चाहिए । सवाल यह है कि सैक्शन 107 किन लोगों पर लगाया जाता है। गांवों में ज़मीन-मालिक 107 चलाते हैं पट्टेदारों और मज़दूरों पर, और शहरों में कारखानों के मालिक चलाते हैं अपने मज़दूरों पर। फिर अफसर 107 चलाते हैं गांवों में जो अफसर को घूसखोरी का विरोध करता है उस पर । मैं अपने यहां की बात आप से निवेदन करना चाहता हूं । 20—25 दिन पहले मैं अपने क्षेत्र में गया था । हमारे यहां चकबन्दी का प्रोसेस चल रहा है । चकबन्दी में व्यापक पैमाने पर घुस-खोरी चकबन्दी अफसर कर रहे हैं। कुछ किसानों ने विरोध किया कि घूसखोरी इतनी नहीं होनी चाहिए, जनता का राज है । आप को सुन कर आश्चर्य होगा कि जिन लोगों ने विरोध किया, गांव के लगभग 100 ऐसे आदमियों पर चकबन्दी पदाधिकारी ने 107 का मुकदमा कर दिया और उन को जेल में भेज दिया । अभी तक यह प्राविजन है बांड देने पर लोग निकल जाएंगे । अब मिनिस्टर साहब कहते हैं कि आप को दो जमानत भी देनी पड़ेगी । ज़मानत कोर्ट में कैसें ली जा रही है ? कोर्ट में जब जमानतदार का प्रश्न आता है तो जो मैजिस्ट्रेट ज़मानत लेते हैं वह कहते हैं कि जमानतदार के पास जमीन है या नहीं और जमीन है तो अप-टु-डेट मालगुजारी की रसीद कटाई है या नहीं ? मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जब गांव के गरीब पर जमीन-मालिक मुकदमा चलाता है 107 का तो गांव के गरीब लोग तो बिना जमीन के होते हैं और गरीब लोगों की जमानत लेने के लिए कोई जमीन मालिक तैयार नहीं होता । इस का मतलब होगा कि गांव का जो बटाईदार है या कारखाने का जो मजदूर है वह जेल में सड़ता रहेगा। उस को कोई जमीन वाला जमानतदार नहीं मिलेगा और वह जेल से नहीं निकल सकेगा । तो एक तो इतना अनुचित अमेंडमेंट यह लाया जा रहा है ।

इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आप ही तो हम लोगों को सिखाते थे कि 107, 109 और 110 सी० आर० पी० सी० की गुंडा दफाएं हैं । बदमाशों से निपटने के लिए ये दफाएं ही बदमाश हैं । आप भी ऐसा ही कहते थे । आज तो जरूरत इस बात की है कि सी०आर० पी० सी० में से 107, 109 और 110 दफाएं खत्म कर दी जाय । 109 किसी पर चलाया जाता है ? 109 और 110 तब चलाया जाता है जब कोई नौजवान शहर में घूमता रहे और उस से पुलिस पूछे कि तुम्हारी रोज़ी-रोटी का क्या ठिकाना है, वह रोजी रोटी का एक्सप्लेनेशन न दे सके तो फिर उस को पुलिस जेल में बन्द कर देती है। जिस देश में सैकड़ा पीछे 60 आदमी गरीबी रेखा के नीचे हों, 10 करोड़ नौजवान जहां बेकार हों, जिन की रोज़ी रोटी का कोई साधन न हो, उस देश के स्टेच्यूट बुक पर 107, 109 और 110 जैसी गुंडा दफाएं एक मिनट भी नहीं रहनी चाहिएं । इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस अमेंड-मेंट बिल को स्थगित कर के इसे पब्लिक ओपिनियन के लिए भेजना चाहिए और नहीं तो फिर गंभीरता से सोच कर के एक काम्प्रीहेंसिव अमेंडमेंट बिल इस के लिए वह लावें जिस में 107, 109 और 110 न हो ताकि गरीब का जो शोषण होता है और अफसरों के जुर्म के खिलाफ जो कार्यकर्ता बोलता है उस को जेल की हवा खिलायी जाती है, ऐसा कोई मौका न हो, इस तरह का अमेंडमेंट उसमें लाना चाहिए ।

सेक्शन 167 में भी संशोधन लाया जा रहा है। अभी जो नया सी० आर० पी० सी० बना था उस में था कि 60 दिन के अंदर किसी काग्निजेबल आफेंस का इन्वेस्टिगेशन पुलिस खत्म न करे तो वह जेल से निकल जायगा। अब मिनिस्टर साहब को चार वर्ष के बाद ही अनुभव होने लगा है, इन के पुलिस अफसरों ने रिपोर्ट दी है कि हम 60 दिन में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते हैं, इसलिए 90 दिन तक हमें जेल में रखने का मौका दिया जाय। जो एमर्जेन्सी में जेल गए हैं वह जानते हैं कि आज हिन्दुस्तान की कोई ऐसी जेल नहीं है जो ओवर-क्राउडेड न हो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स से। तो एक तरफ तो जरूरत है कि जेलों में ओवर क्राउडिंग न हो, उस के लिए जेल तो और हमारे मिनिस्टर साहब बना नहीं सकते हैं क्योंकि पैसे की कमी है लेकिन ओवर क्राउडिंग न हो उस के लिए तो इंतजाम कर सकते हैं। मगर ओवर क्राउडिंग कैसे और हो ऐसा अमेंडमेंट सी० आर० पी० सी० में करने जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो 90 दिन का प्राविजन है कि 90 दिन तक उसे जेल में सड़ाया जाय, यह अनुचित है, गैर-कानूनी है और इसे किसी भी हालत में मिनिस्टर साहब को नहीं लाना चाहिए। यदि यह मालूम पड़े कि 90 दिन का समय पुलिस अफसर, इंवेस्टिगेटिंग अफसर के लिए कम है तो पुलिस अफसरों की, इंवेस्टिगेटिंग अफसरों की संख्या बढ़ानी चाहिए। जनता को अननेसेसरी जेल में सड़ाने का आपको कोई अधिकार नहीं है।

अभी एक यह प्राविजन है कि दफा 107 या किसी और दफा में किसी के पास अगर जमानतदार नहीं है तो मेट्रोपोलिटन जुडिशल मैजिस्ट्रेट या जुडिशल मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि उसको वे छोड़ दें लेकिन अब आप कहते हैं कि केवल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ही यह अधिकार दिया जाये। यदि कोई जमानतदार पेश नहीं करता है और जेल में बन्द है तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही उसको छोड़ सकेगा। आज बी डी ओ या कोई दूसरा अफसर घुसखोरी करता है, तो उसके खिलाफ पोलिटिकल पार्टी के लोग बोलते हैं, उसका विरोध करते हैं तो दफा 107 उन पर आयद कर दी जाती है और उनको जमानतदार नहीं मिलता है और यह मामला जुडिशल मैजिस्ट्रेट की नजर में आता है तो वे उनको छोड़ देते हैं। अब यह कहते हैं कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट नहीं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ही यह अधिकार दिया जाये कि जमानतदार न पेश करने पर उसको छोड़ा जा सकता है या नहीं। अब बी डी ओ के खिलाफ कोई अदालत में जायेगा तो क्या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसको छोड़ सकता है ? इसलिए मैं समझता हूं यह बिल्कुल गलत अमेन्डमेन्ट है। मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से तथा आपसे भी निवेदन करता हूं कि इतनी जल्दी में जो यह अमेन्डमेन्ट लाया जा रहा है इसके लिए सरकार को कुछ टाइम लेना चाहिए। 1974 के क्रीमिनल प्रोसीजर कोड पर थोड़ा और अनुभव प्राप्त करके तथा जनता और वकीलों की राय जानकर यहां पर अमेन्डमेन्ट बिल लाया जाना चाहिए। अभी इस बिल को पास करने की कोई जरूरत नहीं है। इन शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए मैं समाप्त करता हूं।

***श्री ए० अशोकराज** (पेरुमबलूर) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता के बारे में विधेयक सभी पहलूओं के गहन अध्ययन के बाद पेश किया जाना चाहिए था। कानून बनाते समय इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया कि कानूनी प्रावधान जब वे क्रियान्वित किए जाएं, लोगों का भला करेंगे। यह विधेयक जल्दबाजी में बनाया तथा पेश किया गया।

मैं विशेष न्यायालयों की स्थापना के बारे में कहना चाहता हूं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि विशेष न्यायालय क्यों स्थापित किए जा रहे हैं ? मंत्री महोदय इस प्रावधान को पूरी तरह स्पष्ट करें। इस विधेयक के क्रियान्वयन में राजनीतिक हस्तक्षेप की आशंका है। मंत्री महोदय इसके लिए पहले से ही सुरक्षोपाय कर लें।

हमारे देश में 70% लोग अशिक्षित हैं और ये लोग प्रायः पुलिस के उत्साह के शिकार होते हैं। इस विधेयक से पुलिस को अधिक-शक्तियां प्राप्त होती हैं। सम्भावना यह है कि पुलिस अधिक शक्तियां पाकर उनका दुरुपयोग करेगी। जनता पार्टी के नेता आपात स्थिति के अपने अनुभवों के बारे में प्रायः बताते रहते हैं। अतः मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि वे इस प्रकार का कानून न बनाएँ।

विधेयक का मूल उद्देश्य कानून-प्रिय नागरिकों को शांति से रहने देना है। मेरा सुझाव है कि सारे देश में विधि सेवा खोले जाएं ताकि लोग कानून के अनिवार्य उपबन्धों का लाभ उठा सकें। केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह देश के आम लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह की सुविधा दें और यदि यह सम्भव नहीं हो तो सरकार तमिलनाडु जैसे राज्यों को वित्तीय सहायता दे क्योंकि यह राज्य गरीब लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह दे रहा है।

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री ए० अशोकराज]

यह बात आम तौर पर कही जाती है कि मुकदमे बाज़े सालों साल चलती है और मुकदमेबाज निर्णय से पूर्व ही कंगले हो जाते हैं । देर से न्याय मिलना न्याय न मिलना है । यह आम कहावत है । मामले के निपटान के लिए निर्धारित अवधि होनी चाहिए । कानून भी इतने जटिल नहीं होने चाहिए कि मामले लम्बे समय तक चलते रहें ।

हिन्दी को गलत ढंग से लागू करने का प्रयत्न किया जा रहा है । केन्द्र अपने प्रत्येक कानून का उपयोग हिन्दी लादने के लिए कर रही है । इस विधेयक में विशेष की कोई आवश्यकता नहीं है । मैं इस खण्ड का अपनी पार्टी की ओर से खण्डन करता हूँ क्योंकि इसके द्वारा हिन्दी लादी जा रही है । भाषा स्वतः सीखी जाती है दबाव डालकर नहीं । केन्द्र अंग्रेजी को देश से निकाल बाहर फेकने का प्रयत्न कर रहा है । परन्तु विधेयक में यह विरोधाभास है कि साक्ष्य अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में लिए जा सकते हैं । मैं इसका स्वागत करता हूं । परन्तु खण्ड 21 के द्वारा हिन्दी न लादी जाए । इस खण्ड का लोप कर दिया जाए ।

सरकारी वकील और अतिरिक्त वकील की नियुक्ति जिलाधीश और सेशन जज् की सिफारिश से न की जाए, क्योंकि वे भी आखिर मनुष्य है और पक्षपात कर सकते हैं । इसके लिए हमें न्यायपालिका विशेषज्ञों की एक तालिका बनानी चाहिए जो इस पद के लिए अनुभवी लोगों का सुझाव दे । मंत्री महोदय इस पर विचार कर विधेयक में यथोचित परिवर्तन करें । भारतीय दण्ड संहिता, दंण्ड प्रक्रिया संहिता आदि कानून नाम मात्र से लोगों के मन में भय पैदा करते हैं । सरकार इन कानूनों के कल्याणकारी उपबन्धों को जनता को बताने के लिए विधि कक्षों की स्थापना करे ।

श्री बं० सं० काम्बले (बम्बई दक्षिण-मध्य) : जहाँ तक खण्ड 3 का सम्बन्ध है विशेष अदालतों का गठन किस प्रकार होगा । क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में स्थानीय क्षेत्र की व्याख्या बड़ी गलत की गई है । केवल खण्ड 3 में उल्लिखित अदालतों का ही वहाँ क्षेत्राधिकार होगा ।

मान लीजिए कि एक व्यक्ति जिस पर इस अदालत में मुकदमा चल रहा है, यह प्रार्थना करता है कि यह अदालत पक्षपात रहित नहीं है और इसलिए मेरा मुकदमा यहाँ से स्थानान्तरित कर दिया जाए । तब आप क्या करेंगे ? इस प्रकार हमारे सामने अनेक कठिनाइयां आएंगी ।

मामलों के प्रकार के सम्बन्ध में क्या उच्च न्यायालय से परामर्श किया जाएगा । खण्ड 3 में ऐसी व्यवस्था है । मैं जानना चाहता हूँ कि परामर्श से सरकार का क्या अर्थ है ? क्या इसका अर्थ यह है कि उच्च न्यायालय का चाहे कोई भी मत हो सरकार अपनी इच्छानुसार कदम उठाएगी । इसे स्पष्ट किया जाए ।

जहाँ तक खण्ड 8 का सम्बन्ध हैं केन्द्र, या राज्य सरकार राज्य न्यायपालिका में हस्तक्षेप न करे । आप जिला स्तर पर सरकारी वकील की नियुक्ति क्यों करना चाहते हैं ? जहाँ तक उच्च न्यायालय का सम्बन्ध है सरकारी वकील की नियुक्ति समझ में आती है । परन्तु राज्य अथवा केन्द्र की अपनी न्यायापालिका है विधान सभा कार्यपालिका आदि है, इसलिए जिला स्तर पर, आप नियुक्ति न करें ।

एक अपराधी को न्यायालय के सामने पेश किए जाने का एक सर्वमान्य सिद्धांत है । आपातकाल के दौरान इसे स्थगित कर दिया गया था और मैं इसके लिए लड़ने वालों में से एक था । हमारे दल ने इसे स्थगित न किए जाने का सुझाव दिया था । एक अपराधी को हर हालत में अदालत में पेश किया जाए । यदि यह उपबन्ध पारित किया जाता है तो पुलिस अपराधी को यातना देकर उससे अदालत के सामने पेश न किए जाने का कारण लिखा सकती है । अतः यह व्यवस्था बड़ी भयानक होगी इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसे पूर्णतः लुप्त कर दिया जाए और आपात स्थिति के समान उपबन्ध न बनाए ।

एक स्त्री द्वारा अपने स्थायी निवास स्थान पर शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था किए जाने का स्वागत है । परन्तु मंत्री महोदय मुफ्त कानूनी सहायता देने की व्यवस्था करने के लिए इस अवसर का उपयोग नहीं किया । मैं चाहता हूँ कि इसका उपबन्ध करने का मंत्री महोदय आश्वासन दें ।

श्री पवित्र मोहन प्रधान (देवगढ़) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि इसमें मंत्री महोदय ने कुछ ऐसे संशोधन पेश किए हैं जिनकी मांग यह सदन और अनेक राजनीतिक दल करते आ रहे हैं । भारतीय दंड संहिता मैकले ने बनाई थी । जो रोमन विधि के आधार पर थी । फिर रोमन विधि उस समाज के लिए बनाई गई थी जिसमें 5–7 प्रतिशत ही अपराधी थे । नगरों और कस्बों के लिए बनाया गया रोमन कानून भारत भर कानून बना दिया गया जिसकी 80 प्रतिशत

जनता गिरी हुई है, 10 प्रतिशत मध्यम और शेष 10 प्रतिशत अच्छी। ऐसा विधान भारत के लिए सर्वथा अनुपूरक है। अतः मेरा सुझाव है कि इस विधेयक को तो पास कर दिया जाए परन्तु भारतीय समाज के उपयुक्त एक व्यापक विधेयक लाया जाए ।

एक सदस्य ने यह बात उठाई थी कि राज्य और केन्द्र के लिए भिन्न प्रकार के सरकारी वकील होने से विभाग और मामलों में असमानता पैदा हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। सरकार दोहरी सरकारी वकील व्यवस्था क्यों रखना चाहती है? इसका कारण है कि ऐसा करने से राज्यों द्वारा जहाँ विभिन्न दलों की सरकार होती है, किसी प्रकार का अन्याय होने की सम्भावना नहीं रहेगी। क्योंकि मामले की फिर से जांच हो सकेगी। इस प्रकार यह व्यवस्था एक ओर न्यायपालिका की स्वतंत्रता और दूसरी ओर लोगों को न्याय देने के लिए बहुत ही अच्छी होगी।

यह कहा गया है कि यह विधेयक सत्ताधारि दल अपनी बुरी नियत से लाया है। ऐसा कह कर सदस्य ने सरकार के साथ अन्याय किया है क्योंकि वह इस विधेयक को सद्इच्छा से लाई है।

भारतीय दंड संहिता में यह कमी है कि सरकारी वकील सालों तक गवाहों को पेश नहीं करता और इससे दूसरे पक्ष को अकथनीय कठिनाई होती है। सरकारी वकील को तो पहली को वेतन मिल जाता है इसलिए वह परवाह नहीं करता। यह एक दयनीय स्थिति है कि 30 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद भी किसी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया।

कुछ और भी कमियां हैं। उड़ीसा में सौतेले भाइयों और मां को एक आदमी खुले आम दिन में मार दिया। सबने इसे देखा परन्तु कुछ प्रक्रिया सम्बन्धी कमी कारण लाखों खर्च कर अपराधी साफ छूट गया। और लोगों ने न्यायपालिका को गालियां दी कि 6-7 आदमियों को मार कर भी वह छोड दिया गया। विधेयक में ऐसी कुछ कमियां हैं। अतः इस मैकाले के अधिनियम में परिवर्तन किए जाएं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ :

उपाध्यक्ष महोदय : कार्य सूची के अनुसार अब हमें बाढ़ों पर चर्चा करनी चाहिए। हमारे पास कुल 25 मिनट है और सदन 4.30 बजे स्थगित करना होगा।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रिवा) : इसके लिए समय बढ़ाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः मेरा सुझाव है कि हम इस विधेयक पर चर्चा जारी रखें। मंत्री महोदय कितना समय लेंगे।

श्री एस० डी० पाटिल : 20 मिनट ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक पर चर्चा समाप्त कर हम बाढ़ों की चर्चा को लेंगे।

चौधरी बलवीर सिंह (होशियारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जब यह बिल हाउस में आया, तो मैंने समझा कि यह इन्दिरा गांधी का बिल आ गया है। मैंने कोई मज़ाक की बात नहीं कही है। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी डा० राम मनोहर लोहिया के साथ रहे हैं। सब से पहले उन्होंने यह आवाज उठाई थी कि सेक्शन 107 और 151 को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से निकाल देना चाहिए। 1974 में इसमें थोड़ी सी तरमीम की गई कि शोर्टी, ज़मानत, नहीं होगी, सिर्फ पिचुलका, पर्सनल बांड, हो जायेगा। उसके बाद इमर्जेन्सी लग गई। उसके दौरान सारे हिन्दुस्तान में बहुत ज्यादा तादाद में लोग सेक्शन 107 और 151 में पकड़े गये। मेरे पास फ़िगर्ज़ नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि पंजाब में जितने आदमी पकड़े गये, वे सब सेक्शन 107 और 151 में पकड़े गये। उस वक्त के कानून के मुताबिक जो आदमी पकड़े गये थे, उन्हें पर्सनल बांड पर छोड़ देना चाहिए था, लेकिन कोर्ट्स ने वह कानून होने के बावजूद कहा कि नहीं शोर्टी चाहिए, पचासपचास हज़ार रुपये की दो तीन शोर्टीज होने पर रिलीज़ किया जायेगा। आप अन्दाज़ा लगाईये कि कानन कहता है कि जोभी आदमी सेक्शन 107 और 151 में पकड़ा जायेगा, उसके लिए शोर्टी की ज़रूरत नहीं, है उससे सिर्फ पर्सनल बांड पर छोड़ दिया जायेगा, लेकिन इसके बावजूद पंजाब में जितने भी आदमी पकड़े गये, एक्सीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने उनसे शोर्टी डिमांड की।

मैंने जेल से हाई कोर्ट को लिखकर भेजा कि इस कानून पर किस ढंग से अंमल किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने मुझे रिलीज़ कर दिया और मेरे खिलाफ़ प्रोसीडिंग्ज़ को पेश कर दिया। वह आर्डर एक हफ्ते के बाद पहुंचा। आप अन्दाज़ा लगाईये कि हाई कोर्ट का आर्डर आ जाये और वह आर्डर न पहुंच सके। और वह आर्डर पहुंचने पर भी मुझे रिलीज़ नहीं किया गया : मुझे गेट के बाहर पकड़ लिया गया, और एक दूसरे थाने में ले जाया गया और काग़ज़ात में शो किया गया कि मुझे छोड़ दिया गया है। लेकिन मुझे मीसा में दोबारा पकड़ लिया गया।

[श्री एन० के० शेजवलकर पीठासीन हुए।]

[चौधरी बलवीर सिंह]

मेरा केस चंडीगढ़ हाई कोर्ट के रिकार्डिड केसिस मे दर्ज है । हाई कोर्ट का फैसला होने के बाद भी जितने आदमी सैक्शन 107 और 151 में पकड़े गये थे, जिन्हें गवर्नमेंट को जेल में रख ने का हक नहीं था, जिन्हें पर्सनल बांड पर छोड़ देना चाहिए था, उनमें से एक आदमी को भी नहीं छोड़ा गया, और पर्सनल बांड के बजाय उन की श्योरटी की प्रोसीडिंग्स लगातार हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी चलती रही हैं । आप को पता होगा कि 1940 में जब महात्मा गांधी ने इंडिविजुअल सिविल डिसओबिडिएंस मूवमेंट चलाया था, उसमें पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे । जब बहुत से लोग गिरफ्तार हो गए तो एक केस यह हाई कोर्ट में चला गया । वहां कहा कि इस आदमी ने लिख कर दिया था कि मैं सत्याग्रह करुंगा लेकिन इसने सत्याग्रह तो किया नहीं, गवर्नमेंट ने इसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया । अब हाई कोर्ट में उस केस का फैसला हुआ और हाई कोर्ट ने कहा कि एक आदमी ने लिखकर देता है कि मैं सत्याग्रह करुंगा, वह कल को नहीं करता है तो जब तक वह सत्याग्रह न करे तब तक उस को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता । इस तरह से जो लोग पकड़े गए हैं वह, नाजायज है । यह अंग्रेज का राज था । अंग्रेज के राज में एक हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया और सारे हिन्दुस्तान में जितने सत्याग्रही उस मुवमेंट में पकड़े गए थे वह सब के सब रिलीज कर दिए गए । यहां पंजाब की हाई कोर्ट रूलिंग देती है । उस के बाद नाभा जेल में हाई कोर्ट के जज आए । उनके सामने कहा कि यह केस है, इस पर हाई कोर्ट की जजमेंट हो चुकी है और मेरे अपने केस में जजमेंट हुई है, इस के बाद भी जेलों में 107 और 157 के केसेज़ पड़े हुए हैं और हजारों की तादाद में पड़े हुए हैं । उन्होंने कहा कि हम जा कर देखेंगे । नौ नौ महीने और साल साल भर के केसेज़ पड़े हुए थे हालांकि 6 महीने से ज्यादा रख ही नहीं सकते इस कानून के अंदर । अगर कोई जमानत नहीं मिलती है तो वह डिटेंशन में 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता । लेकिन एग्ज़ीक्यटिव के किसी आफिसर ने इस का कोई नोटिस नहीं लिया । तो यह कानून जब मौजद था तब सरकार ने या एग्जीक्यूटिव ने उस की कोई परवाह नहीं की । आप पेश करने की बात कहते हैं । मुझे फिरोजपुर से जालंधर लाया गया अदालत में पेश करने के बजाय जब कि जालंधर जेल में ही प्रोसीडिंग्स थीं । रास्ते में मोटर खराब हो गई । लेट हो गए । मैजिस्ट्रेट साहब जिन के आगे केस था वह इंतजार कर के चले गए और उन्होंने अपना आर्डर लिख दिया कि मुझे पेश किया गया और तारीख दी गई । डाकूमेंट्री एविडेंस है कि मजिस्ट्रेट वक्त से पहले चले गए, मुझे पेश नहीं किया गया लेकिन उस के बावजूद भी मैजिस्ट्रेट ने फाइल पर लिख दिया कि मुझे पेश किया गया और मैंने तारीख दे दी । यह कानून मौजूद होने पर इस कानून की इस तरह से धज्जियां उड़ती है तब जब आपने यह फैसला कह दिया कि मूलजिम पेश नहीं होगा, तब क्या हाल होगा? आज भी आप इन्क्वायरी करें तो बेशुमार केसेज में मुलजिमो को पेश किए बगैर, अदालत के अंदर उन को लाए बगैर तारीख डलवा ली जाती है । मार पीट कर के जिस की हालत खराब कर दिए होते हैं उस को पेश नहीं किया जाता और यह कह कर कि यह मुलज़िम पेश हो चुका, इस की तारीख डाल दी जाय, तारीख डलवा लेते हैं । इस तरह के एक नही हजारो केसेज हैं । रिसेंटली दो तीन केसज में जहां पुलिस ने गलत तरीके से लोगों को बन्द कर रखा था, हम ने हाईकोर्ट में जा कर कहा, और वहां मौके पर हाई कोर्ट का जो आदमी मुकर्रर किया गया उस को ले गए, वहां पूलिस कस्टडी में वह आदमी पाए गए और फिर वाकायदा मुकदमा चला । तो इस ढंग से जब चल रहा है तो आप कानून को फिर उसी पुरानी लाइन पर लाना चाहते हैं जिस के खिलाफ हम ने अंग्रेजों के राज में लगातार लड़ाई लड़ी और इंदिरा गांधी या उस से पहले लाल बहादुर शास्त्री और पंडित नेहरू के राज में, पिछले तीस साल लगातार हम ने लड़ाई लड़ी कि यह 107 और 151, ये दफाएं के नाम पर धब्बे हैं और किसी को इन के अंदर गिरफ्तार न किया जाय । होता कौन है गिरफ्तार ? जो गरीब आदमी है वह पुलिस में रिपोर्ट करने जाता है तो बजाय इस के कि उस की रिपोर्ट के आधार पर उस बड़े आदमी के खिलाफ ऐक्शन लिया जाय, वह कहते हैं कि अच्छा चलो, ठीक है, हम दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं । जो रिपोर्ट करने गया उसको ही वे गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर कल को प्रेशर डालते हैं कि तुम अपनी कम्पलेंट वापस करो, नहीं तो यह मुकदमा चलेगा । तो मैं तो समझता था कि आप यह अमेंडमेंट ला रहे हैं और हों तो बड़ी खुशी हुई थी, जिस दिन ला मिनिस्टर, श्री शांति भूषण ने इस सदन में कहा था कि हम जल्दी से जल्दी साल भर में, ऐसा कानून ला रहे हैं कि तीन महीने के अन्दर लोअर कोर्टस् में, 6 महीने में सेशन्स कोर्ट में और एक साल में हाई कोर्ट में हर मुकदमें का फैसला हो जायेगा तब हम समझते थे कि कोर्टस में जो तमाम मुकदमें पेंडिंग में उनका फैसला जल्दी हो सकेगा । ला मिनिस्टर ने इसी हाउस में यह एश्योरेंस दी थी, इस बात का एलान किया था और तब हमने तालियां बजाई थी । हमने सोचा था कि जनता पार्टी अपना वायदा पूरा करने के लिए, कि इंसाफ जल्दी मिलना चाहिए कदम उठा रही है । अगर इंसाफ जल्दी नही मिलता है तो इंसाफ का कोई मतलब नहीं रह जाता है । मेरी अपनी नोटिस में ऐसे केसेज हैं । एक आदमी का केस आज भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में पड़ा हुआ है । एक फौजी अफसर हैं, वे बेचारे जीत भी गए हैं, उनको पैसा मिलना है, लेकिन आज दस साल

से ऊपर हो चुका है उनका केस पेंडिंग है। जिस आदमी को पैसा मिलना है वह बूढा है उसके मरने के बाद अगर उसके बच्चों को पैसा मिला तो उसका क्या फायदा होगा क्योंकि वह खुद उस पैसा को इस्तेमाल नही कर सकेगा ? अगर आप चाहते हैं कि लोगों को सस्ता इंसाफ मिले, जल्दी इंसाफ मिले, उसमें कोई रुकावट न हो, गरीब आदमी को बिना पैसा खर्च किए ठीक समय पर इंसाफ मिले और सरकार उसके लिए पैसे का इंतजाम करे तो इस किस्म का अगर कोई कानून आता उसके लिए हम मुबारकबात देते और पब्लिक में जाकर छाती बजाकर उसको कह सकते। जनता पार्टी ने इमरजेन्सी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और लोगों को आजाद किया--यह बात हम लोगों में कहते हैं लेकिन आज आप वहीं चीजें दूसरी शक्ल में लाना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी ढंग से गड़बड़ करता है तो उसके लिए आप खास कदम उठा सकते हैं, आपने स्पेशल कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया है लेकिन सारे केसेज के लिए स्पेशल कोर्ट नहीं चाहिए। जिन्होंने देश के कानून का सत्यानाश किया है, संविधान का सत्यानाश किया है और जिन्होंने देश में एनार्की फैला दी थी उनके खिलाफ आप कोई कानून लाते तो सारा मुल्क और यह हाउस आपके साथ होता लेकिन उनको पकड़ने की आपने कोई बात नहीं की है।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

चौधरी बलवीर सिंह : श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा है कि मैंने एक हुकुम से हजारों आदमी अन्दर कर दिए थे लेकिन यह सरकार पौने दो साल में एक को भी अन्दर नहीं कर सकीं। वे बड़े जोरदार लफ्जों में कह रही हैं फिर कहां है आपका कानून ? अभी कल बिहार में आपके मिनिस्टर पकड़े गए, उनको मारा गया, मेम्बर पार्लमेन्ट को मारा गया जबकि सेन्टर में आपकी हुकूमत है और बिहार में आपकी हुकूमत है। यह कितने शर्म की बात है कि बावजूद आपकी हुकूमत होने के वहां के अफसर आपके मिनिस्टर को मारने में गुरेज नहीं करते। होशियारपुर में मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं रूलिंग पार्टी का मेंम्बर था, दफ्तर में जाने की बात थी, लाठीचार्ज हुआ, मेरे ऊपर लाठियां बरसाई गई। अंग्रेजों के राज में भी ऐसा करने की जुर्रत नही थी। लेकिन अब जनता पार्टी के राज में रूलिंग पार्टी के आदमियों के खिलाफ भी लाठियां चलती हैं जोकि कानून को कायम रखने में मदद देते हैं। **(व्यवधान)** एक साल हो गया है, पंजाब सरकार ने आश्वासन दिया था कि इंक्वायरी करेंगे लेकिन कोई इंक्वायरी नही हो रही है। जिन अफसरों ने यह गुण्डागर्दी की थी, जुलूस निकाल कर गये, मैंने श्री मोरारजी देसाई को उन के फोटो दिखलाये और कहा कि इन के खिलाफ़ कार्यवाही होनी चाहिये। पंजाब सरकार ने कहा कि एक एन्क्वायरी आफिसर मुकर्रिर करेंगे--लेकिन क्या हुआ। वे लोग जो जलूस निकाल कर जाते हैं, जिन की फोटोज मौजूद हैं, उनके लिये हमारे यहां कोड-आफ-कण्डक्ट है--फिर भी किसी को अंगुली तक नही लगाई गई।

मैं मंत्री जी से यही कहना चाहता हूं--बराये मेहरबानी, आप प्रेक्टीकल शक्ल से देखने की कोशिश करें। अगर एमर्जेन्सी में आप को हाथ नही लगा, आप बचे रहे, तो जिन को हाथ लगा है, उन से ही पूछ लीजिये कि क्या-क्या हुआ था। मुझे लेकर अदालत में पेश करने के लिये गये--मैंने वहां पर दरख़्वास्त दी, गर्मी के दिन हैं, मुझे 6 घन्टे हो गये हैं, अभी तक पीने को पानी भी नही दिया गया। हमारे साथ जो सिक्योरिटी आफिसर आये थे, उन का अदालत में बयान है--उन्होंने कहा कि हम को यह हुक्म हुआ है कि इन को लेकर जाइये, इन को कोई पानी या खाना नहीं देना है, वहां पेश कर के फिर वापस लेकर आइये। मेरे दरख़्वास्त देने के बाद जब अदालत ने उस से पूछा तो उस ने यह बयान दिया लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। जनता पार्टी की सरकार के जमाने में भी वे लोग उसी तरह से दन-दनाते फिर रहे हैं। बिहार में जो कुछ हुआ है, वह आंखें खोलनेवाला है। मिनिस्टर साहब, उन के लिये कानून बनाइये, जो आप के कानून की मिट्टी-पलीद कर रहे हैं। इन सरकारी अफसरों पर अगर आप का डण्डा नहीं होगा तो गरीब आदमी को कैसे इन्साफ मिलेगा।

इन शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देता हूं--आप ने मुझे इस मसले पर अपने विचार रखने का मौका दिया।

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नागिरी) : मैंने पिछले सप्ताह में कुछ संशोधन प्रस्तुत किये थे। परन्तु यह संशोधन व्यपगत हो गये हैं क्योंकि मैंने उन्हें पुनः प्रस्तुत नही किया था। मैंने उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन किया था, और उन्होंने मुझे इस पर बोलने की अनुमति दे दी थी। मैं अभी बोलना चाहूंगा।

सभापति महोदय : ठीक है।

श्री बापू साहिब परुलेकर : मंत्री महोदय द्वारा जो विधेयक पुरःस्थापित किया गया है, मैं उससे सहमत हूं। परन्तु इसके साथ ही मैं कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

[श्री बापू साहिब परुलेकर]

खण्ड 10 में, धारा 102 के अन्तर्गत एक नये संशोधन के रूप में उपधारा (3) जोड़ने के लिए व्यवस्था की गई है। इस का सम्बन्ध जांच के दौरान पुलिस के द्वारा कब्जे में ली गयी वस्तुओं से है । मेरे विचारानुसार इस खण्ड का प्रारूप तैयार करते समय इस पर सही ढंग से विचार नही किया गया है क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि यदि जांच के दौरान ऐसे वस्तुएं कब्जे में की गई है, जिन्हें आसानी से न्यायालय तक नही पहुंचाया जा सकता, तो ऐसी वस्तुओं को व्यक्ति के सुपुर्द किया जा सकता है । मैं कोई व्यक्ति शब्द के औचित्य को नही समझ सका हूं। इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि यदि कोई इंन्सपेक्टर निषिध वस्तुयें ले जा रही कोई किसी कार को कब्जे में कर लेता है, तो उसे वह कार उस व्यक्ति को देने के वापिस करने की जरूरत नही है, विधेयक के अनुसार उसे यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह कार चाहे तो जिला पुलिस अधीक्षक को दे सकता है या किसी सब-इंस्पेक्टर को दे सकता है । इसी प्रकार का उपबन्ध धारा 517 में किया गया है । उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या यह की है कि कब्जे में ली गई वस्तुओ को न्यायालय के निर्णय तक उसी व्यक्ति को वापिस दे देना चाहिये, जिससे वे कब्जे में ली गई हो । परन्तु यहां जो उपबन्ध किया जा रहा है उसके अनुसार पुलिस अधिकारी वह वस्तु किसी को भी दे सकता है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे 'किसी भी व्यक्ति' को ही रखना चाहते हैं या 'व्यक्ति जिससे वस्तुएं कब्जे में ली गयी है' शब्द रखना चाहते हैं । मैं समझता हूं कि "किसी भी व्यक्ति" शब्दों को रखने से बहुत अन्याय हो जायेगा ।

इसके बाद खण्ड 33 का उल्लेख भी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति, जिसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी हो या जिसके मृत्युदण्ड की आजीवन कारावास में बदल दिया गया हो, तब तक रिहा नही किया जायेगा, जब तक वह कम-से-कम 14 वर्षों का कारावास न भोग चुका हो । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस बात को स्पष्ट करें कि क्या सरकार इस अवधि को निकालते समय, क्या सजा भुगतते हुये समय उसको दी गई छूट का भी दृष्टिगत रखेंगी अन्यथा मैं समझता हूं कि अच्छे आचरण के लिए सजा में छूट देने का कोई मतलब नही है । माननीय मंत्री महोदय इस बात से तो अवगत ही हैं कि मुजरम अच्छा व्यवहार तभी करते हैं जबकि उन्हें यह आशा होती है कि अच्छा व्यवहार करने पर उनके कारावास के समय में कमी कर दी जायेगी । आज जबकि सुधारात्मक तरीकों पर बल दिया जा रहा है, विधेयक का प्रारूप तैयार करते समय भी इसे दृष्टिगत रखा जाना चाहिये ।

खण्ड 31 के बारे में मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं । खण्ड में यह कहा गया है कि सरकार सार्वजनिक अभियोजन को इस बात का अधिकार दे सकती है कि सैशन न्यायालय के दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील दर्ज न करे । यदि पुनरीक्षण के इस आदेश को लागू करने योग्य बना दिया जाये तो मुझे उसमें कोई आपति नही होगी । परतु धारा 399 (3) के द्वारा पूनरीक्षण में जारी किए गए आदेशों को यांत्रितका प्रदान कर दी है। इसलिए मेरा निवेदन यह है यदि इन दोनों धाराओं को विस्तृत रूप से पढ़ा जाये तथा उनकी तुलना की जाये, तो उनके सही व्याख्या करने में अधिवक्ताओं तथा न्यायाधीशों दोनों को ही काफी परेशानी होगी । अतः इस पर पुनः विचार किया जाना चाहिये ।

अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जिसका सम्बन्ध धारा 167 को संशोधित करने वाले खण्ड 13 की सम्बन्ध में है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि 1973 से पूर्व की स्थिति ही पुनः कायम की जाये। निस्संदेह यह सच है कि अवधि 60 दिनो के स्थान पर बढ़ा कर 90 दिन कर दे गई है, परन्तु इसके बावजूद भी मैं यह महसूस करता हूं कि इस उपबन्ध को सांविधिक ग्रंथ से निकाल दिया जाना चाहिये। और इस सम्बध में यथापूर्व स्थिति अर्थात जो 1973 में पहले की पूंनः कायम की जानी चाहिए। उदाहरणार्थ मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं की मान लो कि सरकार के विरुद्ध कोई जिहाद आरंभ किया जाता है जिसमें कि 100, 200 या 300 लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है तो क्या भला जिला न्यायाधीश द्वारा इन 300 लोगों का चलान तीन महीने में भी कर पाना सम्भव होगा ? यदि ऐसा नही किया जाता तो इन सभी व्यक्तियों को जमानत पर रिहा करना पड़ेगा क्योंकि यह अनिवार्य उपबन्ध है । इसी तरह के अन्य अनेक मामल उद्धृत किये जा सकते हैं । आज के युग में भ्रष्टाचार का बोलबाला है । यदि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति पुलिस को रिश्वत देकर, आरोप-पत्र 90 दिन तक प्रस्तुत न करवा सकने में सफल हो जाता है, तो उक्त अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया जायेगा । यह भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 43 से 7 परस्पर विरोधी है जिसके अनुसार यह उपबन्ध किया गया है कि तभी किसी ऐसी दोषी को, जिस पर मौत की सजा पाने का जुर्म हो, जमानत पर रिहा नही किया जायेगा जब या कि वह बीमार हो या दोषी कोई स्त्री हो । अतः यह दोनों ही बातें एक साथ है। एक ओर तो आप या पुलिस को स्वेच्छा पर छोड़ रहे हैं कि यदिवह चाहे, तो उस व्यक्ति के बारे में दोषपत्र प्रस्तुत न करे जबकि दूसरी ओर धारा 437

के अनुसार सांविधिक ग्रंथ में यह व्यवस्था भी है कि जिस व्यक्ति का मुकदमा सैशन कोर्ट में चल रहा हो उसकी जमानत नहीं हो सकेगी। इससे पुलिस वालों को भ्रष्टाचार का और अधिक अवसर उपलब्ध हो जायेगा। अतः मेरा निवेदन है कि इस उपबन्ध से कोई लाभ होने वाला नहीं है।

मेरे अनेक माननीय मित्रों ने दोषी के अधिकारों के पक्ष में बहुत कुछ कहा है। यह ठिक है कि दोषी के साथ भी न्याय किया जाना चाहिये परन्तु इसके साथ ही यह भी अनिवार्य है कि जो शिकायत करने वाला है या जिसके परिवार के सदस्यों का कत्ल किया गया है उसके हितों की सुरक्षा भी की जाये।

अन्ततः मैं खण्ड 8 की धारा 24 के बारे में निवेदन करना चाहता हूं जिसमें जिला मजिस्ट्रेट को सरकारी अभियोजकों की नामावली तैयार करने का अधिकार दिया गया है। मैं इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय का ध्यान विशेष रूप से इस लिए आकृष्ट करना चाहता हूं क्योंकि वह स्वयं महाराष्ट्र में एक अधिवक्ता रहे हैं और वह यह जानते हैं कि जिला न्यायाधीश द्वारा सरकारी अभियोजकों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है। सैशन जज के समक्ष अधिवक्ता आये दिन काम करता रहता है तथा वह उसके गुण-दोषों से भलीभांति अवगत होता है। अतः मेरा निवेदन यह है कि यह शक्ति अगर सैशन जज को दे दी जाये तो उद्देश्य की पूर्ति अधिक अच्छे तरीके से हो सकेगी तथा इसमें होने वाला भेदभाव भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा।

इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं वह इन सुझावों पर उपयुक्त विचार करें तथा इस सम्बन्ध में अपेक्षित संशोधन करने का प्रयत्न करें।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन करते हुए इसे अधिक उपयोगी बनाने की दृष्टि से अनेक सुझाव दिए है अभी इसमें कुछ हद तक प्रक्रियात्मक कानून में संशोधन नहीं किया जा रहा हैं। मौलिक कानून में अभी संशोधन नहीं किया जा रहा है। अतः मौलिक कानून के बारे में की गई टिप्पणियां अभी यहां लागू नहीं होंगी।

चर्चा के दौरान एक बात यह भी कही गई है कि यह इन्दिरा सरकार की देन है। यह बात कुछ हद तक सही है परन्तु फिर भी इसे पूरी तरह से आपात स्थिति की देन नहीं कहा जा सकता क्योंकि आपात स्थिति से काफी पहले 1973 के अधिनियम पर कई स्तरों पर विचार हो रहा था; कतिपय कठिनाइयां लोगों के समक्ष आई थी और उसमें विलम्ब नहीं किया जा सकता था क्योंकी व्यवहार में प्रक्रियात्मक कानून बादी के हित में होना चाहिए। में इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट कर दूं कि संसद द्वारा जो भी कोई विधान बनाया जाता है, वह सम्पूर्ण राष्ट्र पर लागू होता है अतः हमें इसके पूर्व-पृष्ठभूमि के बारे में अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए।

माननीय दो मित्रों द्वारा यह सुझाव भी दिया गया था कि इस विधेयक को जनमत हेतु परिचालित किया जाना चाहिये। एक माननीय मित्र ने अप्रत्यक्ष रूप से यह सुझाव भी दिया था कि इसे संयुक्त समिति को भेज दिया जाना चाहिये। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि यह विधेयक 6 मई से संसद के समक्ष है। इसके पूर्व विधेयक पर राज्य सभा द्वारा विचार किया जा चुका था और 26 अगस्त, 1976 को पारित किया गया था परन्तु चूंकि उसके बाद लोकसभा भंग कर दी गई थी, इसलिए लोकसभा इस विधेयक पर विचार नहीं कर सकी। यही कारण है कि उन प्रावधानों को हटाने के लिए अब सरकार ने प्रस्तुत विधेयक प्रस्तुत किया है। इसके माध्यम से सक्त तथा प्रक्रियात्मक कानून की भावना से विपरित किये गये प्रावधानों को हटाया जा रहा है।

जिन प्रावधानों को हटाया जा रहा है वें निम्न लिखित है।

(एक) सैशन कोर्ट को जेल या उस स्थान पर कचहरी लगाने जहां कि दोषी को रखा गया हो, से सम्बन्धित प्रावधानों।

(दो) वह प्रावधानों जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां उन कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को दी गई थी जोकि ऐसे मुकदमों की सुनवाई कर रहे थे जिनके दोष भारतीय दण्ड संहिता या किसी ऐसे विशेष कानून के अन्तर्गत आते थे, जिनमें एक साल का कारावास या जुर्माना या दोनों ही सजायें दी जा सकती थी। इसी प्रकार के जिन उपबन्धों की धारा 18 जिसका सम्बन्ध विशेष मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट से था, को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

(तीन) धारा 14 में किया गया प्रावधान जिसके अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जेल या जहां कि दोषी को रखा गया हो, वही सुनवाई करने का उपबन्ध था।

[श्री एस० डी० पाटिल

(चार) धारा 25 में संशोधन करने सम्बन्धी उपबन्ध, जिसमें यह व्यवस्था है कि सहायक सरकारी अभियोजकों पर भी निरीक्षण तथा प्रशासनिक नियंत्रण बनाये रखने के बारे में, पुलिस के महानिरीक्षक को सम्पूर्ण शक्तियां प्रदान करने के बारे में, राज्य सरकार को दी गई शक्तियों पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जा सकेगी ।

(पांच) मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को, जिसे बयान तथा स्वीकारोक्तियों को रिकार्ड करने की प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्राप्त हैं, समर्थकारी करने वाला उपबन्ध ।

(छः) ऐसा उपबन्ध, जिसका उद्देश्य, यह समझा जाये कि दस्तावेज देश की सुरक्षा के हितों के प्रतिकूल है, अभियुक्त को दस्तावेजों की प्रतियां देने तथा उनके निरीक्षण करने से इन्कार करना है ।

(सात) पूर्ण मासी जमानत प्रदान करने सम्बन्धी उपबन्ध का लोप करने का उद्देश्य वाला उपबन्ध ।

अतः इन सातों खंडों का, जिन्हें सरकार अनावश्यक तथा पार्टियों के हितों के प्रतिकूल समझती है, लोप कर दिया गया है । इतना ही नहीं सरकार ने कुछ धाराओं, विशेषकर पुरानी धारा 24 को नया रूप देने पर विचार किया है । कतिपय कठिनाइयों को दूर करने के लिए इस धारा के स्थान पर दूसरी धारा रखी जायेगी । धारा 293 का भी संशोधन किया जा रहा है क्योंकि यह महसूस किया गया है कि फारेन्सिक साइनसेज लैबोरैट्री के निदेशक के लिए सभी रिपोर्टों पर हस्ताक्षर करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है । कतिपय कठिनाइयों को दूर करने के लिए धारा 377 तथा 378 के सम्बन्ध में कुछ संशोधन निगमित किए गए हैं । कुछ मामलों में सजाओं में कमी करने की शक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाने वाली एक नई धारा संहितायें अधिनियमित की गई है, जिसका सुझाव भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1972 सम्बन्धी संयुक्त समिति ने दिया था ।

चौधरी बलवीर सिंह : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

सभापति महोदय : इसमें क्या व्यवस्था है ?

चौधरी बलवीर सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हम लोगों ने यहां बहुत सी बातें कहीं हैं और मिनिस्टर साहब अपना लिखा हुआ वक्तव्य पढ़ रहे हैं । ऐसी स्थिति में वह हमारी बातों का क्या जवाब देंगे ?

सभापति महोदय : अभी उनका भाषण समाप्त नहीं हुआ है ।

श्री एस० डी० पाटिल : मैं केवल पृष्ठभूमि बता रहा हूं । जहां तक विधेयक को जनराय जानने के लिए परिचालित करने या संयुक्त समिति को भेजने का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि इससे कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा और यहां जिन संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है, वे बहुत ही आनुषंगिक स्वरूप के हैं और कुछ संशोधन तो बहुत ही आवश्यक हैं, जिनसे प्रक्रिया संहिता का कार्यकरण अधिक प्रभावी होगा और विलम्ब करने से कई जटिलताएं पैदा हो जायेंगी । राज्य सरकार भी इस संशोधन पर जोर डाल रही है । कानून और व्यवस्था मुख्य रूप से राज्य सरकारों का विषय है और इसलिए हमें उनकी आकांक्षांओं का सम्मान करना चाहिए । वे इन संशोधनों पर बहुत जोर दे रहे हैं ।

श्री वी० वेंकटसुब्बैया : आप श्री बलवीरसिंह को मंत्री बनाकर कुछ कृपा करें क्योंकि वह मंत्री पद के लिए बहुत उत्सुक हैं ।

श्री एस० डी० पाटील : श्रीमान् मैं खंडवार विचार करूंगा ।

धारा 11 में खंड 3 के बारे में आशंका प्रकट की गई है कि जैसे हम अुले छिपे विशेष न्यायालय स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं । हम ऐसा कदापि नहीं कर रहे हैं । किन्तु कुछ मामलों में हमें विशेष न्यायालयों की आवश्यकता है । उदाहरण के लिए रेलवे के मामले हैं, जहां क्षेत्राधिकार किसी एक विशेष क्षेत्र तक सीमित नहीं है । इसके अतिरिक्त हरिजनों के विरुद्ध भी मामले हैं । हमें हरिजनों पर किए जा रहे अत्याचारों पर अवश्य विचार करना चाहिए ।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : अल्प संख्यकों का क्या होगा ?

श्री एस० डी० पाटिल : हां, अल्पसंख्यांक भी । आपने इसका उल्लेख किया है इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । अतः कानून तथा व्यवस्था के प्रशासन में कतिपय ऐसी समस्याएं हैं, जिनको हम सामान्य प्रक्रिया द्वारा हल नहीं कर पा रहे हैं । इस खंड में, जो कि एक समर्थकारी खंड है, यह भी उपबन्ध है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करके निर्णय करेगी कि क्या ऐसा विशेष न्यायालय वांछनीय है अथवा नहीं ।

अब मैं खंड 8 पर आता हूं, जिसके बारे में कई माननीय सदस्य सोच रहे हैं कि हम दो प्रकार के अभियोजक क्यों रख रहे हैं । संविधान के अनुसार केन्द्र तथा राज्य का क्षेत्राधिकार बंटा हुआ है । केन्द्र के पास जांच करने के लिए कुछ विशिष्ट मामले होते हैं । उदाहरण के लिए नजरबन्दी तथा भ्रष्टाचार निवारण के मामले राष्ट्रीय महत्व के हैं और जिनके व्यापक परिणाम होते हैं और जिनमें कई प्रकार की पेचीदिगियां होती हैं । ऐसे मामलों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जाती है । इस उद्देश्य के लिए हमें अनुभवी लोगों को नियुक्त करना पड़ता है जो परिपक्व हों तथा अधिक ज्ञान रखते हों । क्योंकि कई मामले बहुत ही जटिल होते हैं विशेषकर दुविनियोग या गबन के । जो कि प्रायः केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी करते हैं । अतः पृथक नामिका हम केन्द्रीय कर्मचारियों को निपटने के लिए रख रहे हैं । **(व्यवधान)**

1908 की पुरानी संहिता के अन्तर्गत हमें शक्तियां प्राप्त थीं किन्तु जो कुछ हम सोच रहे हैं वह यह है कि जब कभी हमें इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ जाये तो हमारे पास अपेक्षित प्रतिभा तथा अनुभव वाले व्यक्ति होने चाहिएं ताकि वे उन मामलों को निपटा सकें जिनका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है । इसी कारण हम दो प्रकार की नामिका रख रहे हैं ।

अब जहां तक सरकारी अभियोजकों का, जो कि जिला न्यायालय स्तर पर सरकारी वकीलों के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं, सम्बन्ध है, कुछ राज्यों की अपनी निर्धारित नामिकाएं हैं । कुछ राज्य जिला न्यायाधीश से परामर्श करने का तरीका अपनाते हैं । न्यायपालिका को राजनीति से अलग रखने के लिए हमने यह व्यवस्था की है कि जिला मजिस्ट्रेट आवश्यक रूप से जिला न्यायाधीश से परामर्श करेगा और मैं समझता हूं कि जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला न्यायाधीश आपस में परामर्श करके कतिपय नाम निर्धारित करेंगे । चूंकि इस नामिका में सम्मिलित करने के लिए प्रत्येक योग्य नहीं होता, अतः तालिका में चयन के लिए कतिपय मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाए गए हैं । यह उपबन्ध इसलिए किया गया है क्योंकि कई बार जिला स्तर पर प्रैक्टिस करने वाले व्यक्ति के बारे में जिला न्यायाधीश को पर्याप्त जानकारी न हो और यदि आपके पास चयन के लिये बहुत लोग हैं तो फिर जिला मजिस्ट्रेट जानता है कि तहसील स्तर पर भी प्रतिभा वाले लोग हैं । जिला मजिस्ट्रेट को समूचे जिले के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए । फिर भी इसकी जांच पड़ताल दो व्यक्तियों द्वारा की जाती है और जब तक वह तालिका दोनों व्यक्तियों द्वारा तैयार नहीं की जाती तब तक उसे सरकार को नहीं भेजा जा सकता ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर: मैं मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । आप कहते हैं कि जिला मजिस्ट्रेट को जिला न्यायाधीश से परामर्श करना चाहिए । यदि जिला मजिस्ट्रेट जिला न्यायाधीश के सुझाव को स्वीकार नहीं करेगा तो क्या होगा ?।

श्री एस० डी० पाटिल : : यह सलाह नहीं है, यह परामर्श है । परामर्श का अर्थ है कि उन्हें साथ साथ बैठकर नाम निर्धारित करने चाहिएं । ऐसा कोई मामला हो सकता है जिसमें कि दोनों की राय एक न हो किन्तु अधिकांश म परामर्श करना है । नामिका केवल दो या तीन व्यक्तियों की नहीं होगी । यह तो काफी लम्बी नामिका होगी और चयन करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश होगी और जिन व्यक्तियों ने 7 वर्ष तक प्रैक्टिस कर ली हो . . .

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि यदि दोनों की एक ही राय नहीं होती है तो क्या होगा ।

श्री एस० डी० पाटिल : सरकारी तौर पर उन्हें कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त भी दिए गए हैं—**(व्यवधान)**

ऐसे मामले बहुत कम होते हैं और यदि ऐसे मामले सरकार के ध्यान में आयेंगे तो हमें उन पर विचार करना होगा ।

एक माननीय सदस्य : क्या ऐसा होगा कि यदि दोनों की भिन्न राय होगी तो जिला न्यायाधीश की ही राय मानी जायगी ?

श्री एस० डी० पाटिल : यह भी सही नहीं है । किन्तु जहां तक संभव है, परामर्श में मतैक्य होगा और मतैक्य से जिन नामों का चयन किया जायेगा उन्हें सरकार को भेज दिया जायेगा ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : श्रीमान्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं किसी प्रकार का काल्पनिक प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, यह सभा, जोकि एक विशेष विधान तैयार कर रहा है, इस बारे में उदासीनता नहीं बरत सकती । हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि कानून द्वारा वास्तव में क्या लक्षित होता है क्योंकि थोड़ी देर में आपने कहना है कि जो पक्ष में हैं वे "हां" कहें तथा जो विपक्ष में हैं वे "नहीं" कहें । जब हमें यही पता नहीं होगा कि हम पारित क्या कर रहे हैं तो हम

[प्रो० पी० जी० मावलंकर]

मतदान कैसे कर पायेंगे ? जिस बारे में संसद कुछ नहीं जानती उस बारे में संसद को उसे पारित करने के लिए नहीं कहा जा सकता । वह स्पष्ट रूप से बताएं कि यदि दोनों सहमत नहीं होते तो परामर्श तब तक किया जाता रहेगा जब तक कि दोनों सहमत न हो जायें ।

सभापति महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । यह आपका विचार हो सकता है ।

श्री बापू साहिब परुलेकर : मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह यह स्पष्ट करें कि यदि जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला न्यायाधीश की भिन्न-भिन्न राय है तो किन की राय मानी जायेगी ।

श्री एस० डी० पाटिल : यह राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदेशों पर निर्भर करता है । यह व्यर्थ नहीं है । माननीय सदस्य व्यर्थ का तर्क दे रहे हैं । राय भिन्न होने पर...

सभापति महोदय : सरकार सहज ही यह कह सकती है कि हम निर्णय नहीं कर रहे हैं, किन्तु जब आप इस तरह का विधान बना रहे हैं तो काल्पनिक प्रश्नों पर तो विचार करना ही होगा । इन बातों पर तो विचार होना ही है । आप यह बताएं कि ऐसे में क्या होगा ।

श्री एस० डी० पाटिल : संशोधी विधेयक में हम कह रहे हैं कि जिला मजिस्ट्रेट सेशन जज के साथ परामर्श करके नामों की एक तालिका तैयार करेगा । जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया हुआ है ।

एक माननीय सदस्य : आप इसे सत्र न्यायाधीश को क्यों देते हैं ?

श्री एस० डी० पाटिल : वह जिले का प्रमुख होता है । वह समूचे प्रशासन का अंग होता है । कानून में ऐसा उपबन्ध है । संशोधी विधेयक में भी यह उपबन्ध है, पहले भी यह उपबन्ध था कि जिला मजिस्ट्रेट सेशन जज के साथ परामर्श करके व्यक्तियों के नामों की एक तालिका तैयार करेगा जो कि उसकी दृष्टि में नियुक्त करने के लिए योग्य हों ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : श्रीमान, यही मैं भी जानना चाहता हूं ।

श्री एस० डी० पाटिल : धारा बिल्कुल स्पष्ट है । धारा 24(4) बिल्कुल स्पष्ट है कि जिला मजिस्ट्रेट सेशन जज के साथ परामर्श करके एक तालिका तैयार करेगा । उसें नामिका तैयार करनी है ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : इसमें "के साथ परामर्श करके" कहा गया है । उसमें भी "करेगा" कहा गया है । यह आवश्यक है ।

सभापति महोदय : परामर्श नितांत आवश्यक है । फिर भी इसकी व्याख्या करने का काम कानूनी अदालतों का है । आप आगे बोलिए ।

श्री एस० डी० पाटिल : जैसा कि हम जानते हैं कि कानून और व्यवस्था का विषय तथा प्रशासन के विभिन्न कार्यकरण की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट तथा उपायुक्त पर होती है । इसलिए उपधारा (4) में ऐसा उपबन्ध किया गया है । अतः जिला मजिस्ट्रेट को उससें परामर्श करना है । वह उससें परामर्श करके तालिका में रखे जाने वाले व्यक्तियों की योग्यता का निर्णय लेगा । यह अनिवार्य है ।

इसके अतिरिक्त जहां तक 7 वर्ष की अवधि का सम्बन्ध है, सुझाव दिया गया है कि इसें घटाकर 5 वर्ष कर दिया जाना चाहिए । 10 वर्ष की अवधि को भी घटाने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं ।

श्री दिनेश जोरदर : मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । यह खंड 8 के उपखंड (5) के बारे में है । जब तक कुछ शर्तें संतोषजनक नहीं होती तब तक राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को सरकारी अभियोजक या अतिरिक्त सरकारी अभियोजक नियुक्त नहीं किया जा सकता । किन्तु केन्द्रीय सरकार के लिए इस बारे में इस तरह की कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है । वे किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकते हैं । आप केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी अभियोजक या अतिरिक्त सरकारी अभियोजक नियुक्त करने के लिए इसी तरह की प्रक्रिया निर्धारित क्यों नहीं कर देते ?

श्री एस० डी० पाटिल : पहले के विधेयक में भी, जिसें राज्य सभा ने पारित किया था, ऐसा उपबन्ध था । केन्द्र को इस बारे में कुछ स्वतंत्रता दी गई है । केन्द्र की अपनी मर्जी होनी चाहिए । यह किसी और को नहीं दी जा सकती । केन्द्र उस प्राधिकार को जिला मजिस्ट्रेट अथवा सेशन जज को नहीं दे सकता । इस मामले में केन्द्र की अपनी मर्जी होनी चाहिए ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : हमने जो कुछ समझा है, हम उसे पारित कर लेंगे । बस ।

श्री एस० डी० पाटिल : जहां तक 7 वर्ष की अवधि को घटाकर 5 वर्ष करने का सम्बन्ध है, तथा दस वर्ष की अवधि को घटाने का सम्बन्ध है, इस बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा । 10 वर्ष की अवधि केवल विशेष अभियोजकों क लिए है । 7 वर्ष की अवधि साधारण अभियोजकों के लिए है । अधिवक्ता काफी अनुभवी तथा परिपक्व होना चाहिए । अन्यथा उसें नियुक्त करना संभव नहीं होगा । अत: इस अवधि को कम करना संभव नहीं है । यह अवधि विधि आयोग ने अपने पहलें प्रतिवेदन के पृष्ठ 311, पैरा 38(3) में भी निर्धारित की है ।

खंड 11 पर आते हुए...

श्री बापू साहिब परुलेकर : मंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण बात को स्पष्ट नहीं किया है । मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वह रिकार्ड में जाना चाहिए ।

सभापति महोदय : कृपया प्रतीक्षा कीजिए । पहले उन्हें कहने दोजिए । आप यह बाद में कह सकते हैं ।

श्री बापू साहिब परुलेकर : किन्तु वह तो अगली बात पर चले गए हैं ।

सभापति महोदय : कृपया आप प्रतीक्षा कीजिए । पहले उन्हें सब बातें पूरी करने दीजिए ।

श्री एस० डी० पाटील : श्री पुरुलेकर ने खण्ड 10 का उल्लेख किया है जिसमें यह कहा गया है कि "किसी भी व्यक्ति द्वारा यह वचन देनेपर कि वह सम्पत्ति को न्यायालय में प्रस्तुत करेगा, उस सम्पत्ति को उस व्यक्ति को सुपुर्द करने..." ऐसा किसी व्यक्ति द्वारा जरूरी तौर पर नहीं किया जायेगा । कोई भी बाहरी व्यक्ति बौंड भरने और सम्पत्ति को प्रस्तुत करने का जोखिम नहीं उठायेगा । केवल सम्बद्ध व्यक्ति ही बचता है । हो सकता है कि किन्हीं अवसरों पर सम्बद्ध व्यक्ति उपलब्ध न हो और उसके कारण हो सकते हैं । अत:, सम्पत्ति को प्रस्तुत करने के लिए वचन पत्र को भरने सम्बन्धी पहलू काफ़ी व्यापक है ।

अब, खण्ड 11 पर आते हैं । जमानत के लिए कहना व्यक्तिगत मुचलके के अलावा, जमानत के लिए भी कहा जायेगा । पुराने का कानून में पहले सें ही एक उपबन्ध है । 1955 में इसके किए एक उपबन्ध था । 1973 के विधेयक में इसें इस आधार पर समाप्त कर दिया गया कि इससे उन गरीब लोगों को परेशानी होगी जो पेशेवर लोगों की पकड़ में हैं । ये पेशवर लोग विभिन्न व्यक्तियों की जमानत देकर उनका शोषण करते हैं । कभी-कभी वे उनसे कुछ करार करा लेते हैं ताकि वे उनके बहुत सें उद्देश्यों में काम आ सके । अत:, इस मुसीबत को टालने के लिए, इस खण्ड में संशोधन किया गया है और 'जमानत' को निकाल दिया गया है । लेकिन इस अधिनियम को क्रियान्वित करने, अर्थात् 1973 के बाद एक ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जिसमें बहुत राज्यों को कठिनाई पेश आ रही है । उन व्यक्तियों, जिन पर शक्ति और सद्भाव बनाये रखने के लिए प्रतिबन्ध लगाया जाता है, अर्थात्, जो व्यक्ति अध्याय 8 के अन्तर्गत आ जाते हैं, जो सामान्यत: 'कार्यवाही' अध्याय के अन्तर्गत आते हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उन पर जमानत द्वारा प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता ।

श्री बलवीर सिंह चौधरी : एमर्जेन्सी में तो हम भी एन्टी-सोशल थे ।

श्री एस० डी० पाटिल : आपातकाल में जो कुछ हुआ, उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं । सारी दुनिया उसें जानती है । अब, हम स्थिति पर विचार कर रहे हैं और यह 107 या 124 का प्रश्न नहीं है, क्योंकि अध्याय नया नहीं है । यह शान्ति तथा सद्भाव को बनाये रखने के लिए है और किसी बस्ती विशेष में कानून तथा व्यवस्था को बनाये रखना है । यदि कोई व्यक्ति उसमें गड़बड़ी करता है तो उस पर जरूरी-तौर प्रतिबन्ध लगान चाहिए । यह केवल कल्पना की बात है कि लोगों पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता । ऐसी कुछ परिस्थितियां होती हैं जिनमें यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे या मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस व्यक्ति पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए, वहां जमानत का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है । बहुत से राज्यों न इस प्रकार की मांग की है । क्योंकि यह समवर्ती सूची में है, इसलिए हमें यह देखना है कि यह मांग पूरी हो ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह उपबन्ध 1973 में बनाया गया था ।

श्री एस० डी० पाटिल : 1974 में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कठिनाइयां हैं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : आपात्काल के बाद...

श्री एस० डी० पाटिल : नहीं । इसीलिए मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह श्रीमती गांधी या उनक शासन का रिव्यू नहीं है । यह पहले का है । चर्चा मार्च 1975 के पहले की है और बहुत पहले की है । अत: इसे आपात्काल के साथ रखने का कोई लाभ नहीं है और यह कहने का कोई उपयोग नहों है कि यह श्रीमती गांधी की ही नकल है । इस प्रश्न को बहुत पहले

[श्री एस० डी० पाटिल]

निपटाया जा चुका था और कुछ उपबन्ध बनाये गये थे और मौजूदा स्थिति में इसके कई अच्छे उदाहरण हैं। इसें हमें क्यों नहीं रखना चाहिए ? अत: विभिन्न राज्यों की मांगों को पूरा करने के लिए इसे सम्मिलित किया गया है ।

अब, मैं खण्ड 13 पर आता हूं जो 'रिमांड' के बारे में है । जहां तक (ख) का सम्बन्ध है वह अभियुक्त को प्रस्तुत करने के बारे में है । माना कि वह संकटकालीन स्थितियों से निपटने के लिए था, लेकिन हमने इसे निकाल दिया है । मैं स्थिति को स्पष्ट करूंगा । तब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचूंगा कि बहुत से माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझाकों का क्या किया जाये । कभी-कभी अभियुक्त गम्भीर रूप से बीमार होता है या न्यायालय में या मजिस्ट्रेट के सामने उसकी पेशी में सुरक्षा का प्रश्न निहित होता है । ऐसा उन्हीं मामलों में किया जायेगा । हमने हाल ही में देखा है कि कुछ अवसरों पर न्यायालय में कितनी भीड़ होती है और सुरक्षा की व्यवस्था करना एक समस्या बन जाती है । यह उपबन्ध उस स्थिति से निपटने के इरादे से ही बनाया गया है । क्योंकि इस खण्ड को निकालने के लिए व्यापक सहमति है, इसलिए इसें निकालने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है । व्यक्तिगत रूप से मैं इसे रखना चाहता हूं क्योंकि कि इस प्रकार की परिस्थितियों से निपटने के लिए यह महत्वपूर्ण है ।

श्री दिनेश जोरदर : हाल ही में रंगा और बिल्ला का एक मामला सामने आया जिसमें सुरक्षा और भीड़ का प्रश्न उठा। इसका समाधान भी था। मजिस्ट्रेट वहीं पर न्यायालय बैठा सकता था, जहां अभियुक्तों को बन्द रखा गया था। इस प्रकार के अपवादों का ध्यान रखने के लिए यह उपबन्ध क्यों बनाया जा रहा है ? मेरी याद में इस प्रकार का यह एक मात्र मामला है ।

श्री एस० डी० पाटिल : हमने मजिस्ट्रेट या जज के उस अधिकार को स्वीकार नहीं किया है जिसके अन्तर्गत वह उसी स्थान पर न्यायालय बैठा सके जहां अभियुक्तों को कैद रखा गया है या उन स्थानों पर जहां सामान्यत: न्यायालय नहीं बैठता ।

तो भी इस उपबन्ध विशेष को निकालने के लिए मैं तैयार हूं ।

जहां तक (घ) के अन्तर्गत खण्ड (2क) का सम्बन्ध है, ऐसा लगता है कि इस खण्ड विशेष के बारे में कुछ गलतफहमी है । कुछ सम्भावित घटनाओं से निपटने के लिए इसका प्रस्ताव किया गया है । जूडीसियल मजिस्ट्रेट के उपलब्ध न होने —यह पहली शर्त है— की स्थिति में ही पुलिस अधिकारी अभियुक्त को उस निकटतम कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है जिसको जूडीसियल या मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के अधिकार दिए गये हों । पहली शर्त यह है कि जूडीसियल मजिस्ट्रेट उपलब्ध न हो । दूसरी शर्त यह है कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास जूडीसियल मजिस्ट्रेट के अधिकार होने चाहिए । प्रत्येक कार्यकारी मजिस्ट्रेट को ये अधिकार नहीं दिये जाते । यह केवल उस स्थिति विशेष तक ही सीमित है जिसमें जूडीसियल मजिस्ट्रेट फौरन उपलब्ध न हो । कई बार ऐसा होता है जब किन्हीं कारणोंवश जूडीसियल मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं होता । उस हालत में अभियुक्त को उस कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है जिसके पास जूडीसियल मजिस्ट्रेट के अधिकार है । न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने के हमारे सिद्धांत की व्यस्वथा में यह खण्ड, किसी भी रूप में, हस्तक्षेप नहीं करता । इस भय का कोई सुदृढ़ आधार नहीं है ।

खण्ड 21 में भी मेरी ओर से कोई अटकाव नहीं है । इस उपबन्ध को उन स्थितियों से निपटने के लिए रखा गया है, जिनमें गवाह न्यायालय या जिले या राज्य की भाषा नहीं जानता हो । लेकिन यदि कुछ माननीय सदस्यों को इससें एलर्जी हो या उनकी ऐसी भावना हो कि इसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में हिन्दी को लाया जा रहा है, तो मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि यदि सदन चाहता है तो इसे भी निकाल दिया जाये। मैंने इसे पढ़ने का प्रयास किया है क्योंकि मेरे लिए यह एक नई बात है । क्या खंड 339 का उप-खण्ड (3) अंतिमता प्रदान करता है ।

> "जब सेशन जज के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा या किसी व्यक्ति की ओर सें पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन पत्र दिया जाये तो सेशन जज द्वारा उस पर दिया गया निर्णय अंतिम होगा और पुनरीक्षण के द्वारा उस पर और आगे कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी ... "

पुनरीक्षण के द्वारा कार्यवाही को रोका जाता है, अपील को नहीं । हम यहां यह चाहते हैं कि पुनरीक्षण में विमुक्ति के विरुद्ध अपील करने का अधिकार दिया जाये ।

अंतिम बात खंड 33 के बारे में है अर्थात् क्या यह विशेष खंड उस अधिकार में हस्तक्षेप करता है । मैंने कई बार अपनी टिप्पणियों में इसे स्पष्ट किया है कि जब किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास दिया जाता है तो यह बात उत्पन्न हो जाती

हैं। क्योंकि हम भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में ऐसा उपबन्ध कर रहे हैं। और हम इस विशेष खंड 433क को पेश कर रहे है। अर्थात्

"धारा 432 में किसी भी बात के होते हुए भी जहां अपराध के लिए किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास दिया जाता है और कानून के द्वारा जिसके लिए मृत्युदंड का उपबन्ध भी है या जहां किसी व्यक्ति को दिए गए मृत्यु दंड को कम करके धारा 433 के अन्तर्गत आजीवन कारावास किया गया है, ऐसे व्यक्ति को तब तक जेल से रिहा नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वह कम से कम 14 वर्षों तक जेल में न रहा हो।"

यहां उसके मृत्यु दंड को कम करके आजीवन कारावास किया जा रहा है । इस तरह अपराधी व्यक्ति के प्रति यह सहानुभूति दिखाई जा रही है क्योंकि कुछ विशेष परिस्थितियां होती है या सरकार की शक्तियां हैं जिन्हें पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है । इस शक्ति का उपयोग करने के पश्चात् यदि माना कि आजीवन कारावास को 5 या 6 वर्ष की कैद में बदलना हो तो फिर यह निरर्थक है । और इसलिए यदि कत्ल जैसे जघन्य अपराधों में यदि अपराधी को 5 या 6 वर्ष में जेल से रिहा कर दिया जाये तो फिर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा । अतः भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1972 सम्बन्धी संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति ने भारतीय दंड संहिता की धारा 57 में एक परन्तुक अन्तःस्थापित किया जिसके अन्तर्गत यह उपबंध किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति पर अभियोग चलाने के बाद उसे आजीवन कारावास दिया गया हो या जहां किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दिए गए मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया हो तो उस व्यक्ति को जेल से तब तक रिहा नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वह 14 वर्ष तक की अवधि जेल में न बिता ले । उस दंड के प्रभावी प्रभाव को बनाए रखने के लिए यह अवधि अब 5 या 6 वर्ष की बजाय बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी गई है। (**व्यवधान**) राज्य सभा ने इसे पहले ही पारित कर लिया है । मैं खंड 13(2)(क)(एक) का उल्लेख कर रहा हूं जिसमें कहा गया है :—

"मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या कम से कम दस वर्ष की जेल के लिए दंडनीय अपराध सम्बन्धी जांच में 90 दिन"

कतिपय अपराध ऐसे हैं, जिनके लिए दस वर्षों से भी अधिक या आजीवन कारावास अथवा मृत्युदंड है । ऐसे मामलों में यदि जांच 90 दिनों में पूरी करनी हो तो यह बहुत मुश्किल काम हो जाता है । इससे कई कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। 1973 के अधिनियम के द्वारा यह अनिवार्य कर दिया गया कि यदि जांच पूरी नहीं होती है तो ऐसे व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए। हो सकता है कि पुलिस तंत्र इतना सक्षम न हो—मैं यह नहीं कहता कि वे सबके सब असक्षम हैं, किन्तु माना कि वे इतने सक्षम नहीं होते—साक्ष्य एकत्रित करने में भी कठिनाइयां हैं। माना कि साक्षी का सम्बन्ध कई मामलों से होता है, जो कि भारत के बाहर के हो या भारत में एक जिले से दूसरे जिले या दूर-दूर के जिलों के हों; ऐसे मामलों में आपको पुलिस तंत्र के लिए भी सोचना चाहिए क्योंकि पुलिस तंत्र जांचकर्ता तंत्र होता है । यदि जांच प्रभावी ढंग से करनी है तो इसे पूरा करने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए ।

इसीलिए यह अवधि केवल जघन्य अपराधों के मामले मे बढ़ाई गई है। प्रो०मावलंकर साहिब हमारे कई माननीय सदस्यों ने इस उपबन्ध का स्वागत किया है । आखिर यह सब राज्य प्रशासन पर निर्भर करता है कि अपने जांच तंत्र को किस तरह से सक्रिय बनाया जाये । कुछ लोग कार्य करने में शिथिलता दिखाते हैं। मेरे ध्यान में ऐसे मामले आये हैं जिनमें कई लोगों को कार्य में शिथिल पाया गया है । उनकी पदानवति की गई है । ऐसी बात नही है कि उन्हें अपना कार्य करने में शिथिलता दिखाने या सतर्कता न बरतने के लिए दंड न दिया गया हो ।

श्री दिनेश जोरदार (मालदा) : ऐसी स्थिति मे आपको हमारे पुलिस बल को एक नयी प्रेरणा देनी होगी ।

श्री एस० डी० पाटिल : यह निर्णय करना संसद का काम है । मेरा ख्याल है मैं लगभग कुछ एक को छोड़कर सभी खंड़ों पर बोल चुका हूं । मैं सदस्यों से पुनः अनुरोध करता हूं कि वे विधेयक के प्रथम पठन को अपना पूरा समर्थन प्रदान करें।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : विधायी तदर्थवाद के बारे मे आपके क्या विचार हैं ।

श्री एस० डी० पाटिल : कोई कानून बनाने के लिए कौनसा विधान अपनाया जाये, ये आम चर्चा के मामले हैं। यदि इस पर कोई विचारगोष्टी होगी तो प्रो०मावलंकर हमे उसके बारे मे बताएंगे और हम उसका स्वागत करेंगे। किन्तु यहां मैं इस पर कुछ नही बोलना चाहता । यह मेरे बस से बाहर की बात है ।

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नागिरी) : मैं आपका ध्यान खंड 8 के उपखंड (6) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं इसमें कहा गया है :—

"उपखंड 5 में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी राज्य में अभियोजक अधिकारियों का स्थायी संवर्ग है तो राज्य सरकार इस तरह के संवर्ग के व्यक्तियों मे से सरकारी अभियोजक या अतिरिक्त सरकारी अभियोजक की नियुक्ति करेगी।"

संशोधन मे पुलिस अभियोजक हैं और क्या खंड 5 में उल्लिखित संवर्ग में पुलिस अभियोजकों को भी सम्मिलित किया गया है?

श्री एस० डी० पाटिल : पुलिस अभियोजना पूर्णतया एक भिन्न वर्ग है ।

श्री बापू साहिब परुलेकर : "यह अभियोजक अधिकरियों का एक स्थायी संवर्ग" का उल्लेख किया गया है। अतः इसमें पुलिस अभियोजक भी आ जाता है। अन्यथा सभी पुलिस अभियोजक सरकारी अभियोजकों के वर्ग में आ जायेंगे । कृपया आप इसे स्पष्ट कीजिए और इसे रिकार्ड म रखना चाहिए । अन्यथा यह पुनः लिखित याचिका को दोहरायेगा । कुछ पुलिस अभियोजक लिखित याचिका दायर करेंगे ।

श्री एस० डी० पाटिल : इस विशेष धारा में कहां गया है 'कि किसी बात के होते हुए भी यदि किसी राज्य में अभियोजक अधिकारियों का कोई स्थायी संवर्ग हो" राज्यों के ऐसे संवर्ग है । यह आवश्यक नहीहै कि वह पुलिस अभियोजक अधिकारी होना चाहिए । आप यह सोच रहे है कि व पुलिस अभियोजक हैं ।

श्री बापू साहिब परुलेकर : महाराष्ट्र के मामले में ।

श्री एस० डी० पाटिल : पुलिस अभियोजकों का संवर्ग बिल्कुल भिन्न संवर्ग होता है। और जहां तक सरकारी अभियोजकों तथा सहायक अभियोजकों का,जो कि इस विशेष खंड के अन्तर्गत आते हैं, सम्बन्ध है, उनका चयन जिला मजिस्ट्रेट जिला से परामर्श करने के बाद करेगा। अतः यह प्रश्न ही उत्पन्न नही होता । वे नियुक्तियां उप-महा निरीक्षक या पुलिस महा निरीक्षक द्वारा की जाती है ।

सभापति महोदय : दो संशोधन हैं । एक संशोधन श्री विनायक प्रसाद यादव का है जिसका उद्देश्य विधेयक पर जनराय जानने हेतु उसे परिचालित करना है । दूसरा संशोधन श्री दिनेश जोरदर का है, जिसका उद्देश्य विधेयक को संयुक्त समिति में भेजना है । मैं पहले श्री विनायक प्रसाद यादव का संशोधन पेश करुंगा ।

अब प्रश्न यह है :—

"की 1 जनवरी 1979 तक जनराय जानने हेतु विधेयक परिचालित किया जाये ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : श्री दिनेश जोरदर का विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का संशोधन संख्या है।

श्री दिनेश जोरदार : मैं इस पर बल नहीं दे रहा हूं ।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति है ?

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:—

"कि दंड संहिता प्रक्रिया, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : खंड 2 से 7 के लिये कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है:—

"कि खण्ड 2 से 7 विधेयक अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 से 7 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

सभापति महोदय : खंड 8 के लिये एक संशोधन है ।

श्री एस० डी० पाटिल : मैने खंड 8 से संबंधित एक संशोधन सभा पटल पर रखा है । यह केवल रुपात्मक परिवर्तन है क्योंकि यह अनावश्यक है ।

(संशोधन किया गया)

पृष्ठ 3, पंक्ति 44 में "या उपधारा (5)" का लोप कर दिया जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:--

"कि खंड 8 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9 से 12 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : अब हम खंड 13 को लेंगे। संशोधन संख्या 6 श्री० गहानी का है। इसे एक अपवादके रूप में अनुमति दी जा रही है क्योंकि मुझे बताया गया है कि माननीय मंत्री इस संशोधन के बारे में सहमत हैं। इसे पहले परिचालित नहीं किया जा सका।

श्री एस० डी० पाटिल : मैं यह संशोधन स्वीकार करता हूं।

श्री आर० डी० गहानी : मैं संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करता हूं:--

पृष्ठ 5, पंक्ति 14 से 16 का लोप किया जाये।

जिन पंक्तियों का मैं लोप करना चाहता हूं, वे इस प्रकार है : (ख) पैरा (ख) में "कोई भी मजिस्ट्रेट करेगा" शब्दों के स्थान पर "सिवाय लिखित रूप में रिकार्ड होने वाले कारणों के कोई भी मजिस्ट्रेट करेगा" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाये।" इन सभी लाइनों का लोप कर दिया जाये।

श्री एस० डी० पाटिल : जिन कारणों को मैं पहले बता चुका हूं उन्हें न्यायालय में पेश करना अभियुक्त का मौलिक अधिकार है। मैं यह संशोधन स्वीकार करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :— पृष्ठ 5,—

पंक्ति 14 से 16 का लोप कर दिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय प्रश्न यह है:--

"कि खंड 13 संशोधित रूप मे विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 13 संशोधित रूप में विधेयक में जोड दिया गया।

सभापति महोदय : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि खंड 21 का लोप कर दिया जाये।" इसका कारण यह है कि आलोचना की गई कि सरकार अप्रत्यक्ष रूप से हिन्दी लागू करने का प्रयास कर रही है। कठिनाई यह थी कि जब कभी कोई अभियुक्त उस जिले की भाषा को नहीं जानता तो उसे यह छूट दे दी जाती है कि वह या तो हिन्दी में बोले या अंग्रेजी में।

सभापति महोदय : इस पर कोई संशोधन नहीं हो सकता। खंड 21 को स्वीकार नहीं किया जा सकेगा।

मैं खंड 14 से 20 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:—

"कि खंड 14 से 20 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 14 से 20 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : अब हम खण्ड 21 को लेते हैं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय ने कहा है कि इस आलोचना के कारण कि हिन्दी को परोक्ष ढंग से लाने की चेष्टा की जा रही है इसीलिए वह इसें निकालने को तैयार है। यदि वर्तमान संशोधन द्वारा जोकि वह खण्ड 21 के लिए लाए है, न्यायालय की भाषा जोकि उस क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या की भाषा है और मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी

[प्रो० पी० जी० मावलंकर]

क्षेत्र के लोगों का ऐसा ग्रुप जिनकी भाषा क्षेत्रीय भाषा से अलग है, वह न्यायालयों में हिन्दी या अंग्रेजी का उपयोग कर पायेंगे। मैं समझता हूं कि यदि किसी व्यक्ति की भाषा न्यायालय की भाषा से अलग है तभी हिन्दी अथवा अंग्रेजी का प्रश्न उठता है यदि ऐसी बात है तो वह इसे क्यों निकाल रहें हैं ?

श्री एस० डी० पाटिल : यह अब तो बना रहेगा। कुछ सदस्यों ने हिन्दी को इस खण्ड से निकालना चाहा है। ऐसी हालत में जब एक साथी न्यायालय की भाषा नहीं जानता उसका बयान न्यायालय की भाषा में रिकार्ड किया जायेगा।

श्री पी० वेंकटसुब्बैया : शायद मूलतः अंग्रेजी को ही वह स्थान प्राप्त था।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : न्यायालय की भाषा के रूप में।

श्री पी० वेंकटसुब्बैया : उसके स्थान पर अंग्रेजी और हिन्दी को रखा गया है। हिन्दी को क्यों जोड़ा गया है?

श्री आर० वेंकटारमन : न्यायालयों की प्रक्रिया यह है कि इसें क्षेत्र की भाषा म और यदि ऐसा नहीं है तो यह अंग्रजी में रिकार्ड किया जाता है। अब अंग्रेजी और हिन्दी की व्यवस्था की जा रही है। इससें सन्देह पैदा हो सकता है कि हिन्दी को परीक्ष रीति से लागू किया जा रहा है। इस अधिनियम के लिए इस उपबन्ध की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वर्तमान व्यवस्था संतोषजनक रहीं है तथा किसी ने कोई शिकायत नहीं की है। इस प्रकार के संशोधन की क्या आवश्यकता थी। इस बात को दूबारा उठाने से संकट पैदा होगा। इस समय वे क्षेत्रीय भाषा अथवा अंग्रेजी में रिकार्ड करने है देश में ऐसा कोई मजैस्ट्रेट नहीं है जो अंग्रेजी न जानता हो। इसें हटा दिया जाये। अन्यथा हम इस खण्ड के विरूद्ध मते दगे–(**व्यवधान**)

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नागिरी) : मैं आपका ध्यान खण्ड 21 की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि इस प्रकार है :

मूल अधिनियम की धारा 277 के खण्ड (क) "उस भाषा म लिखा जाये" शब्दों के बाद यह शब्द " यदि ऐसा करना व्यवहार्य न हो तो इसे अंग्रेजी या हिन्दी में रिकार्ड किया जाय" जोड़े जायें। इसमें 'कोई भी क्षेत्रीय भाषा' क्यों नहीं जोड़ा जाता ? मंत्री महोदय इस बारे में संशोधन रखें।

श्री आर० वेंकटारमन : क्षेत्रीय भाषा तो पहले ही रखी गई है। इस जोड़नें का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री यमूना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : श्रीमन्, मेरा कहना है कि पहले से ही यह प्रावधान है कि एक आदमी जो अपना बयान देगा वह वहां की रीजनल लैंग्वेज में देगा, अपनी मातृभाषा में देगा और उसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। जिसको अपनी बात अदालत के सामने कहनी है उसको अपनी मातृभाषा में बात कहने का अधिकार होना चाहिए और वह सर्वथा उपयुक्त है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस क्षेत्र की भाषा में बोल नहीं सकता है तो उसके लिए यह प्रावधान रखा गया कि या तो वह अपनी बात अंग्रेजी में कहे या हिन्दी में कहे और मैं समझता हूं यह बात सर्वथा उचित है, इसको डिलीट नहीं करना चाहिए। जहां तक अंग्रेजी का प्रश्न है, आप सभी लोग जानते समझते हैं कि इस देश के कितने लोग अंग्रेज़ी बोल और समझ सकते हैं। एक आदमी जो बयान देना चाहता है वह अगर वहां की मातृभाषा, वहां की कोर्ट लैंग्वेज़ में नहीं बोल सकता है तो उसके लिए केवल अंग्रेजी को रखना उसके साथ धोखा-धड़ी करना है। चूंकि आफिशल लैंग्वेज ऐक्ट कहता है कि जब तक इस देश के एक भी राज्य के लोंग चाहेंगे की अंग्रेज़ी चलती रहे तबतक अंग्रेजी चलती रहेगी इसलिए आप अंग्रेज़ी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हिन्दी को जरूर रखना चाहिए।

यह कहना भी गलत है कि इस देश में कोई भी मैजिस्ट्रेट ऐसा नहीं है जोकि अंग्रेज़ी न जानता हो क्योंकि आप जानते हैं कि हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से कानून की भी पढ़ाई होती है, बीए०, एम०ए० तथा दूसरे विषय हिन्दी अथवा क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाये जाते हैं इसलिये ऐसे न्यायाधीश भी हो सकते हैं जिनको अंग्रेज़ी का ज्ञान न हो। जो आदमी बयान दे रहा है उसको खास तौर से आप्शन होना चाहिए कि अगर वह वहां की कोर्ट लग्वेज को नहीं समझता है तो हिन्दी या अंग्रेज़ी में उसका बयान हो। में आपके माध्यम से कहूंगा कि इसको डिलिट नहीं किया जाये क्योंकि यह सर्वथा उपर्युक्त है तथा व्यावहारिक भी है और इसमें कोई भी कठिनाई नहीं आयेगी।

सभापति महोदय : इसे आप वाद-विवाद का रूप न दें । आप अपनी बात कहें ।

श्री आर० वेंकटारमन : इस खण्ड का संबन्ध किसी के बोलने से नही अपितु साक्ष्य के रिकार्ड़ किये जाने से है जोकि इस समय क्षेत्रीय भाषा तथा हिन्दी में किया जाता है । विभिन्न नियमों में इसकी व्यवस्था है । यदि आप इस बात से इन्कार करते है तो आप प्रक्रिया को नहीं जानते ।

मैंने यह नहीं कहा कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अंग्रेजी न जानता हो । जैसा कि मैंने बताया देश में कोई मजिस्ट्रेट नहीं है जो अंग्रेजी न जानता हो । मैंने इतना ही कहा था कि यदि मजिस्ट्रेट क्षेत्रीय भाषा नहीं जानता तो वह अंग्रेजी में रिकार्ड करेगा । यदि वह क्षेत्रीय भाषा जानता है तो वह उसी में रिकार्ड करेगा । यदि किसी क्षेत्र की भाषा हिन्दी है तो हिन्दी में रिकार्ड करेगा । इसमें किसी को आपत्ति नहीं है । मेरा केवल इतना ही कथन था कि वर्तमान प्रक्रिया से कोई भी समस्या पैदा नहीं होती । इसलिए नयी व्यवस्था की क्या जरूरत है ।

श्री उग्रसेन : इस का मतलब है—सब कुछ रहे, लेकिन हिन्दी न रहे । **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मेरा निवेदन है—अगर किसी को कुछ कहना है, तो जो आनरेबिल मेम्बर बोल रहे है, उन की बात पूरी हो जाने दीजिए उस के बाद फिर जो आप को कहना है, वह कहिए । लेकिन बीच न बोलिये, जिस से न उन की बात सुनाई पड़े और न आप की बात सुनाई पड़े ।

चौधरी बलबीर सिंह (होशियारपुर) : इन्होंने जो अंग्रेजी की बात कही है—मैं एक बात बतलाता हूं—एक अदालत में मुकदमा चल रहा था ...

सभापति महोदय : आप मुद्दे की बात बतलाइये, भाषण न दीजिये ।

चौधरी बलबीर सिंह : अदालत ने उस मुकदमे में कहा—"डिस्मिस्ड" । मुकदमे वाला एक गरीब आदमी था, वह समझता नहीं था । वकील ने कहा—लो, अब डिस्मिस्ड साथ लग गया है और बाहर जा कर उस ने उस के नाम पर और पैसे ऐंठ लिये । मैं इन से कहना चाहता हूं कि अब अंग्रेजी की गुलामी छोड़ दें । हिन्दी में अगर कोई लिख कर देना चाहे या बयान देना चाहे, तो उस की इजाजत होनी चाहिये । इस देश में तमाम लोग अंग्रेजी जानते हैं—ऐसी बात नहीं है । इस देश की आबादी अंग्रेजी नहीं जानती है ।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे बहुत संक्षेप में अपने विचार प्रकट करें ।

श्री उग्रसेन : माननीय सभापति महोदय, यह जो प्रिन्सिपल एक्ट है, इस में साफ़ लिखा हुआ है—अंग्रेजी या हिन्दी । अब इस के साथ अगर आप क्षेत्रीय भाषा को भी जोड़ दें,—तो यह बात समझ म आ सकती है । लेकिन हिन्दी को वहां से निकालने की बात समझ में नहीं आती है । हम ने तीन भाषा फार्मूले को माना है—उस में हिन्दी चलेगी, अंग्रेजी चलेगी और क्षेत्रीय भाषा चलेगी— इसलिये मैं व्यक्तिगत तौर पर यही चाहता हूं कि इसी तरह से रखा जाय, क्षेत्रीय भाषा में भी बयान देने की गुंजाइश रहनी चाहिये । आप जानते हैं—एफ० आइ० आर० कसे लिखी जायेगी ? मैंने पुलिस कमीशन के सामने गवाही दी । वहां पर यह बात कही गई कि वही प्रथम सूचना रपट अच्छी होती है जो स्वतः लिखाई जाती है, सिखलाई हुई नहीं होती है । हम रपट को देख कर बतला सकते हैं कि दरोग़ा ने कौन सी लिखाई है और कौन सी स्वतः लिखाई गई है । इस लिये मेरा कहना है कि उस को आज़ादी होनी चाहिये, वह जिस भाषा में चाह, लिखा सके । अगर वह क्षेत्रीय भाषा में नहीं लिखा सकता है, तो उसे मौका दीजिये कि हिन्दी में लिखाये, अगर हिन्दी नहीं जानता है, केवल अंग्रेजी जानता है तब दूसरी बात है, उस को अंग्रेजी में लिखने का अवसर दिया जाना चाहिये । लेकिन इस तरह से संशोधन ला कर हिन्दी को निकालने का प्रयास किया जाय, हमारी जनता पार्टी की सरकार इस का विरोध करती है, हिन्दी में तो रहना ही चाहिये ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : वर्तमान स्थिति बार बार तर्क करने के लिये युक्त नहीं है । मेरा सुझाव है कि सरकार की सहमति तथा रवैये से यह कार्य आगे बढ़ाया जा सकता है । यदि सरकार इस विशेष खण्ड के साथ भी विधेयक लाती है तो इस पर शीघ्रता से फैसला नहीं किया जाना चाहिए । इस

[प्रो० पी० जी० मावलंकर]

खण्ड को उन्हें इस समय के लिये रख लेना चाहिए । गैर हिन्दी भाषी क्षेत्र के लोगों की आलोचना की पहले ही उनपर प्रतिक्रिया हुई है । यदि सरकार समझती है तो दूसरे सदन में इसपर संशोधन रख सकती है । इस प्रकार सरकार को सोचने का अवसर मिल जायेगा । दूसरे सदन का उपयोग भी यही है । यदि सरकार इसे हटाना चाहती है तो मैं इसका विरोध नहीं करता ।

श्री दिनेश जोरदार (मालदा) : हमारा दूसरे सदन से सरोकार नहीं । जैसे कि मंत्री महोदय ने इसे निकालना स्वीकार कर लिया है । उन्हें ऐसा करने दे ।

श्री ए० सुब्रा साहिब : संहिता में उल्लेख है कि साक्षी अंग्रेजी में ली जाये । यदि कोई क्षेत्रीय भाषा हिन्दी अथवा तमिल अथवा मलयालम हैं तो मजिस्ट्रेट उसमें साक्ष्य रिकार्ड कर सकता है । इस खण्ड में "हिन्दी अथवा अंग्रेजी में " का कोई प्रश्न ही नहीं है । उन्हें इसे वापिस लेना चाहिए ।

श्री एस० डी० पाटिल : इस संशोधन को कुछ गलत समझा गया है । धारा 277 में कहा गया है कि प्रत्येक ऐसे मामले में जहां धारा 275 अथवा 276 में साक्षी अथवा साक्ष्य न्यायालय की भाषा में देता है तो इसे रिकार्ड किया जायेगा यदि वह उस भाषा में नहीं देता तो उसे रिकार्ड करना अव्यवहार्य होगा तब उसका प्रमाणिक अनुवाद न्यायालय की भाषा में मजिस्ट्रेट द्वारा रिकार्ड किया जायेगा । संशोधन इसलिए रखा गया ताकि कुछ राज्यें में विशेषता उड़िसा में भिन्न भिन्न भाषाएं है तथा कतिपय मामलों में पीठासीन अधिकारी न्यायालय की भाषा नहीं जानते । यह एक व्यावहारिक कठिनाई है। फिर भी सरकार इस बारे में इतनी उत्सूक नहीं है । इसी लिए मैंने स्वीकार कर लिया है । यदि इस खण्ड को निकाल दिया जाता है तो कोई हानी नही थी ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 21 विधेयक का भंग बने ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत आ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :
"खण्ड 22 से 36 विधेयक का अंग बनें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 22 से 36 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :
"खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गये ।

श्री एस० डी० पाटिल : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये" ।

श्री हरिकेश बहादूर (गोरखपूर) : मान्यवर, यद्यपि मैं सरकार द्वारा लाये गये इस विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं, फिर भी यह महसूस करता हूं कि इससें हमारे देश के अन्दर बढ़ते हुए अपराधों को खत्म करने में कोई विशेष मदद नहीं मिलेगी। आज की हालत में जब अपराध वहुत तेजी सें बढ़ रहे हैं इस विधेयक में कुछ बुनियादी परिवर्तन की आवश्यकता थी और उससें भी आगे बढकर कुछ ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता थी जिससें अपराधियों की अपराध प्रवृत्ति पर कोई अंकुश लगता तो सरकार ने कुछ अच्छा काम किया होता ।

आज जो हमारे देश में दंड की प्रक्रिया है, अपराधियों को दंड देने की जो नियमावली है उसके तहत यह पाया जा रहा है कि भयंकर अपराध करने के बाद अपराधी जब अदालतों में जाते हैं अपनी सफाई देने के लिये तो वहां सें अधिकांश अपराधी छूट जाते है । नतीजा यह हो रहा है कि अपराध करने की प्रवृत्ति उस व्यक्ति के अन्दर तो बढती ही है जो अपराध करने के बाद अदालत से छूट जाता है, साथही पूरे समाज के अन्दर अपराध करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है और इसके कारण आज देश में यह स्थिति पैदा हो गई है कि पूरी तरह सें अराजकता और हिंसा का वातावरण है, कोई भी व्यक्ति अपने को सुरक्षित

नहीं समझ रहा है । कुछ ऐसें अपराध हैं जैसे हत्या, डकैती, स्मगलिंग, रेप, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिन्ग, प्रोफ़ीटियरिंग जो भयंकर अपराध हैं और ऐसें अपराधियों को जिस प्रकार का दंड दिया जाता है, आज संविधान के अन्दर जो प्रक्रियायें लागू की गई हैं वह हमारे देश के अन्दर बढ़ते हुए अपराध को खत्म करने में नाकाफी है । इसमें जो संशोधन किया जा रहा है हमने यह अनुभव किया था शायद कुछ और भी अधिक क्रान्तिकारी परिवर्तन किये जायेंगे ताकि देश में अराजकता और हिंसा के वातावरण को रोकने में मदद मिलेगी । लेकिन वैसा इस विधेयक में देखन को नहीं मिला । आज देश के अन्दर लोगों का विश्वास कानून से टूट रहा है जिसका नतीजा यह होगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में पड़ जायेगी । आज प्रति दिन बराबर इस बात की चर्चा हो रही है कि बढ़ते हुए अपराध के कारण लोकतंत्र और स्वतंत्रता का तथा उसमें जो मानवीय अधिकारियों का संरक्षण है अगर उनका मतलब यही होता है कि तरह तरह के अपराध बढ़ते जायें और उन पर अंकुश न लगे तो लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है । अगर यह प्रवृत्ति बढ़ती जायगी तो पूरी कानून व्यवस्था अस्तव्यस्त हो जायगी और नतीजा यह होगा कि हमें एक ऐसी तानाशाही का सामना करना पड़ेगा जिसके विरुद्ध हमने हमेशा संघर्ष किया है । इसलिये मेरा सुझाव तो यह है कि मंत्री जी फिर से इस बात पर विचार करें कि जो भयंकर किस्म के अपराध हैं उनमें अपराधियों को दंडित करने की जो व्यवस्था हो वह कोई नई व्यवस्था लागू की जाय और इसके लिये स्पेशल कोर्टस बनाये जायें तथा अपराधियों को जो सजा देने की व्यवस्था है उसमें देरी न हो और अपराधों की जांच करने की जो व्यवस्था है उसमें भी कुछ परिवर्तन किया जाय और अपराधों के बारे में जांच करने के बाद जो रिपोर्ट आती है उस पर तत्काल कार्यवाही की जाय । अगर हम इन कामों को करेंगे, तभी हम देश में बढ़ते हुए अपराधों को रोक सकेंगे ।

विशेष रूप से इस विधेयक के बारे में मुझे यह भी कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और उसमें दी गई आज़ादी का शोषण करने के लिये अगर लोगों को छूट होगी, या लोग यह महसूस करेंगे कि जो आज़ादी दी गई है, उसके जरिये वह दूसरों के जीवन को संकट में डाल सकते हैं, तो उससे हमारी पूरी व्यवस्था खतरे में पड़ जायेगी । इससे लोकतंत्र की हत्या भी हो सकती है । इसलिये मैं इस अवसर पर मंत्री जी के माध्यम से सरकार को सावधान करना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखने के लिये अपराधियों को दंडित करने के सख्त नियम बनाये जायें ।

आज हमारे न्यायालयों में ठीक ढंग से न्याय नहीं हो रहा है । दुर्भाग्य की बात है, आमतौर से आज इस बात की चर्चा होती है कि न्यायालय में जो न्याय हो रहा है, वह पैसे से बेचा और खरीदा जा रहा है । इसका कारण यह भी हो सकता है कि हमारे जो जजेज हैं, वह लो-पेड हैं, उनको जो वेतन दिया जाता है, वह बहुत कम है । इसके लिये हमें विचार करना चाहिये और उसे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिये क्योंकि वे लोग बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं । साथ ही जुडिशियरी के ज़रिये न्याय न होने का एक कारण यह भी है कि वह अपने को सिक्योर और सेफ नहीं महसूस करते हैं । अगर अपने जजमेंट में किसी अपराधी के खिलाफ वह निर्णय कर देते हैं तो उन्हें डर रहता है कि ऐसे अपराधी उन पर आक्रमण कर सकते हैं और रीसेंट पास्ट में इस तरह की घटनाएं हुई भी हैं । इसलिये इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये ।

कौमुनल रायट्स रोकने के लिये इस विधेयक में एक विशेष व्यवस्था होनी चाहिये थी । आज देश में हर जगह साम्प्रदायिक दंगे हो रहें हैं, जातिवाद से संबंधित दंगें हो रहे हैं । इन्हें रोकने क लिये विशेष प्रक्रिया इसमें ला देनी चाहिये थी और ऐसे अपराधियों को कम से कम 5 वर्ष की कड़ी सजा देने की व्यवस्था इसमें की जानी चाहिये थी । इसकी भी इसमें कमी देखी गई है ।

मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरी बातों पर ध्यान देंगे और ऐसा विधेयक लायेंगे जिसमें इन कमियों को पूरा करने की कोशिश की जायेगी ।

श्री एस० डी० पाटिल : मैं माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त की गई चिंता को समझता हूं लेकिन उनके विचार तभी संगत होंगे जब भारतीय दण्ड संहिता पर विचार किया जाएगा । यह प्रक्रियात्मक कानून है न कि मूल कानून । **(व्यवधान)** दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1973 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में कतिपय कठिनाईयां बताई गई हैं और इन कठिनाईयों से मुक्ति पाने के उद्देश्य से ही हम यह विधेयक लाए हैं । इसी सीमित उद्देश्य से यह विधेयक पेश किया जा रहा है । कानून तथा व्यवस्था की स्थिति, न्यायपालिका कार्यपालिका तथा अन्य प्रश्न उस समय सम्बद्ध होंगे जब भारतीय दण्ड संहिता पर चर्चा होगी ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

देश के विभिन्न भागों में बाढ से प्रति वर्ष होने वाली क्षति के बारे में चर्चा—जारी

सभापति महोदय : अब 15 मिनट बचे है और हमें बाढ़ों पर चर्चा जारी रखनी है। श्री मुरूगसेन बोल रहे थे लेकिन अब वह उपस्थित नहीं है। अतः श्री वेंकटासुब्बया बोलेंगे।

श्री पी० वेंकट सुब्बैया (नन्दयाल) : वर्तमान सरकार द्वारा अपने कर्तव्यों को निभाने में जिस प्रकार की असफलता दिखाई गई और उचित समय पर संगत कार्यवाही नहीं की गई, यदि मैं इस बारे में कुछ तथ्य बताऊं तो मुझे गलत न समझा जाए। ऐसे समय में जबकि देश के अधिकांश भाग बाढ़ग्रस्त थे, मंत्री महोदय अपनी जिम्मेदारी से बच रहे थे। मंत्री महोदय ढ़ाका में बंगला देश सरकार से बातचीत कर रहे थे। अन्तःदलीय मतभेदों के कारण उन्हें वापस बुलाया गया और उन्होंने अपने त्याग-पत्र दे दिया। सारे मंत्रालय में भ्रांति सी फैल गई। यह केवल मेरी राय नहीं बल्कि जनता सरकार के समर्थक पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु की है। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने कहा:

"मुख्य मंत्री (श्री ज्योति बसु) ने अकाली निरंकारी विवाद पर कृषि मंत्री श्री सुरजीतसिंह बरनाला के द्वारा त्याग-पत्र देने का हवाला देते हुए बताया कि इससे उनके राज्य में चल रहे राहत कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

पश्चिम बंगाल सरकार काम के लिए भोजन कार्यक्रम में कुछ संशोधन करना चाहती थी जिसके लिए श्री बरनाला सहमत थे। लेकिन इसके बाद मंत्री महोदय ने त्याग-पत्र दे दिया और अपेक्षित आदेश पास कराने पर जोर डालने के लिए कोई नहीं था। अधिकारी काम नहीं कर सके और दस दिन का विलम्ब हो गया।"

ऐसी परिस्थितियों में दस दिन के विलम्ब से स्थिति काफी बिगड़ गई। यह भी बताया गया है :

"श्री बसु ने खेद व्यक्त किया कि प्रधान मंत्री ने उनके राज्यों के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा नहीं किया। उन्होंने दो या तीन बार दौरा करने का सुझाव दिया था परन्तु श्री देसाई ने कोई न कोई बहाना बना दिया।"

पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री का सरकार के निराशाजनक कार्यकरण के बारे में यह कहना है। यह राज्य प्राकृतिक प्रकोप का बुरी तरह शिकार हुआ।

सरकार रिकार्ड उत्पादन का श्रेय अपने ऊपर लेना चाहती है। लेकिन वह यह भूल जाती है कि गत 30-40 वर्षों में उठाए गए कदमों से ही ऐसा सम्भव हो सका। जब वह श्रेय लेने के लिए तैयार है तो आलोचना सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। देश के इतिहास में बाढ़ से इतनी भीषण तबाही कभी नहीं हुई। ऐसे कई पहलू हैं जिनसे यह पता चलता है कि इस सरकार या गत सरकार ने प्राकृतिक प्रकोप से बचने के लिए गम्भीरता से काम नहीं किया। हमारे देश में ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी तथा महानदी जैसी बड़ी बड़ी नदियां हैं। यदि इनका उपयोग करने लिए सुनियोजित कार्यक्रम बनाया जाता तो यह नुक्सान नहीं होता। लेकिन हम तो जल विवादों में ही उलझे रहे। उधर वनों की कटाई भी जारी रही। हिमालय में वन सम्पदा को समाप्त करना नियमित रूप से जारी रहा।

परम्परा यह रही है कि जब भी बाढ़ आती है, संसद में उस पर चर्चा की जाती है और फिर कार्यक्रम बनाया जाता है, जिसे बाद में भुला दिया जाता है। जब जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई थी तो श्री मोरारजी देसाई ने कहा था गंगा को कावेरी से तथा ब्रह्मपुत्र को गंगा के साथ जोड़ने के लिए योजना बनाई जाएगी। उस योजना का क्या हुआ। सरकार ने इस बड़े कार्य के लिए 20,000 करोड़ रुपये भी अलग रखे थे। इससे न केवल बाढ़ की समस्या हल हो सकती है बल्कि बेरोजगारी की समस्या भी हल हो सकती है और देश में एकता की भावना बढ़ सकती है। लेकिन जनता पार्टी आपसी झगड़ों में व्यस्त है और राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार करने के लिए इनके पास समय नहीं है। इस योजना का आराम से परित्याग कर दिया गया।

नदियों पर नियंत्रण पाने के लिए राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए और देश को लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को ऐसा फार्मुला बनाना चाहिए जिस पर सब एकमत हों। जब तक ऐसा नहीं होगा, हर साल बाढ़े आएंगी और हम प्रकोप समाप्त होने के बाद ही इन पर चर्चा करते रहेंगे।

कई लाख लोग बेघर हो गए हैं। लाखों हैक्टीयर भूमि जलमग्न हो गई और कृषि उत्पादन की क्षति हुई। इन मामलों पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर दक्षिण में गोदावरी को कृष्णा के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है। गोदावरी के जल के बंटवारे के बारे में सम्बन्धित राज्यों के साथ समझौता हो गया। यदि इसे क्रियान्वित किया गया तो इससे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा लाभान्वित होंगे। जब समस्याएं हल हो गईं तो सरकार इस प्रकार का विलम्ब किए बिना समस्याओं को शीघ्र से शीघ्र निपटाएगी। इस बात पर राजनीतिक मतभेद नहीं होना चाहिए। यह एक राष्ट्रीय समस्या है और इसमें हर राज्य को सहमति प्रकट करनी चाहिए।

मैं कृषि मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि जब भी देश के एक हिस्से में बाढ़ आती है तो दूसरे हिस्से में अकाल और महामारी फैल जाती है। यदि इन क्षेत्रों में भी सिंचाई की जाती है तो न केवल बाढ़ों को रोका जा सकेगा बल्कि इस क्षेत्र को भी सिंचाई की सुविधा मिल सकगी। प्रस्ताव है कि कृष्णा नदी से जल लेकर मद्रास शहर के लोगों को पेय जल मिल सकेगा। कृष्णा नदी के पानी की दिशा बदलने से आंध्र प्रदेश का रायलसीमा क्षेत्र भी लाभान्वित होगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने ऐसा प्रस्ताव भेजा है और यह केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु पड़ा है। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह आपसी झगड़ों को छोड़कर इन समस्याओं की ओर ध्यान दें।

सभापति महोदय : इससे पहले कि मैं...

श्री दीनेन भट्टाचार्य : ऐसा कब तक जारी रहेगा ?

सभापति महोदय : यह निर्णय भी सदन को करना है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : : गत बार सभापति महोदया डा० सुशीला नैयर ने मुझे बताया कि मुझे अगली बार बोलने का अवसर मिलेगा।

श्री धीरेन्द्रनाथ बसु : यह महत्वपूर्ण विषय है। दो घंटे और दिए जाएं।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती : विषय के महत्व को देखते हुए गत बार समय को बढ़ाने की मांग की गई थी और इसे स्वीकार कर लिया गया था। कार्य सूची से पता चलता है कि इस विषय के लिए दो घंटे और रखे गए हैं। अब यह निर्णय करना सदन का काम है कि समय कब तक बढ़ाया जाए ?

चौधरी बलबीर सिंह (होशियारपुर) : दो घंटे का टाईम हमने मान लिया है तो दो घंटे टाईम रहना ही चाहिए।

सभापति महोदय : जहां तक समय का प्रश्न है, मेरे विचार से दो घंटे और रखना उचित होगा। कार्य मंत्रणा समिति जो भी दिन या समय तय करेगी उसी हिसाब से चर्चा शुरू की जाएगी। **(व्यवधान)**

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह मामला सरकार की नीति से सम्बन्धित है। सरकार की नीति क्या है ? योजना अग्रिम पर धन दिया जाता है। यदि योजना धन को कम करके सहायता दी जाती है तो इसका अर्थ है कि नीति में परिवर्तन किया गया है। यह परिवर्तन क्यों किया गया है ?

सभापति महोदय : यह मामला इस समय विचाराधीन नहीं है। क्या सदन यह चाहता है कि चर्चा का समय दो घंटे और बढ़ा दिया जाए ?

कई माननीय सदस्य : जी, हां।

सभापति महोदय : समय बढ़ाया जाता है। अब मुझे एक घोषणा करनी है।

सदस्य के अवरोध तथा रिहाई के बारे में सूचना

सभापति महोदय : मुझे सदन को सूचना देनी है कि लोक सभा के अध्यक्ष के नाम पुलिस इन्स्पेक्टर, पुलिस स्टेशन सदर, नागपुर से 27 नवम्बर, 1978 का निम्नलिखित बेतार संदेश प्राप्त हुआ है :—

"श्री वसन्त साठे, संसद सदस्य को निषेधाज्ञा भंग कर परिषद् हाल की ओर मोर्चा ले जाने के प्रयास में बम्बई पुलिस अधिनियम की धारा 68-69 के अन्तर्गत 27-11-78 को 17.45 बजे गिरफ्तार किया गया। उन्हें 27-11-78 को 20.00 बजे रिहा कर दिया गया।"

बिहार के एक मंत्री और एक संसदीय सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में वक्तव्य

सभापति महोदय : अब मंत्री महोदय वक्तव्य दगे ।

श्री पी० वेंकटा सुब्बैया (नन्दपाल) : क्या मैं वक्तव्य के बारे में जान सकता हूं ?

सभापति महोदय : आप उनका वक्तव्य सुनिए । सब पता चल जाएगा ।

श्री पी० वेंकटा सुब्बैया : मंत्री महोदय ने कहा था कि वह कल वक्तव्य देंगे ।

प्रो० दिलिप चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिण) : मंत्री महोदय आज वक्तव्य दें ।

सभापति महोदय : वह स्वेच्छा से वक्तव्य दे सकते हैं ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : अब सभा स्थगित होने में केवल 1 मिनट रह गया है । **(व्यवधान)**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिकलाल मण्डल) : बिहार राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मोहन राय, पर्यटन मंत्री, बिहार सरकार तथा श्री राम विलास पासवान, संसद सदस्य (लोक सभा) को धारा 147, 148 तथा 307 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन 26-11-78 को सराय रंजन पुलिस थाना मामला संख्या 9 के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया । यह मामला सरायरंजन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सलीमपुर बूथ संख्या 25 पर मंत्री के सुरक्षा गार्ड द्वारा गोली चलाए जाने के सम्बन्ध में दर्ज किया गया था । गिरफ्तार व्यक्तियों को उसी दिन जमानत पर रिहा कर दिया गया ।

सभापति महोदय : अब सभा कल 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है ।

इसके बाद लोक सभा बुधवार, 29 दिसम्बर, 1978/8 अग्रहायण, 1900 (शक) के 11 बजे मध्याह्न पूर्व तक के लिए स्थगित हुई ।

भा०स०मु०ना०—वि० 6—475 लोक सभा (एन०डी०)/78—17-2-79—210